अष्टम माला, खंड 15, अंक 30

मंगलवार, 8 अप्रैल, 1986
18 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 30, मंगलवार, 8 अप्रैल, 1986/18 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 597 से 603	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—245
तारांकित प्रश्न संख्या : 604 से 617	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5660 से 5706, 5708 से 5717 और 5719 से 5882	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	245—247
लोक लेखा समिति	247—252
36वां तथा 38वां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ...	252
अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	253
सदस्यों के निर्वाचन के लिये राज्य सभा से सिफारिश	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	253—258
(एक) त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक के जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने की आवश्यकता	
श्री ए० चार्ल्स	253
(दो) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में बनाये जा चुके "ताला नगर" के समान "ढलाई नगर" बनाने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	254
(तीन) अहमदपुर-कटवा और बर्दवान-कटवा रेल लाइनों का सुचारू रूप से संचालन तथा ए० के० (एन० जी०) रेलवे कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ चटर्जी	254
(चार) विलिंगटन द्वीप, कोचीन, स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया के याडं में इस्पात सामग्री का भंडारण करने की आवश्यकता	
प्रो० के० वी० थामस	255
(पांच) केरल के पाथनमथिट्टा जिले में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता	
प्रो० पी० जे० कुरियन	255
(छ:) असम में प्रदीप्त गैस को व्यर्थ न जाने देने तथा एक गैस क्रेकर काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की मांग	
श्री एम० आर० सैकिया	256
(सात) उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने की मांग	
श्री ब्रह्म दत्त	256

(आठ) राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में शिक्षित बेरोजगार हरिजन युवकों और अन्यों को ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

श्री बीरबल 257

(नौ) बिहार के गिरडीह जिले के नवाडीह उप-मंडल में पुल के निर्माण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री सरफराज अहमद 258

अनुदानों की मांगें, 1986-87 [—जारी] ... ... 258—371

(एक) रक्षा मंत्रालय 2

श्री एस० जयपाल रेड्डी 259

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह 264

श्री पी० नामग्याल 268

श्री मोहम्मद अयूब खां 270

श्री पी० सेलवेन्द्रन 274

श्री सोमनाथ रथ... 276

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 278

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 280

श्री राम सिंह यादव 282

श्री चिन्तामणि जेना 284

प्रो० नारायण चन्द पराशर 287

श्री नारायण चौबे 290

श्री बनवारी लाल पुरोहित 294

श्री अमर राय प्रधान 296

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 299

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् 303

श्री विजय एन० पाटिल 308

विषय	पृष्ठ
श्री जी० एस० राजहंस	309
श्री सी० सम्बु	310
श्री पी० के० थुंगन	312
श्री जैनुल बशर	314
श्री राजीव गांधी	316
(दो) जलसंसाधन मंत्रालय	³38
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	339
श्रीमती कृष्णासाही	346
श्री मेवा सिंह गिल	354
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	357
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	360
श्री राम पूजन पटेल	363
श्री डी० पी० यादव	366
श्री भीष्म देव दूबे	370

लोक सभा

मंगलवार, 8 अप्रैल, 1986/18 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 597—श्रीमती बसवराजेश्वरी।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, एक सूचना देनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले ही हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप कृपया मेरी बात सुनिये। यह एक सूचना है। माननीय सदस्या का नाम गलत लिखा गया है, 'बसवराजेश्वरी' नहीं लिखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक कर दिया गया है। शुद्धि दी भी गई है। आप इसे नोट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : क्या आप 'रसव' का अर्थ जानते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ बसवराजेश्वरी जानता हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन

*597. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन देने का सरकार का विचार है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूचियों में कुल कितने आवेदनकर्त्ताओं के नाम दर्ज हैं; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-1-1986 को देश में चालू सीधे टेलीफोन कनेक्शनों की कुल सं० 31.19 लाख थी।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 11 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) 31-1-1986 की स्थिति के अनुसार समूचे देश की प्रतीक्षा सूची में 9.97 लाख नाम दर्ज थे।

(घ) योजना आयोग द्वारा नियुक्त संचार कार्यचालन ग्रुप द्वारा सातवीं योजना के अन्त तक 76.63 लाख टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का अनुमान लगाया गया है। इस मांग को पूरा करने के लिए 1984 के मूल्यों पर 13,768 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : (क) महोदय, प्रतीक्षा में से, क्या माननीय मंत्री कर्नाटक में कुल लंबित टेलीफोन कनेक्शनों की एस०टी०डी० कनेक्शनों के साथ संख्या बताने की कृपा करेंगे ? अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार लम्बित सूची को पूरा करने में कितना समय लेगी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की तुलना में कर्नाटक में ग्रामीण टेलीफोनों की संख्या बहुत कम है ? अगर ऐसा है तो क्या सरकार निश्चित रूप से इस वर्ष के दौरान विचार करके मांग का ख्याल न करते हुए और अधिक ग्रामीण कनेक्शन देने का प्रयास करेगी क्योंकि टेलीफोनों की कमी से किसानों और बैंकरों को बहुत असुविधा हो रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, 31 जनवरी, 1986 को कर्नाटक टेलीफोन सर्कल की प्रतीक्षा सूची में 21,386 नाम दर्ज थे। बंगलौर में ही, प्रतीक्षा सूची में 28,013 नाम दर्ज थे।

जैसा कि मैंने कहा है कि सातवीं योजना में संसाधनों की कमी के कारण प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। लगभग ऐसी ही स्थिति हमारे ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में है। हमने सोचा था कि हम ऐसा एक टेलीफोन कनेक्शन दे सकेंगे और पांच किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में पी०सी०ओ० उपलब्ध कराया जा सकेगा। हम इसे सातवीं योजना में करना चाहते हैं। परन्तु, महोदय, संसाधनों की कमी के कारण यह भी संभव नहीं होगा।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : (क) महोदय, क्या यह सही है कि बम्बई और दिल्ली में व्यवस्था को शीघ्रता और कुशलता से चलाने के लिए एम०टी०एन० उपलब्ध कराया गया है ? मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहती हूं कि बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद तथा अन्य मेट्रोपोलिटन शहरों को ऐसा अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?

(ख) क्या माननीय मंत्री को पता है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या महोदया, आप (क), (ख), (ग), (घ) प्रश्न पूछ रही हैं ?

श्रीमती बसव राजेश्वरी : केवल एक प्रश्न, मैं कर रही हूं क्योंकि बाद में आप मुझे अनुमति नहीं देंगे।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य का पता है कि बंगलौर में एक डिजिटल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव था परन्तु बाद में इसे उत्तर प्रदेश में खिसका दिया गया है ? अब, क्या माननीय मंत्री मुझे आश्वासन देंगे कि वह दूसरी डिजिटल फैक्ट्री बंगलौर में स्थापित करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, दूसरी डिजिटल स्विचिंग फैक्ट्री सिद्धांत रूप से सरकार बंगलौर में स्थापित करने के लिए सहमत हो गई हैं। सरकार ने, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इसे उत्तर प्रदेश में खिसकाने का निर्णय नहीं किया है। हालांकि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि दूसरा कारखाना स्थापित किया जाये।

खैर, आधुनिक इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य एक्सचेंजों को शुरू करने के बारे में, यह सही नहीं है कि सरकार ऐसा केवल बम्बई और दिल्ली में कर रही है। सरकार सभी बड़े शहरों में, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रोनिक डिजिटल एक्सचेंजों को लगा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप सभा में कांग्रेस चुनाव चिह्न का प्रदर्शन कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : महोदय, क्या माननीय मन्त्री कलकत्ता में टेलीफोनों की वास्तविक स्थिति क्या है बतायेंगे ? क्या मैं जान सकता हूं कि वे अक्सर खराब क्यों हो जाते हैं। सरकार ने यह निश्चित करने के लिए कि कलकत्ता में टेलीफोन ठीक प्रकार से कार्य करें इसके लिए कौन-से सुधार उपाय किये हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : केवल ठीक से कार्य करने वाले टेलीफोन ? और कुछ नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची है, 31 जनवरी, 1986 को 31069 नाम दर्ज थे। कलकता की टेलीफोन व्यवस्था कई कारणों से संतोषजनक नहीं है। हम

कारणों का पता लगाकर उनको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं। हम पुराने एक्सचेंजों के बदले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगा रहे हैं। एक बड़ी कठिनाई केबल व्यवस्था की है। केबलों की चोरी कलकत्ता में किसी भी अन्य शहर की तुलना में बहुत अधिक है। यह एक कारण है कि व्यवस्था ठीक से कार्य क्यों नहीं कर पाती। हम इसमें सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार का सहयोग भी मांग रहे हैं ताकि केबलों की चोरी को कम किया जा सके।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वे भूमिगत केबल हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमारे मंत्री बहुत चुस्त हैं। परन्तु उनका विभाग चुस्त नहीं है।

श्री नारायण चौबे : मंत्री महोदय, आपको कैसा प्रमाण-पत्र मिला है ?

कुमारी ममता बनर्जी : आप अपनी सरकार के अंध समर्थक हैं। परन्तु हम अपनी सरकार की, अगर जरूरत पड़े, तो रचनात्मक रूप में आलोचना कर सकते हैं। हमें यह स्वतंत्रता है।

महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं क्योंकि हम इस देश की टेलीफोन व्यवस्था के प्रति बहुत चिंतित हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी— सारे सदस्य ही बहुत चिंतित हैं। हमारे राज्य में, कलकत्ता के टेलीफोनों की हालत मरने की स्थिति में नहीं है। यह मृत है। वर्तमान सभी टेलीफोन अब बस मृत प्रायः हैं। क्या सरकार का विभाग को बन्द करने का इरादा है अथवा मन्त्री महोदय कलकत्ता, बंगलौर, कोचीन, मद्रास में भी स्थिति को सुधारने के लिए न्यू पाइलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं ? यहां तक कि जो लोग गत 10 वर्षों से नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत हैं उन्हें नये कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिये जा रहे हैं। मैं कलकत्ता टेलीफोन की परामर्श-दाता समिति की सदस्य हूं। मैंने कलकत्ता टेलीफोनों के बारे में बहुत शिकायतें दी हैं। हमें उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप क्या चाहती हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं श्रमिकों की कार्यकुशलता जानना चाहती हूं। आपको विभाग की कार्यकुशलता पर ध्यान रखना है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने अभी बताया कि कलकत्ता में टेलीफोन प्रणाली वैसी नहीं है जैसाकि इसे होना चाहिए। मैंने उसके प्रमुख कारण बता दिये हैं। पहले हम पुराने उपकरण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं नये इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाये जा रहे हैं और जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाये गये हैं स्थिति में सुधार हुआ है।

जहां तक केबलों का सम्बन्ध है जितना सम्भव है हम उन्हें इस्तेमाल न करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलकत्ता के विभिन्न भागों में माइक्रो-वेव टावर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि केबलें एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। केबलों के प्रयोग न करने से हम टेलीफोन प्रणालियों की त्रुटियों को कम

कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था किसी भी प्रकार से निष्क्रिय नहीं है। यह दिन प्रतिदिन सुधर रही है। हो सकता है कि इतनी तेजी से न सुधर रही हो जितना कि आप चाहती हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही हमारी विभिन्न योजनाएं, जैसे माइक्रो-वेव तथा इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों एवम् अन्य, शुरू हो जायेगी टेलीफोन व्यवस्था में सुधार होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, बिहार में टेलीफोन कितने प्रतीक्षा सूची में हैं? साथ ही साथ बिहार में जो टेलीफोन के हालात हैं, उसको सब ने देखा है। इस बदतर व्यवस्था के चलते लोग टेलीफोन लेना चाहें हैं, तो क्या इसमें कोई सुधार होगा या नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, बिहार की टेलीफोन व्यवस्था में हम काफी सुधार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अपने उत्तर के प्रारम्भ में कहा है, हमारे देश की टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने के लिए जितने साधन हमको चाहिए, उसके लिए हमको बहुत कम पैसा मिलता है। मैंने अपने उत्तर में बताया है, स्वयं योजना आयोग ने कहा है कि 13,768 करोड़ रुपए देने से 76.63 लाख टेलीफोन लग सकेंगे, जैसी कि आवश्यकता है। लेकिन 13,768 करोड़ रुपए के बजाय हमको 4,010 करोड़ रुपए मिले हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपको और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इतनी कम योजना के प्रावधान से जो सुधार हम करना चाहते हैं, टेलीफोन व्यवस्था में वह सुधार नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : तकनीकी कठिनाइयों के अलावा सेवाओं, टेलीफोन आपरेटर और अन्य इन सब लोगों सम्बन्धी भी कतिपय कठिनाइयां हैं। 199 कभी नहीं मिलता। हमें 180 आधे घंटे बाद मिलता है। क्या माननीय मन्त्री तकीनीकी कठिनाई के अलावा जिस पर ध्यान देने का उन्होंने वायदा किया है। इस समस्या पर भी ध्यान देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सत्य है कि हमारी कुछ सेवाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं और इसका एक मुख्य कारण टेलीफोन आपरेटरों और दूसरे कर्मचारियों का काफी संख्या में अनुपस्थित रहना है। हम विभिन्न कर्मचारी संघों से बातचीत कर रहे हैं। हमें उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अनुपस्थिति को कम करने के लिए प्रोत्साहन योजनायें शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि टेलीफोन नम्बर मिल सके जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

मद्यसार में आत्मनिर्भरता

***598. प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नई मद्य निर्माणशालाओं को लाइसेंस देने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या मद्यनिर्माणशालाओं को मद्यसार के निर्यात के प्रयोजनार्थ लाइसेंस दिये जाएंगे;

(ग) क्या मद्यसार में भारत आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि नहीं, तो मद्यसार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) औद्योगिक अल्कोहल और 100 प्रतिशत निर्यात हेतु पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए नई आसवनियों हेतु लाइसेंसों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत अल्कोहल में लगभग आत्मनिर्भर रहा है। तथापि, गत दो अल्कोहल वर्षों के दौरान कुछ कमी अनुभव की गई है। बढ़ती हुई मांग के कारण भविष्य में आत्मनिर्भरता, चीनी के एक उप उत्पाद, शीरे की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करेगी जिसकी उपलब्धता भी गन्ने की वृद्धि, पिराई किए गए गन्ने और उत्पादित चीनी की मात्रा जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगी।

खांडसारी शीरे के अत्यधिक प्रयोग, टापिओका, जैसे कच्चे माल के अतिरिक्त स्त्रोत के माध्यम से अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने की सम्भावना है। इसके अलावा सुधरी हुई फर्मेंटेशन और आसवन प्रक्रिया, जिसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है, द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

प्रो० के० वी० थामस : सभा पटल पर रखे गए विवरण में, माननीय मन्त्री इस बात के लिए सहमत हैं कि औद्योगिक और पेय अल्कोहल के निर्यात के लिए नई आसवनियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पर्याप्त मात्रा में शीरे की उपलब्धता न होने के कारण पिछले दो वर्षों में अल्कोहल की कमी रही है, मेरा प्रश्न यह है—केरल राज्य में शीरा नाम मात्र में उपलब्ध है, जबकि टापिओका (कसावा) भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग आजकल खाद्य पदार्थ तैयार करने और स्टार्च (माण्ड) बनाने में किया जाता है। क्या इस टापिओका का प्रयोग आसविनयो के लिए किया जाएगा या आप इसके निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है, औद्योगिक अल्कोहल और 100 प्रतिशत निर्यात हेतु पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए आसवनियो हेतु लाइसेंस गुणदोष के आधार पर दिए जाते हैं। केरल से हमें एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे टापिओका से पेय जल अल्कोहल का निर्माण करना चाहते हैं, भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार हम देश में प्रयोगार्थ पेय अल्कोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस को अनुमति नहीं देते। अतः जब

तक इस नीति पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। जहां तक शीरे के अलावा, अन्य स्त्रोतों से अल्कोहल के निर्माण का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पिछले दो माह से अल्कोहल की काफी कमी है। देश में अल्कोहल का जो उत्पादन हो रहा है, उसके अधिकांश भाग का प्रयोग पेय अल्कोहल के निर्माण में हो जाता है। मैं मछुआरों के एक गांव से आया हूं। तीन किलोमीटर लम्बे इस गांव में शराब की 14 दुकानें हैं। हमारे देश में पान की दुकानों की अपेक्षा ताड़ी की दुकानें अधिक हैं हैं। हमारे लिए यह शर्म की बात है। पेय के रूप में अल्कोहल के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मुख्यतः यह राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे औद्योगिक प्रयोग के लिए अल्कोहल बनाने के लिए अधिक से अधिक अनुमति दें। हम जानते हैं कि अल्कोहल की भारी कमी है। इसीलिए हम बिना शुल्क लगाये विकृत अल्कोहल के आयात की अनुमति दे रहे हैं। हमने इस हेतु तीन लाइसेंस, 1983, 1984 और 1985 में जारी किए हैं। ये तीन अलग-अलग कम्पनियों को दिए गए हैं। हमने 100 प्रतिशत आयात की अनुमति दी है।

जहां तक मुख्य प्रश्न पेय के लिए अल्कोहल के कम प्रयोग का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस बारे में सावधानी रखी जाए कि इसका प्रयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

श्री सुरेश कुरूप : रसायन मन्त्रालय ने पहले ही 1976 से ही राज्य सरकारों को स्थायी अनुदेश जारी किये थे कि पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए बिल्कुल भी लाइसेंस जारी न किए जाएं। इसके बावजूद, केरल राज्य सरकार ने पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए तीन फर्मों को लाइसेंस जारी किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय को इस बात की यह जानकारी है, अगर हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा, यह राज्य का विषय है। ऐसे निर्माण संयंत्रमें जहां 5 करोड़ रुपये से कम पूंजी निवेश किया गया है या जहां 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति काम करते हैं, उस इकाई के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति या डी जी टी डी पंजीकरण या किसी लाइसेंस आदि की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इसी का लाभ उठा रही है, इसीलिए वह स्वयं ही कार्यवाही कर लेती है। हमें इसकी जानकारी है। हमने पहले ही···

श्री सुरेश कुरूप : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···

—(व्यवधान)—

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए···आप कृपया पहले मन्त्री

का उत्तर सुनिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया मन्त्री को अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्नों के लिए किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मन्त्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री सुरेश कुरूप : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अल्कोहल का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती। आपने पहले ही पूरक प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री सुरेश कुरूप : कृपया उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप पहले अपना आसन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार स्पष्टीकरण मत पूछिए। मन्त्री महोदय, आप पहले उनके पूरक प्रश्न का उत्तर पूरा कीजिए।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैंने उत्तर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगर आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उन्हें लिखकर दीजिए, वह उसका उत्तर दे देंगे।

श्री सोमनाथ रथ : दवाओं के नाम पर कुछ नशीले पाउडर और द्रव हमारे देश में आयात

किए जा रहे हैं। इसी प्रकार देश के अन्दर ही ऐसे पाउडरों और द्रवों का निर्माण हो रहा है जो कि लाइसेंस प्राप्त ताड़ी दुकानों पर पानी मिलाकर अल्कोहल के नाम से बेचे जा रहे हैं। गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है।

यह अल्कोहल उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है। कृपया उसे पूछिए।

श्री सोमनाथ रथ : मैं पूछ रहा हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बुराई को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : देश में मिलावट की समस्या विद्यमान है। यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री सोमनाथ रथ : नहीं, नहीं। इसका आयात होता है। मैं इन पाउडरों और द्रवों के बारे में पूछ रहा हूं जो औषधियों के नाम से देश में आयात किये जा रहे हैं···

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसी किसी घटना की जानकारी देंगे तो हम इसकी जांच कराएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय शीरा बोर्ड चाहता है कि अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक अल्कोहल का वितरण किया जाए। (व्यवधान)

लेकिन अल्कोहल उत्पादक राज्य केन्द्रीय शीरा बोर्ड के इस निर्णय को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यह कोई सांविधिक नहीं है और उन पर बोर्ड का निर्णय बाध्य नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है, ताकि अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को औद्योगिक अल्कोहल की कमी का सामना न करना पड़े।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : इस प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है, जब यह विषय केन्द्रीय अनुसूची या समवर्ती अनुसूची में हो। (व्यवधान)

जैसा कि मैंने कहा, औद्योगिक अल्कोहल की कमी है। इसीलिए हम बिना शुल्क अदा किए इसके आयात की अनुमति दे रहे हैं। हम उद्योग को बेहतर संसाधन के लिए कह रहे हैं, ताकि शीरे से अधिक मात्रा में अल्कोहल निकल सके और हम इस प्रकार अधिक मात्रा में औद्योगिक अल्कोहल उपलब्ध करा सकें। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वितरण के बारे में क्या आदेश हैं, ताकि उद्योग को यह उपलब्ध होता रहे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मेरा अगला प्रश्न है, इसलिए आप अनुमति नहीं देंगे, यह तो कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम मौखिक प्रश्नकर्त्ताओं की सूची में हैं। आप मंत्री को लिख सकते हैं। वह उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : इस आधार पर आप मेरा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न है, यह तो कोई आधार नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप मंत्री को लिखें, जब प्रश्न आपके नाम हो, अगला प्रश्न, मैं आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मैं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहता हूं, मुझे आपने सुना ही नहीं कि मेरा सप्लीमेंट्री क्या है और आप कह रहे हैं कि अगला प्रश्न मेरा है, इसलिए मेरा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी गलत परंपरा होगी कि अगला सवाल हो तो आप सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करेंगे; चाहे कितना ही महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्यों न हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अपना प्रश्न है, मैं आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल एल्कोहल की कमी को देखते हुए क्या भारत सरकार यह सोचेगी कि हर एक चीनी मिल के लिए डिस्ट्रीलरी की परमीशन दी जाएं। दूसरी बात यह कि यह हकीकत है कि जहां इंडस्ट्रियल एल्कोहल ज्यादा पैदा होता है, वहां से भारत

सरकार कई राज्यों को हंडरेड परसेंट पाटेबल लिकर बनाने के लिए एलाटमेंट देती है। जब भारत-सरकार एलाटमेंट देती है, पाटेबल लिकर बनाने के लिए तो फिर पाटेबल लिकर का कंजम्शन कैसे कम होगा, यह मैं जानना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने कहा है, हम औद्योगिक कार्यों के लिए किसी भी स्रोत से औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वर्तमान नियमों के अधीन, हम पेय अल्कोहल के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन हम निश्चय ही किसी भी स्रोत से औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण करने के पक्ष में हैं। चाहे शीरे से हो या टापिओका से या अन्य देशी कच्चा माल जो भी देश के किसी भाग में उपलब्ध होगा, उससे इसका निर्माण किया जायेगा।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मेरे प्रश्न के भाग (क), जिसमें सरकार द्वारा प्रत्येक चीनी मिल को आसवन की अनुमति देने के बारे में पूछा गया था, का उत्तर नहीं दिया गया है, आप केरल और अन्य राज्यों को शराब में प्रयोग करने के लिए 100 प्रतिशत औद्योगिक अल्कोहल का आबंटन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में और अधिक औद्योगिक अल्कोहल बनाने की क्षमता पहले से ही पैदा की जा चुकी है, लेकिन इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल-शीरा-इन उद्योगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में भी कहा है कि खांडसारी शीरा देश में उपलब्ध है, लेकिन इसके वितरण पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह शीरा नियंत्रण आदेश में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि खांडसारी शीरा अल्कोहल निर्माण के लिए उपलब्ध हो सके।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मोलसैस कंट्रोल आर्डर के परिवर्तन के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। जैसाकि मैंने कहा कि चूंकि यह राज्य का विषय है जब तक राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया जाता··· (व्यवधान)। हमारे देश में मुख्य रूप से दो या तीन अधिकता वाले राज्य हैं। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि हमें इसे केन्द्रीय सूची या समवर्ती सूची में सम्मिलित करें तो तब केन्द्रीय सरकार के उसमें कार्रवाई करने का प्रश्न उठेगा। अभी तक यह पूरी तरह राज्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और हम इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। हम केवल मोलसैस बोर्ड को निदेश और अनुदेश दे सकते हैं। हम राज्य सरकारों से कमी वाले क्षेत्रों को मोलेसिस देने का अनुरोध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डाकघरों में तार-सुविधा

***599. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में विभिन्न डाक-घरों में तार-सुविधा की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त डाक-घरों में कब तक तार-सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आजमगढ़ जिले के 54 डाकघरों में उत्तरोत्तर तार सुविधा प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आजमगढ़ जिले के 54 डाकघरों में उत्तरोत्तर तार सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी, तभी से लिखा गया था कि आजमगढ़ में तार और टेलीफोन सुविधाएं एकदम नहीं हैं। तारघरों के बारे में माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि व्यवस्था की जा रही है और टेलीफोन से तार हम दिलवा देते हैं।

जब टेलीफोन की बात आती है तो कहते हैं कि टेलीफोन के लिए कोई सुविधा हम नहीं दे पाए हैं, उसमें दिक्कत है क्योंकि हमारे पास रुपए की कमी है। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर आदि पूर्वोत्तर जिलों की स्थिति यह है कि सारी चीजों में पीछे है, कम्यूनिकेशन के साधन वहां नहीं हैं और विकास की किरण नहीं देख पा रहे हैं। क्या उनके लिए इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी कोई धन लेकर के तार और टेलीफोन की सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे या उत्तरोत्तर करते रहेंगे और जो कार्यक्रम बना रहे हैं, वे कभी नहीं पूरे होंगे तथा बार-बार जवाब देते रहेंगे कि धन की उपलब्धता पर आधारित है और जब कभी होगा तो कर देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के बारे में पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : वही पूछ रहा हूं। क्या माननीय मन्त्री जी उन जिलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी से परामर्श करके विशेष धन लेकर तार और

टेलीफोन की सुविधा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन विशेष स्थानों को पूरा कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, मैंने जो 54 पोस्ट आफिस बताएं हैं अपने उत्तर में जहां पर कि तार सुविधा उपलब्ध की जायेगी तो इन 54 जगहों पर टेलीफोन व्यवस्था भी की जायेगी। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ व दूसरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कोई विशेषक्रम बनाया जाए और उसके लिए क्या मैं वित्त मन्त्री जी से सम्पर्क करूंगा। मैं, वित्त मन्त्री जी से सम्पर्क में अभी भी हूं और मेरा निरन्तर निवेदन उनसे यही रहेगा कि कम से कम वे योजनाएं जो हमारे देहाती और पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं, उनको तो रियायत से देखें और हमें धन उपलब्ध करें ताकि माननीय सदस्यों की जो भी क्षेत्र में मागें हैं, वे कुछ हद तक पूरी की जा सकें।

श्री राज कुमार राय : माइक्रोवेव से तो करने में कोई कठिनाई नहीं है, माननीय मन्त्री जी इसको कर सकते थे, वहां टावर्स हैं दूसरा प्रश्न यह है कि अभी माननीय मन्त्री जी को टेलीफोन की बात कही गई थी। इन्होंने लिखा है :

[अनुवाद]

इस प्रकार कम्पोजिट रैक को फैजाबाद, जिसके विस्तार की योजना बनाई गई थी के लिए इस्तेमाल करना पड़ा था तथा उसकी प्रतीक्षा सूची आजमगढ़ की अपेक्षा अधिक लम्बी थी। जब उपकरण की सप्लाई में सुधार होगा तब आजमगढ़ एक्सचेंज को विस्तार किये जाने का आशा है।

[हिन्दी]

वही झगड़ा लगा दिया कि हमारा वेटिंग लिस्ट ज्यादा है इसलिए अभी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं और उठाकर दूसरे जिलों को देकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तारघर के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। तीन तारीख को मंत्री जी से मीटिंग की थी तो मैंने यह पूछा था कि नयी बाजार जो दोहरीघाट के पास है, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने लालगंज, नई गांव जो सौ किलो मीटर की दूरी पर है, का जवाब दिया। मैंने मीटिंग में कहा कि आपसे यह गल्ती हो गई, यह टोपोग्राफी सही नहीं है। फिर जब दस तारीख को आपका उत्तर गया तो फिर वही उत्तर दिया जिसके लिए माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी गल्ती स्वीकार की थी। विभाग के कार्य करने की यह प्रणाली है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मंत्री जी के बारे में दूसरे सदस्यों ने बताया है कि बहुत एफीशिएंट हैं, लेकिन विभाग का तो घिसा-पिटा जवाब ही देते हैं। तीन तारीख को गल्ती स्वीकार करें और दस

तारीख को फिर वही उत्तर लिख दें तो इस तरह से किसी को भी रोष होना स्वाभाविक है और लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है तथा हमारे इलाके का दूसरे इलाकों को डाइवर्ट कर दिया है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माइक्रोवेव की सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश ज्यादा जिलों को देंगे जबकि वहां टावर वगैरह सब हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हमने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेशों के जो माननीय सदस्य हैं, उनकी हमने समय-समय पर मीटिंग बुलाई है। हमारे विभाग के उच्च-अधिकारी उस मीटिंग में आए हैं और जो भी व्यक्तिगत तौर से माननीय सदस्य जिस चीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं, उन सारी योजनाओं पर हमने उनमे विचार किया है। मैं माननीय सदस्य को आपकी मार्फत पुन: विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी बातचीत में वहां निर्णय लिए गए थे, उनको पूर्ण रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राज कुमार राय : मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मांगें रखी हैं जिनका मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह एक बैठक बुलाएंगे और सदस्यों से सलाह करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कमोदी लाल जाटव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पूरे भारत में जो संचार व्यवस्था है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास आजमगढ़ के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछिए।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात ही कर रहा हूं। हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में संचार विभाग में बहुत प्रगति हुई है लेकिन मैं उनका ध्यान मुरैना क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कई पंचायतों में डाकघर या टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं है। क्या उन इलाकों में डाकघर खोलने की वे व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आपने माननीय सदस्य को केवल आजमगढ़ के बारे में प्रश्न पूछने को कहा है और आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा है कि उन्हें आजमगढ़ के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ के बगल में देवरिया जिला पड़ता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप सवाल का उत्तर ही नहीं आने देंगे तो कैसे जनता का भला होगा।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान (बारपेट) : महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप इस विभाग की अनुदानों की मांगों पर बोलेंगे तब आप सुझाव दे सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

गोवा, दमण और दीव में सिविल न्यायाधीशों आदि के पद

*600. **श्री शांताराम नायक :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सिविल न्यायाधीश ज्येष्ठ डिवीजन और सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ डिवीजन के कितने पद हैं;

(ख) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का इन पदों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में सिविल न्यायाधीश ज्येष्ठ डिवीजन और कनिष्ठ डिवीजन की स्वीकृत संख्या क्रमश: नौ ग्यारह हैं। इसके अतिरिक्त, पोंडा और वास्कोडिगामा में सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ डिवीजन के दो पदों को, निम्नतर पदों को प्रास्थगित रखते हुए, सिविल न्यायाधीश ज्येष्ठ डिवीजन के रूप में पदोन्नत किया गया।

(ख) और (ग) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) के चार नए न्यायालयों की स्थापना के लिए गोवा, दमण और दीव सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जांच करने के पश्चात, सरकार ने सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) के तीन नए न्यायालयों की— एक पेरनेम, एक संगुएम और सतारी (याकानाकौना) में स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के परामर्श से आवश्यक मंजूरी जारी की जा रही है।

श्री शांताराम नायक : महोदय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के

न्यायालय हमारी न्यायपालिका की पहली सीढ़ी है और इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यहां तक कि देश के सबसे अधिक खतरनाक आतंकवादियों को भी प्रारंभिक रूप से इन न्यायालयों के सामने पेश करना होता है, हालांकि यह तथ्य है कि कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोवा में श्री चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार किया गया था पर उसे जे० सी०एम० के सामने पेश नहीं किया गया था। वह अलग बात है। परन्तु आतंकवादियों और खतरनाक अपराधियों को मूलरूप से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों और सिविल न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिये, जिनके समक्ष इन खतरनाक अपराधियों को रिमांड आदि के लिए पेश किया जाता है क्या विशेष योजना बनाई है जिसे आप इनकी सुरक्षा के लिये गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं सुरक्षा के लिए चिन्ता की बात समझता हूं क्योंकि चार्ल्स गोवा क्षेत्र में पहुंचा था परन्तु प्रश्न क्या है ? वे सिविल (कनिष्ठ डिवीजन) के अतिरिक्त पद चाहते हैं। हमने उनको दे दिये हैं। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं तो आप अपनी सरकार को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहें। यह दिल्ली से नहीं भेजी जा सकती।

श्री शांताराम नायक : पूरे देश में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सिविल न्यायाधीश के लिए एक समान वेतन मान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के लिए एक समान वेतनमान तथा सेवा शर्तें रखने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने इससे अधिक दिया है। गोवा, दमण और दीव में 11 तालुके हैं। कनिष्ठ डिवीजन में 7 न्यायालय काम कर रहे थे। गोवा में न्यायालयों का हमारे पास एक नेटवर्क है, इस दृष्टि से प्रत्येक तालुक को एक न्यायालय दिया जाना चाहिए। हम इनके इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने उन्हें गलत समझा है। वह हर जगह एक ही प्रकार के वेतनमान चाहते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : समान वेतनमान है। देश के किसी भी भाग में भिन्न वेतनमान देने का प्रश्न ही नहीं है। वह सुरक्षा पहलू के बारे में चिंतित हैं। मैं समझता हूं कि न्यायाधीश बहुत सुरक्षित हैं। जब आप चार्ल्स शोभराज को वहां गिरफ्तार कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि पुलिस का नेटवर्क बहुत अच्छा है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं। महाराष्ट्र पुलिस ने यह काम किया था।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक मेरे भाग का संबंध है, यह महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का गोवा तक विस्तार है। न्यायिक प्रशासन वही है। जहां तक वेतन मान का संबंध है मुझे अभी भी गोवा प्रशासन से अभी एक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे

क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि न्यायपालिका को राज्यों द्वारा भी जहां तक संभव हो पर्याप्त वेतन देना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हम निश्चित रूप से अपने न्यायाधीशों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं मंत्री जी ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के बारे में कहा है। क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिन्हें सुरक्षा दी गई है, उन्होंने सरकार को इसी समस सुरक्षा वापिस लेने के लिए लिखा है क्योंकि उनका कहना है कि पूरी रात आहाते में जलने वाली बिजली का प्रभार अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य में अनुवर्ती कार्रवाई के लिये वास्तविक रूप से क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस सत्र के दौरान उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुख्य विषय से किस प्रकार से संबंधित है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह उत्तर देंगे; यह जिरह नहीं है। यह भारत की संसद है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे खुशी है कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। जहां तक न्यायाधीशों के मकानों के लिये बिजली प्रभार का संबंध है, अब गृह मंत्रालय का एक निर्णय है कि सुरक्षा के कारण जो भी बिजली प्रभार है वह इसके द्वारा वहन किया जायेगा तथा इसकी सूचना दे दी गई है।

न्यायाधीशों द्वारा अपनी खपत के लिये किये गए खर्चे के बारे में हमने आने वाले प्रस्ताव में व्यापक व्यवस्था की है और हम इसे कार्यान्वयन कर रहे हैं तथा मंत्रिमण्डल ने भी इस दिशा पर निर्णय ले लिया है और न्यायाधीश अधिक संतुष्ट हैं हमने उन्हें निर्णय की सूचना दे दी है।

बड़े आकार की कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि

***601. डा० बी० एल० शैलेश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सबसे बड़ी 100 कम्पनियों के समूह में आने वाली अनेक बड़ी कम्पनियां मूल्यांकन की नई प्रणाली लागू करने के ही कारण अपनी परिसम्पत्ति-आधार में दो से तीन गुना वृद्धि करने में सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह नई प्रणाली क्या है और यह भारत में परम्परागत 'स्थिर क्रय-शक्ति' (कान्सटेंट परचेजिंग पावर) प्रणाली से किस प्रकार उन्नत प्रणाली समझी जाती है;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा चालू लागत लेखा प्रणाली के माध्यम से परिसम्पत्तियों को तीन-गुना बढ़ाकर कितना लाभ कमाया गया है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन-चार वर्षों के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों ने अचल परिसम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा अपने परिसम्पत्ति आधार में दो से तीन गुना वृद्धि की है।

(ख) और (ग) अचल परिसम्पत्तियों का सामान्यतः पुनर्मूल्यांकन इन परिसम्पत्तियों की वर्तमान बाजार/प्रतिस्थापन लागतों के आधार पर, मुख्यतः वार्षिक लेखों में इन परिसम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य सूचित करने के लिये किया जाता है।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 परिसम्पत्तियों के इस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन का निषेध नहीं करता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकन के तथ्य का तुलन-पत्र में उल्लेख करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

डा० बी० एल० शैलेश : उपाध्यक्ष महोदय, एम० आर० टी० पी० कानून पहले 20 करोड़ की पूंजी तक लागू नहीं था। यह सीमा अब 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। क्या इस वृद्धि के कारण बड़े-बड़े उद्योगों के एस्सैट्स बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सीमा के सिलसिले में पुनः विचार करेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जो तथ्य हमारे पास हैं उनके अनुसार तो जो पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन हुआ है, उसका इसकी तारीखों से विशेष सम्बन्ध नहीं है, बल्कि जो आंकड़े हमारे पास हैं वह 31-12-84 तक के हैं जबकि एम० आर० टी० पी० सम्बन्धी निर्णय नहीं हुआ था। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह स्पष्ट करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इसे पुनर्मूल्यांकन में एम० आर० टी० पी० की डिनोमीनेशन में जोड़ा ही जायेगा, घटाने का प्रश्न नहीं है यानि एम० आर० टी०पी० के रजिस्ट्रेशन के काम के लिये जो एस्सैट रिवैल्यू हो गये हैं, वह भी कंसीडर किये जायेंगे। अगर उन्होंने कहा कि एस्सैट 30 से बढ़कर 60 हो गये हैं तो 60 ही जोड़ा जायेगा। जो माननीय सदस्य का मंतव्य है, वह सिद्धांत इसमें निहित है।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : हमारे अध्ययन और राज्य सभा में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार बड़े घरानों में बिरला के पास 3400 करोड़ रुपये है और वह प्रथम स्थान पर है। टाटा के पास 3300 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां हैं और वह दूसरे स्थान पर है तथा इन 100 घरानों की कुल परिसम्पत्तियां दिसम्बर, 1984 में 30000 करोड़ रुपये थी अर्थात् 1986-87 विकास योजना की अपेक्षा अधिक। अंतिम पांच वर्षों में उनकी परिसम्पत्तियां दुगुनी हो गई हैं। इसलिये, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

इनमें से कुछ बड़े घराने प्रत्येक वर्ष 4 या 5 उद्योगों को बीमार या बन्द करते हैं। टाटा ने ऐसा किया है। मुफ्तलाल ने बम्बई में 2-3 फैक्ट्री बन्द की हैं। जे० एण्ड के० ने बम्बई में 2-3 फैक्ट्री बन्द की हैं। इन घरानों की परिसम्पत्तियां दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। वे प्रत्येक वर्ष

कुछ फैक्ट्रियों को बीमार करते हैं। इन बीमार एककों में बड़े घरानों द्वारा 4 हजार करोड़ या बैंक की 10% पूंजी अटक जाती है। क्या सरकार गंभीर रूप से इन बड़े घरानों की कुछ परिसम्पत्तियों को बीमार एककों को जिन्हें वे कर रहे हैं। अंतरण करने की सोच रही है, यदि वे इन्हें जिम्मेदार पाते हैं। इन सब कारणों से आज 40,000 रुपये का काला धन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रश्न विशेष के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता है। फिर भी मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यह परिसम्पत्तियों के पुन: मूल्यांकन के बारे में है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इस सदन ने हाल ही में कुछ सप्ताह पहले पुनर्गठन के लिये एक बोर्ड का गठन करने के लिये एक विधेयक पारित किया है। अगले कुछ सप्ताहों में इस बोर्ड का गठन हो जायेगा। इस बोर्ड को वही सब कुछ करने के अधिकार दिये गये हैं जो कि माननीय सदस्य के दिलो दिमाग में हैं अर्थात् जब भी कोई कम्पनी रुग्ण होगी तो बोर्ड को पूरी तरह से सुनवाई करने के बाद रुग्ण यूनिट को स्वस्थ यूनिटों में मिलाने के लिये एक आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

श्री के० एस० राव : इन एकाधिकारवादी उद्योगों को बाजार मूल्य के आधार पर पूंजी बढ़ाने की अनुमति देकर सरकार ने उन्हें इस बढ़ी हुई पूंजी पर कर के भुगतान से बचने की सुविधा दे दी है। इससे पूर्व वे इसके लिए मूल्य ह्रास के लाभ प्राप्त कर सकते थे। क्या उद्योग मंत्री जी ऐसे उद्योगों को जिन्होंने अपनी पूंजी में वृद्धि की है, भारत सरकार से कोई सहायता लिए बिना, उद्योग रहित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कहने पर विचार कर सकते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, इस भ्रांति को मैं दूर करना चाहता हूं। इस मूल्यांकन के कारण कर से बचने का सवाल नहीं उठता। हर जगह पुनर्मूल्यांकन एक मानक प्रक्रिया है। कम्पनी अधिनियम, धारा 211 अनुसूची छह के अन्तर्गत, अगर जरूरी हो तो परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी या परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एक मानक प्रक्रिया है। जहां तक करों से बचने का सम्बन्ध है, लाभों को मूल लागत तक ही घटाया जाता है। इसी तरह सार्वजनिक जमाराशि इकट्ठी करने, वित्तीय संस्थानों द्वारा बोनस शेयर या नए पूंजी डिबेंचर जारी करने के लिए लागत को ही ध्यान में रखा जाता है। इससे केवल यही लाभ हो सकता है कि अगर कभी बैंक को दोबारा शुल्क लेने की जरूरत पड़े तो उस समय रुग्ण कंपनियों के लिए दूसरे शुल्क के लिए कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं। जहां तक उद्योग रहित क्षेत्रों का संबंध है, अगर एम० आर० टी० पी० कंपनियां वहां उद्योग स्थापित करना चाहती हैं तो हम कुछ सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पहले बड़े घरानों का रवैया अपनी परिसंपत्तियों को कम करके दिखाने का था। अब मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पिछले एक-दो सालों के दौरान वे अपनी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इससे क्या यह नहीं लगता कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम निष्क्रिय हो गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य से मैं सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास सभी एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार कम्पनियों तथा बड़ी-बड़ी कम्पनियों की सूची है। तथ्यों से

पता चलता है कि तथाकथित बड़ी कहलाने वाली केवल आठ कम्पनियों ने अपनी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया है और केवल 37 अन्य कम्पनियों ने अपने पुनर्मूल्यांकन में थोड़ी सी वृद्धि की है। मैं नहीं कह सकता कि बड़ी संख्या में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कंपनियों ने इसका सहारा लिया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर अभी दिया है, उसी के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो एम० आर० टी० पी० एक्ट सिक इंडस्ट्रीज के बारे में बनाया गया है क्या उसके अन्तर्गत बिग हाउसेस, जैसे टाटा है, इसकी मान लें 100 इंडस्ट्रीज हैं, तो इनमें से जो भी यूनिट प्राफिट अर्न करने वाली है, उसके साथ उसको मर्ज कर सकेंगे या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हां। जहां तक, मुझे जानकारी है, इसमें ऐसा प्रावधान है।

[अनुवाद]

भारत और फ्रांस के बीच सहयोग करार

***602. श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के डाक-प्राधिकारियों के बीच 7 मार्च, 1986 को एक सहयोग करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत तथा फ्रांस के डाक प्रशासनों के बीच एक सहयोग करार का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। करार पर संबंधित मंत्रालयों का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद हस्ताक्षर किये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि दोनों देशों के इस परस्पर समझौते के परिणामस्वरूप क्या फ्रांस तकनीकी और आर्थिक सहायता हमें प्रदान करेगा ? यदि हां तो उसका स्वरूप क्या होगा।

आज जो प्रचलित टेलीफोन सिस्टम है, उसकी व्यवस्था के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। अभी मंत्री महोदय ने खुद कबूल किया है कि आर्थिक साधन सामग्री की बहुत कमी है। क्या इस टेलीफोन व्यवस्था में सुधार के

लिए विचार-विमर्श हो रहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् फ्रांस के साथ हमारा 1980 में एक करार हुआ था जिसको 1985 तक बढ़ाया गया। इसकी सीमा समाप्त होने के बाद फ्रांस के डाक विभाग ने जब उनका प्रतिनिधि मंडल यहां आया तो उन्होंने इस करार को और आगे बढ़ाना चाहा। इस बारे में उनसे विचार-विमर्श हुआ जिससे हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस करार का दायरा बहुत ही सीमित है। हम किसी भी प्रकार की वित्तीय या अन्य सहायता उनसे लेना नहीं चाहते, केवल कुछ नई तकनीकें जो कि अपने डाक विभाग में शुरू कर रहे हैं या वहां चल रही हैं, केवल उनके बारे में अध्ययन करने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमने उसमें कुछ प्रावधान रखे हैं। इस करार को पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

जहां तक टेलीफोन व्यवस्था का प्रश्न है, यह करार केवल उनके डाक विभाग के साथ है। टेलीफोन के सम्बन्ध में इसमें कोई उसका समावेश नहीं है।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल तकनीकी ढांचे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वह उसके स्वरूप का भी यहां जिक्र कर देते तो अच्छा होता क्योंकि हम कम्प्यूटर जैसे साधन यहां इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी कोई दूसरा असर हो सकता है। हमारे देश में जो आरोग्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं हैं वहां हम अस्पताल और नये स्कूल खोलने की जरूर बात करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि उस स्कूल में कितने बच्चे आते हैं। हम कहते हैं कि उन्हें शिक्षा मिले। वैसे ही टेलीफोन और डाक को यदि एक आवश्यक सेवा मानते हैं तो क्या प्राफीट और लास के आधार पर। इस विभाग को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो उनसे कितना प्राफीट और कितना लास हुआ है ? 1982 से जो रिक्रूटमेंट बैन लगाया गया है, इससे आर०टी०पी० में हजारों कामगार जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वह घर में बेकार बैठे हैं। साथ ही साथ आप पोस्ट आफिस और कुछ अन्य सर्विस भी कम करना चाहते हैं। यह सरकार की कौन सी नीति है, इस बारे में भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन प्रश्न तो केवल फ्रांस के सम्बन्ध में जो बात हो रही है, उसके सम्बन्ध में था, लेकिन फिर भी एक व्यापक प्रश्न उठाया है··· **(व्यवधान)** ···

श्रीमती ऊषा चौधरी : हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो। इस वजह से यह जानना चाहते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, डाक सेवा का विस्तार कम नहीं हो रहा है। उसमें कितना घाटा है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सम्भावित घाटा करीब 223 करोड़ रुपये का है। इस वजह से नहीं बल्कि अन्य कारणों से केन्द्र सरकार ने नई पोस्टों पर बंदिश लगायी है और वह बंदिश हमारे विभाग पर भी है। इसलिए जो आर० टी०पीज० की बात कही गई, उनको कुछ विशेष रियायत देने के लिए हमने वित्त विभाग से बात की है कि आपकी जो रोक है उसके बावजूद भी हमें कुछ पद

ऐसे दिये जाएं ताकि आर० टी० पीज जो बहुत अरसे से इस बात के लिए इन्तजार कर रहे हैं कि उनको स्थायी बनाया जायगा उनको स्थायी बनाया सके और उनको कुछ राहत मिल सके। हम चाहते है कि हमारे जो ये कर्मचारी हैं वे जल्दी से जल्दी स्थायी बन सकें और उनको जितना ज्यादा सहयोग हमारी मिनिस्ट्री से मिल सकेगा वह हम अवश्य देंगे।

[अनुवाद]

मणिपुर में तेल के भंडार

*603. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में तेल के भंडार वाले राज्यों का पता लगाने के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मणिपुर के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले कराए गये सर्वेक्षणों से मणिपुर में तेल के भंडार की संभावना का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तेल निकालने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में निम्नलिखित थालों में करीब 261,000 लाइन किलोमीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है :

1. काम्बे	5. राजस्थान	9. बम्बई अपतट
2. अपर असम	6. हिमालय की तराइयां	10. केरल कोनकन
3. असम अरकन	7. कृष्ण-गोदावरी	11. कच्छ-सौराष्ट्र
4. बंगाल	8. कावेरी	12. अण्डमान
		13. महानदी

मणिपुर में पहले भी भूगर्भीय सर्वेक्षण किये गए हैं, परन्तु वह क्षेत्र अभी तक कम सम्भावना वाला समझा गया है। इस समय मणिपुर तक सर्वेक्षण बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करीब 261,000 लाइन किलो-मीटर भू-कम्पीय सर्वेक्षण कराने की सरकार की योजना की मैं प्रशंसा करता हूं पर इससे हमारा

उत्साह नहीं बढ़ा है। अपितु, यह आशंका बढ़ गई है कि मणिपुर जैसे राज्य को शामिल नहीं किया जा रहा है।

उत्तर के अनुसार पूर्व में भौगोलिक सर्वेक्षण किए गए थे और उसके आधार पर मणिपुर को कम सम्भावना वाला क्षेत्र समझा गया। क्या मैं जान सकता हूं कि 'यह सर्वेक्षण कब और किस स्तर पर किया गया था तथा इसके लिए किस अति आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया गया? हमारी जानकारी के अनुसार मणिपुर क्षेत्र बहुत सम्पन्न है और अभी भी वहां हर तरफ गैस के प्राकृतिक भंडार हैं। यह तो एक तरह से प्राकृतिक और अप्राकृतिक चमत्कार है। इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि इस सर्वेक्षण को कब किया गया, इस पर कितनी लागत आई तथा इस सर्वेक्षण में कि स्तर तक के लोगों ने भाग लिया ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : 1940 और 1950 के दौरान तथा इससे पहले किए गए भौगोलिक सर्वेक्षण के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1964 में मणिपुर में तेल का पता लगाने के लिए कुल 850 वर्गमील क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण किया था। लेकिन उससे पता चला कि तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र में पुरानी चट्टानें हैं जोकि आग्नेय चट्टाने हैं और जो अवसादी चट्टानों को भी परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रकार निष्कर्षों के अनुसार मणिपुर को हाईड्रो कार्बन भंडारों के मामले में कम सम्भावन वाला क्षेत्र माना गया है। लेकिन हमारा प्रस्ताव फोटो-भौगोलिक विश्लेषण की नई तकनीक का इस्तेमाल करके नया सर्वेक्षण करने का है। और यदि मणिपुर में तेल की सम्भावना का पता चला तो हम उस दिशा में आगे उपाय करेंगे।

श्री एन० टोम्बी सिंह : उत्तर में हिमालय की तराई का भी उल्लेख किया गया है। 'हिमालय की तराई' का बहुत व्यापक अर्थ है और यह बहुत लम्बी है। हम इसकी परिभाषा चाहते हैं।

मणिपुर में पुनः सर्वेक्षण कराने के लिए मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि हिमालय की तराई का सर्वेक्षण करने के दौरान सरकार मणिपुर को प्राथमिकता देगी क्योंकि सर्वेक्षण दो दशक पूर्व और वह भी अति आधुनिक उपकरणों आदि के बिना किया गया था ? क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि प्रस्तावित सर्वेक्षण में मणिपुर को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हिमालय की तराई क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान अधिक सम्भावना वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी-अभी मैंने बताया कि मणिपुर में नई तकनीक से सर्वेक्षण किया जाएगा और अगर वहां तेल होने की सम्भावना का पता चला तो हम निश्चय ही आगे कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।'

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मारुति कारों के लिए पुर्जों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा

*604. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1986 के स्टेट्समैन में "मारुति ए ड्रेन आन फारेन एक्सचेंज" (मारुति द्वारा विदेशी मुद्रा का अधिव्यय) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड को मारुति कारों के लिए पुर्जों के आयात हेतु अभी तक कितनी राशि की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है;

(ग) क्या सरकार इस पर निगरानी रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) मारुति गाड़ियों के लिए हिस्से पुर्जों के आयात हेतु मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा मार्च, 1986 तक 138 मिलियन अमरीकी डालर की राशि खर्च की गई है।

(ग) और (घ) मारुति उद्योग लिमिटेड के स्वदेशीकरण कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ग्राम्य डाकघर

*605. श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्राम्य डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने डाकघर अपने भवनों में हैं और कितने किराये के भवनों में हैं;

(ग) क्या सभी गांवों में डाकघर हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें डाकघर नहीं हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 28-2-1986 की स्थिति के अनुसार देश में, 1,28,669 ग्रामीण डाकघर हैं।

(ख) 1,28,669 ग्रामीण डाकघरों में से 1,16,425 अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं जिनके लिए स्थान की व्यवस्था अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टरों द्वारा स्वयं की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय डाकघरों की संख्या 12,244 है। इनमें से कितने विभागीय डाकघर अपनी इमारतों में तथा कितने किराये की इमारतों में हैं, इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन ग्रामों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या 4,29,434 है। वसे, इन ग्रामों में भी ग्रामीण पोस्टमैनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त ऐसे ही अन्य डाक कर्मचारियों द्वारा डाक वितरण, डाक वस्तुएं लेने, मनीआर्डरों का भुगतान करने, डाक टिकटों और डाक सामग्री तथा डाक वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा ऐसे 61,162 ग्रामों को चलते-फिरते ग्रामीण डाकघरों द्वारा भी सेवा प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

"उद्योग-विहीन जिलों" में उद्योग स्थापित करने के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों से परामर्श

*606. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को "उद्योग-विहीन जिलों" में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इन दिशा-निर्देशों में एक दिशा-निर्देश के अनुसार उद्योगों के स्वरूप, स्थल-चयन आदि के बारे में संसद सदस्यों सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से परामर्श करना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा-निर्देश का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हालांकि "उद्योग-विहीन जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, फिर भी सरकार की नीति यही रही है कि इस प्रकार के जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षय रोग रोधी औषधियों का उत्पादन

*607. श्री हरि कृष्ण शास्त्री
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या उद्योग मंत्री क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग रोधी औषधियों के उत्पादन के बारे में 25 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 319 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मध्यवर्ती चरणों से तैयार की जा रही क्षय रोग रोधी औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) ये औषधियां मध्यवर्ती चरणों से कब से बनाई जा रही हैं;

(ग) मूल चरण से इन औषधियों का निर्माण कब आरम्भ किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि क्षय रोग रोधी विभिन्न औषधियों पर भिन्न-भिन्न छाप लगाने की अनुमति दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) देश में उत्पादित क्षय रोधी औषधों में से रिफाम्पिसिन, पाइराजिनामाइड और इथम्बूटोल का उत्पादन, उत्पादन के बिल्कुल प्रारम्भण से ही मध्यवर्ती अवस्थाओं से किया जा रहा है जो भिन्न-भिन्न बल्क औषध के लिए भिन्न-भिन्न है।

(ग) विभिन्न एककों द्वारा इन औषधों का उत्पादन मूल अवस्था से करने हेतु पहले से ही प्रयास चल रहे हैं। निर्माण कार्यक्रमों की डाऊन-फेजिंग, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, उत्पादन की लागत प्रभावशीलता, पैमाने की मितव्ययता जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभिन्न क्षय रोधी फार्मूलेशनों पर मार्कअप की अनुमति, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेशों के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन

*608. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष, 1985-86 के अन्त में उत्तर प्रदेश सर्किल में कितने सार्वजनिक टेलीफोन

कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या यह संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह संख्या अपेक्षित संख्या से कितनी कम है और इसे पूरा करने के लिए मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्त तक उत्तर प्रदेश सर्किल में लम्बी दूरी के 3671 सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे थे।

(ख) वर्तमान दीर्घकालीन लक्ष्य के अन्तर्गत 5 कि० मी० के षटभुजाकार क्षेत्र में कम से कम एक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मानदण्ड के अनुसार, 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार अभी 1915 षटभुजाकारों को उक्त सेवा के अन्तर्गत लाना शेष है।

(ग) 7वीं योजना के प्रारम्भ में पूरे देश में 27,000 षटभुजाकारों में सेवा सुलभ की जानी थी। संसाधन की कमी के कारण, देश में औसतन एक तिहाई ऐसे क्षेत्रों में सेवा सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय पूंजी निवेश राज-सहायता से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*609. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज-सहायता देने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक "केन्द्रीय पूंजी निवेश राज-सहायता योजना" घोषित की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उद्योग में राज्य-वार कुल कितनी राशि निविष्ट की गई;

(ग) इन उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या इनमें से कुछ उद्योगों में उत्पादन कार्य बन्द होने के समाचार मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनमें काम कब से बन्द है और ऐसे उद्योगों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(च) इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) केन्द्र द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए घोषित जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को बढ़ावा देने के वास्ते केन्द्रीय निवेश राजसहायता की योजना 1971 में आरम्भ की गई थी। इस समय यह योजना 31-3-1987 तक के लिए वैध है। अब तक राज्य/संघ क्षेत्रों को 392.86 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा चुकी है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्योगों के निवेश और उत्पादन संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने वाले औद्योगिक एककों को उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उत्पादन जारी रखना पड़ता है, ऐसा न कर सकने की स्थिति में राजसहायता की राशि लौटानी पड़ती है। किन्तु कच्चे माल और बिजली आदि की कमी के कारण छह महीने तक की अल्पावधि के लिए उत्पादन कार्य रुक जाने पर उक्त नियम से छूट दी जा सकती है।

पिछले तीन वर्षों में अपना एकक बन्द हो जाने के कारण अब तक निम्नलिखित एकक राजसहायता की राशि वापस कर चुके हैं :—

राज्य		एकक का नाम
1		2
हिमाचल प्रदेश	1.	मै० कृष्ण दाल प्लान्ट, मेहतपुर
	2.	मै० अमर एण्ड कं०, सोलन
	3.	मै० एस० डी० रबड़ कं० लि०
महाराष्ट्र	4.	मै० दत्ता सोप इण्डस्ट्रीज, औरंगाबाद
	5.	मै० माइक्रोनिक्स एसोसिएट्स, औरंगाबाद
	6.	मै० परिमल प्रिंटर्स, औरंगाबाद
	7.	मै० कंचन प्रॉडक्ट्स, औरंगाबाद
	8.	मै० एन० डी०बी० वायर एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, रत्नागिरी
	9.	मै० पंचशील सॉ मिल, चन्द्रपुर
	10.	मै० माडर्न पोल्ट्री इण्डस्ट्रीज, चन्द्रपुर
	11.	मै० एम० पी० चिचलवाड़ राइस मिल, चन्द्रपुर
तमिलनाडु	12.	मै० डायमण्ड सॉ एण्ड टूल्स (प्रा०) लि०, मद्रास

1		2
गोवा, दमन और दीव	13.	मै० क्रिस्टाइड सुपर सोडा
	14.	मै० पुण्डलीक शायरन वर्क्स
	15.	मै० वुडलैंड्स होटल

रेडियो टेलीफोन सेवा

*610. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस देश में रेडियो टेलीफोन सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किन-किन स्थानों में आरम्भ की जाएगी, और किस तारीख से; और

(ग) इस सेवा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में 31-12-85 से एक प्रायोगिक रेडियो मोबाइल टेलीफोन सेवा का प्रयोग हो रहा है।

(ख) लगभग दो वर्ष के भीतर बम्बई के लिए एक प्रायोगिक सेल्यूलर रेडियो प्रणाली की योजना है।

(ग) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

दिल्ली के लिए मोबाइल टेलीफोन

1. दिल्ली टेलीफोन प्रर्णाली में मोबाइल टेलीफोन प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु एक परीक्षण परियोजना दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार की गई थी यह प्रणाली दिल्ली में 31-12-85 से प्रयोग में है।

2. यह प्रणाली मोटरकार जैसे किसी भी चलते-फिरते वाहन में टेलीफोन सेवा प्रदान करती है। कार टेलीफोन में वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो सामान्य टेलीफोन के लिए उपलब्ध हैं।

3. मोबाइल कार टेलीफोन में टेलीफोन उपकरण सहित रेडियो ट्रांस-रिसीवर तथा हैंडसेट

की व्यवस्था होती है। वाहन के ऊपर बीच में लगभग एक मीटर लम्बा उन्नत एंटीना लगाया जाना होता है।

4. इस प्रणाली में लैंड से मोबाइल, मोबाइल से लैंड तथा मोबाइल से मोबाइल कनेक्शनों के बीच काल करना सम्भव है। मोबाइल टेलीफोन से एस० टी० डी० तथा अन्तर्राष्ट्रीय कालें भी की जा सकती हैं।

5. कारों में स्थापित इस तरह के मोबाइल टेलीफोनों के होने पर उपभोक्ता चलते-फिरते समय संचार सुविधा से वंचित नहीं रहता है। मोबाइल टेलीफोन के उपभोक्ता काल स्टोर, काल रिकॉल तथा प्रोग्राम योग्य डायलिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डायल किया गया नम्बर हैंडसैट पर अंकित होता रहता है।

6. दिल्ली में यह प्रणाली एक बेस स्टेशन पर आधारित है जिससे पूरी दिल्ली में संपर्क हो सकता है। इससे कुछ सौ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जा सकता है।

7. बम्बई के लिए प्रस्तावित प्रणाली दूसरी किस्म की है जिसका नाम—कॉल्ड "सेल्युलर रेडियो सिस्टम है" जिनमें अनेक बेस स्टेशन स्थापित हो सकते हैं जिससे प्रत्येक से एक सैल को सेवा दी जा सकती है। इस प्रणाली में कई हजार उपभोक्ताओं को सेवा दी जा सकती है, हालांकि बम्बई में प्रारम्भ में लगभग 1200 मोबाइल यूनिटों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव है।

कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस देने के मानदंडों में परिवर्तन

*611. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ उद्योगों के लिए अधिकतम क्षमता सीमा निर्धारित करने के बजाय, जैसा कि पहले किया जाता था, न्यूनतम क्षमता सीमा निर्धारित करके लाइसेंस देने के मानदण्डों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस देने के प्रस्तावित नए मानदण्डों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) बिक्री तथा क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में इससे किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से सहायता मिलेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) 80 प्रतिशत अथवा अधिक क्षमता का उपयोग करने वाले एककों के सन्दर्भ में, जनवरी, 1986 में घोषित की गई क्षमता पुन: पृष्ठांकन की योजना के अन्तर्गत, पिछले पांच वर्षों में किए गए अधिकतम उत्पादन के आधार पर उसमें $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत जोड़ कर कुछ शर्तों पर लाइसेंसीकृत क्षमता का पुन: पृष्ठांकन किया जा सकता है।

जिन मामलों में पुन: पृष्ठांकन के द्वारा बढ़ाई हुई लाइसेंसीकृत क्षमता भी परिचालन के माप न्यूनतम आर्थिक स्तरों से कम रहते हैं उन मामलों में ऐसे उपक्रम परिचालन के न्यूनतम आर्थिक स्तरों तक अपनी क्षमता का पुन: पृष्ठांकन करा सकते हैं। यथा प्रस्तावित क्षमता के पुन: पृष्ठांकन की सुविधा देने के लिए, क्षमता के न्यूनतम आर्थिक स्तर सुझाते हुए उद्योगोंकी एक सूची तैयार की जा रही है और जन-सामान्य की सूचनार्थ शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की कमी

*612. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मार्च, 1986 के दौरान बिजली की कमी का ब्यौरा क्या है और बिजली की कमी किस सीमा तक रही;

(ख) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय ग्रिड से कितनी बिजली दी जाती है।

(ग) किन राज्यों में बिजली की सबसे अधिक कमी रही है;

(घ) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन हानि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में अपेक्षित मात्रा में बिजली की अनुपलब्धता के कारण पड़ने वाले कुप्रभाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मार्च, 1986 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत की कमी संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(ग) जिन राज्यों में मार्च, 1986 में 10 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा की कमी थी वे हैं—जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा।

(घ) और (ङ) विद्युत विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण-एक

मार्च, 1986 में विद्युत की कमी

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य का नाम	कमी
हरियाणा	32
हिमाचल प्रदेश, बी० एस० एल० सहित	—
जम्मू और कश्मीर	25
पंजाब, एन० एफ० एफ० सहित	15
राजस्थान	40
उत्तर प्रदेश	174
दिल्ली	—
चण्डीगढ़	2
उत्तरी क्षेत्र	288
गुजरात	31
मध्य प्रदेश	—
गोवा सहित महाराष्ट्र	44
पश्चिमी क्षेत्र	75
आन्ध्र प्रदेश	—
कर्नाटक	208
केरल	—
तमिलनाडु	95
दक्षिण क्षेत्र	303
बिहार	111
सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	42
दामोदर घाटी निगम	42
उड़ीसा	128
पूर्वी क्षेत्र	323
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	13
अखिल भारत	1012

विवरण-दो

वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्र सरकार के केन्द्रों से विभिन्न राज्यों को विद्युत की वास्तविक सप्लाई

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र

दिल्ली	हरियाणा	पंजाब	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	बी० बी० एम० बी०	चण्डीगढ़	बिहार	जोड़
724.2	418.2	71.5	729.3	3545.3	35.9	69.8	2.3	20.3	132.2	5739.0
बैरास्यूल										
378.3	56.7	85.8	—	—	25.8	91.2	—	—	—	637.8

कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र

मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	गुजरात	गोवा	जोड़
1448.6	1353.7	721.9	145.1	3669.3

रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र

आंध्र प्रदेश	केरल	तमिलनाडु	कर्नाटक	गोवा	जोड़
2111.9	—	339.7	818.8	88.8	3359.2

"बल्क" औषधियों के मूल्य कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव

*613. डा० श्री० विजय रामाराव
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बल्क" औषधियों के मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि 10 मार्च, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष रूप से कुष्ठ रोग, क्षय रोग, दमा (अस्थमा) और उच्च रक्त चाप जैसी सामान्य बीमारियों के लिए फार्मूलेशनों की संख्या भी कम की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) गत बजट में, सरकार ने अतिरिक्त 41 अनिवार्य और जीवन रक्षक प्रपुंज औषधों पर आधारित पेटेन्ट या स्वामिक फार्मूलेशनों से उत्पाद शुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया है।

(ग) और (घ) बजट में घोषित 13 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क समाप्त करने के कारण तपेदिक, मधुमेह, पेचिश, बोर्म मेनिकेस्टेशनों, एंटिबायोटिक्स दमा तथा कार्डियोवेस्कूलर बीमारियों के लिए अपेक्षित बहुसंख्यक पेटेंट या स्वामिक फार्मूलेशनों के मूल्य कम हो जाएंगे। सरकार फार्मूलेशनों को युक्तियुक्त करने की आवश्यकता से अवगत है।

औषध नीति

*614. प्रो० मधु दण्डवते
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1986 के "दि इकानामिक टाइम्स" (दिल्ली) में ड्रग पालिसी टु हैव क्लियरकट फार्मूला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार में यह बताया गया है कि नई औषध नीति की मुख्य विशेषतायें केवल --"केवल कुछ चुनीदा औषधों पर मूल्य नियंत्रण," "विकास प्रोत्साहन हेतु वृद्धि खण्ड", "भूतपूर्व" "फेरा" कम्पनियों के लिए बेहतर शर्तें" होगी;

(ग) क्या इस समाचार में उल्लिखित औषध नीति सरकार की उस नई औषध नीति का सही रूप है, जिसे अभी लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो लोक सभा में नई औषध नीति की घोषणा किये जाने से पूर्व ही इसका पूर्व प्रकटन कैसे हो गया ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों द्वारा सौराष्ट्र में तेल की खोज

*615. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1982 में सौराष्ट्र के तटदूर खण्ड-2 में तेल की खोज करने और तेल निकालने के लिए मैसर्स शैवरान के साथ एक करार किया था;

(ख) उस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में तेल की खोज करने और तेल निकालने का कार्य करने के लिए विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित करने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कंट्रेक्ट की व्यापक शर्तें निम्नलिखित रूप से थीं :—

	चरण-I	चरण-II (वैकल्पिक)
1. अन्वेषण की अधिकतम अवधि	3 वर्ष	2 वर्ष
2. वचनबद्ध सर्वेक्षण	5000 लाइन कि० मी०	
3. वचनबद्ध खुदाई	3 कुएं	2 कुएं

	चरण-I	चरण-II वैकल्पिक
4. वित्तीय बचनवद्धता	29 मिलियन अमेरिकन डालर	18 मिलियन डालर
5. उत्पादन	स्लाइडिंग स्केल में हिस्सा देना	
6. कार्यात्मक ब्याज	व्यापारिक स्तर पर प्राप्ति होने के बाद 50 प्रतिशत तक	

(ग) और (घ) सौराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्रों और पश्चिमी तट पर कोनकण-केरल बेसिनों और पूर्वी तट में कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, पालारी, और महानदी बेसिनों में 27 ब्लाकों में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए अनुभवी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से सरकार ने 20 मार्च, 1986 को निविदाएं आमंत्रित निविदाओं को जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 1986 है।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधियों के गुण-प्रकार की जांच

*616. **श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधियों के नमूने वर्ष 1984-85 के दौरान गुण-प्रकार की जांच करने हेतु लिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो कितनी औषधियों के नमूने लिए गए थे तथा जांच के पश्चात् वे औषधियां किस स्तर की पाई गईं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान आई०डी०पी०एल० ने 125 फार्मूलेशनों का निर्माण किया गया और निर्माण प्रक्रिया के दौरान इन फार्मूलेशनों के नमूनों का परीक्षण आई० डी० पी०एल० द्वारा किया गया था तथा उन्हें मानकों के अनुरूप पाया गया था।

[अनुवाद]

"बी० आई०पी० डिस्काउन्ट स्कीम ऐन्टि कंज्यूमर" शीर्षक समाचार

*617. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "बी०आई०पी० डिस्काउन्ट स्कीम ऐन्टि कंज्यूमर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच और पंजीकरण (कम्पनी कार्य विभाग) के महानिदेशक के कार्यालय ने उक्त योजना की इस बीच प्रारम्भिक जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की योजना चलाने से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हां, श्रीमान, जी।

(ख) महानिदेशक (जांच और पंजीकरण) ने प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात्, मैसर्स ब्लो प्लास्ट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच करने का सुझाव देते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36ख(ग) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को आवेदन दिया है।

(ग) और (घ) मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष है। जिसके पास एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा "एक्पो-लंदन 84" में भाग लिया जाना

5660. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम (डी०एस०आई०डी०सी०) ने निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ०आई०बी०ए० द्वारा आयोजित "एक्पो लंदन 84" में भाग लिया था यदि हां, तो भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची क्या है;

(ख) क्या भाग लेने वालों के पंजीकरण के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है

(ग) क्या सेवा प्रभार का भुगतान समझौते के अनुसार किया गया है;

(घ) कौन-कौन-सा और कितने मूल्य का सामान बिक्री के लिए लन्दन ले जाया गया था;

(ङ) कौन-कौन सा और कितने मूल्य का बिन बिका सामान वापस लाया गया;

(च) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और भारत भेजी गई;

(छ) भारत में कम धनराशि भेजने के क्या कारण हैं;

(ज) डी०एस०आई०डी०सी० द्वारा प्रतिनिधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(झ) क्या बिन बिके सामान की डी०एस०आई०डी०सी० भारतीय रिजर्व बैंक/सीमा शुल्क विभाग/सी०सी०आई० एण्ड ई० तथा अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार :

(क) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम ने निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत फीबा द्वारा आयोजित एक्सपो-लंदन"84 में भाग लिया था; भाग लेने वालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है;

(ख) भाग लेने वालों के लिए वार्षिक शुल्क देने की कोई शर्त नहीं थी;

(ग) भाग लेने वालों की ओर से वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त किए गए भुगतानों में से, समझौते के अनुसार, 5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार की कटौती की गई थी;

(घ) बिक्री के लिए लंदन ले जाई गई वस्तुओं का मूल्य 4,63,786.28 रु० था। ले जाई गई वस्तुओं में हथकरघे की बनी हुई वस्तुएं, नकली जेवर, साड़ियां, उपहार की वस्तुएं, पीतल के कलात्मक बर्तन थे;

(ङ) बेची न गई वस्तुओं का मूल्य 2,74,014.62 रु० था; भाग लेने वालों को सभी वस्तुएं लंदन में बिक्री के लिए दे दी गई थी;

(च) अर्जित की गई और भारत भेजी गई विदेशी मुद्रा 11,089.95 पौंड और 3,350.00 डालर थी;

(छ) एक्सपो-लंदन दिनांक 1-11-84 से आरम्भ होना था परन्तु हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दुःखद हत्या के कारण एक्सपो के लिए की गई सारी व्यवस्था बदलनी पड़ी। इन परिस्थितियों में एक्सपो को सफल बनाने के सभी प्रयत्न किए गए थे परन्तु एक्सपो-लंदन के निर्धारित कार्यक्रम में अप्रत्याशित परिवर्तन होने के कारण बिक्री में कमी आई।

(ज) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा उसके दो प्रतिनिधियों पर 1,63,070.81 रु० खर्च किए गए थे।

(झ) उपर्युक्त (ङ) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

एक्सपो-लंदन"84 में भाग लेने वालों की सूची

क्र०सं०	नाम	पद	आयु वर्ष	नागरिकता	महिला/ पुरुष	कम्पनी का नाम और पता
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती गीता भार्गव	अध्यक्ष	37	भारतीय	महिला	फीबा, ए-304, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-24
2.	श्रीमती उमा चौधरी	प्रॉप०	51	वही	वही	मै० फैब्रिक, एम-79, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।
3.	श्रीमती अंजु सचदेव	प्रॉप०	25	वही	वही	मै० ए० के० क्रियेशंस, 18/13, हौज खास, नई दिल्ली।
4.	श्रीमती माला कृष्ण	प्रॉप०	29	वही	वही	मै० क्लासिक इंटरनेशनल, 8-6/15, सफदरजंग एन-क्लेव, नई दिल्ली
5.	श्रीमती मधु चोपड़ा	हिस्सेदार	29	[illegible]	वही	मै० ज्यूल इम्पेक्स, 8-31, जी० टी० करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली।
6.	श्रीमती के०आर० रसमवाला	प्रॉप०	50	वही	वही	मै० इंटरनेशनल, 204, निर्मल टावर बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्रीमती मसूदा बेगम	प्रॉप०	33	भारतीय	महिला	मै० झेलम एक्स-पोर्ट्स, 47/ए, जवाहर नगर, श्रीनगर।
8.	श्रीमती फरजाना रंजन	प्रॉप०	22	वही	वही	मै० लीफ इंटर-नेशनल, फ्लेट क्यू० साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली।
9.	श्रीमती एस०एल० मार्या	साझेदार		वही	वही	मै० आर०एल० मार्या होजरी, 3528, कुतब रोड, सदर बाजार दिल्ली-6
10.	श्रीमति अनुपम गुप्ता	प्रबंधकीय साझेदार	33	वही	वही	मै० रूपा एक्स-पोर्ट, 2647, चूड़ी-वालान दिल्ली-6
11.	श्रीमती शारदा जैन	साझेदार	53	वही	वही	मैसर्स शारदा एक्सपोर्ट हाउस, शिलांग, 10-ए, लचौमियर्स हिल्स, शिलांग (मेघालय)
12.	श्रीमती आशा चंद्रा	प्रॉप०	30	वही	वही	मै० सांता क्लौज, 3-टोडरमल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली।
13.	श्रीमती मीना मल्होत्रा	साझेदार	21	वही	वही	मै० सोनू एक्स-पोर्ट्स 8-सावित्री सिनेमा कम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्रीमती कृष्णा सिकंद	प्रॉप०	45	भारतीय	महिला	मै० टिप्पराह ट्रांस कंटीनेन्टल, 59, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
15.	श्रीमती ऊषा खन्ना	प्रॉप०	40	वही	वही	मै० ऊषा एक्स-पोर्ट्स 1/5-8, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
16.	श्रीमती वी० भार्गव	प्रॉप०	29	वही	वही	मै० विन्को इंटरनेशनल 166, न्यु ओखला इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, फेज-I, नई दिल्ली।
17.	श्रीमती श्री एम० निगमवाला	प्रॉप०		वही	वही	मै०स्पेशल आर्ट्स, बी-74, पंडारा रोड, नई दिल्ली।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

5661. सैयद शहाबुद्दीन : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1985 की निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की, निर्वाचन क्षेत्रवार तारीखें क्या हैं;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप नामावली तथा अंतिम नामावली में सम्मिलित किए गए मतदाताओं की संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा प्राप्त तथा स्वीकार किए गए आक्षेपों की संख्या क्या है; और

(घ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा प्राप्त किए गए तथा स्वीकार किए गए दावों की संख्या क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचक

नामावलियां अन्तिम रूप से 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित कर दी गई थीं।

(ख) से (घ) असम में निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम रूप दिए जाने की बाबत दावों और आक्षेपों के निपटारे से संबंधित स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण में समग्र स्थिति दी गई है। इसी प्रकार के आंकड़े प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र के इस समय उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1.	प्रगणित व्यक्तियों की कुल संख्या (1-1-85 को)		104.54 लाख
2.	सूची-I में सम्मिलित व्यक्ति		64.82 लाख
3.	सूची-II में सम्मिलित व्यक्ति		39.72 लाख
4.	प्रारूप नामावलियों में सम्मिलित निर्वाचक		95.83 लाख
5.	फाइल किए गए दावे	लगभग	10.00 लाख
6.	फाइल किए गए आक्षेप (इनमें सादे कागज पर किए गए आक्षेप भी हैं)	लगभग	13.00 लाख
7.	स्वीकृत दावे		5.74 लाख
8.	स्वीकृत आक्षेप		2.92 लाख

[प्राधिकार—भारत का निर्वाचन आयोग—
तृतीय वार्षिक रिपोर्ट—1985 (अंग्रेजी)
(पृष्ठ 9)]

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के विकास की योजनाएं

5662. श्री पीयूष तिरकी : क्या उद्योग मंत्री अनुसूचित जातियों, गिरिजनों और आदिवासी लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने के बारे में 11 मार्च, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान देश के विकसित जिलों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार

तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विशिष्ट क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों/उद्योगरहित जिलों में उद्योगों के लिए विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करके उनके प्रयासों में योगदान देती है। केन्द्रीय निवेश मुख्यत: आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय मोटे तौर पर तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर लिया जाता है। सरकार की नीति यह रही है कि इन बातों के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना की स्थापना में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जाए। जलपाईगुड़ी को उद्योग रहित जिले के रूप में चुना गया है और इस जिले में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी लाइसेंस देने में सर्वोपरि प्राथमिकता पाने, उच्चतम दर पर अर्थात 25 प्रतिशत कर दर से अधिकतम 25 लाख रुपये तक की रियायती निवेश राजसहायता, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्त व सहायता आदि पाने के पात्र हैं। वर्ष 1983 से 1985 की अवधि के दौरान, इस जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए दो आशयपत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

आंध्र प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रम

5663. **श्री सी० सम्बु** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय प्राप्त करने के लिए मुकदमे में फंसे निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए ग्राम स्तर पर विधिक सहायता सैल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) आंध्र प्रदेश में निःशुल्क विधिक सेवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस सीमा तक किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) इस समय प्रत्येक ग्राम में विधिक सहायता सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे सैलों के अवस्थान के लिए तहसील की आधारिक राजस्व इकाई को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है। ये विधिक जागरुकता के प्रसार और मुकदमा लड़ने वाले निर्धन व्यक्तियों को, मुकदमा लड़ने से पूर्व, सलाह देने के लिए नगरों से भिन्न क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में विधिक और सेवा कार्यक्रम विलम्ब से आरम्भ हुआ है किन्तु पिछले चार-पांच मास में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। राज्य में कई लोक अदालतें लगाई गई हैं। राज्य

विधिक सहायता और सलाह बोर्ड यथासम्भव अधिक से अधिक लोक अदालतें लगाने के लिए प्रयत्नशील है और उसका लक्ष्य है ऐसी लोक अदालत सप्ताह में एक बार अवश्य लगाई जाए। पिछली लोक अदालत 29 मार्च, 1986 को अनन्तपुर में लगाई गई थी।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रचार पर खर्च की गई राशि

5664. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मन्त्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रचार पर खर्च की गई राशि के बारे में 19 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष के दौरान प्रचार पर कितनी राशि खर्च की गई और इसमें से विज्ञापनों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि के नाम क्या हैं जिनमें ये विज्ञापन छपे हैं और उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विज्ञापनों को छापने के लिए प्रत्येक को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस सूचना को एकत्रित करने के लिए कितनी बार कम्प्यूटरों का प्रयोग किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) बी०एच०ई०एल० द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय तथा इनमें से विज्ञापनों पर 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रचार पर खर्च की गई राशि	विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि (कालम 2 में उल्लिखित राशि में से) (लाख रु० में)
1	2	3
1982-83	252	23.57
1983-84	271	16.28
1984-85	256	39.34

1985-86 के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

(ग) दो बार।

विवरण

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में जिन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि में विज्ञापन प्रकाशित किये गये उनकी सूची

वर्ष	समाचार पत्र/मैगजीन/सोविनर का नाम	राशि/रु०
1	2	3
1982-83	9वीं इन्टरनेशनल कोल कांग्रेस	5000.00
	आफताब ए जदीज	4264.00
	अमृत बाजार पत्रिका	85773.68
	अमुथासुरबी	3000.00
	आनन्द बाजार पत्रिका	8280.00
	एशियाड-1982	4000.00
	भारत कृषक समाज	3000.00
	भास्कर	16720.00
	ब्लिट्ज	11420.00
	बिजनेस इण्डिया	33980.00
	बिजनेस स्टैंडर्ड	14441.00
	बिजनेस वर्ल्ड	11328.00
	सेन्ट्रल बोर्ड आफ पावर एण्ड इरिगेशन	5121.21
	सेन्टर	6600.00
	छपते-छपते	3534.04
	केमिकल इंजी० वर्ल्ड	4262.00
	कामर्स	12441.45
	कम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू	25250.00
	करेन्ट	13900.00

1	2	3
1982-83	दैनिक जागरण	11829.00
	दैनिक भास्कर	7750.00
	दक्कन क्रोनिकल	18331.02
	दक्कन हेराल्ड	30772.27
	देश बन्धु	8175.60
	डायरेक्टरेट आफ पुलिस	4000.00
	दिनामलार	4013.00
	इक्नोमिक टाइम्स	55857.27
	इनाडू	20882.00
	इलेक्ट्रानिक्स फार यू	5900.00
	फार्नेशियल एक्सप्रेस	36738.75
	फोरम आफ फाइनेंशियर राइटर	6200.00
	फ्री प्रेस जर्नल	10980.85
	हिन्दुस्तान	6630.64
	हिन्दुस्तान टाइम्स	159006.40
	हितवाद	10342.07
	इलस्ट्रेटिड वीकली	9000.00
	इम्प्रिट	5680.00
	इण्डियन इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	4924.24
	इण्डियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन	11200.00
	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन	5892.95
	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	3360.69
	इण्डिया टिडिंग	5428.45

1	2	3
1982-83	इण्डिया टुडे	15140.00
	इण्डियन एक्सपोर्ट जर्नल	5500.00
	इण्डियन एक्सप्रेस	218948.22
	इण्डियन नेशन	5197.60
	इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट फाइन्डर	17922.00
	इण्डस्ट्रियल टाइम्स	5280.00
	इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स	4313.63
	जागरण	4065.00
	जुगान्तर	7860.39
	कालकी	3000.00
	कन्नड प्रभा	3400.00
	लिंक	4203.70
	मातृभूमि	4800.00
	एम० पी० क्रोनिकल	12906.00
	नई दुनिया	12950.00
	नेशनल हेराल्ड	43211.39
	नेशनल सोलिडेरिटी	5626.23
	नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स	6151.70
	नवभारत	9432.00
	नवभारत टाइम्स	14037.00
	नवजीवन	5262.00
	नवल मेड सिम्पोसियन	5000.00
	न्यूज मेग	8400.00
	आनलुकर	8900.00

1	2	3
1982-83	आपरेशन रिसर्च	5067.60
	पंथ प्रकाश	3944.55
	पंथ वीकली	3014.40
	पेरेन्ट्स एण्ड चिल्ड्रन	3675.86
	पैट्रियट	24428.98
	पाईनियर	9949.35
	प्रचण्ड	11218.00
	प्रागवाणी	6794.00
	प्रजावाणी	7800.00
	प्रीमियर	5700.10
	प्रैस जर्नल	3120.00
	पब्लिक सेक्टर इन इंडिया	7000.00
	परचेज	16230.00
	रमन महर्षि सेन्टर	3000.00
	रीडर डाइजेस्ट	24100.00
	रेडक्रास सोसाइटी	5000.00
	सरिता	4700.00
	सर्वोत्तम	4520.00
	सतपुड़ावाणी	3120.00
	साइंस टुडे	4320.00
	स्टेट्मैन	149544.86
	सन्डे	7000.00
	सन्डे आब्जर्वर	7200.00
	स्वदेश	7900.00

1	2	3
1982-83	दि हिन्दू	156266.75
	दि ट्रिब्यून ट्रस्ट	5640.00
	टाइम्स आफ इण्डिया	225339.22
	ट्रेड फेयर अथारिटी	5400.00
	ट्रिब्यून	28997.97
	ऊर्जा	6652.53
	व्यापार उद्योग समाचार	3124.80
	वर्ल्ड साइंस न्यूज	5449.04
	क्रिश्चियन साइंस मोनीटर-बोस्टन	23100.00
	खलीज टाइम्स—दुबई	8500.00
	अल-अखबार—काहिरा	36710.00
	अन्य (3000 रुपये से कम प्राप्त करने वाली मैगजीनों सहित)	381710.66
	योग :	2357218·81
1983-84	तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन	4800.00
	आज	8000.00
	आज कल	4843.47
	आफताब-ए-जदीद	4160.00
	आलोक	3720.00
	अमृत बाजार पत्रिका	25237.18
	आनन्द बाजार पत्रिका	7343.47
	आन्ध्र ज्योति	3564.00
	आन्ध्र प्रभा	4672.81

1	2	3
1983-84	भारत जननी	8493.54
	भारत कृषक समाज	3000.00
	भास्कर	17770.00
	ब्लिट्ज	12670.00
	बिजनेस स्टैन्डर्ड	10197.57
	कारवां	3000.00
	सीमेंट	13050.00
	सेन्ट्रल रैवेन्यू स्पोर्ट्स	3000.00
	कामर्स	5500.00
	कम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू	4100.00
	डेली रिकार्डर	40.00.00
	दैनिक भास्कर	5200.00
	डाटा न्यूज फीचर्स	5000.00
	दक्कन क्रोनिकल	4950.00
	दक्कन हेराल्ड	13532.00
	डेमोक्रेटिक फोरम	4500.00
	देशबन्धु	4600.00
	डायरेक्टर डाइजेस्ट	6200.00
	दुर्गापुर दर्शन	6300.00
	इकनोमिक टाइम्स	14142.70
	इनाडू	16632.00
	इलेक्ट्रिकल इण्डिया	5300.00
	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	18434.00

1	2	3
1983-84	फ्री प्रैस जर्नल	15400.00
	जी० एस० स्टाफ वैल्फेयर कमेटी	3000.00
	हिन्दुस्तान	32450.00
	हिन्दुस्तान टाइम्स	129859.64
	हितवाद	9740.00
	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंसिज	3782.00
	इण्डियन पम्प मैन्यु० एसोसिएशन	6500.00
	इण्डियन एक्सप्रेस	89121.00
	इण्डियन वर्कर	6241.47
	इन्टरनेशनल वर्ल्ड	3000.00
	जागरण	9400.00
	जनसत्ता	5000.00
	जुगान्तर	11843.47
	कृषक जगत	5198.59
	लिंक	4520.00
	मजगांव डाक सप्लीमैंट	9000·00
	मजदूर संदेश	3000.00
	एम० पी० क्रानिकल	12797.10
	मुक्ता	6685.00
	नई दुनिया	17000.00
	नेशनल हेराल्ड	28498.00
	नवभारत	3600.00
	नव भारत टाइम्स	10840.00

1	2	3
1983-84	नवजीवन	6050.00
	न्यूज मेग	5600.00
	नार्दन इण्ड० पत्रिका	6300.00
	नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट	5000.00
	आनलुकर	6400.00
	पैट्रियट	22262.00
	फोटोलिंक्स	7906.00
	पाइनियर	10004.25
	प्रभात	3000.00
	प्रचण्ड	5846.75
	प्रजामित्र	3160.00
	प्रजावाणी	7800.00
	प्रतिक्षण	3520.00
	कौमी आवाज	4000.00
	वीमैन एजूकेशन सेन्टर	3000.00
	रीडर डाइजेस्ट	9450.00
	रेजीडैन्ट एक्जीक्यूटिव	5000.00
	रूपलेखा	3399.00
	साक्षी	3340.18
	संयुक्त	6000.00
	साइंस सर्किल बुलेटन	5000.00
	साइंस टुडे	7040.00
	स्टेट्समैन	89090.30

1	2	3
1983-84	सन	4750.00
	स्वतन्त्र भारत	3800.00
	ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया	5000.00
	टेलीग्राफ	10843.47
	दि हिन्दू	121430.00
	टाइम्स आफ दक्कन	3600.00
	टाइम्स आफ इण्डिया	95889.52
	ट्रिब्यून	10059.00
	त्रिचूर	3366.00
	उदयवाणी	3600.00
	ऊर्जा	3600.00
	वर्ल्ड साइंस न्यूज	5599.18
	युगधर्म	4000.00
	इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड-न्यूयार्क	17085.00
	सेरेमिक रिव्यू-लन्दन	5000.00
	अन्य (3000 रुपये से कम प्राप्त करने वाली मगजीनों सहित)	420002.31
	योग :	1628181.97
1984-85	आज कल	3600
	एयरफोर्स स्टेशन, पालम	3000
	इलाहाबाद नया संघ	3000
	अमृत बाजार पत्रिका	74580

1	2	3
1984-85	आनन्द बाजार पत्रिका	7500
	अरेन्टेक	5000
	एसोसिएशन फार न्यू इनर्जी एंड न्यू टेक्नालाजी	5000
	आस्तिक समाज	5000
	ब्लिट्ज	5250
	बुलेटिन आफ साइंस, बंगलौर	15000
	बिजनैस इंडिया	6100
	बिजनेस स्टैंडर्ड	7500
	बाइ-वर्ड	6000
	कम्पिटिशन मास्टर	3000
	कम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू	6800
	करेन्ट	4500
	डेली ठांठी	10200
	दैनिक भास्कर	12030
	दैनिक जागरण	4250
	डाटा न्यूज फीचर्स	5000
	दक्कन क्रोनिकल	64197
	दक्कन हेराल्ड	38855
	दिल्ली रिकार्डर	4000
	डिजाइन एण्ड एडिटोरियल कन्सल्टेंट्स	48123
	दिना मलार	3875
	दिनमणि	4800
	दिल्ली पब्लिक स्कूल	5000

1	2	3
1984-85	इकोनोमिक टाइम्स	22804
	इनाडू	172179
	इम्लायमेंट न्यूज	3920
	फिल्म सेन्टर	22494
	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	14900
	फ्री प्रैस जर्नल	3500
	गंगा मोटर स्टोर्स	10075
	गोरखपत्र	3000
	गुरूकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी	3500
	हिन्दू	247785
	हिन्दुस्तान	27997
	हिन्दुस्तान टाइम्स	50400
	हितवाद, भोपाल	8480
	इ क्र	3000
	इकेयर-आर्मी हैडक्वार्टर	4000
	इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेट्रीज आफ इण्डिया	3000
	इण्डियन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसो०	5700
	आई० एम० ए-ओ० एन० जी० सी० मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट	10000
	इण्डिया इन्टरनेशनल रूरल कल्चर सेंटर	5500
	इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन	65800
	इण्डियन एक्सप्रेस	330324

1	2	3
1984-85	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ वेल्डिंग	4000
	इण्डियन नेशन	3000
	इण्डियन नेवी एग्जीबीशन सोविनर	3000
	इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन	35000
	इन्डो-अफ्रीका सर्वे इस्यू	29800
	इंकवर्ल्ड	3000
	इन्स्ट्रूमेंट्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स मंथली	3000
	इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स आन फ्रैक्चर्स	3000
	जागरण	12876
	जुगान्तर	12900
	काइगरिका वारते	3000
	कन्नड प्रभा	6113
	कस्तूरी एण्ड सन्स	3196
	केरल कामुदी	4500
	खास खबर	3800
	मेनस्ट्रीम	7200
	मलयालम मनोरमा	8500
	मातृभूमि	7200
	एम० पी० क्रोनिकल	5640
	नई दुर्गा	3800
	नेशनल कान्फ्रेंस आन इण्ड० ट्रिबोलोजी	8910
	नेशनल एजूकेशन इनफोर्मेशन	3758
	नेशनल हेराल्ड	13577

1	2	3
1984-85	नवभारत	11200
	नवभारत टाइम्स	23080
	न्यू अफ्रीकन जर्नल	8200
	न्यूज टाइम	14450
	नार्दन इण्डिया पत्रिका	6300
	नूतन कहानियां	5000
	आयल इण्डिया लिमिटेड	3640
	आनलुकर	3200
	पैट्रियट	8743
	पाइनियर	5600
	प्रभात प्रेस	138588
	प्रजावाणी	28085
	प्रिंसिपल, रीच बी० एच० ई० एल०	6592
	प्रोब	3000
	परचेज	3140
	रीडर्स डाइजेस्ट	26000
	समाचार पोस्ट	3200
	संयुक्त	8000
	साइंस सर्किल बुलेटिन	10000
	श्री श्री आनन्द माई संघ	10000
	श्री धार्मिक लीला कमेटी	3500
	सियासत	13957
	स्पिका/मैकेय/फेट-85	5000

1	2	3
1984-85	सेन्ट पैट्रिक हाई स्कूल, हैदराबाद	5000
	स्टेट्समैन	180816
	सन	4000
	सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर	4000
	स्वतंत्र ज्योति	3900
	टेलीग्राफ	7500
	टाइम्स आफ दक्खन	4000
	टाइम्स आफ इण्डिया	160099
	तिरुचि चैप्टर आफ आई०सी०डब्ल्यू०ए०	3000
	तिरुचि डिस्ट० फुटबाल एसोसिएशन	7000
	तोपखाना विद्यालय	5000
	ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया	5000
	ट्रिब्यून	7600
	उदयवाणी	4800
	वी इन्टरनेशनल सेमिनार आफ इको० जर्नलिस्ट	3000
	डुवेल्ट हैम्बर्ग	62492
	सडेन्टश जीटंग, म्युनिख	66202
	हैंडल्स ब्लाट, डसेलड्रोफ	47157
	ए० डी० आई० फ्रांस	576206
	खलीज टाइम्स	25566
	गल्फ टाइम्स	9432
	अन्य (3000 से कम)	826022
	योग :	3934455

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में रात्रि के समय तारों का वितरण

5665. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के जिला बार नाम क्या हैं जहां तारों की रात्रि में वितरण सुविधा है;

(ख) क्या इस सुविधा का सभी जिला उप-मंडलों और ब्लाक मुख्यालयों में विस्तार करने का विचार है;

(ग) यदि हां तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और रात्रि के समय तारों के वितरण की सुविधा शुरू करने के क्या मानदंड हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में तार वितरण की रात्रिकालीन वितरण सुविधा उपलब्ध है :—

	स्थान	जिला
रात्रिकालीन वितरण 22.00 बजे तक	हमीरपुर	हमीरपुर
	मन्डी	मन्डी
	कुल्लू	कुल्लू
	धर्मशाला	कांगड़ा
	शिमला	शिमला
रात्रिकालीन वितरण 21.00 बजे तक	चम्बा	चम्बा

	स्थान	जिला
रात्रिकालीन वितरण	सोलन	सोलन
20.00 बजे तक	नाहन	सिरमौर
	ऊना	ऊना
	बिलासपुर	बिलासपुर
	पालमपुर	कांगड़ा
22.00—06.00 बजे के बीच सीमित रात्रिकालीन वितरण	शिमला	शिमला

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इसके कारण इस प्रकार हैं :

(1) परियात आधार पर औचित्य का अभाव।

(2) जनता/राज्य सरकार से मांग न होना।

(3) तारघर के बन्द होने के समय विलंब शुल्क ड्यूटी करने वाले अपने आप सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं। सामान्यतया संचालित परियात की मात्रा कार्यघंटों का निर्धारण करने के लिए मानदण्ड होता है। किसी तारघर के कार्यघंटों तथा यदि उस तार घर में विलंब शुल्क सेवा उपलब्ध हो, तो बंद घंटों के दौरान तारों का वितरण किया जाता है। सामान्यतया रात्रि 22.00-06.00 बजे के बीच साधारण तारों का वितरण नहीं किया जाता है। यह वितरण "रात्रिकालीन" शब्दों से अंकित तुरंत तारों तथा उपलब्धता/प्रस्थान से संबंधित निजी/व्यक्तिगत श्रेणी वाले तारों तथा बीमारी/मृत्यु की सूचना देने वाले तारों तक ही सीमित है बशर्ते कि डाकघर रात के समय खुला हो तथा देर से वितरण के लिए स्वेच्छा से कार्य करने वाले कर्मचारी उपलब्ध हों।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

5666. श्री चिन्तामणि जेना : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरणों के निर्माण करने के लिये हिस्से-पुर्जों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रतिवर्ष कितनी धन राशि खर्च होती है;

(ग) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने इन पुर्जों का भारत में ही निर्माण करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी शर्तें आदि क्या हैं; और

(ङ) विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश में ही टेलीफोन उपकरण का निर्माण करने हेतु देश में ऐसी कम्पनियां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मौजूदा डिजाइन के टेलीफोन बनाने के लिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ कच्चे माल/पुर्जों का आयात कर रही है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की ऐसे आयात के लिए देश में लाने के लिए सीमा शुल्क सहित लागत लगभग 3 करोड़ रुपये रही।

(ग) जी हां। नई प्रौद्योगिकी के टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने इटली की कम्पनी मैसर्स फेस स्टेण्डर्ड के साथ एक सहयोग करार किया है।

(घ) मैसर्स सीमेन्स ए० जी० (पश्चिमी जर्मनी)
मैसर्स आई० टी० टी० फेस (इटली)
मैसर्स एरिक्सन इन्फोरमेशन सिस्टम (स्वीडन)

इन प्रस्तावों की शर्तें सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों के लिए मंजूर विदेशी एफ०सी० सहयोग की शर्तों के अनुसार हैं।

(ङ) देश में आधुनिक टेलीफोन बनाने के लिए सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज सहित सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की 50 इकाइयों को लाइसेंस दिया है। ये इकाइयां उपर्युक्त तीन प्रौद्योगिकी में से किसी एक का इस्तेमाल कर, टेलीफोन बनाएंगी।

गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाना

5667. **श्री आर० एम० भोये** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन से स्थान चुने गए हैं; प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) देश में गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्तावित परियोजना का विवरण	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	निधियों के आबंटन की स्थिति
1	2	3	4	5
एक.	केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाएं			
1.	हाजिरा-बिजयपुर-जगदीश पुर गैस पाइप लाइन के साथ-साथ संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजनाएं	1. कवास (गुजरात) 2. औरैया (उत्तर प्रदेश) 3. अन्टा (राजस्थान)	600 मेगावाट 600 मे०वा० 430 मे०वा०	सातवीं योजना में इन परियोजनाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक परिव्यय किया गया है।
2.	असम में संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन परियोजना	कठलगुडी (असम)	280 मे०वा०	इस परियोजना को विदेशी सहायता से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
दो.	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं			
3.	राजस्थान में गैस टरबाइन सेट	रामगढ़	3 मे०वा०	सातवीं योजना में 3.94 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।
4.	असम में लकवा गैस टरबाइन परियोजना (सोपान-दो)	लकवा	60 मे०वा०	सातवीं योजना में 34.01 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।
5.	असम में लकवा गैस टरबाइन परियोजना (सोपान-1)-चौथी यूनिट	लकवा	15 मे०वा०	पहले ही निर्माणाधीन है, यूनिट जून, 1986 में चालू होने की आशा है। वर्ष 1984-85 के लिए अनुमोमोदित परिव्यय 1.70 करोड़ रु० था और सातवीं योजना में 1.58 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

1	2	3	4	5
6.	त्रिपुरा में बारामूरा गैस टरबाइन	बारामूरा	10 मे०वा०	पहले ही निर्माणाधीन है, यूनिट शीघ्र ही चालू होने की आशा है। वर्ष 1984-85 के लिए अनुमोदित परिव्यय 5 करोड़ रु० था और सातवीं योजना में 2.31 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा कमाये गए लाभ के बारे में अध्ययन

5668. श्री शांति धारीवाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा कमाये गये लाभ के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो निबल मूल्य की तुलना में निबल लाभ कितना प्रतिशत था और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष-वार कितनी पूंजी लगाई गई थी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि अनेक कम्पनियों द्वारा फार्म 6 में प्रस्तुत किए गए विवरण दर्शाते हैं कि फार्मूलेशन क्रियाकलापों पर उनकी लाभप्रदत्ता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की अनुसूची V में निर्दिष्ट मानदण्डों के अन्दर-अन्दर अर्थात बिक्री लेन-देन के 8 से 13 प्रतिशत है।

तमिलनाडु सरकार की पिछड़े क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के माध्यम से यूनिटें स्थापित करने की नीति

5669. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने पिछड़े क्षेत्रों में यूनिटों की स्थापना और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने की तमिलनाडु सरकार की नीति उसकी अपनी विकास एजेंसियों के कारण विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में उस राज्य से कोई रिपोर्ट मंगाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह अपने अभिकरणों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करे।

उड़ीसा के कालाहान्डी जिले में डाकघर और उप डाकघर खोलना

5670. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में विशेषकर कालाहांडी जिले में कितने डाकघर उप-डाकघर और अन्य शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और अन्य नगरों में ऐसे कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कालाहान्डी जिले में कुछ और डाक-घर खोलने का है, यदि हां तो ये डाकघर कहां-कहां खोले जाएंगे और इनके द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में 35 मुख्य डाकघर, 1368 उप-डाकघर तथा 6132 शाखा-डाकघर हैं। कालाहांडी के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 150 एवं 312 हैं।

(ख) उड़ीसा स्थित 7535 डाकघरों में से 6989 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 546 शहरी क्षेत्रों में हैं।

(ग) कालाहांडी जिले में और अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मोटर वाहनों के नये माडलों का निर्माण

5671. **श्री दिनेश सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मोटर वाहनों के नवीनतम मॉडल तैयार करने के लिए नई कम्पनियों को अनुमति देने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में डाकघर, उप-डाकघर और शाखा डाकघर खोलना

5672. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान कितने और कौन-कौन से उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा राज्य में कितने और कहां-कहां पर

डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में किसी भी उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रत्येक डाक सर्किलों में खोले जाने वाले नये डाकघरों का निर्धारण वार्षिक योजना में उपलब्ध निधि के आधार पर हर वर्ष के लिए अलग-अलग किया जाता है। तथापि, 1985-86 के दौरान न तो उड़ीसा सर्किल में अथवा अन्य सर्किल में नए डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई क्योंकि नए पदों के सृजन पर रोक लगी हुई है। इसके साथ-साथ यह भी कारण है कि नियमित डाकघरों तथा अन्य माध्यमों जैसे— ग्रामीण चल डाकघर तथा दैनिक वितरण योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था है। फिलहाल, 1986-87 के दौरान उड़ीसा अथवा अन्य सर्किलों में नए डाकघर खोलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा सर्किल में, इस समय 7535 डाकघर हैं और एक डाकघर द्वारा औसतन 20.66 वर्ग कि०मी० अथवा 3499 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जा रही है। पूरे देश की समान अवधि का औसत 21.94 वर्ग कि०मी० तथा 4748 व्यक्ति का है। यह उल्लेखनीय है कि उड़ीसा में डाक विकास संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में औसतन बेहतर है।

दिल्ली में महिलाओं से सम्बद्ध मामलों के लिए लोक अदालतें

5673. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में महिलाओं से संबद्ध मामलों के लिए लोक अदालत लगाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो मुकदमों के पक्षकारों को क्या प्रतिक्रिया रही और कितने मामले निपटाए जा सके; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में महिलाओं के हितों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार का विचार सभी राज्यों में नियमित अंतराल पर ऐसी लोक अदालतें लगाने का है जिससे कि व्यथित महिलाओं को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में और दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सहयोग से दिल्ली में 9-3-1986 को महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए एक लोक अदालत लगाई गई थी।

(ख) मुकदमों में पक्षकारों की ओर से पूर्ण सहयोग किया गया। विवाह-विषयक 50 विवाद निपटाए गए।

(ग) लोक अदालतें सरकार द्वारा नहीं लगाई जा रही हैं। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति और राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, जो लोक अदालतें लगाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस बात से अवगत हैं कि महिलाओं से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और राज्य स्तर पर इसे उचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

टेलीफोन उद्योगों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5674. श्री मोहन भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रणाली में खराबी का कारण पुरानी प्रौद्योगिकी के आधार पर निर्मित टेलीफोन उपकरण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार टेलीफोन उद्योगों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) टेलीफोन प्रणाली की सारी खराबियों के लिए टेलीफोन उपकरण निर्माण की पुरानी प्रणाली को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उपकरणों का रख-रखाव, ज्यादा प्रयत्नों की अपेक्षा करता है और उन उपकरणों में कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो नवीनतम प्रौद्योगिकी के टेलीफोनों में उपलब्ध है।

(ग) सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलौर और नैनी कारखानों में, विदेशी सहयोग से आधुनिक डिजाइन वाले दस-दस लाख टेलीफोन उपकरण बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। आधुनिक डिजाइन के टेलीफोन बनाने के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कम्पनियों को भी आशय/अनुमोदन पत्र दिए गए हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपकरणों का आयात

5675. डा० वी० वेंकटेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून के आयातित उपकरणों की कीमत में पिछले दो वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या आयातित उपकरणों के स्थान पर अन्य उपकरण खरीदने और/अथवा विदेशों से

प्राप्त तकनीकी जानकारी से देश में ही उनके उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(घ) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आयात किए गए उपकरणों की सूची उनके उत्पादन स्रोत, उपकरण के नाम तथा प्रत्येक के लिए अदा की गई कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कौन-कौन से उपकरण आयात करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नारियल भूसी नियंत्रण अधिनियम

5676. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल भूसी नियंत्रण अधिनियम को निरसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केरल में नारियल जटा सहकारी समितियों को नारियल भूसी और जटा दिलाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1985 में केरल की नारियल जटा सहकारी समितियों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1986 में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां। नारियल जटा नियंत्रण आदेश, 1973 को विखण्डित करने का प्रस्ताव है।

(ख) केरल राज्य में मुख्यतया कयर सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए केवल नारियल जटा पर लेवी लगाने की योजना आरंभ करने तथा उसे लागू करने के लिए केरल की राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन शक्तियों के हस्तांतरण हेतु उक्त योजना के लिए केरल सरकार का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कयर उद्योग के सहकारीकरण हेतु अगस्त 1982 में आरम्भ की गई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शेयर पूंजी सहायता, सीमान्त राज सहायता उपकरणों की खरीद

और विपणन के वास्ते कयर सहकारी संस्थाओं को समानता के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत केरल को दी गई सहायता की राशि 1984-85 में 100.82 लाख रुपये थी और वर्ष 1985-86 में 25.75 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

एल० पी० जी० के मूल्य में वृद्धि के समय वितरकों द्वारा एल० पी० जी० की सप्लाई का बन्द किया जाना

5677. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी० का मूल्य किस तारीख को क्रमशः बढ़ाया और कम किया गया तथा कितना मूल्य बढ़ाया गया तथा कितना कम किया गया और क्या सिलेंडर में एल० पी० जी० का भार भी कम किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने मूल्य बढ़ने से पहले सिलेंडर बुक कराये थे उनसे कुछ डीलरों ने बढ़े हुए मूल्य वसूल किए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि विलंब डीलरों ने ही किया था;

(ग) क्या कदाचार को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि करने और मूल्य कम करने की अवधि के दौरान कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके ध्यान में कितने मामले लाए गए हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो कदाचार रोकने और सप्लाई नियमित रूप से बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार डीलरों के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31 जनवरी/पहली फरवरी, 1986 की आधी रात से एल० पी० जी० की कीमतों में 700 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि हो गई, तथा 5 फरवरी/6 फरवरी, 1986 की आधी रात से एल० पी० जी० की कीमतों में 280/- रुपये प्रति मी० टन की कमी की गई। विपणन की जा रही एल० पी० जी० के वजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) से (च) पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान कीमत तंत्र/प्रणाली के अनुसार डीलर बुकिंग की तारीख की बजाय सप्लाई की तारीख को लागू कीमत लेते हैं। दरों में संशोधन के कारण धारित स्टाक में होने वाली हानि या लाभ डीलरों के खाते पर होता है।

भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में फालतू श्रमिक

5678. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के चेयरमैन ने यह बताया है कि भारत कोकिंग कोल लि०, और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में एक लाख फालतू श्रमिक हैं;

(ख) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के 14 वर्ष बाद कार्यदल के फालतू होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिकारी और पर्यवेक्षण कर्मचारी भी उसी अनुपात में फालतू हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० के गठन का एक दशक पूरा होने के अवसर पर, कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष ने कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को एक अपील के जरिए संबोधित किया। उन्होंने दिनांक 13-11-1985 को एक पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि कोल इंडिया लि० में सबसे अधिक जन-शक्ति है जो संगठन की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस विशाल जन-शक्ति को प्रशिक्षण आदि देकर शीघ्र ही लाभकारी उत्पादक बल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बेशी जन-शक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया। परन्तु बवेजा समिति ने वर्ष 1978 में भारत कोकिंग कोल लि० में लगभग 50,000 बेशी कर्मचारी होने का अनुमान लगाया था। अभी हाल ही में, चारी समिति ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में उतनी ही बेशी जन-शक्ति का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष ने चूंकि बेशी जन-शक्ति के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए इस बात का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के बिजली उत्पादन प्रस्तावों को मंजूरी

5679. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली उत्पादन की कई नई योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे हैं;

(ख) सरकार ने कितनी योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित शेष योजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने (मार्च, 1986 तक) स्वाकृति के लिए 13 नई विद्युत उत्पादन स्कीमें प्रस्तुत की हैं। इनमें से 6 माइक्रो जल विद्युत स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा योजना आयोग का निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, 5 स्कीमों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है और स्कीम की संशोधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 स्कीमें राज्य प्राधिकारियों के पास वापस भेज दी गई हैं। इनके अतिरिक्त, 7 अन्य मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों के लिए योजना आयोग का निवेश संबंधी अनुमोदन दिया जाना है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान तारघर खोलने के लिए मानदण्ड

5680. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने तारघर खोले गए और उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में नए तारघर खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) देश के आदिवासी क्षेत्रों में और विशेषकर बड़ौदा जिले में तारघर खोलने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) तारों के वितरण के लिए जिनके वितरण में कई बार साधारण डाक से भी अधिक समय लगता है अधिक तेज सेवा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए तारघर खोलने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10,787 तारघर (संयुक्त डाक तार घर) खोले गए। राज्यवार (सर्किलवार) संख्या संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के पी० सी० ओ०/तारघर (संयुक्त डाकतार घर) श्रेणी वाले स्थानों पर स्थानिक वितरण नीति के अन्तर्गत खोले जाते हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) नीति के अनुसार सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जनजातीय क्षेत्र निम्न है। इसके अलावा जनसंख्या के मानदण्ड पर विचार करते समय 10 किलोमीटर को अरीय दूरी के भीतर आने वाले ग्रामों के एक समूह को जनजातीय क्षेत्रों में मिलाया जा सकता है।

(घ) तारों के शीघ्र वितरण की दृष्टि से अगले पृष्ठ पर लिखित कार्रवाई की गई है :—

(एक) स्थाई संचारण माध्यम की व्यवस्था करके सर्किटों को उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से समन्वित प्रयास करना।

(दो) सभी केन्द्रीय तारघरों/विभागीय तारघरों में चरणबद्ध तरीके से स्टेंड बाई पावर की व्यवस्था करना ताकि बिजली फेल होने की स्थिति का सामना किया जा सके।

(तीन) मल्टी मैनुअल ट्रांजिट आपरेशन के कारण विलंब को कम करने के लिए स्टोर तथा फारवर्ड तार प्रणाली जैसी नई तकनीकी व्यवस्था प्रारम्भ करके तार नेटवर्क को आधुनिक बनाना।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9000 लंबी दूरी के पी० सी० ओ० संयुक्त तारघरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

विवरण-एक

छठी योजना के दौरान संयुक्त डाक तारघरों की उपलब्धि (1980-85)

	सर्किल का नाम	डाक तारघरों की उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	1853
2.	बिहार	1038
3.	गुजरात	234
4.	जम्मू व कश्मीर	54
5.	कर्नाटक	447
6.	केरल	193
7.	मध्य प्रदेश	1424
8.	महाराष्ट्र	529
9.	उत्तर-पूर्व	. 5
10.	उत्तर पश्चिम	453
11.	उड़ीसा	358
12.	राजस्थान	395
13.	तमिलनाडु	2131
14.	उत्तर प्रदेश	1370
15.	पश्चिम बंगाल	303
	योग	10,787

विवरण-दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति (अनुबन्ध—एक) पर डाक तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्तों का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्याधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वह इस प्रकार है :—

(एक) अनुबंध—एक में बतायी गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति के लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य के चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लंबाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है, लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जाएंगे। गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक दूर-संचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर विभागीय एल०डी०पी०टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल

होगा लेकिन प्रतिमाह 250/- रु० (दो सौ पचास) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटें कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्त्रोत नहीं होगा।

डाक तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम समूहों के षडभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षड्भुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्र स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रयोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन० सी० ए० ई० आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अनुबंध —एक

हानि उठाकर पी० सी० ओ० खोलने की नीति

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 25000 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25% प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10% होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25% तथापि बड़े इलाकों में 15% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10% होना चाहिए।

8. ग्राम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होना चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/- रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/- रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000/- रु० के अधिक नहीं होना चाहिए।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी : (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर, विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 0 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :

(एक) जनजातीय विकास खण्ड मुख्यालय;

(दो) जिन स्थानों पर लम्पस (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सरकारी समितियां) स्थापित; और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 0 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

सिमडेगा टेलीफोन एक्सचेंज को बिरमित्रपुर एक्सचेंज के साथ जोड़ना

5681. श्री साइमन तिग्गा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेहतर सेवाओं की दृष्टि से सिमडेगा टेलीफोन एक्सचेंज को बिरमित्रपुर एक्सचेंज के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। सिमडेगा एक छोटा स्वचल एक्सचेंज है जो गुमला ट्रंक एक्सचेंज से जुड़ा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सिमडेगा को बीरमित्रपुर के साथ जोड़ने का औचित्य नहीं बनता है क्योंकि इन स्टेशनों के बीच फिलहाल ट्रंक परियात कम है।

कालीकट जिले में नादपुरम टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

5682. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में नादपुरम टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है और उक्त एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान नादपुरम में 200 लाइनों की क्षमता का एक एम० ए० एक्स०-II किस्म का एक्सचेंज खोलने की योजना है बशर्ते कि एक्सचेंज भवन के लिए भूमि उपलब्ध हो जाए।

पेंसलिन-जी की अपेक्षित मांग के अनुसार उसकी सप्लाई करना

5683. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1986 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में स्माल कंपनीज मेक्स 6-ए० पी० ए० विद ओन नो हाऊ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार एकक की पेंसलिन-जी० की अपेक्षित मांग पूरी नहीं कर रही है;

(ग) एकक द्वारा कितनी मात्रा में पेंसलिन-जी० की मांग की गई है तथा सरकार द्वारा कितनी मात्रा में इसकी सप्लाई की गई है; और

(घ) आवश्यकतानुसार इसकी पूरी सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस एकक को 46 एम० एम० यू० के आयात के अनुरोध के विपरीत 1984-85 और 1985-86 के दौरान 36 एम० एम० यू० पेनिसिलिन जी प्रथम क्रिस्टल्स के आयात की अनुमति दी गई थी।

(घ) सरकार ने 6 एमीए के अलग-अलग निर्माता एकको को जरूरत के 70 प्रतिशत तक पेनिसिलिन जी प्रथम क्रिस्टल के आयात की अनुशंसा करने हेतु प्रायोजक प्राधिकारियों को मार्गदर्शन जारी किये हैं। इन एककों द्वारा शेष 30 प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त की जानी है।

6-ए० पी० ए० के निर्माण के लिए पेंसिलिन का आयात

5684. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान 6 ए० पी० ए० के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष पेंसिलिन की कितनी मात्रा आयात करने की अनुमति दी गई;

(ख) इससे दिसम्बर, 1986 तक कितनी 6 ए० पी० ए० उपलब्ध होगी और देश की 6 ए० पी० ए० की आवश्यकता की पूर्ति में कितनी कमी रहेगी; और

(ग) आयात माध्यम एजेंसियों द्वारा लगभग 30 डालर प्रति किलोग्राम की दर पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करके 6 ए० पी० ए० का आयात किये जाने की अनुमति देने के क्या कारण

हैं जब कि दूसरी ओर पैंसिलिन का आयात करने की अनुमति दी गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 1984-85 और 1985-86 के दौरान अब तक 6-ए० पी० ए० के विभिन्न उत्पादकों को लगभग 553 एम० एम० यू० पेंसिलिन जी के आयात की अनुमति दी गयी है।

(ख) और (ग) 1986 में, देश में 6-ए० पी० ए० की आवश्यकता 250 मी० टन लगायी गयी हैं जबकि पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल्स के आयात के लिए पहले दिए गए अनुमोदन को भी ध्यान में रखते हुए स्वदेशी उत्पादन के इससे कम होने की संभावना है। अतः, 6-ए० पी० ए० के आयात आवश्यक हैं। किस मूल्य पर 6-ए० पी० ए० का आयात किया जाना है, इस बात का निर्णय राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किया जाता है।

मनीआर्डर प्राप्त करने सम्बन्धी नियम और आदेश

5685. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई नियम अथवा आदेश है कि यदि मनीआर्डर की राशि 500 रुपए से अधिक हो तो प्राप्तकर्ता को डाक-घर जाकर राशि प्राप्त करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेंशन प्राप्त कर्ताओं तथा अन्य लोगों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रणाली पर पुनर्विचार करने का है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट तथा ग्रामीण पोस्टमैन 500 रु० तक के मनीआर्डरों का भुगतान, प्राप्तकर्ता के पते पर सकते हैं। (मंडल अधीक्षक, डाकघर अपने विवेक से इस सीमा को बढ़ा सकते हैं)। अधिकतम जितनी राशि के मनीआर्डर जारी किए जा सकते हैं पोस्टमैन प्राप्तकर्ता के पते पर उसका भुगतान कर सकते हैं।

(ख) इस सीमा में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है तथा इस सीमा का निर्धारण सुरक्षा सहित सेवा के सभी पहलुओं पर विचार करके किया गया है।

दुर्गाचक (हल्दिया-मिदनापुर जिला पश्चिमी बंगाल) में एस० टी० डी० सुविधा

5686. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गाचक (हल्दिया-मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल) में एस० टी० डी० सुविधा के साथ राष्ट्रीय नेटवर्क में लाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव टेलीफोन विभाग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दुर्गाचक एक्सचेंज, हल्दिया टेलीफोन प्रणाली का ही एक अंग है। दुर्गाचक के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हल्दिया तथा कलकत्ता के बीच संचारण माध्यम में वृद्धि की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल शोधक कारखानों में आग और विस्फोट की दुर्घटनाएं

5687. **श्री जी० एस० मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल शोधक कारखानों में आग लगने और विस्फोट होने की दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके परिणामस्वरूप कुछ श्रमिक मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटनाएं किन कारणों से हुई थीं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं पुनः न होने देने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ये दुर्घटनाएं हाइड्रोकार्बनों के रिसाव और उसके बाद उसमें आग लग जाने के कारण हुई थी।

(ग) उपचारी उपायों में मौजूदा प्रणालियों और पद्धतियों का पुनरीक्षण ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना और कार्मिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है।

केरल में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

5688. **श्री टी० बशीर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक की अधिकृत पूंजी कितनी है;

(ग) क्या केरल में केन्द्रीय सरकार का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 31.3.85 को केरल में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा उनके पंजीकृत कार्यालयों का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	उद्यम का नाम	31.3.85 को अधिकृत पूंजी (करोड़ रुपयों में)
1.	भारतीय काजू निगम लि०	2.00
2.	कोचीन रिफाइनरीज लि०	15.00
3.	कोचीन शिपयार्ड लि०	70.00
4.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	225.00
5.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	10.00
6.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०	100.00

(ग) और (घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अवस्थापन का निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक दृष्टि कोणों के आधार पर किया जाता है और इसे राज्य-वार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

उपभोक्ता परक व्यापार नीति

5689. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कंज्यूमर-ओरियेंटिड ट्रेड पालिसी आउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वितरण व्यापार को सुधारने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वह स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए हर एक को एक ही शर्तों पर अपना माल देकर बदलती परिस्थितियों में अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर सके ताकि उपभोक्ता प्रतियोगी दरों/मूल्यों पर वस्तुएं प्राप्त कर सकें तथा धन को कुछ चन्द हाथों में एकत्र होने से रोका जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो कम्पनियों/उत्पादकों/निर्माताओं को अपने उत्पाद अपनी मनमर्जी से बेचने और इस प्रकार बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का शोषण करने का एकाधिकार देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं कि उत्पादित वस्तुओं को ऐसी शर्तों पर बेचा जाए जिनसे कि स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले और उपभोक्ता उत्पादित वस्तुएं प्रतियोगी दरों/मूल्यों पर प्राप्त कर सकें तथा कुछेक हाथों में वित्तीय शक्ति के संकेन्द्रण को रोका जा सके।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश

5690. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और इन समुदायों से नई नियुक्तियां करने के संबंध में निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय राज्य-वार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने न्यायाधीश हैं और प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या किस सीमा तक बढ़ाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिख कर उनसे पुनः अनुरोध किया है कि वे वकीलों में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों के तथा महिलाओं में से हैं और जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालयों में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। यह बताना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	1.3.1986 को स्थिति	
				अनुसूचित जातियों के न्यायाधीश	अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	60	47	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	26	18	1	—
3.	मुम्बई	43	40	1	—
4.	कलकत्ता	41	39	—	—
5.	दिल्ली	27	23	—	—
6.	गुवाहाटी	9	8	—	—
7.	गुजरात	21	17	—	—
8	हिमाचल प्रदेश	6	6	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	7	6	—	—
10.	कर्नाटक	24	21	1	—
11.	केरल	18	18	1	—
12.	मध्य प्रदेश	29	24	—	—
13.	मद्रास	25	21	1	—
14.	उड़ीसा	12	8	—	—
15.	पटना	35	32	—	—
16.	पंजाब और हरियाणा	23	17	—	—
17.	राजस्थान	22	21	—	—
18.	सिक्किम	3	2	—	—
		431	368	6	—

[अनुवाद]

उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्र

5691. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक कितने जिला उद्योग केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1986-87 में कुछ और जिला उद्योग केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, उपर्युक्त वर्ष में उड़ीसा में कितने नए जिला उद्योग केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में अब तक 13 जिला उद्योग केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(ग) जी, हां। देश भर में 1.4.1986 से 21 नए जिला उद्योग केन्द्रों के लिए और मंजूरी दी गई है जबकि देश में 397 जिला उद्योग केन्द्र पहले से विद्यमान हैं।

(घ) उड़ीसा में किसी नए जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना पर मंजूरी देने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन में फिनोल परियोजना स्थापित करना

5692. श्री के० मोहन दास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन में एक फिनोल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस समय परियोजना किस स्थिति पर है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर॰के॰ जयचन्द्र सिंह) : (क) प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात मै॰ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि॰ (एच॰ ओ॰ सी॰) (भारत सरकार का उपक्रम) को फिनोल (40.000 टन प्रति वर्ष) और एसीटोन (24,640 टन प्रति वर्ष) का निर्माण करने के लिए कोचीन में एक परियोजना की स्थापना करने हेतु सितम्बर, 1985 में एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था।

(ख) और (ग) परियोजना, चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है।

थंजावुर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय

5693. **श्री एस॰ सिंगरावड़ी वेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में नारिमनम तथा कोविल्कालाप्पल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल खोजने के लिए जा रहे कार्य से यह पता चला है कि वहां तेल तथा गैस के प्रचुर भण्डार हैं तथा सम्भावनाएं बहुत उज्जवल है;

(ख) यदि हां, तो क्या थंजावुर जिले में, जहां पर कि काम चल रहा है, काम के कुशलता-पूर्वक पर्यवेक्षण के लिए कोई क्षेत्रीय अथवा प्रशासनिक कार्यालय नहीं है;

(ग) क्या थंजावुर में कार्यालय स्थापित करने की कोई मांग की गई है;

(घ) थंजावुर में क्षेत्रीय तथा प्रसासनिक कार्यालय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस क्षेत्र को सम्भावनापूर्ण समझा गया है और पूल के फैलाव का अनुमान लगाया जा रहा है। इस क्षेत्र में, अभी अन्वेषण किया जा रहा है तथा और इसमें और खुदाई करने की आवश्यकता है।

(ख) से (ङ) ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ से थंजावुर में एक कार्यालय स्थापित करने की मांग प्राप्त हुई है। प्रचालनात्मक और संभार-तंत्रों से सम्बन्धित आवश्यकता को ध्यान में रख कर ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

सिलेंडर फटने के कारण होने वाली मृत्यु के लिए खाना पकाने की गैस उपभोक्ताओं का बीमा

5694. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दिकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गैस सिलेंडर ओर ए सिलेंडर बम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के वितरकों ने गैस सिलेंडर फटने के कारण मृत्यु होने के लिए अपने ग्राहकों का 10 लाख रुपये का बीमा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में गैस सिलेंडर फटने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को बीमा राशि का भुगतान किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एल० पी० जी० वितरकों के प्रति दुर्घटना 10 लाख रुपये तक का थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा करवाना आवश्यक है।

(घ) 1.4.1985 से 31.3.1986 तक दिल्ली में 21 दुर्घटनाएं हुईं, इनमें से चार दुर्घटनाओं में 14 मृत्यु हुई। दो दुर्घटनाओं में उपभोक्ताओं द्वारा दावे किए गए तथा ये वितरकों द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए गए।

कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी

5695. श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने के लिए कितनी कोयला खनन परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) उन कोयला उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये स्वीकृत की गई कोयला खनन परियोजनाएं स्थित हैं;

(ग) उन कोयला खनन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि निवेश की मंजूरी की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों (1983-84 एवं 1984-85) तथा सातवीं योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) के दौरान सरकार ने 50 कोयला परियोजनायें (इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव शामिल हैं) अनुमोदित की हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में रु० 3795.52 करोड़ का निवेश मंजूर किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि प्रति वर्ष 99.87 मिलियन टन का अन्ततः कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

इसका राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य का नाम	वर्ष 1983-84 में अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अंततः क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत निवेश (करोड़ रु० में)
1. बिहार	8*	15.70	645.65*
2. मध्य प्रदेश	19	42.97	1401.66
3. पश्चिम बंगाल	5	6.91	397.44
4. उड़ीसा	3	6.50	117.53
5. आंध्र प्रदेश	15*	11.20	443.18*
6. महाराष्ट्र	6	8.09	249.51
7. उत्तर प्रदेश	2	8.50	540.55
	58	99.87	3795.52

*(इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव शामिल हैं)

इसके अतिरिक्त सातवीं योजना के दौरान लगभग 74 अन्य वह कोयला परियोजनाए भी कार्यान्वित की जाएंगी जिन्हें पहले मंजूर किया गया था।

औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के लिए दिल्ली के बादली उद्यमी संगठन से प्राप्त आवेदन पत्र

5696. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की बादली के एन्ट्राप्रन्योर्स एसोसिएशन से औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को प्राप्त हुए आवेदनों का तारीख वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण अधिकांश उद्यमियों को नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में जगाशर और खास जगाशर क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन

5697. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला हजारीबाग, बिहार के जगाशर और खास जगाशर क्षेत्रों में अनेक लोग कोयले का अवैध खनन व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने यह सूचित किया है कि जागेश्वर और खास जागेश्वर क्षेत्रों में (जो कि कम्पनी के पट्टा धारित क्षेत्र से बाहर हैं) कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट मिली थी। हज़ारीबाग और गिरीडीह के जिला अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। यह सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की हैं।

राज्य सरकार एवं कोयला कम्पनियों से उन व्यक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है जो कोयले की अवैध खुदाई करते हैं। कोयला कम्पनियां, राज्य सरकार के कानून व्यवस्था कायम कराने वाले प्राधिकारियों के साथ मिलकर, दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए छापा मारती हैं।

बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम रिफायनरी के कामगारों और प्रबन्धकों के बीच समझौता

5698. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेम्बूर (बम्बई) स्थित भारत पेट्रोलियम रिफायनरी के कामगारों और प्रबन्धकों के बीच वर्तमान समझौते के अनुसार कामगारों को महंगाई बढ़ने पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत पेट्रोलियम के प्रबन्धकों ने मजदूर संघ से विचार-विमर्श किये बिना फरवरी, 1986 से सेवा की शर्तें एक पक्षीय आधार पर लागू कर दी हैं तथा सेवा की एक शर्त है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि की दर 1.66 प्रतिशत प्रति प्वाइंट होगी; और

(ग) एक कामगार को सेवा की उपयुक्त शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि की दर में कटौती के कारण अब से 10 और 20 वर्ष की सेवा करने के बाद वेतन में कुल कितना नुकसान होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी के 438 वैसे कर्मचारी जो 1973 में किए गए समझौते के अधीन शामिल हैं और वे निम्न प्रकार से महंगाई भत्ता प्राप्त करते रहेंगे जो 24-1-1976 को कम्पनी के भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने से पूर्व वेतन नहीं में दर्ज थे।

मूल वेतन	बम्बई में निर्वाह व्यय सूचकांक संख्या 420 1930=100 से अधिक पर "प्रत्येक 10 प्वाइंट स्लैब के लिए महंगाई भत्ता"
प्रथम 2000/- रुपये पर	मूल वेतन का 2.20%
आगे 150/- रुपये पर	मूल वेतन का 1.20%
शेष पर	मूल वेतन का 0.70%

जिन कामगारों ने निगम के अधिग्रहण के बाद नौकरी ली हैं, उन्हें औद्योगिक महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके लिए तटस्थीकरण दर आई० सी० पी० आई० 492 से अधिक होने पर 1.65 रुपये प्रति प्वाइंट के हिसाब से होगी।

(ख) जिन कामगारों की भर्ती 24-1-1976 को अधिग्रहण के बाद हुई थी उनको प्रारम्भ में समेकित मजदूरी पर रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पैटर्न पर निगम कर्मचारियों के वेतन को काफी अधिक बढ़ाते हुए अपनाया, नया मजदूरी वेतनमान और महंगाई भत्ता फार्मूला था।

(ग) मजदूरी में समय-समय पर संशोधन किये गये हैं और इसलिए अब से बीस वर्ष आगे की भावी संमूति का अनुमान लगाना कठिन होगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाओं में असम के स्थानीय लोगों की भर्ती

5699. श्री पराग चालिहा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में तेल उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् शिवसागर, जोरहाट और डिब्रूगढ़ के लोगों में व्याप्त इस असंतोष की जानकारी है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में लिपिकीय तथा अधीनस्थ स्तर के पदों पर नियुक्ति में तथा उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति में भी स्थानीय लोगों को वंचित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों की शिकायतें दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सरकारी नीति के अनुसार 725-1480 रुपये के वेतनमान तक के सभी पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से करता है। इस नीति से किसी प्रकार का किया गया विचलन सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां रिक्तियों की उपलब्धता और ऐसे पदों की आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

आयोग ने, नियमों के अनुसार, स्थानीय व्यक्तियों को श्रेणी-4 में और श्रेणी-4 से श्रेणी-3 में और दुबारा श्रेणी-3 में से पदोन्नति दी है।

इस संबंध में वर्ष 1981-84 के लिए आंकडे निम्न प्रकार हैं :—

	श्रेणी-3	श्रेणी-4
1981	405	338
1982	432	182
1983	657	244
1984	668	240
	2162	1004

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध रूप से कार्य कर रहे उद्योग

5700. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1986 के दैनिक "सांध्य टाइम्स" में "दिल्ली में हर चौथा आदमी उद्योग में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से कार्य कर रहे उद्योगों का पता लगाया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के करोल बाग, पटेल नगर और यमुना पार क्षेत्रों में ऐसे कितने उद्योगों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, प्रत्येक गैर-कानूनी/अप्राधिकृत औद्योगिक एकक का स्थलों पर जाकर अलग-अलग सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, दिल्ली नगर निगम के फील्ड स्टाफ द्वारा की गई सामान्य जांच/निरीक्षण के दौरान तथा गैर-कानूनी तौर पर चलने वाले औद्योगिक एककों के खिलाफ शिकायतें मिलने पर ऐसे एककों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416/417 के अधीन मुकदमा चलाने की कारंवाई की गई है।

(ग) और (घ) प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर और साथ ही सामान्य निरीक्षण/जांच के दौरान भी पिछले तीन वर्षों में ऐसे 1807 औद्योगिक एककों का पता लगाया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

5701. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र दूरसंचार मण्डल में एक वर्ष में केवल 10,000 लाइनों के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है जबकि इसकी प्रतीक्षा-सूची इस समय 60,000 टेलीफोन कनेक्शनों की है;

(ख) यदि हां, तो कनेक्शनों की बकाया चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार

द्वारा क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या कल्याण जैसे स्थानों में, जहां कार्यभार अधिक है, नये टेलीफोन जिले बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (बम्बई तथा पुणे टेलीफोन जिलों को छोड़कर) में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची 31-1-1986 की स्थिति के अनुसार 58263 है और 1986-87 के दौरान वास्तविक लक्ष्य लगभग 10,000 लाइनों का विस्तार करने का है।

(ख) देश के महाराष्ट्र तथा अन्य दूरसंचार सर्किलों में भारी संख्या में मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त योजना आबंटन हमारे कार्यक्रम में मुख्य रुकावट है। दूरसंचार के लिए पर्याप्त आबंटन की व्यवस्था होने पर बढ़ती हुई मांग को उत्तरोत्तर पूरा कर दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर्याप्त सड़क परिवहन व्यवस्था के कारण "उद्योग विहीन जिलों" में कारखाने स्थापित करने के कार्य में बाधा

5702. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "उद्योग विहीन जिलों" में कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किसी औद्योगिक यूनिट से अपर्याप्त सड़क परिवहन व्यवस्था के कारण विलम्ब होने और उत्पादन सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखानों के स्थल तक पर्याप्त सड़कों की व्यवस्था करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को सँचेत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

शरीयत की कमियों के बारे में मुस्लिम महिलाओं का अभ्यावेदन

5703. श्री आनन्द सिंह
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की विवाह विच्छेद मुस्लिम महिलाओं का एक दल हाल ही में नई दिल्ली आया था और उन्होंने अपने दुखों तथा शरीयत की कमियों और मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों से भी मुस्लिम महिलाओं से व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में इस प्रकार के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र और गोवा से मुस्लिम पुरुषों और स्त्रियों (विच्छिन्न विवाह व्यक्तियों) का एक पैंतीस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार, 22 फरवरी, 1986 को प्रधान मन्त्री से मिला था। किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि मिलने के दौरान प्रधान मन्त्री को कोई ज्ञापन दिया गया था या नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस विषय पर मुस्लिम स्त्रियों से सरकार को कोई अन्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 की बाबत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की, संसद में विधेयक पर विचार करते समय, समीक्षा की जाएगी।

चमड़ा वस्तु उद्योग एककों की स्थापना के लिए विदेशों से प्रौद्योगिकी/वित्तीय सहायता

5704. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चमड़े के जूते तथा चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग में नये एककों की स्थापना और वर्तमान एककों में पर्याप्त विस्तार करने हेतु विदेशों से प्रौद्योगिकीय तथा वित्तीय सहयोग लेने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत से देश में चमड़ा वस्तु उद्योग को कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान किस देश से सहयोग प्राप्त किया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) चमड़े के जूते और चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति गुणाव-गुण के आधार पर दी जाती है जिससे उद्योग के तकनीकीय उन्नयन में सहायता मिली है और निर्यात में महत्वपूर्ण मदद मिली है।

(ग) से (ङ) 1986-87 के दौरान होने वाले सम्भावित विदेशी सहयोगों को बता पाना सम्भव नहीं है।

उद्योगों का आधुनिकीकरण और उत्पादों की किस्म सुनिश्चित करना

5705. श्री पी० एम० सईद
श्री के० वी० शंकर गौडा } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि उद्योग के आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखने हेतु एक दल गठित करने संबंधी योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित दल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) उत्पादों की किस्म सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित उद्योगों के संबंध में आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापना/पुनर्नवीकरण से क्षमता में लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 49 प्रतिशत तक की होने वाली वृद्धि को मान्यता दे दी जाएगी और उसे सरल बनाई गई एक प्रक्रिया के माध्यम से पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। उद्योग के आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक दल का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई० एस० आई० चिन्हांकन योजना के माध्यम से हर सम्भव सीमा तक उत्पादों की गुणवत्ता का सुनिश्चय किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सलेमपुर जिले में वैमानिकी काम्प्लेक्स की स्थापना

5706. श्री बलराम सिंह यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में एक वैमानिकी काम्प्लेक्स की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : सलेमपुर में एक एरोमेटिक्स काम्प्लेक्स की स्थापना करने के लिए मै० प्रदेशीय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० (पी० आई० सी०, यू० पी०) को एक आशय पत्र दिनांक 3-3-86 को जारी किया गया है।

जेंतिया पहाड़ियों में लाभदायक कोयला खनन

5708. श्री अमर राय प्रधान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैंतिया की पहाड़ियों में लाभदायक कोयला खनन का काम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ श्रमिक जो कुल्हाड़ियों के साथ पुराने तरीके के खनन कार्य कर रहे हैं उनको मेघालय के बाहर भगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कारंवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) मेघालय में, कोयला अलग-थलग छिट-पुट स्थानों पर, सतह के समीप ही मिलता है। राज्य के कुछ आदिवासी अपनी जीविका के लिए, राज्य सरकार की जानकारी में कुछ स्थानों पर कुटीर-उद्योग के रूप में कोयले का खनन कार्य करते हैं। राज्य सरकार इस बात के लिए कदम उठा रही है कि ऐसा खनन-कार्य उसके स्वामित्व के अधीन खनन-निगम के जरिए किया जाए। अभी तक कोल इंडिया लि० ने मेघालय में कोई खनन-पट्टा नहीं लिया है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग

5709. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायोगैस, पवन चक्की आदि जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अधिक प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या विद्युत बोर्डों की तुलना में ऊर्जा की उत्पादन-लागत का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे): (क) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की युक्तियों को बढ़ाने और उन का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए उठाए गए कदमों में—तकनीकी सहायता, निर्माण/स्थापना के लिए आर्थिक तथा अन्य वित्तीय सहायता, प्रदर्शन कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना ग्रामवासियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन गोष्ठी, विचारगोष्ठी, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से जन साधारण में जागृति लाना। स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से युक्तियों के प्रयोग को बढ़ाना आदि सम्मिलित हैं। अनुसंधान एवं विकास के द्वारा इन युक्तियों के वर्तमान कार्यक्रमों को अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने और लागत कम करने तथा कार्यकुशलता को बढ़ाने के प्रयत्न जारी हैं।

(ख) लागत का मूल्यांकन प्रगति पर है; आसार ऐसे हैं कि पवन ऊर्जा प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली, बायोगैस आदि जैसे वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की लागत, कुछ प्रयोगों के लिए एवं कुछ विशेष दशाओं में पारम्परिक ऊर्जा लागत की तुलना में प्रभावी साबित हुई है।

कोयला खनन की प्रक्रिया में सुधार

5710. **श्री चित्त महाता** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कार्य दल ने कोयला खनन की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने उक्त सिफारिशें आगे कार्यवाही के लिए कोयला विभाग में भेज दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) इस्पात विभाग द्वारा गठित कारंवाई ग्रुप ने अन्य सुझावों के साथ-साथ, खनन के दौरान कोककर कोयले में मिलावट कम करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। यह उपाय हैं— कंकड़-पत्थर निकालने के लिये भूमिगत खानों में आदमी लगाकर लदान-कार्य करना और पुराने कार्य-स्थलों में चल रही भूमिगत खानों और ओपेनकास्ट खानों में चुनींदा यंत्रीकरण। यह सिफारिशें कोल इंडिया लि० की जानकारी में ला दी गई हैं।

हिन्दुस्तान फोटो/फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कोरी फिल्म का आयात और निर्माण

5711. **श्री टी० बाल गौड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान कोरी फिल्म की आवश्यकता कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार, वर्ष वार कितनी संख्या में ऐसी फिल्मों का आयात किया गया;

(ग) उद्योग मंडल (तमिलनाडु) में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में कुल कितना निर्माण हुआ; और

(घ) उसके निर्माण का कितना भाग सरकार की आवश्यकता के लिये उपयोग किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चालू वर्ष के दौरान कोरी (रॉ) फिल्म की आवश्यकता निम्न प्रकार है :—

सिने फिल्म (बी० एण्ड डब्ल्यू)	:	16.00 लाख वर्ग मी०
सिने साउण्ड	:	5.00 लाख वर्ग मी०
सिने कलर पोजिटिव	:	52.00 लाख वर्ग मी०

(ख) वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान रोल, सैनिस्टाइज्ड, अप्रदर्शित (अनएक्स-पोज्ड) छिद्रित या अछिद्रित फिल्मों का देशवार आयातों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (इस सम्बन्ध में आंकड़े केवल मार्च, 1983 तक ही उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का कुल उत्पादन 123.25 लाख वर्ग मीटर है जिसका मूल्य 11242.97 लाख रु० है।

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान कम्पनी का कुल उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत का उपयोग सरकार की आवश्यकता के लिए किया गया है।

विवरण

19:0-31 से 1982-83 के द्वौरान रोल्ड, सेंसिटाइज्ड, अनएक्सपोज्ड पर्फोरेटेड अथवा नहीं में फिल्मों के क्षेत्रवार आयात को दर्शाने वाला विवरण

हजार मीटरों में मात्रा
मूल्य लाख रु० में

क्रम सं०	वस्तुओं/देश का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्में ब्लेक एण्ड व्हाइट अनएक्सपोस्ड						
	बेल्जियम	808	48.28	314	50.42	129	15.09
	जर्मनी डी०आर०पी०	1405	55.53	4142	141.50	2314	173.25
	जर्मनी एफ०आर०पी०	782	23.78	5201	188.65	1828	140.52

1	2	3	4	5	6	7	8
	जापान	959	18.02	720	14.77	542	19.36
	स्पेन	15	0.50	28	1.80	25	2.50
	यू०के०	404	49.75	81	4.50	49	1.41
	यू०एस०ए०	642	14.78	448	50.62	497	27.96
	संयुक्त अरब अमीरात	नाम मात्र	0.03	110	2.21	1779	71.85
	हॉंगकॉंग	5	0.68	81	1.74	31	7.36
	अन्य	4	0.19	29	1.66	39	3.28
	योग :	5024	211.54	11154	457.87	7233	462.58
2.	सिनेमाटोग्राफिक फिल्में कलर अनएक्सपोस्ड						
	बेल्जियम	2419	392.52	2376	536.15	1750	275.60
	जर्मनी डी०आर०पी०	1522	115.50	2504	246.53	865	65.91
	जर्मनी एफ०आर०पी०	1752	83.52	122811	134.02	454	53.64

1	2	3	4	5	6	7	8
	जापान	19228	499.17	17613	371.10	11224	279.08
	संयुक्त अरब अमीरात	199	20.44	4342	195.62	3708	230.99
	यू०के०	63	2.44	11	0.90	58	3.82
	यू०एस०ए०	10072	469.00	2873	168.20	968	54.77
	सिंगापुर	99	3.14	202	4.28	66	8.33
	स्पेन	—	—	60	1.10	4	0.53
	इटली	—	—	40	1.26	नाम मात्र	0.03
	अन्य	3	0.44	19	4.54	117	5.91
	योग :	35357	1586.17	152851	1663.70	19214	978.61
3.	सिनेमाटोग्राफिक के अलावा फिल्में	*एन०एस०पी० में मात्रा		एन०एस०पी० में मात्रा		*एन०एस०पी० में मात्रा	
	आस्ट्रेलिया	254	6.12	2	0.29	नाम मात्र	नाम मात्र
	बेल्जियम	152	21.60	66	10.34	303	31.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	जर्मनी डी०आर०पी०	303	19.15	1666	127.40	7257	139.87
	जर्मनी एफ०आर०पी०	285	13.06	232	48.00	1035	80.54
	हंगरी	155	13.24	73	10.48	—	—
	जापान	440	33.61	1944	113.13	1223	123.47
	यू०के०	31	3.71	210	20.89	125	10.06
	यू०एस०ए०	140	22.70	84	12.35	85	10.42
	सिंगापुर	13	1.16	41	2.73	17	2.82
	हांगकांग	32	1.85	175	7.41	207	9.84
	अन्य	39	4.77	502	57.95	336	46.55
	योग :	1844	140.37	4995	410.97	10588	454.57

*स्थूलों में मात्रा

औषध कम्पनियों को हुआ अनैच्छिक लाभ

5712. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध कम्पनियों ने भारी अनैच्छिक लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा समकरण निधि लेखे के अन्तर्गत शीघ्र वसूली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) औषध कम्पनियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 तक अर्जित किये गये अनैच्छिक लाभ की कुल राशि कब तक वसूल की जायेगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औषध कम्पनियों द्वारा फार्मूलेशनों में अनुमेय मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बल्क औषधों की अधिप्राप्ति की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 17 के अधीन स्थापित किये गये औषध मूल्य समीकरण लेखा में बकाया धनराशि एकत्र करने की दृष्टि से सम्बन्धित निर्माताओं को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(ग) धनराशि की वसूली की प्रक्रिया कानूनी पद्धति के अनुसार जारी है।

पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन और उसकी लाइसेंसशुदा क्षमता

5713. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान पोर्टलैंड सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन की कुल लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है;

(ग) कितने नये यूनिट अन्तिम चरणों में हैं किन्तु उनमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) वर्ष 1985-86 के दौरान पोर्टलैंड सीमेंट का कुल उत्पादन 327.00 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) सीमेंट की कुल लाइसेंसीकृत क्षमता लगभग 586.00 लाख मी० टन है जिसमें से 445.00 लाख मी० टन क्षमता अधिष्ठापित की गई है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के बड़े संयंत्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार है ।

क्र०सं०	नाम	स्थापनास्थल	क्षमता (लाख मी० टन)
1.	बिरला सीमेंट वर्क्स	चित्तौड़गढ़, राजस्थान	5.00 (विस्तार)
2.	सी०सी०आई०लि०	तुंदूर, आ० प्रदेश	10.00
3.	ग्वालियर रेयन	जावदरोड, म०प्र०	5.00 (प्रावस्था-2)
4.	माणिकगढ़ सीमेंट	राजुरा, महाराष्ट्र	10.00
5.	गुजरात अंबुजा सीमेंट	कोदीनार, गुजरात	7.00
6.	प्रियदर्शिनी सीमेंट	कोदद, आ०प्र०	4.00
7.	रासी सीमेंट	वाधापल्ली, आ०प्र०	8.00 (विस्तार)
8.	मोदी सीमेंट	भाटापारा, आ०प्र०	9.00
9.	जेपी रेवा सीमेंट	हजूर म०प्र०	10.00

पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में भिन्नता

5714. डा० पी० वल्लल पेरुमान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों की नियन्त्रित कीमतें भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं जबकि चीनी भी एक नियंत्रित मूल्य वाली वस्तु है सब स्थानों पर एक समान कीमत पर बेची जा रही है;

(ख) क्या इस दिशा में सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान कीमत प्रणाली के अनुसार सभी प्राथमिक मूल्य निर्धारण बिंदुओं पर पूरे देश में उत्पादों के गोदाम से निकलने की कीमत एक होगी। कीमत निर्धारण बिन्दुओं के बाद इन उत्पादों की बिक्री कीमत में वास्तविक भाड़ा, स्थानीय शुल्कों आदि को बिक्री कीमत में जोड़ा जाता है, ये प्रत्येक स्थान और राज्य में अलग-अलग होते हैं। चीनी के साथ इसकी अनुरूपता उचित नहीं है क्योंकि चीनी आंशिक रूप से नियन्त्रित वस्तु है तथा इसे केवल लोक वितरण प्रणाली द्वारा ही वितरित किया जाता है।

रामगुंडम स्थित बिजलीघर को नुकसान

5715. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या रामगुंडम स्थित बिजली घर को उक्त नुकसान केवल इसलिये हुआ है कि उसने सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये कोयले का ठीक वजन किये जाने पर जोर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठापित भार मापक इलेक्ट्रानिक बेल्ट द्वारा रिकार्ड किए गये कोयले के भार में कुछ विसंगतियां ध्यान में आई थी, जिनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कम्पनी द्वारा बनाए गए बिलों में कटौतियां कर दी थी। रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई बन्द कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत केन्द्र को बन्द करना पड़ा और 42.29 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

सरकार ने तत्काल कोयले की सप्लाई बहाल करने का निर्देश इन अनुदेशों के साथ दिया कि ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बन्द न की जाए। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि आवश्यक समायोजन के लिए विसंगतियों का पता लगाने के लिए मैसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बेल्ट भार मापक के भार और यांत्रिक भार मापक के भार की क्रॉस जांच करेंगे।

[हिन्दी]

मेघ नगर और दोहद के बीच अन्तर्राज्यीय लाइन

5716. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की सहमति से मेघ नगर और दोहद के बीच 132 किलोवाट की एक अन्तर्राज्यीय लाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) इस योजना के "केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना" के रूप में कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम केन्द्र, द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे इस स्कीम को अपनी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत शुरू करें।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कार्यशाला की स्थापना

5717. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कोई कारखाना एवं सेवा केन्द्र है;

(ख) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायलरों, टरबाइनों, सहायक उपकरणों, ट्रांसफार्मरों, मोटरों आदि की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यशाला का होना युक्तिसंगत नहीं है;

(ग) क्या जुलाई, 1984 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक कार्यशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बिजलीघरों के केन्द्रीयकरण तथा जनित्रण सेटों के समयानुसार विश्लेषण के आधार पर बी० एच० ई० एल० ने वाराणसी में भारी उपकरण मरम्मत संयंत्र की स्थापना की है जोकि पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का भी कार्य करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) बी० एच० ई० एल० का वाराणसी में स्थापित भारी उपकरण मरम्मत संयंत्र पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खनन उपकरणों का आयात

5719. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास तट दूर खनन कार्यक्रम के लिए स्वदेशी उपकरण पूरे हैं अथवा वह आंशिक रूप से आयातित उपकरणों पर निर्भर है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विशिष्टियों के अनुसार देश में स्वदेशी पम्प उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपकरणों का आयात जारी रखने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कुछ उपकरण जो देश में उपलब्ध नहीं थे उनको ओ० एन० जी० सी० ने अपने अपतटीय कार्य चालन के लिए आयात किया है।

(ख) तटीय ड्रिलिंग रिगों के लिए मड पंप देश में उपलब्ध हैं।

(ग) पूरे ड्रिलिंग रिग के आयात के साथ-साथ निर्माता के पैकेज के एक भाग के रूप में पंप भी सप्लाई किए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात को मिट्टी के तेल की पूर्ति

5720. श्री नरसिंह मकवाना : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को सप्लाई किये जा रहे मिट्टी के तेल का मासिक कोटा कितना है और इस समय उसे कितने मिट्टी के तेल की आवश्यकता है;

(ख) राज्यों को मिट्टी के तेल की पूर्ति करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और क्या गुजरात को इन मानदण्डों के अनुसार उसका मिट्टी के तेल का कोटा मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में 5% की वृद्धि देकर चार महीने के ब्लाक के आधार पर किया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त विशिष्ट परिस्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, बवण्डर में, एल० पी० जी०/साफ्ट कोक आदि के अभाव में तदर्थ सप्लाई भी की जाती है। तथापि, गुजरात को शीत ऋतु के ब्लाक जिसमें नवम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 के महीने शामिल हैं, और ग्रीष्म ऋतु के ब्लाक जिसमें मार्च-जून 1986 शामिल है, के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन क्रमश: 7-1/2 और 7% की दर से वृद्धि देकर किया गया है।

गुजरात राज्य को उपर्युक्त ब्लाक के लिए मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन और सप्लाई निम्न प्रकार की गई है :—

(आंकड़े मी० टनों में)

मास	आबंटन	सप्लाईज	
नवम्बर, 1985	53,330	53,603	(अनन्तिम)
दिसम्बर, 1985	53,330	53,431	,,
जनवरी, 1986	53,330	53,286	,,
फरवरी, 1986	53,330	52,450	,,
मार्च, 1986	48,260	—	
अप्रैल, 1986	48,260	—	
मई, 1986	48,260	—	
जून, 1986	48,260	—	

उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से यह पता चलेगा कि सप्लाई आबंटन के अनुरूप है।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से रिगों की खरीद

5721. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से तेल रिग खरीदने के लिए करार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने रिग खरीदने का मूल रूप से करार किया गया था;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब भारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड से रिग न खरीदने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) ओ० एन० जी० सी० समय-समय पर बी० एच० ई० एल० से रिग खरीदती रही है। 1977 से ओ० एन० जी० सी० ने बी० एच० ई० एल० को 35 रिगों के लिए आर्डर दिए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीश नियुक्त करना

5722. श्री हुसैन दलवाई
प्रो० नारायण चंद पराशर } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1986 को उच्चतम न्यायालय में और देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे और प्रत्येक मामले में वे कितनी अवधि से रिक्त हैं;

(ख) रिक्त पदों को भरने में विलंब होने के क्या कारण हैं और उनके किस तारीख तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बी अवधि से लंबित मामलों को निपटाने के लिए इन न्यायालयों में कुछ और न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1-3-1986 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त थे। 17-8-1985, 1-10-1985 और 20-12-1985 को रिक्त हुए इन पदों को अब भर लिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय में केवल एक पद रिक्त है जो 9-3-1986 को रिक्त हुआ था।

1-3-1986 को जो स्थिति थी उसके अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के

63 पद रिक्त थे। वे तारीखें जिनको ये पद रिक्त हुए थे, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के मामले पर सरकार संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श कर रही है। परामर्श की प्रक्रिया में समय लगता है और सरकार इन रिक्त पदों को यथासंभव शीघ्र भरने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे।

(ग) जी हां। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का उपबंध करने के लिए एक विधेयक संसद में विचाराधीन है। उच्च न्यायालयों में भी और न्यायाधीश नियुक्त करने के विनिश्चय कर लिए गए हैं।

विवरण

1-3-86 को स्थिति

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त पद		वह तारीख जिससे स्तंभ 3 और 4 में दर्शित पद रिक्त हुए हैं
		स्थाई	अपर	
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	7	6	15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				7-2-1985
				29-6-1985
				1-7-1985
				1-7-1985
				7-7-1985
				1‾-7-1985
				5-10-1985
				9-12-1985

1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	2	26-11-1982
				29-11-1982
				1-7-1983
				8-4-1983
				5-7-1984
				10-10-1984
				8-4-1985
				19-8-1985
3.	मुम्बई	2	1	18-3-1985
				3-11-1985
				फरवरी, 1986
4.	कलकत्ता	2	—	21-1-1986
				1-2-1986
5.	दिल्ली	2	2	12-3-1985
				17-10-1985
				29-10-1985
				22-12-1985
6.	गुवाहाटी	—	1	21-11-1984
7.	गुजरात	1	3	7-6-1984
				26-6-1984
				2-4-1985
				19-12-1985
8.	जम्मू-कश्मीर	1	—	10-9-1984
9.	कर्नाटक	3	—	14-11-1984
				24-11-1985
				18-12-1985

1	2	3	4	5
10.	केरल	—	—	—
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	4	1	2-11-1982
				15-6-1985
				4-11-1985
				29-10-1985
				20-1-1986
13.	मद्रास	4	—	15-9-1983
				22-10-1983
				25-1-1984
				1-6-1985
14.	उड़ीसा	3		16-7-1984
				21-1-1986
				25-2-1986
				1-2-1986
15.	पटना	3		9-9-1984
				28-11-1984
				12-1-1985
16.	पंजाब और हरियाणा	6	—	29-11-1983
				16-1-1984
				26-3-1984
				14-5-1984
				1-8-1983
				24-5-1985

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	1	—	1-10-1985
18.	सिक्किम	1	—	21-1-1986
		46	17	
	कुल योग	63		

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आर्थिक पुनर्गठन करने की योजना

5723. श्री के० राम मूर्ति
श्री मुरली धर माने
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाटे में चल रहे इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अक्तूबर 1985 में प्रस्तुत आर्थिक पुनर्गठन की योजना का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया था;

(ख) उक्त योजना किन आधारों पर नामंजूर की गई थी;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने पुनर्वास और कार्यकरण में सुधार करने के लिए ठोस प्रस्तावों के साथ आर्थिक पुनर्गठन की कोई नयी योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पैट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) और (ख) चूंकि आई० डी० पी० एल० द्वारा प्रस्तुत की गई योजना में सभी सम्बद्ध पहलू शामिल नहीं हैं अत: कम्पनी से एक अधिक व्यापक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देना

5724. श्रीमती शीला दीक्षित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश के लिए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो हमारे फालतू खाद्य उत्पादन का उपयोग करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने तथा इस प्रकार किसानों की सहायता करने के सम्बन्ध में सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) कुछ वांछित उद्योगों में निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से उद्योगों के 25 विशद वर्गों को कुछ शर्तों के अधीन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस लेने से छूट दी गई थी। इनमें "डिब्बाबंद फल, वनस्पति उत्पाद, प्रोटीनीकृत और परिशोधित खाद्य, वनस्पति पर आधारित दूध छुड़ाने वाले (वीनिंग) शिशु आहार, समुद्री उत्पाद और पशुओं का चारा" और "वनस्पति तेल" अर्थात्

(I) बिनौलों को छोड़कर लघु बीजों से तेल/खली का विलायक निस्सारण (सोलवेंट एक्सट्रैक्शन),

(II) चावल की भूसी का तेल शामिल है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेल्जियम के साथ तकनीकी सहयोग

5725. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम से हाल में आये ऊर्जा दल (एनर्जीमिशन) के साथ दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम : (क) और (ख) बेल्जियम दल (मिशन) के दौरे के दौरान प्रौद्योगिकीय सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सामान्य विचार-विमर्श हुआ था। विद्युत क्षेत्र में भारत-बेल्जियम सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया गया था। कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है।

सीमेंट की मांग, आवंटन और राज्यों को उसका वितरण

5726. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान सीमेंट की राज्य वार मांग क्या थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य वार कितना आबंटन किया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में सीमेंट का वास्तव में कितना वितरण किया गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों की मांगें नियमित आधार पर प्राप्त नहीं होती हैं और न ही राज्य सरकारें अपनी मांगों को नियमित आधार पर दर्शाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सीमेंट का राज्यवार आवंटन कुछ नियमों के अनुसार तथा लेवी सीमेंट की पूर्ण रूप से उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1985 के लिए लेवी सीमेंट का राज्यवार आवंटन और प्रेषण

(सं० 000 मी० टनों में)

क्र० सं०	क्षेत्र/राज्य	1985 आवंटन (सिंचाई तथा विद्युत सहित)	1985 प्रेषण (सिंचाई तथा विद्युत)
1	2	3	4
	उत्तर		
1.	चण्डीगढ़	77	45
2.	दिल्ली	313	248
3.	हरियाणा	408	289
4.	हिमाचल प्रदेश	197	115
5.	जम्मू और कश्मीर	387	292

1	2	3	4
6.	पंजाब	837	3 7
7.	राजस्थान	507	338
8.	उत्तर प्रदेश	2192	1150
	पूर्व		
9.	अरूणाचल प्रदेश	58	33
10.	असम	308	114
11.	बिहार	1013	523
12.	मणिपुर	74	49
13.	मेघालय	91	56
14.	मिजोरम	33	17
15.	नागालैण्ड	81	60
16.	उड़ीसा	497	299
17.	सिक्किम	63	39
18.	त्रिपुरा	68	36
19.	पश्चिम बंगाल	946	524
	पश्चिम		
20.	दादर और नगर हवेली	20	11
21.	गोवा दमन और द्वीव	112	53
22.	गुजरात	934	872
23.	मध्य प्रदेश	1223	940
24.	महाराष्ट्र	1598	1343
	दक्षिण		
25.	अण्डमान निकोबार	23	10

1	2	3	4
26.	आन्ध्र प्रदेश	1005	906
27.	कर्नाटक	830	650
28.	केरल	439	317
29.	लक्षद्वीप	5	5
30.	पाण्डिचेरी	29	20
31.	तमिलनाडु	968	696
	योग :	15336	10477

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की प्रतिदिन मांग और सप्लाई

5727. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कितने वितरक हैं;

(ख) घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिये खाना पकाने की गैस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) दिल्ली में खाना पकाने की गैस की प्रतिदिन कितनी मांग है और कितने सिलेंडर सप्लाई किये जाते हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय दिल्ली में 136 एल० पी० जी० के डिस्ट्रीब्यूटर हैं।

(ख) घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

घरेलू	व्यापारिक
7,58,483	1877

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगभग 25800 एल० पी० जी० सिलिंडरों की प्रतिदिन की औसत मांग है जिसे आमतौर पर पूर्णतया पूरा किया जा रहा है।

असम में तेल का जलाया जाना

5728. **श्री सुदर्शन दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में तेल क्षेत्रों और तेलशोधक कारखानों में प्रतिदिन भारी मात्रा में गैस जलाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गैस का उपभोगी प्रयोजनों के लिये प्रभाग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1984-85 में असम में 5.60 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन (एम० एम० सी० एम० डी०) उत्पादित प्राकृतिक गैस में से लगभग 2.94 एम० एम० सी० एम० डी० को जलाया गया।

(ख) पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, वचनबद्ध गैस की मात्रा को उठाने में उपभोक्ता द्वारा डाऊन स्ट्रीम असफल होना, गैस क्षेत्रों का दूर-दूर तक फैला होना, कुछ गैस क्षेत्रों में कम दबाव से गैस आने आदि के कारण असम में गैस को जलाया जाता है। गैस प्रज्वलन को कम करने के उद्देश्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड से नए उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए कहा गया है। नामरूप में एच० एफ० सी० एल० उर्वरक संयंत्र के फेज-III के लिए गैस की सप्लाई आरम्भ कर दी गई है तथा गैस पर आधारित 280 मेगावाट की बिजली परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कैथलगुड़ी में स्थापित की जा रही है। ऑयल इण्डिया लि० ऊर्जा संरक्षण तथा भविष्य में प्रयोग के लिए अपर्याप्त गैस की मांग वाले कुछ क्षेत्रों में पैदा की जा रही सम्बद्ध गैस के रिइजेंक्शन के लिए कार्यवाही कर रहा है। फालतू गैस की पुलिग तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए इसके उपयोग की सम्भावना की इस समय जांच की जा रही है। इन प्रयासों से आशा है कि आने वाले वर्षों में गैस प्रज्वलन में काफी कमी होगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में जनता द्वारा इक्विटी शेयर खरीदना

5729. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मारुति उद्योग लिमिटेड और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में इक्विटी शेयर खरीदने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड से सरकार को ऐसा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) कम्पनी के वर्तमान पूंजीगत ढांचे के अनुसार, जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड 5 वर्ष में 40% तक बढ़ाने के विकल्प सहित मारुति उद्योग लिमिटेड की इक्विटी का 26% धारण करती है। शेष इक्विटी भारत सरकार के पास है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने पूंजीगत ढांचे में निम्न रूप से परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है :—

भारत सरकार	—	35%
सुजुकी मोटर कम्पनी	—	35%
पब्लिक/वित्तीय संस्थायें	—	30%

जो निवेश हेतु निधियों को जुटाने के लिये तथा प्रतियोगी बाजार में प्रबन्ध में नम्यता प्राप्त करने के लिये हैं।

कृष्णा गोदावरी बेसिन (आंध्र प्रदेश) में ताती पक्का में तेल के लिये खुदाई

5730. श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन (आंध्र प्रदेश) में ताती पक्का कुएं में तेल के लिये खुदाई कार्य में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ड्रिलिंग के दौरान 1,40,950 एम^3 प्रतिदिन की दर से गैस निकली। इस कुएं की अभी उत्पादन जांच चल रही है।

सिक्किम में रंगित पन बिजली परियोजना

5731. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सिक्किम में रंगित पन बिजली परियोजना के निर्माण कार्य के लिये 1985-86 वित्तीय वर्ष में 2.5 करोड़ रुपये आबंटित किये थे;

(ख) इस आबंटित धनराशि में से आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस परियोजना में इस समय कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और ये

कहां पर कार्य कर रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) रंजीत जल-विद्युत परियोजना पर कोई खर्चा नहीं किया गया है क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) रंजीत जल विद्युत परियोजना के लिए निर्माण-पूर्व कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए सिलिगुड़ी में चूखा पारेषण यूनिट कार्यालय में एक अधिकारी तथा सहायक स्टाफ, जिसमें एक आशुलिपिक ग्रेड-दो, एक कार्यालय परिचर और एक ड्राइवर तैनात कर दिए गए हैं।

पूर्व यूरोपीय देशों से टर्बो जेनेरेटर का आयात

5732. श्री एच० एम० पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूर्व युरोपीय देशों से 67.5 मेगावाट टर्बो जेनरेटर के आयात के कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों और उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुमति मांगी थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैसर्ज रेणुसागर विद्युत कंम्पनी लिमिटेड ने 67.5 मेगावाट के एक अतिरिक्त सेट के लिए जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से विद्युत उपस्कर के आयात के लिए प्रस्ताव किया था।

मशीन "टूल" उद्योग का आधुनिकीकरण

5733. श्री बी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मशीन "टूल" उद्योग का आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रौद्योगिकी को किस सीमा तक उन्नत किया जायेगा;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है तथा इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) "टूल" उद्योग के आधुनिकीकरण के बाद आन्ध्र प्रदेश को कितना लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) तकनीकी विकास निधि योजना तथा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के अन्तर्गत मशीनी औजार निर्माताओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। इस कार्य के लिए प्रदेशवार कोई आवंटन राशि नहीं है। जब आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो उनपर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की मांग, पूर्ति तथा आयात

5734. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले कितने कारखाने हैं;

(ख) देश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम ने कितने सिलेण्डरों की खरीद की है; और

(घ) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में कितने सिलेण्डरों का आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1985-86 के दौरान 53 यूनिटें एल० पी० जी० सिलिंडरों का निर्माण कर रही थीं।

(ख) लगभग 160 लाख प्रति वर्ष।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल द्वारा प्राप्त सिलिंडर निम्नलिखित रूप से हैं :—

	(लाखों में)
1983-84	16.06
1984-85	23.99
1985-86	19.47 (28.2.1986 को)

(घ) दिसम्बर, 1983 में लिए गए निर्णय के प्रति 1984-85 और 1985-86 में आयातित

सिलिंडरों की संख्या क्रमश: 6.20 लाख और 77,500 थी।

पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5735. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ में कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरने की सम्भावना है; और

(ग) क्या बिहार के अन्य नगरों में उच्च न्यायालय की नई न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) 3-4-1986 को पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों को भरने की बाबत सरकार, संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से विचार कर रही है। यह बताना सम्भव नहीं है कि ये पद कब भरे जाएंगे।

(ग) पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ रांची में पहले से ही विद्यमान है। बिहार के अन्य शहरों में पटना उच्च न्यायालय की नई न्यायपीठों के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में खाना पकाने की गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का खोलना

5736. श्री राम प्यारे सुमन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद में टांडा कस्बे में पेट्रोल पम्प स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थान अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

(घ) क्या फैजाबाद के विभिन्न भागों में पेट्रोल पम्पों और खाना पकाने की गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं;

(च) उन पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है;

(छ) क्या उक्त स्थानों में से कोई स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सन 1981 में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस डीलरशिप के लिए विज्ञापन दिया गया था लेकिन उपयुक्त एम० सी० प्रत्याशी के न मिलने के कारण इसको "ओपन" श्रेणी के अन्तर्गत पुनः विज्ञापित करना पड़ा। "ओपन" श्रेणी के अन्तर्गत डीलरशिप को अन्तिम रूप दिए जाने के विरुद्ध न्यायालय के स्थगन आदेश को देखते हुए इस समय आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) अकबरपुर में एस० सी० श्रेणी के अन्तर्गत जिस रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया है उसके अतिरिक्त उन लम्बित क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं जिनके सम्बन्ध में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं :—

रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिप

लोकेशन	श्रेणी
जलालपुर	यू० जी०/यू० ई० जी०
मोरीला मिल	यू० जी०/यू० ई० जी०

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप

अयोध्या	डिफेंस
जलालपुर	अन्य
अकबरपुर	अन्य
फैजाबाद	यू० जी०/यू० ई० जी०

तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया चल रही है तथा कब तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा यह नहीं बताया जा सकता।

(छ) जी, हां।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खारसांग (अरूणाचल प्रदेश) में प्रस्तावित लघु तेल शोधक कारखाना

5737. श्री वांगफा लोवांग : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड का खारसांग (अरूणाचल प्रदेश) में एक लघु तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपेक्षित मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस बीच पाइप लाइन बिछा कर कच्चा तेल डिगबोई स्थित असम तेल शोधक कारखाने में ले जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना की परियोजनाओं में आयल इंडिया लि० द्वारा खारसांग में लघु तेल शोधक कारखानों की स्थापना किया जाना शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला उद्योग के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी

5738. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की योजना के बारे में सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोयला उद्योग में, कामगारों की भागीदारी के साथ यूनिट स्तर पर "संयुक्त प्रबन्ध समितियां" गठित करने की एक योजना अक्तूबर, 1985

में घोषित की गई थी परन्तु योजना के कार्यान्वयन की क्रिया विधि और कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में कुछ ट्रेड यूनियनों की आपत्तियों के कारण योजना का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है ताकि एक ऐसी योजना बनाई जा सके जो सभी को स्वीकार्य हो। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आयातित विद्युत संयंत्रों के उपकरण की देखरेख

5739. श्री कमल नाथ : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आयातित विद्युत संयंत्रों के उपकरणों की देख-रेख के लिये एक अधिक लागत की परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया है;

(ख) क्या रानीपेट संयंत्र को उत्तर प्रदेश में रेणुसागर ताप विद्युत केन्द्र के लिये संयुक्त राज्य की एक कम्पनी द्वारा सप्लाई किये गये एयर हीटरों की देख-रेख का काम सौंपा गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह काम निर्धारित समय से पहले पूरा कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रेणुसागर में आयातित विद्युत संयंत्र के लिये एयर हीटरों की देख-रेख का कार्य बी० एच० ई० एल०, रानीपेट को सौंपा गया था। यह कार्य बी० एच० ई० एल० द्वारा समय से पूर्व पूरा कर लिया गया था।

[हिन्दी]

चित्तौड़गढ़ को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली और जयपुर के साथ जोड़ना

5740. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) राजस्थान में कितने शहरों को वर्ष 1986-87 के दौरान दिल्ली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ की महत्ता को देखते हुए वहां एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली तथा जयपुर के साथ कब तक जोड़ा जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान स्थित धौलपुर को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा 1986-87 के दौरान जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का जिला मुख्यालय है। यहां एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की दृष्ठि से इसे उदयपुर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज नेटवर्क के साथ जोड़ने की योजना है इसका संस्थापना कार्य चल रहा है।

(ग) चित्तौड़गढ़ को उदयपुर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिये विश्वसनीय संचार माध्यम के 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसके पश्चात ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जायेगी।

उत्पादन के साधनों तथा धन पर एकाधिकार गृहों के एकाधिकार के बारे में अध्ययन

5741. श्री कुंवर राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि क्या गत दशक में उत्पादन के साधनों तथा धन पर एकाधिकार गृहों के एकाधिकार में वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ख) यदि इसमें वृद्धि हुई है, तो संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की परिसम्पत्तियां, सरकारी कम्पनियों सहित निगमित क्षेत्र की कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में, पिछले दशक (1972-73 से 1982-83) के दौरान कम हो गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डाक एजेंसी योजना

5742. श्री गुरुदास कामत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में एक डाक एजेंसी योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से तथा महाराष्ट्र में विशेष रूप से इस योजना का विस्तार किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) महाराष्ट्र सहित देश के अनेक भागों में यह योजना पहले से ही प्रारम्भ कर दी गई है। डाक सर्किलों के अध्यक्षों से कहा गया है कि इसकी आवश्यकताओं का आकलन करें तथा तदनुसार लाइसेंस जारी करने पर विचार करें।

विवरण

लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की नियुक्ति की योजना संबंधी मुख्य बातें

विभाग ने डाक संबंधी निम्नलिखित कार्य करने के लिए कमीशन के आधार पर लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की नियुक्ति की एक योजना चालू की है :—

—डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री।

—रजिस्टर्ड पत्रों को बुक करना।

—पत्र पेटियों की निकासी।

—सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपा गया डाक संबंधी अन्य कोई कार्य।

यह योजना 16 अगस्त, 1985 से चालू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जहां कहीं भी आवश्यक होगा एक डाक काउंटर की व्यवस्था की जायेगी। जिसका संचालन लाइसेंस शुदा डाक एजेंट द्वारा किया जायेगा ऐसे लाइसेंस शुदा डाक काउंटर उन स्थानों पर खोले जा सकते हैं। जहां विभागीय मानदंडों के अनुसार या किन्हीं कारणवश डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

प्राधिकारी

अधीक्षक/प्रवर अधीक्षक डाकघर लाइसेंस शुदा डाक एजेंसी की मांग का निर्धारण करेंगे तथा उसके लिये आवेदन पत्र मंगाएंगे।

पात्रता

ऐसा लाइसेंस भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कम्पनी एकक स्वामित्व वाली फर्म, साझेदार संस्था या किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। वैसे इस समय यह योजना सामाजिक संगठनों/संस्थानों/स्वैच्छिक एजेंसियों/सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

आवास

लाइसेंस शुदा एजेंट डाक के लेन-देन के लिये उपयुक्त भवन की व्यवस्था करेगा। लाइसेंस को एक उपयुक्त डाक काउंटर और अन्य फिटिंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को डाक संबंधी लेन-देन करते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट, डाकघर की सेवा प्रदान करने के लिये एक करार के अन्तर्गत कार्य करेगा। वह उस डाकघर के पोस्टमास्टर/उप-पोस्टमास्टर के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा, जिसके साथ उसे लगाया गया है।

सुरक्षा का दायित्व

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट उन डाक वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जो कि उसे लाइसेंस शुदा डाक एजेंट की हैसियत से सौंपी गई है। उसके द्वारा लापरवाही बरतने या चोरी हो जाने या किसी अन्य कारणवश यदि कोई क्षति होती है तो एजेंट ऐसी क्षति की पूर्ति करेगा।

कार्य-समय

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट लाइसेंस शुदा डाक काउंटर पर कार्य दिवसों के दौरान सुबह 8.00 बजे से लेकर सायं 7.00 बजे के बीच किसी भी समय डाक के लेन-देन संबंधी कार्य के लिये कम से कम 3.00 घंटे का कार्य समय निर्धारित करेगा। यह कार्य समय जनता की सुविधा के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है।

भंडार

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट, अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री का समुचित भंडार रखेगा। पोस्टमास्टर/उप-पोस्टमास्टर एजेंट का भंडार पूरा रखने के लिए उसके कमीशन को घटा कर पूरा भुगतान प्राप्त होने पर उसकी मांग के अनुसार डाक सामग्री जारी करेगा।

रजिस्टर्ड वस्तुओं को बुक करना और निपटान

जब भी लाइसेंस शुदा डाक एजेंट को बुक करने के लिये कोई डाक वस्तु सौंपी जाती है तो वह इसकी पैंकिग, प्रेषक और प्रेषिती का पता सही होने की ध्यानपूर्वक जांच करेगा और यह देखेगा कि इस पर डाक शुल्क के बतौर सही राशि की डाक टिकटें लगी हैं और यदि पावती भेजी है तो उसका भी शुल्क अदा किया गया है और ऐसी पावती डाक वस्तु के साथ अच्छी तरह से लगी हुई है। इसके बाद एजेंट प्रेषक को विभाग द्वारा निर्धारित रसीद जारी करेगा। प्रेषण के निर्धारित समय में लाइसेंस धारक, रजिस्टर्ड डाक वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगा तथा इन डाक वस्तुओं को एक मुहरबंद थैले में डाकसंवाहक को देगा। ऐसी सूची की एक प्रति डाक वस्तुओं के साथ अच्छी तरह से लगाकर थैले में

डालकर दिया जायेगा।

एजेंट को एक रबर मोहर सप्लाई की जायेगी जिसमें उसकी लाइसेंस संख्या और एजेंसी का पता अंकित होगा। मोहर से पत्रों और रजिस्टर्ड पत्रों पर लगे डाक टिकटों को विरूपित किया जायेगा।

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट का स्तर

यद्यपि लाइसेंस शुदा डाक एजेंट, डाकघर की ओर से कार्य करेगा, उसे डाकघर का कर्मचारी नहीं माना जायेगा।

उपकरण

—भारतोल तथा अद्यतन दर सूची

—रजिस्टर्ड जर्नल (आर पी-1)

—रजिस्टर्ड-सूची

—विशेष रबड़ मोहर और पैड जिसमें लाइसेंस शुदा डाक एजेंट की संख्या तथा उसके कार्य स्थल का पता अंकित होगा

—थैले

—विविध मदें, जैसा सर्किल अध्यक्ष उचित समझें

कमीशन की अनुसूची

डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की 1000 रुपये तक बिक्री पर 3 प्रतिशत और इसके बाद 1.5 प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा।

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट को बुक किये गये और डाकघर को भेजे गये सभी रजिस्टर्ड पत्रों के लिए महीने में 2500 पत्रों तक 50 पैसे प्रति वस्तु तथा 2500 से आगे 25 पैसे प्रति वस्तु कमीशन अदा किया जायेगा। उसकी डाक ऐजेंसी में सामान्य डाक वस्तुओं को एकत्रित करने और पत्र पेटी की निकासी थैलों को बन्द करने तथा उन्हें लेखा कार्यालय को भेजने के लिये लाइसेंस शुदा डाक एजेंट को कोई कमीशन नहीं दिया जायेगा।

प्रतिभूति

लाइसेंस शुदा डाक एजेंट को 3000 रुपये की राशि की प्रतिभूति विभाग के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्र प्राप्त कर जमा करनी होगी।

लाइसेंस रद्द करना

सक्षम अधिकारी लाइसेंस धारक द्वारा अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए उसे कम से कम एक महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये किसी भी समय इस लाइसेंस को रद्द कर सकता है। इसी प्रकार लाइसेंस धारक की कम से कम एक महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है।

[हिन्दी]

थीन बांध तथा रोपड़ विद्युत संयंत्र का पूरा किया जाना

5743. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध तथा रोपड़ विद्युत संयंत्र को पूरा करने में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1986-87 के दौरान इस कार्य के लिए आबंटित की गई राशि वास्तव में इसके लिए आवश्यक धनराशि से आधी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे): (क) थीन बांध का निर्माण संबंधी कार्य वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। रोपड़ ताप विद्युत परियोजना चरण-दो के परियोजना प्राधिकारियों ने दो यूनिटों को चालू करने के कार्यक्रम से प्रत्येक को छः महीने पूर्व चालू करने का कार्यक्रम बनाया है। समुचित रूप से प्रबन्ध संबंधी कदम उठा कर इसको प्राप्त करने की आशा है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1986-87 के लिए निधियों के आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन सेवाएं

5744. डा॰ फूलरेणु गुहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 में बहुत बड़ी संख्या में गांवों में टेलीफोन सेवायें आरम्भ की जायेंगी।

(ख) यदि हां, तो कितने टेलीफोन लगाए जाने हैं; और

(ग) कितने गांवों में टेलीफोन लगाए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1986-87 के दौरान लगभग 1120 लम्बी दूरी सार्वजनिक टेलीफोनघर तथा 25/50 लाइनों की क्षमता के लगभग 700 छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उदारीकृत नीति में दी गई शर्तें पूरी होती हैं। तथा उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) अभी गांव निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को खाना पकाने की गैस की एजेंसी तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

5745. **श्री गंगा राम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिसम्बर, 1986 तक खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां और कितने पेट्रोल पम्प मंजूर किए गए थे;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों को दिए गए थे;

(ग) कमजोर वर्गों के लिए मंजूर की गई खाना पकाने की गैस की एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्पों में से कितने रद्द कर दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) 31.12. 985 को देश में 2599 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 13,231 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) कार्यशील थे। जिनमें से 358 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 418 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) एस०सी०/एस० टी० श्रेणी के थे।

(ग) कमजोर वर्ग के लिए पृथक आरक्षण न होने के कारण उनके बारे में किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार के पालामऊ जिले के चांदवा और बालूमठ खंडों में कोयले का अवैध खनन

5746. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के पालामऊ जिले में चांदवा और बालूमठ कोयला खानों से करोड़ों रुपये के कोयले का अवैध खनन करके उसे कहीं बाहर ले जाया जा रहा है और यदि हां, तो इस धंधे को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के पट्टाधारित क्षेत्रों में—जिनमें

चंदुवां और बालूमठ शामिल हैं—कोई संगठित गैरकानूनी कोयला खनन नहीं होता है। चंदुआ बालूमठ पुलिस-थाना का एक अंचल है। परन्तु कुछ गलत तत्वों ने बालूमठ क्षेत्र में कोयले का गैर-कानूनी खनन करने के प्रयास किये थे। ऐसे गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के सुरक्षा विभाग ने बालूमठ में एक चौकी स्थापित की है। कोयले के गैर कानूनी खनन/चोरी की सभी कोशिशें रोकने के लिए, सुरक्षा कार्मिक स्थानीय पुलिस की मदद से हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। नियमित गश्त लगाई जाती है और अचानक जांच की जाती है। इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियों की भी रिपोर्ट मिली है।

राज्य सरकार और कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि वे उन लोगों के विरुद्ध समेकित कारंवाई करें जो कोयले का गैर कानूनी खनन करते हैं। कोयला कम्पनियां, राज्य सरकार के कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ मिलकर, अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारती हैं।

[अनुवाद]

मारुति वाहनों का आवंटन

5747. **श्री पी० नामग्याल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन श्रेणियों के लोग निर्माता कोटे से मारुति वाहनों के आवंटन के हकदार हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देश के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी उपर्युक्त श्रेणी में शामिल किया गया है जैसा कि दिनांक 8 मार्च, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या मारुति वाहनों के आवंटन के लिए संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को उपर्युक्त श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मारुति वाहनों के आवंटन के लिए हकदार व्यक्तियों की सूची में संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) वाहनों के वितरण पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

विवरण

निर्माता के कोटे में से मारुति वाहनों को आवंटन को नियमित करने हेतु उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, निर्माता के कोटे में से मारुति वाहनों का आवंटन केवल निम्नलिखित श्रेणियों को ही किया जाएगा।

(1) भारत के संविधान की धारा 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाला कोई भी संगठन/संस्थान।

(2) कोई भी अस्पताल या मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संगठन या भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या वैधानिक रूप में नियमित या पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।

(3) वैयक्तिक

(क) कोई भी व्यक्ति, जो शारीरिक रूप से विकलांग है और सरकारी परिवहन का उपयोग करने में असमर्थ है, आवंटन हेतु योग्य है यदि उसके पति/पत्नी की आय या उसके अभिभावक सहित उसकी आय 60,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

(ख) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा राज्यों के राज्यपाल एवं राज्य सरकारों के कैबिनेट मंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भारत के महान्यायवादी।

(ग) लोक सभा के अध्यक्ष या, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप सभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष तथा संसद एवं राज्य विधान सभाओं में विपक्षी दलों के नेता।

(घ) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश।

(ङ) सरकारी कर्मचारी जो भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर से कम नहीं हैं।

(च) सशस्त्र सेनाओं के सेवाकालीन सदस्य जो थल सेना में ब्रिगेडियर के स्तर या नौसेना या वायुसेना में समकक्ष स्तर से कम नहीं है।

(छ) मारुति वाहनों के निर्माण में उपयोग आने वाले हिस्से-पुर्जों के निर्माता, इस श्रेणी की संख्या प्रतिवर्ष दस तक सीमित रहेगी।

(ज) मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी, प्रतिवर्ष 50 वाहन तक सीमित।

(झ) समाज या देश को प्रदान की गई उत्कृष्ट मानव सेवाओं के सम्मान में लोगों को इस श्रेणी की संख्या प्रतिवर्ष दस तक सीमित रहेगी।

(ट) मानवीय आधारों पर अनुचित कठिनाई के अलग-अलग मामले। इस श्रेणी की संख्या प्रतिवर्ष पांच वर्ष तक सीमित रहेगी।

(4) दोषपूर्ण श्रेणी अर्थात किसी यथार्थ गलती के कारण जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों को नियमित आवंटन हेतु पंजीकृत नहीं किया जा सका।

तालचेर ताप बिजली संयंत्र

5748. श्री राधाकांत डिगाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर ताप बिजली संयंत्र की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ख) संयंत्र की रुग्णता दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) तलचेर ताप विद्युत संयंत्र का कार्यनिष्पादन संतोषजनक न होने के अनेक कारण हैं जैसे कि आयातित तथा "भेल" द्वारा निर्मित यूनिटों में डिजाइन सम्बन्धी कमियां, कन्वेयर प्रणाली में कमी, राख को खाली करने की प्रणाली पर्याप्त न होना, कोयले की गुणवत्ता उससे भिन्न होना जिसके लिए बायलरों का डिजाइन तैयार किया गया है; पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारी उपलब्ध न होना आदि।

(ख) और (ग) 62.5-62.5 मेगावाट के चार आयातित विद्युत उत्पादन सेटों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है, जिसके लिए कुल लागत का लगभग 67% केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जा रहा है। नवीकरण कार्य में अधिक बड़े इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटरों की प्रतिष्ठापना, क्रास कन्ट्री कोयला कन्वेयर प्रणाली का विस्तार करने आदि की परिकल्पना की गई है। 110 मेगावाट के दो स्वदेशी विद्युत उत्पादन सेटों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कमजोर क्षेत्रों का पता लगाया गया है। सुधार कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के उपाय

5749. श्री सी० माधव रेड्डी
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादकता में सुधार लाने पर बल दिया है (दिनांक 19 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया);

(ख) क्या इस दिशा में पहले किए गए प्रयास लाभप्रद सिद्ध हुए हैं और यदि हां, तो पिछले

तीन वर्षों के दौरान उत्पादकता का स्तर क्या रहा है; और

(ग) क्या उत्पादकता संबंधी किसी अध्ययन में श्रम संगठनों का योगदान रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में पिछले तीन वर्षों में उत्पादकता नीचे दी गई है :—

(टनों में)

कोयला कम्पनियां	उत्पादकता		
	1983-84	1984-85	1985-86 (अप्रैल-दिस०)
कोल इंडिया लि०	0.81	0.87	0.82
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	0.70	0.70	0.78

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्पादकता में बढ़ने की प्रवृत्ति है।

(ग) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में कंपनी स्तर पर एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति है जिसमें प्रबन्ध मंडल एवं प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि रहते हैं। केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होती है जिसमें उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा यह तीनों कार्य-सूची की स्थायी मदें रहती हैं और इन पर नियमित रूप से विचार-विमर्श होता है।

जहां तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० का संबंध है, श्रमिक यूनियनों ने उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने के प्रबन्ध मंडल के प्रयास के प्रति अनुकूल रुख दिखाया है। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रबन्ध मंडल द्वारा बनाई गई प्रोत्साहन योजनाओं की पुनरीक्षा से भी सम्बद्ध किया गया है।

लाइसेंस-युक्त डाक एजेन्सी योजना

5750. **श्री मुरलीधर-माने :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लाइसेंस-युक्त डाक एजेंसी योजना आरम्भ की गई है;

(ख) क्या इस योजना के लिए लाइसेंस व्यक्तियों को देने पर भी विचार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार द्वारा विकलांगों, स्वतन्त्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मरने वाले सैनिकों की विधवाओं आदि जैसे लोगों की कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अधीन, सभी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी हैं। फिर भी, इस समय, इस योजना को मुख्यतः महिला सहकारिताओं, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य सामाजिक हितों की संस्थाओं/संगठनों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस योजना का मूल उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में सीमित डाक सुविधा देना है जहां इस प्रकार की सुविधा अपेक्षित है लेकिन जहां किसी कारणवश नियमित डाकघर स्थापित नहीं किये जाते हैं। इस योजना से होने वाले अन्य सामाजिक लाभ मुख्य लक्ष्य के लिए प्रासंगिक हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांगों को प्राथमिकता दी जाती है परन्तु प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित अन्य श्रेणियों को भी अपने हितों/कल्याण का प्रतिनिधित्व करने वाली सम्बद्ध एसोसिएशनों के तत्वाधान में डाक एजेंट के बतौर कार्य कर सकती हैं।

हाई डेन्सिटी पोलीथिलीन फैब्रिक्स तथा बोरा एककों का बन्द होना

5751. **श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत से हाई डेन्सिटी पोलीथिलीन फैब्रिक्स तथा बोरा एकक बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या क्या है जो समूचे देश में बन्द हुए हैं;

(ग) इन हाई डेन्सिटी पोलीथिलीन फैब्रिक्स बोरा एककों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) 1986-87 के लिये बजट की घोषणा के पश्चात विकास आयुक्त (लघु पैमाना उद्योग) के कार्यालय में इस आशय के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि एच०डी०वाई०/पी०पी० वोविन सेक्स सेक्स और वोविन सेक्स का निर्माण करने वाले लघु एकक जिन्हें बजट से पूर्व उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की छूट प्राप्त थी, अब इन उत्पादों पर शुल्क लगाने की घटना के कारण बन्द होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दिनांक 2 और 3 अप्रैल, 1986 को संसद में एककों को कुछ रियायतों की घोषणा की गई है।

पेट्रो-कैमिकल्स यूनिटें स्थापित करना

5752. श्री डी० बी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रो कैमिकल्स निगम लिमिटेड के चेयरमैन ने यह सलाह दी है कि पेट्रो कमिकल्स उद्योग में केवल किफायती आकार की यूनिटों को ही प्रोत्साहन दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो किफायती आकार निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) निगम के विचाराधीन कितनी पेट्रो कैमिकल्स यूनिटें हैं और वे कहां-कहां पर हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० की अध्यक्षता में स्थापित किए गए अध्ययन दल ने विभिन्न पेट्रो रसायन उत्पादों के उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से लक्ष्य तथा यथा संभव अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी आकार के संयंत्रों के संबंध में सिफारिशें की हैं, जिसमें माप की आर्थिकता, मानक उपस्कर मापों आदि, फीड स्टाक की उपलब्धता, संभावित मांग आदि अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है ।

(ग) अपने कुछ वर्तमान संयंत्रों के विस्तार के अतिरिक्त, आई०डी०पी०एल० ने महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलेक्स— का कार्यान्वयन आरम्भ किया है जिसमें निम्नलिखित एकक शामिल हैं :—

1. गैस क्रेकर
2. एल०डी०पी०ई० संयंत्र
3. एल०एल०डी०पी०ई०/एच०डी०पी०ई० संयंत्र
4. पोलिप्रोपिलीन संयंत्र
5. एथिलीन आक्साइड/एथिलीन ग्लाईकोल संयंत्र

[हिन्दी]

मनीआर्डरों के भुगतान में किये जाने वाले विलम्ब के बारे में शिकायतें

5753. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तथा डाक विभाग को गत तीन वर्षों के दौरान इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मनीआर्डर विलम्ब से पहुंचते हैं और यदि हां, तो इस अवधि के दौरान उन्हें तथा डाक विभाग को अलग-अलग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों की अब तक जांच कराई गई है और जांच रिपोर्ट का ब्योरा

क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन डाकघरों में मनीआर्डर उनकी डिलीवरी के लिए प्राप्त किया जाता है वहां के डाक पाल (पोस्ट मास्टर) उनका भुगतान रोककर उस धनराशि को ब्याज पर उधार दे देते हैं अथवा उसे अन्य कार्यों पर लगा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति को मनीआर्डर के भुगतान में विलम्ब होता है; और

(घ) मनीआर्डर का विलम्ब से भुगतान करने के लिए संबंधित डाक-पालों (पोस्ट मास्टरों) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। मनीआर्डरों के भुगतान में कथित विलम्ब के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1982-83	70,759
1983-84	71,448
1984-85	66,890

(ख) मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब/गैर-भुगतान की हर शिकायत के बारे में तुरन्त पूछताछ की जाती है और मनीआर्डरों के भुगतान की व्यवस्था की जाती है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की जाती है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

ऊनी खादी उद्योग को प्रोत्साहन

5754. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऊनी खादी उद्योग सफल रहे हैं;

(ख) ऊन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर तथा अन्य पिछड़े जिलों में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहां कम्बलों का निर्माण करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर के सीमावर्ती जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग संरक्षणाधीन कार्य कर रहे कारीगर बढ़िया काउन्ट के ऊनी धागे के परम्परागत कताईकार हैं। अतः इन जिलों में खादी संस्थानों द्वारा ऊनी खादी की शाल, टवीड आदि जैसी बढ़िया किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चूंकि जयपुर प्रभाग में कार्य कर रहे कारीगर कम्बलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मोटे और मध्यम काउन्ट के ऊनी धागे के परम्परागत कताईकार है अत: इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थानों ने असैनिक कम्बलों का उत्पादन किया है। रक्षा विभाग के लिए अपेक्षित सैनिक कम्बलों का उत्पादन करने के भी प्रयास किए गए थे किन्तु अपेक्षित विशिष्टियों के कम्बल बनाने का कार्य कारीगरों को कठिन लगा।

राजस्थान में वर्ष 1985-86 के दौरान 13.71 करोड़ रुपये के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वर्ष 1986-87 के लिए 15.17 करोड़ रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क) जिन राज्यों में ऊनी खादी उद्योग चलाए गए हैं, उसमें वर्ष 1984-85 के दौरान ऊनी खादी का निम्न प्रकार उत्पादन हुआ :—

क्र०सं०	राज्य का नाम	उत्पादन (लाख रु० में)
1	2	3
1.	राजस्थान	1148.38
2.	उत्तर प्रदेश	617.59
3.	पंजाब	221.61
4.	महाराष्ट्र	190.96
5.	जम्मू और कश्मीर	174.94
6.	कर्नाटक	149.90
7.	मध्य प्रदेश	132.18

1	2	3
8.	हरियाणा	131.79
9.	गुजरात	83.94
10.	बिहार	76 55
11.	आन्ध्र प्रदेश	52.31
12.	हिमाचल प्रदेश	49.59

(ख) ऊनी खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम :—

1. परम्परागत कारीगरों द्वारा बनाई गई खादी की वस्तुओं को खरीदने तथा खादी भंडारों और और भवनों के माध्यम से उनके विपणन की व्यवस्था करना।

2. लोई, धबली, हरिद्वारा कम्बलों, थरमस, पंकी और चाकी कम्बली आदि जैसी परम्परागत किस्म की ऊनी खादी की वस्तुओं के विकास और विस्तार को बढ़ावा देना।

3. ऊन की पर्याप्त मात्रा का भंडार रखना और उत्पादक संस्थानों को उसकी पूर्ति करना।

4. कताई और बुनाई में संस्थानों के कामगारों और कारीगरों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना।

5. धुनाई संयंत्रों की स्थापना करके धुनाई की सुविधाएं प्रदान करना।

6. उन विभिन्न स्थानों पर जहां ऊनी खादी का काफी मात्रा में उत्पादन फिनीशिंग संयंत्र स्थापित करके फिनीशिंग की सुविधाएं प्रदान करना।

7. ऊनी खादी की खुदरा बिक्री और उसकी एकमुश्त सप्लाई पर छूट संबंधी सुविधा प्रदान करना।

8. ऊनी खादी की गुणवत्ता और उत्पादकता तथा कारीगरों की आय में सुधार करने के लिए 4 तकुओं और 6 तकुओं वाले ऊनी चरखों, फ्रेम फ्लाई शटल करघों और तानन (वार्पिंग) मशीनों और होजरी मशीनों जैसे नए उपकरण लागू करना।

9. उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में विविधता लाना।

[अनुवाद]

एल० पी० जी० के सरल तथा कुशलतापूर्वक वितरण के बारे में अध्ययन

5755. श्री दौलत सिंहजी जदेजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाना पकाने की गैस के अधिक सरल तथा कुशलतापूर्वक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन कर रही है;

(ख) क्या बड़ी तथा अधिक जनसंख्या वाली कालोनियों में सीधे पाइप द्वारा गैस देना संभव नहीं है;

(ग) क्या डीलर से, फोन पर सम्पर्क करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए डाक द्वारा गैस के सिलेण्डरों के आर्डर बुक करना संभव है; और

(घ) गैस के वितरण को अधिक आसान बनाने के लिए नकद भुगतान करके ले जाने की वर्तमान प्रणाली को बदलने सहित और नये परिवर्तन लाने वाले अन्य कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (घ) तेल विपणन कम्पनियां खाना पकाने की गैस का सरलता तथा अधिक कुशलता से वितरण करने का प्रयत्न करती है। भुगतान करो और ले जाओ की प्रायोगिक योजना सहित वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई परिकल्पना नहीं है।

(ख) उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० की सप्लाई पाइपलाइनों द्वारा करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) तेल विपणन कम्पनियों को हाल ही में यह परामर्श दिया गया है कि वे एल०पी०जी० उपभोक्ताओं को इस प्रकार की सुविधाएं दें।

उड़ीसा में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

5756. श्री अनादि चरण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देने के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की जा रही है; और

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी उक्त ऋण पाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान उनमें से कितने कर्मचारियों को ऋण दिये गये तथा उड़ीसा में दूरसंचार कर्मचारियों के लिए

चालू वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल को भवन निर्माण अग्रिम के रूप में 84-85 में 8.59 लाख रु० तथा 85-86 में 6.34 लाख रु० दिए गए थे।

(ख) प्रतीक्षा सूची में 24 आवेदक 84-85 में तथा 17 आवेदक 85-86 में थे। 1985-86 में 9 आवेदकों को ऋण दिया गया। शेष आवेदक ऋण की मंजूरी की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं। दूरसंचार विभाग के लिए चालू वर्ष 86-87 की निधि को अभी शहरी विभाग/मन्त्रालय द्वारा आबंटित किया जाना है।

भारत और अन्य देशों के बीच प्रशुल्क में कमी

5757. श्री सोमनाथ रथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत तथा अन्य देशों के बीच दूर संचार प्रशुल्क में कमी करने और दूरदर्शन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान पर उपग्रह प्रशुल्क में भी कमी करने हेतु कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी देश के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। भारत तथा अन्य देशों के बीच दूरसंचार के प्रशुल्क में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है। हां, एक स्वीकृत समग्र संविदा के अधीन दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए 20 मिनट के 4500/- रुपये की रियायती दर की व्यवस्था जरूर है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करना

5758. श्री आर० एल० भाटिया : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे अनेक व्यक्ति पिछले कई वर्षों से "वर्कमैन" के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितने समय से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उन्हें नियमित सेवा में न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में पिछले 4 से 9 वर्षों से 70 आदमी (सत्तर) मजदूर के बतौर कार्य कर रहे हैं।

(ग) इस प्रकार से दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को जिस काडर में नियमित रूप से लगाया जा सकता है उस काडर में केवल 37 पद हैं। इस समय सभी पद भरे हुए हैं।

(घ) दिहाड़ी पर कार्य कर रहे इन मजदूरों को नियमित मजदूरों के काडर में पद उपलब्ध होने पर नियमित कर दिया जाएगा।

गुजरात और तमिलनाडु में पवन शक्ति का दोहन

5759. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और तमिलनाडु दो राज्य पवन ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और उनके उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को अपनाने हेतु दूसरे राज्यों को प्रोत्साहन देने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रायोजित तीन पवन फार्म गुजरात के मांडवी (1 मेगावाट) तथा ओखा (550 किलोवाट) और तमिलनाडु के तूतीकोरिन (550 किलोवाट) में पहले ही परिचालन में हैं। ये परियोजनाएं सम्बन्धित राज्य ग्रिडों को विद्युत प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा दो राज्यों में कुछ अन्य पवन विद्युत जनित्र और पवन बैटरी चार्जर भी शुरू किए जा चुके हैं।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग महाराष्ट्र में देवगढ़ तथा उड़ीसा में पुरी में 550 किलोवाट प्रत्येक की क्षमता के दो पवन फार्मों की पहले ही स्थापना कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में केन्द्र सरकार कुछ पवन बैटरी चार्जरों की भी स्थापना कर चुकी है, तथा विभिन्न राज्यों में पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की योजना पुन: बना रही है, जहां अच्छी पवन प्रवृत्ति उपलब्ध हैं। फिर भी, देश के विभिन्न भागों में परियोजनाओं की संख्या और क्षमता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

केरल में सुगन्धित अर्क निकालने की परियोजना स्थापित करना

5760. श्री के० कुंजम्बु
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सुगन्धित अर्क निकालने की परियोजना स्थापित करने को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजी निवेश संबंधी निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1987 तक संयंत्र का मैकेनिकल रूप से पूर्ण होना निर्धारित किया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी स्थित मुद्रण मशीनरी यूनिट में विविधता लाना

5761. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कलमस्सेरी स्थित मुद्रण मशीनरी यूनिट में विविधता लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसमें सी० एन० सी० मशीनें लगाई जाने वाली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ग) लेटर प्रेसों के वर्तमान दो आकारों में प्रत्येक में एक आकार की एक रंग वाली तथा दो रंग वाली शीट फैड आफसेट मुद्रण मशीनों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) कलमस्सेरी एकक के मशीनी औजार प्रभाग में सी० एन० सी० मशीनों का पहले से ही निर्माण किया जा रहा है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ओवरसीज सप्लाई वैसल्स का निजी करण

5762. **प्रो० रामाकृष्ण मोरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने लगभग 150 करोड़ रुपये मूल्य के अपने ओवरसीज सप्लाई वैसल्स के पूरे बेड़े का निजीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने ओवरसीज सप्लाई वैसल्स खरीदने का निर्णय कब और किन परिस्थितियों में लिया था, जो तेल की खोज और तेल उत्पादन के इसके मुख्य कार्य से भिन्न कार्य है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस समय कितने पोतों का मालिक है तथा अभी और कितने पोत इसे मिलने हैं और ये कितने मूल्य के हैं; और

(घ) उक्त पोतों के निजीकरण के निर्णय से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अनुमानतः कितनी हानि होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ओ० एन० जी० सी० के पास 23 ओ० एस० वी० हैं और 46.17 करोड़ रु० की कीमत पर और 9 वेसलों का आर्डर इंडियन शिपयार्ड को दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तालचेर में उच्च ताप विद्युत केन्द्र

5763. **श्री चिंतामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तालचेर में उच्च ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) उस भूमि पर रहने वाले लोगों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है और उनका किस प्रकार पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और प्रथम चरण कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) उसकी कुल अनुमानित लागत क्या है और प्रथम चरण की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इस विद्युत केन्द्र में कितनी बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 500 मेगावाट) का निर्माण कार्य सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आर्डर दे देने के पश्चात् 500 मेगावाट की यूनिट को चालू करने में सामान्यतः लगभग 5 वर्ष लगते हैं। सम्बद्ध पारेषण लाइनों सहित परियोजना के चरण-एक की वर्तमान अनुमानित लागत 1130 करोड़ रुपये है। तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना से विद्युत का आबंटन पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का किया जाएगा।

कोयले का उत्पादन तथा उसकी मांग

5764. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) कोयले की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या कोयले का वर्तमान उत्पादन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या हाल में दिल्ली में कोयला सलाहकार परिषद जो सरकार को कोयले से सम्बन्धित सभी मामलों, विशेषकर कोयला उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं, परिवहन, वितरण तथा कोयला संसाधनों के उपयोग संबंधी समस्याओं पर सलाह देता है, एक दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(च) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन 154.29 मिलियन टन (अनंतिम) रहा।

(ख) से (घ) वर्ष 1986-87 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमानित 176.60 मिलियन टन कोयले की मांग पूरी करने के लिए 1986-87 के लिए कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 166.80 मिलियन टन नियत किया गया है। शेष मांग स्टाक से कोयला लेकर पूरी की जाएगी। उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें यह बातें शामिल हैं—आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानें खोलना, मनुष्य और मशीनों की उत्पादकता में सुधार, कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण।

(ङ) जी, हां।

(च) कोयला सलाहकार परिषद के सदस्यों ने बेशी जन-शक्ति, ठेका मजदूर, बिजली सप्लाई, मजदूरों के साथ स्वस्थ श्रमिक संबंध और प्रबंध व्यवस्था में सुधार, आदि समस्याओं के संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है।

तेल शोधक कारखानों द्वारा जल प्रदूषण के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक का पालन किया जाना

5765. श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल शोधक कारखाने जल प्रदूषण के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक का अनुपालन कर रहे हैं; और

(ख) न्यूनतम राष्ट्रीय मानक का अनुपालन न करने वाले शोधक कारखानों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए अपशिष्ट परिशोधन सयंत्र के दौरान नए अपशिष्ट परिशोधन संयंत्र की स्थापना/उनका दर्जा बढ़ाने के लिए नियोजित पूंजी निवेश कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) किसी समय थ्रू कूलिंग सिस्टम को प्रयोग में लाने वाली कुछ शोधनशालाएं हैं, कुछ निर्धारित मानको को पूरा करने में असमर्थ हैं, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड निस्राव मानकों को बेहतर बनाने सम्बन्धी अध्ययन करने में लगी हुई हैं।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण और निस्राव प्रणाली परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में 12.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के लिए नए टेंडर

5766. श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल बेसिन में तेल की खोज के लिए छिद्रण हेतु एक तटदूर रिग के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के तटदूर क्षेत्र में तेल की खोज के लिए छिद्रण न किए जा सकने के क्या कारण हैं;

(ग) छिद्रण कार्य अब लगभग कितने समय के लिए स्थगित हो गया है; और

(घ) तटदूर रिग उक्त क्षेत्र में कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1985 में अन्वेषण खुदाई इसलिए आरम्भ नहीं की गई थी, क्योंकि जेक अप रिग को किराये पर लेने के उस ठेके को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका जिसे इस प्रयोजन के लिए लेना आवश्यक था। चूंकि इस प्रयोजन के लिए मांगी गई निविदा पर्याप्त प्रतियोगितात्मक नहीं थी इसलिए निविदा दुबारा आमंत्रित करनी पड़ी।

(ग) और (घ) 1986 की अन्तिम तिमाही के मध्य तक जेक अप रिग के स्थल पर पहुंचने के बाद खुदाई के तत्काल आरम्भ होने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की माइक्रो-पन-बिजली प्रदर्शन योजनायें

5767. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर 1985 को विभिन्न राज्यों में कार्यरत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की माइक्रो-पन-बिजली प्रदर्शन परियोजनाओं की संख्या क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे):31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार किसी भी राज्य में ग्राम विद्युतीकरण निगम की कोई माइक्रो जल विद्युत प्रदर्शन परियोजना प्रचालन में नहीं थी।

सरकारी क्षेत्र के छः इंजीनियरिंग एककों को एक धारक कम्पनी के अन्तर्गत शामिल करने की योजना

5768. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक ऐसी नई योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के छः वर्तमान इन्जीनियरिंग एककों को अपनी सहायक कम्पनियों के रूप में ग्रहण करने के लिए एक नई धारक कम्पनी का सृजन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह शीर्ष निकाय इन एककों के वित्तीय कार्यकरण में सुधार करने में कहां तक सफल हो पाएगा।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में छः विद्यमान उद्यमों जो सहायक कम्पनियों के तौर पर होंगे, की एक धारक कम्पनी बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ संघटक एककों को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। धारक कम्पनी के अधीन एककों के बीच निकटतर समन्वय होने से एककों के कार्य संचालन परिणामों में काफी सुधार होने की आशा है।

न्याय प्रशासन के संम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा मांगी गई राय

5769. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने, समाज के प्रभावित वर्ग को कम खर्च पर और शीघ्रता से न्याय दिलाने की प्रणाली के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों और जनता से राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है जिनसे ऐसी राय मांगी गई है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) : जी हां।

(ख) इस प्रक्रम पर इसका ब्योरा बताना सम्भव नहीं है।

आंध्र प्रदेश के कुड्डापाह जिले में पेट्रोल पम्प

5770. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कुड्डापाह जिले में कितने पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) क्या कुड्डापाह में और पेट्रोल पम्प खोलने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश के कुदापा जिले में 41 खुदरा बिक्री केन्द्र क्रियाशील हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1986-87 के लिए तैयार की जा रही विपणन योजना के अन्तर्गत कुडाप्पा जिले में नये खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिप खोलने के लिए अतिरिक्त स्थलों को शामिल करने का तेल उद्योग का प्रस्ताव है।

किसी एक व्यक्ति के लिए निदेशक पद की संख्या निर्धारित करने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन

5771. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि कोई व्यक्ति दस से अधिक कम्पनियों के निदेशक के पद पर नामजद न किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों से सलाहकार सेवा

5772. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्युत, कोयला उद्योग, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह निदेश दिया है कि वे विदेश से सलाहकार सेवा प्रारम्भ करें, जिसके लिए सम्बन्धित उपक्रमों को ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करना पड़ेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ उपक्रम विदेशों में सलाहकार सेवा उपलब्ध कराते हैं;

(ग) यदि हां, तो विद्युत, कोयला उद्योग, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के क्षेत्र में किन-किन उपक्रमों को सलाहकार सेवा प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया है और कौन-कौन से उपक्रम विदेशों में सलाहकार सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और वे क्रमशः कितना अनुमानित शुल्क अदा करते हैं तथा विदेशी मुद्रा में कितना शुल्क एकत्र करते हैं;

(घ) क्या कुछ उपक्रम इस आधार पर कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, शुल्क की अदायगी पर सहमत नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बिजली, कोयला, भारी इंजीनियरी, रेलवे, पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे कुछ उपक्रमों को विख्यात एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अभिज्ञात परामर्शदायी संगठन की पृष्ठपोषी मदद लेकर अनिवासी भारतीयों की कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से परामर्शदायी कम्पनी बनाने की सलाह दें। सम्बद्ध उपक्रमों द्वारा शुल्क का भुगतान प्रस्तावित कम्पनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के विस्तार के आधार पर किया जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) परामर्शदायी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी खास उद्यम को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। प्रत्येक मामले में प्रदत्त सेवाओं के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में प्रदत्त सेवाओं के कारण परामर्शदायी शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक परामर्शदायी नियत कार्य के बारे में पृथक रूप से सौदा किया जाना है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में निर्मित अखबारी कागज की लगत का अध्ययन करना और उसकी किस्म में सुधार करना

5773. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा, फिनलैंड आदि देशों की तुलना में देश में अच्छी किस्म के अखबारी कागज का मूल्य कितना है;

(ख) देश में निर्मित अखबारी कागज की किस्म में सुधार करने के लिए टैक्नालाजी संबंधी अध्ययन दल गठित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में अखबारी कागज उद्योग की लागत का अध्ययन करने का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मानक आयातित और देशी अखबारी कागज की कीमतें अगले पृष्ठ पर दी गई हैं :—

(1) आयातित अखबारी कागज (48.8 जी० एस० एम०)

(जनवरी-मार्च, 1986)

हाई सी० सेल्स	—	6980 रुपये प्रति मी० टन
एक्स-बफर	—	7030 रुपये प्रति मी० टन

(2) देशी अखबारी कागज (31-12-85 से प्रभावी)

नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	—	7860 रुपये प्रति मी० टन
मैसूर पेपर मिल्स हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि० और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर्स	}	(55 जी० एस० एम०) 89(0 रुपये प्रति मी० टन (52 जी० एम० एय०)

(ख) विद्यमान अखबारी कागज एककों द्वारा उत्पादित अखबारी कागज की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाती है। गुणवत्ता के उत्थान हेतु प्रौद्योगिकीय अध्ययन एककों द्वारा स्वयं किए गए हैं। अखबारी कागज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—स्याही को सोखने की क्षमता हो, आरपार दिखाई न दे, छपाई की मशीन पर सुगमता से चले और ये आवश्यकतानुसार मिलती हैं।

(ग) और (घ) 1981 में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किए अध्ययन के आधार पर अखबारी कागज के देशी विनिर्माता औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अनुमानों के अनुसार विभिन्न निविष्टियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि हेतु समायोजन करते हुए संधारण मूल्य ले रहे हैं।

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र द्वारा "गेस्ट हाउसों और लक्जरी कारों को चलाने में बरती जाने वाली मितव्ययता

5774. **डा० जी० विजय रामाराव**
श्रीमती डी० के० भण्डारी } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र द्वारा गैस्ट हाउसों, लक्जरी कारों दोनों को चलाने में बड़ी मितव्ययता बरती जानी शुरू की जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, सरकार ने उन्हें सलाह दी है कि उनके अतिथि गृहों के संचालन में मितव्ययता के उपाय अपनाए जाने चाहिएं। इन उद्यमों को यह सलाह भी दी गई है कि वे विदेश निर्मित कारें अथवा कोई अन्य लग्जरी कारें न खरीदें। इन सरकारी उद्यमों को यह सुझाव भी दिया गया था

कि वे वर्तमान गैर-वातानकूलित कारों को वातानुकूलित न बनायें।

गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन, सरकारी उद्यम कार्यालय के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

हाइड्रो-कार्बन्स इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत सहायता संघ का गठन

5775. **प्रो० के० वी० थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाइड्रो-कार्बन इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत एक सहायता संघ (संसोर्टियम) गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सार्थ संघ के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सार्थ संघ देश के बाहर के कार्य हाथ में लेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी हाइड्रो कार्बन्स इंडिया लि० के जरिये निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ तेल और गैस के क्षेत्र में विदेशों में टर्न-की और परामर्श देने के कार्य हाथ में लेने के लिए एक संघ (कंसोर्टियम) का गठन कर रही है :—

1. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।
2. मझगांव डॉक्स लिमिटेड।
3. भारत पम्प्स ऐंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड।
4. ब्रिज ऐंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
6. भारत हैवी प्लेट ऐंड वैसल्स लिमिटेड।
7. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड।
8. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन।
9. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड।

10. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड।

11. हाइड्रो कार्बन इंडिया लिमिटेड।

निर्वाचन-व्यय कम करना

5776. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने निर्वाचन व्यय कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचनों से संबंधित व्यय, प्रचार सामग्री, यात्रा आदि की लागत में वृद्धि के कारण कुछ वर्षों से बढ़ते जा रहे हैं। निर्वाचन कराने के प्रशासनिक व्यय भी बढ़ गये हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन व्यय कम करने के उद्देश्य से सिफारिशें करता रहा है, जैसे लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराये जाएं, और इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाए जिससे कि निर्वाचन अभियान की अवधि में कमी और साथ ही इस प्रक्रिया में, मतदान के पश्चात मतपत्रों की सुरक्षा, भंडारण और गणना में प्रशासनिक व्यय में कमी की जा सके। निर्वाचन सुधारों के भाग के रूप में राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करने और यथा सम्भव सीमा तक निर्वाचन व्ययों में कमी करने के लिए आवश्यक कारंवाई करने का सरकार का प्रयास रहा है।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नये ग्रामीण डाकघर

5777. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उन गांवों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में (मार्च तक) नये ग्रामीण डाकघर खोले गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आजमगढ़ जिले के निम्नलिखित 7 गांवों में 1983-84 के दौरान डाकघर खोले गए :—

1. मुन्धार
2. मुजफ्फरपुर

3.　जमडीह

4.　सिकई केशा

5.　भेदौरा

6.　हेमई

7.　लहूरपार

1984-85 एवं 1985-86 के दौरान जिले में कोई नया ग्रामीण डाकघर नहीं खोला गया।

आजमगढ़ जिले में डाक तथा दूरसंचार विभाग की भूमि का खाली पड़ा रहना

5778. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में दोहरी घाट में डाक तथा दूरसंचार विभाग की भूमि खाली पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि कब और किस प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी; और

(ग) इस भूमि के अभी तक खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं और इस भूमि को किस प्रयोजन के लिए उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) यह भूमि 1971 में खरीदी गई थी तथा यहां एक सूक्ष्म तरंग मस्तूल (मास्ट) की संस्थापना करने की योजना बनाई गई थी।

(ग) योजना में परिवर्तन के कारण मस्तूल का (मास्ट) संस्थापन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् इस भूमि पर टेलीफोन एक्सचेंज स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का निर्णय लिया गया परन्तु पद संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है। आधा एकड़ भूमि डाक विभाग के उपयोग हेतु निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

5779. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) उक्त एक्सचेंज का विस्तार कब तक किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। इस एक्सचेंज का हाल ही में 800 से 900 लाइनों में विस्तार किया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष न्यायालयों के कार्यकरण के बारे में सर्वेक्षण

5780. **श्री शांताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कानूनों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों के कार्यकरण के बारे में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) दो अपर विशेष न्यायालय, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 के अधीन कार्य कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, इन न्यायालयों पर नियंत्रण सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में निहित है और इसलिए केन्द्रीय सरकार इनका कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं करती है।

राज्यों से अलग से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा उन न्यायालयों पर वहन किये गये आवर्ती/अनावर्ती व्ययों के साथ, कुछ विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अपर न्यायालय स्थापित करें। इस कार्य के लिए अनन्य रूप से न्यायालय नियत करें। इन न्यायालयों में न्याय प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकार का काम है। संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन इन न्यायालयों पर नियंत्रण सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में निहित है। फिर भी, उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक अधिनियम के अधीन इन न्यायालयों में मामलों के संस्थित किये जाने, निपटाए जाने और लम्बित रहने के बारे में अलग-अलग आंकड़े दें।

गोवा, दमन और दीव में डाक वितरण केन्द्र

5781. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में डाक वितरण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान इनमें से कोई डाक वितरण केन्द्र अस्वीकृत/बन्द किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गोवा, दमन तथा दीव संघ क्षेत्र में इस समय 113 वितरण डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां, पिछले छः महीनों में गोवा, दमन तथा दीव संघ क्षेत्र के अन्तर्गत गोवा क्षेत्र में 18 वितरण डाकघर केन्द्र कम किए गए।

(ग) 1-12-1985 तक गोवा में 115 वितरण डाकघर थे जबकि 18 डाकघरों के वितरण कार्य को अन्तरित करके अन्य वितरण डाकघरों के साथ मिला दिया गया था। गोवा क्षेत्र चूंकि छोटा क्षेत्र है इसलिए वितरण डाकघरों की अधिकतम के कारण प्राप्तकर्ताओं को डाक का वितरण होने में विलम्ब होता था। इन वितरण डाकघरों का वितरण क्षेत्र स्पष्ट रूप से निश्चित न होने के कारण डाक का प्रेषण सही तरीके से नहीं हो पाता और विलम्ब होता है। इसकी वजह से 18 वितरण डाक घरों का कार्य निकटवर्ती बड़े डाकघरों के साथ विलय कर दिया गया। इस प्रकार, गोवा में डाक व्यवस्था के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप डाक वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।

मुम्बई उच्च न्यायालय की पणजी न्यायपीठ में न्यायाधीशों की नियुक्ति

5782. **श्री शांताराम नायक :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उच्च न्यायालय की पणजी न्यायपीठ में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) हाई कोर्ट ऐट बाम्बे (ऐक्सटेन्शन आफ जूरिसडिक्शन टू गोवा, दमन एण्ड दीव) ऐक्ट, 1981 की धारा 9 में यह उपबन्ध है कि "मुम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो संख्या में कम से कम दो हों, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नाम निर्दिष्ट करे, गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों की बाबत उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से पणजी में अधिविष्ठ होंगे।" इस प्रकार

मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जब कभी वह आवश्यक समझें, पणजी स्थित न्यायपीठ में और अधिक न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति मुम्बई उच्च न्यायालय में की जाती है, न कि उसकी किसी न्यायपीठ में।

पी० ए० एस० और इसका नमक तैयार करने वाली कम्पनियों की लाइसेंस क्षमता और उत्पादन

5783. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी०ए०एस० और इसका नमक तैयार करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी की लाइसेंस क्षमता और उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनियां अपनी लाइसेंस क्षमता का 10 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं कर रही हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनियां अन्य औषधियों का उत्पादन कर रही हैं जिन पर वे अधिक प्रभार ले रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र में मैसर्स आई०डी०पी०एल०, बायोकैम और सिन्थ, फाइजर, वांडर और बायो-इवन्स पी०ए०एस० और इसके लवणों का निर्माण कर रहे हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) गत तीन वर्षों से पी०ए०एस० और इसके लवणों के उत्पादन में गिरावट आई है। यह मुख्यतः इथम्बूटोल और रिफाम्पिसिन जैसी नई और अधिक प्रभावशाली औषधों द्वारा प्रतिस्थापन के कारण हुआ है। पी० ए० एस० और इसके लवणों की कोई कमी नहीं है और उनके आयात नगण्य हैं।

(घ) और (ङ) सभी क्षय रोधी औषधों के मूल्यों पर डी०पी०सी०ओ० 1979 के अधीन मूल्य नियन्त्रण हैं। जहां कहीं अधिक मूल्य वसूल करने की घटना सरकार के ध्यान में आती है कानूनी प्रक्रियानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

विवरण

	उत्पादक ना नाम	गणना इकाई	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन 1982-83	198?-84	1984-85
1.	आई०डी०पी०एल०	टन	400.00	102.30	114.55	29.15
2.	बायोकैम एण्ड सिंथ	,,	100.00	104.40	77.31	76.15
3.	फाइजर	,,	110.00	12.60	3.67	8.52
4.	वाण्डर	,,	300.00	26.60	21.46	5.25
5.	बायो-इवन्स	,,	120.00	42.50	—	—

विदेशी सहयोग

5784. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सहयोग करारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे करारों के फलस्वरूप कितना धन बाहर चला जायेगा;

(ग) इसका क्या कारण है कि हजामत करने के ब्लेड, टार्च की बैट्रियां और मोपेड जैसी छोटी वस्तुओं के लिए भी विदेशी सहयोग की आवश्यकता है जबकि हमारी अपनी तकनीकी जानकारी काफी उन्नत है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वदेशी जानकारी का प्रयोग करने वाली कम्पनियों को विदेशी जानकारी का प्रयोग करने वाली कम्पनियों की तुलना में बेहतर प्रोत्साहन देने का है ताकि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता कम की जा सके; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी वस्तुओं के बारे में समीक्षा करने का है जिनके लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी है।

(ख) ऐसी स्वीकृतियों के फलस्वरूप देश से बाहर जाने वाली वार्षिक राशि के सम्बन्ध में

ब्यौरा इस मन्त्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं जाता है।

(ग) प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति (टी०ई०सी०), जो सी०एस०आई०आर०, डी०एस० आई०आर०, एन०आर०डी०सी० और रक्षा विज्ञान संगठन का प्रतिनिधित्व करती है कि क्रियाविधि के माध्यम से देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखा जाता है। विदेशी सहयोग की अनुमति, प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने, उन्नत क्वालिटी, बेहतर इंधन-कुशलता की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर दी जाती है।

(घ) देशीय जानकारी का प्रयोग करने वालों के लिए प्रोत्साहन पहले से विद्यमान है।

(ङ) यह एक सतत प्रक्रिया है। विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की जांच की जाती है और जब इनकी आवश्यकता सिद्ध कर ली गई हो और प्रौद्योगिकी देश में ही उपलब्ध न हो तो आम तौर पर अनुमति दे दी जाती है।

मणिपुर में ट्रांसमिशन चैनल

5785. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसमिशन चैनलों के अभाव के कारण मणिपुर में पैदा की जा रही पन बिजली राज्य भर में नहीं पहुंच पा रही है;

(ख) क्या इससे राज्य में उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों के विकास में बहुत अधिक अवरोध हो रहा है;

(ग) क्या कार्य को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार की सहायता करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) मणिपुर की विद्युत की आवश्यकता अधिकांशतः लोक तक जल विद्युत परियोजना से पूरी की जाती है। राज्य के विभिन्न भार केंद्रों तक विद्युत पहुंचाने के लिए 33 के०वी० की पारेषण प्रणाली की योजना तैयार की गई है। 33/11 के०वी० के ग्यारह उपकेन्द्र तथा उनसे सम्बद्ध पारेषण लाइनें पूरी हो गई हैं। 33/11 के०वी० के बारह नए उप-केन्द्रों की प्रतिष्ठापना और 33/11 के०वी० के दस उप-केन्द्रों का विस्तार करने की स्कीम अनुमोदित की गई है और राज्य द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य के अन्दर इन पारेषण स्कीमों के लिए निधियों की व्यवस्था मणिपुर सरकार द्वारा अपनी निजी राज्य योजना के अन्तर्गत की जाती है। इन स्कीमों के पूरा हो जाने पर इन उप-केन्द्रों के आस-पास उद्योगों और अन्य विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत का पारेषण करना सम्भव हो जाएगा।

उद्योग में बिजली की बचत करने के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के सुझाव

5786. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि उद्योग द्वारा 10 प्रतिशत बिजली की बचत किए जाने से लगभग 7000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो सकती है;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त समझा गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ द्वारा "एनर्जी एफीसेन्सी अपरचुनिटीज इन इण्डस्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक पुस्तिका में यह बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग की जाने वाली कुल ऊर्जा में 10% की समग्र बचत के द्वारा वर्तमान मूल्यों पर लगभग 780 करोड़ रु० की ईंधन लागत में सीधी बचत की जा सकती है तथा इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन के वार्षिक प्रवाह में 7000 करोड़ रु० की वृद्धि की जा सकती है। सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षण संबंधी उपायों के जरिए ऊर्जा में पर्याप्त बचत की जा सकती है और इसका उत्पादन अथवा कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। "ऊर्जा के समुपयोजन और संरक्षण पर अन्त: मन्त्रालयीय कार्यकारी दल" की रिपोर्ट में भी बचत की मात्रा का उल्लेख किया गया है, जो संरक्षण संबंधी उपायों के जरिए की जा सकती है। कार्यकारी दल ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों की सिफारिश की है। चूंकि सिफारिशों के क्रियान्वयन में अनेक क्षेत्र/एजेंसियां शामिल हैं और नई प्रणालियां और पद्धतियां सृजित किए जाने की आवश्यकता है इसलिए उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण के लिए इन सिफारिशों को सोपानबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति

5787. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपभोक्ताओं को बहुत अधिक रियायती दरों पर एक बत्ती कनेक्शन की सुविधा दिए जाने के कारण पूंजी निवेश और आवर्ती प्रभार दोनों लेखा शीर्षों के अन्तर्गत भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्युत मंडल को इसके लिए क्षतिपूर्ति की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस हानि को कम करने के लिए मंडल को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपभोक्ताओं को एक लाइट कनेक्शन देने से होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भिकियासैन और चम्पावत में टेलीफोन केन्द्र

5788. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैन और पिथौरागढ़ जिले के चम्पावत में स्थित टेलीफोन केन्द्र संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या अधिकतर उपभोक्ताओं ने जिन्होंने इन केन्द्रों की स्थापना के समय टेलीफोन लगवाये थे, अब उन्हें अपने टेलीफोन वापस कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को सुधारने हेतु इन केन्द्रों में नये उपकरण लगाने और इन केन्द्रों को वर्गोन्नत करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भिकियासैन और चम्पावत टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। भिकियासैन टेलीफोन एक्सचेंज 28-3-81 को खोला गया था और उस समय 9 कनेक्शन कार्य कर रहे थे तथा इस समय 10 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं। चंपावत में 18-3-81 को टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया था तथा 8 कनेक्शन कार्य कर रहे थे तथा इस समय 17 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इन दोनों एक्सचेंजों के उपस्करों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। वैसे भी, इनका कार्य संतोषजनक है।

धौलीगंगा परियोजना, पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

5789. **श्री हरीश रावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि धौलीगंगा परियोजना पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए स्थानीय लोगों की छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है और उनके स्थान पर बाहर से कितने अधिकारियों का वहां पर स्थानान्तरण किया गया है;

(ग) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि इस परियोजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी नियुक्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि स्थानीय तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की उपेक्षा न हो ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के किसी नियमित अथवा वर्कचार्ज कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। तथापि, अल्प अवधि के विशिष्ट कार्यों के लिए इस परियोजना पर लगाए गए नैमित्तिक/दैनिक दर पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों की जिन कार्यों के लिए उन्हें लगाया गया था उनके पूरा हो जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को इस परियोजना पर नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक गाड़ियां

5790. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में कुल कितनी डाक गाड़ियां हैं;

(ख) क्या यह संख्या राज्य की आवश्यकता के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक सौ पचास वैन।

(ख) संख्या पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर किया गया व्यय

5791. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु सबसे कम प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं कि चालू योजनावधि में ऐसी स्थिति न हो; और

(ङ) वर्ष 1985-86 के लिये प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी तथा वर्ष 1986-87 के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर व्यय की गई कुल राशि 564.90 करोड़ रुपये थी—स्वरोजगार योजना पर खर्च की गई राशि सहित 184.68 करोड़ रुपये लघु उद्योग क्षेत्र की "सीडो" प्लान स्कीमों के अन्तर्गत और 380.22 करोड़ रुपये अनुदानों और ऋणों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रमों पर।

(ख) इन उद्योगों के विकासार्थ उत्तर प्रदेश को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता की राशि लगभग 90 करोड़ रुपये थी (इसमें स्व-रोजगार योजनाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है किन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों पर खर्च किये गये 79.76 करोड़ रुपये और लघु उद्योग क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च किये गये 9.62 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 1985-86 के दौरान सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकासार्थ 83.42 करोड़ रुपये की राशि प्रदान (रिलीज) की। इस राशि में सरकारी ऋणों पर ब्याज के स्थान पर राज-सहायता और 1984-85 के स्तर पर खादी की बिक्री पर छूट के संबंध में इन वस्तुओं का खर्च तथा गोबर गैस और मधुमक्खी पालन के लिए दी गई राजसहायता सम्मिलित नहीं है)। लघु उद्योगों की "सीडो" योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के वास्ते 1986-86 के लिये 100 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। विभिन्न राज्यों को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए "सीडो" योजनाओं के अंतर्गत आवंटन की राशि, जिसका निर्धारण राज्यों द्वारा समान अंशदान के आधार पर होता है, को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

सीमेंट उद्योग में रुग्ण एकक

5792. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने कुछ सीमेंट एककों को दो से तीन वर्ष के लिए रुग्ण घोषित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। 1985/86 से 1989/90 की परिवर्ती अवधि के लिए 15 एककों को "रुग्ण" घोषित किया गया है। राहत के उपाय के रूप में, ऐसे एककों को अपने वास्तविक सीमेंट के उत्पादन का 40 प्रतिशत लेवी सीमेंट के रूप में देना आवश्यक है जबकि विद्यमान एककों (अर्थात् 1-1-82 से पूर्व उत्पादन कर रहे एकक) द्वारा वास्तविक उत्पादन का 60 प्रतिशत लेवी कोटे के रूप में देना होता है।

विवरण

लेवी कोटे के रूप में रियायत देने के उद्देश्य के लिए घोषित "रुग्ण" सीमेंट एककों का ब्यौरा

क्र० सं०	संयंत्र का नाम	वह अवधि जिसके लिए रुग्णता रियायतें देने की सिफारिश की गई है (कम्पनियों के क्रमिक वित्तीय वर्ष)
1	2	3
1.	ए०सी०सी० द्वारका	1987-88
2.	ए०सी०सी०, लखेरी	1989-90

1	2	3
3.	ए०सी०सी०, सिंदरी	1986-87
4.	इण्डिया सीमेंट्स, शंकर नगर	1987-88
5.	जयपुर उद्योग	1986-87
6.	कल्याणपुर	1985-86
7.	सेन वैली	1986
8.	तमिलनाडु, अलेंगुलम	1987-88
9.	तमिलनाडु, अरियालूर	1987-88
10.	यू०पी०एस०सी०सी० चुर्क	1987-88
11.	यू०पी०एस०सी०सी०, डाला	1987-88
12.	ए०सी०सी०, खलेरी	31-12-86
13.	ए०सी०सी० सेवालिया	31-12-86
14.	सी०सी०आई०, चर्खी दादरी	31-12-86
15.	विश्वेश्वरया आईरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	31-12-86

नरसापुर तेल कुआं संख्या पांच में हुई हानि

5793. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में नरसापुर तेल कुएं संख्या पांच में बहुत अधिक मिट्टी निकालते समय सीमेंट का पलस्तर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदार ने अनुमत कोण अंश से अधिक कोण अंश तक कुएं की खुदाई की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कुएं पर 1 जनवरी, 1986 तक कुल कितना धन खर्च किया गया है और इस कुएं से कितना तेल मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लगभग 14.23 करोड़ रुपए संरचना की रूपरेखा तैयार होने के बाद ही उत्पादन क्षमता का पता लगेगा।

कोरबा परियोजना का कार्य-निष्पादन

5794. **डा० जी० विजय रामा राव**
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम की कोरबा परियोजना ने कार्यनिष्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और यदि हां, तो अन्य बेहतर प्रबन्ध वाले विद्युत संयंत्रों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोरबा एकक ने अधिकतम संयंत्र भार-अनुपात प्राप्त कर लिया है; और

(ग) क्या कोरबा संयंत्र के ठीक समय में बनकर तैयार हो जाने के कारण इसके निर्माण पर अनुमानित लागत से भी कम लागत आई है अथवा लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सूचना के अनुसार उनकी कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना (3 × 200 मेगावाट + 3 × 500 मेगावाट) की 3 × 200 मेगावाट की यूनिटें (जोकि चालू की जा चुकी हैं) ने फरवरी, 1986 में 103.44% का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त कर लिया है। देश के कुछ अन्य बेहतर कार्य करने वाले केन्द्रों द्वारा प्राप्त किए गए इष्टतम मासिक संयंत्र भार अनुपात की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	केन्द्र	बोर्ड/निगम	इष्टतम संयंत्र भार अनुपात (%)	महीना
1	2	3	4	5
1.	रामागुण्डम	रा० ता० वि० नि०	101.3	जनवरी, 1986
2.	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्र० रा० बि० बोर्ड	98.6	जुलाई, 1985

1	2	3	4	5
3.	पारली	मध्य प्रदेश रा० बि० बोर्ड	96.2	नवम्बर, 1985
4.	सिंगरौली	रा० ता० वि० नि०	92.7	मार्च, 1986
5.	तूतीकोरिन	तमिलनाडु बि० बोर्ड	91.1	जनवरी, 1986
6.	नासिक	मध्य प्रदेश रा० बि० बोर्ड	84.3	दिसम्बर, 1985

(ग) जी, नहीं।

बल्क औषधों का उत्पादन

5795. प्रो० मधु दण्डवते : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकास आयुक्त (औषध) के कार्यालय के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या किसी विशिष्ट कंपनी को (मूल अवस्था से उत्पादन की अपेक्षा प्राथमिकता देकर) मध्यवर्ती अवस्था से एक बल्क औषध के उत्पादन की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या तत्कालीन प्रभारी मंत्री द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित लघु उद्योग क्षेत्र में एक क्षय-रोधी ओषधि रिफाम्पिसिन के इसी प्रकार के उत्पादन को अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) और (ख) अनियमितताओं के कुछ आरोप सरकार को प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की जा रही है।

(ग) सरकार की घोषित नीति के अनुसार फैरा कम्पनियों को मूल अवस्था के अलावा किसी भी अन्य अवस्था से किसी भी बल्क औषध का उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, कुछ अन्य कम्पनियों द्वारा मध्यवर्ती अवस्था से बल्क औषधों का निर्माण करने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लघु पैमाना कम्पनियों को रिफाम्पिसिन सहित किसी भी बल्क औषध का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में निर्मित औषधियों के मूल्यों में समानता

5796. डा० चंद्र शेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बनाई गई औषधियों के मूल्य गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बनाई गई समान स्तर की औषधियों के मूल्यों की अपेक्षा काफी अधिक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन औषधियों के मूल्यों में समानता लाने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) सामान्यीकरण कठिन है। सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों सहित समग्र उद्योग के लिए औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन कानूनी रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) अधिकतम दक्षता औषधों का उत्पादन करना सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों का प्रयास रहा है।

उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस

5797. डा० चंद्र शेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने व्यक्तियों ने लाइसेंसों के लिए आवेदन किया;

(ख) कितने आवेदनों पर अब तक निर्णय किया जा चुका है;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या कितनी है जिन्हें लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं और उनके आवेदनों की तारीखें तथा उन्हें लाइसेंस जारी किये जाने की तारीखें क्या हैं; और

(घ) बाकी व्यक्तियों को अब तक लाइसेंस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अन्य संगत ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) वर्ष

1984 और 1985 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में उद्योग स्थापित करने के लिए आशय पत्रों की स्वीकृति हेतु (उद्योग तथा विकास) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन 5485 औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए थे। इनमें से 5182 प्रस्ताव निपटा दिए गए हैं और शेष 303 प्रस्ताव विचार विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ऐसे आवेदनों का ब्यौरा, जो स्वीकृत हुए हैं और जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मंथली न्यूजलैटर में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लम्बित आवेदनों का ब्यौरा सरकार द्वारा उन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक नहीं बताया जाता।

[अनुवाद]

कतिपय औषधों की मूल-सामग्री के आधार पर रोक/प्रतिबंध

5798. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू आयात नीति के अन्तर्गत कतिपय औषधों की मूल सामग्री के आयात पर रोक अथवा प्रतिबन्ध लगाया गया है और इन औषधों के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती और उपान्तिम औषधों का आयात खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत करने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) इसे सामनन्यीकृत करना कठिन है। तथापि, आयात और निर्यात नीति की सूचियों में किसी नए कच्चे माल को शामिल करना, कच्चे माल की स्वदेशी उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फेरा और भूतपूर्व फेरा औषध कंपनियों द्वारा अन्तरण मूल्य निर्धारण

5799. **श्री सरफराज अहमद**
श्री के० पी० सिंह देव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई फेरा और भूतपूर्व फेरा औषध कंपनियां अन्तरण मूल्य-निर्धारण गतिविधियों में संलग्न हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकतर कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान मूल्यों

से कहीं अधिक मूल्यों पर बल्क औषध और अन्य कच्चा माल आयात कर रही हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इन कंपनियों आयात मूल्यों पर गिरानी रख रहा है और;

(घ) यदि हां तो किन-किन कंपनियों के मामले में किसी विशिष्ट औषधि के मूल्य में न्यूनतम लागत बीमा भाड़ा सहित आयात मूल्य से 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (घ) औषध उद्योगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली औषधों, कच्चे मालों और उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भिन्न-भिन्न स्रोतों के भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी एक विशेष स्रोत से अन्य स्रोत की तुलना में अधिक मूल्य पर आयात करने की जब भी कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है, मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उदाहरण के लिए मै० जर्मन रेमेडीज को डिपाइरिडामोल का आयात अन्य आयात-कर्ताओं की तुलना में अधिक मूल्य पर करते हुए पाया गया था। कार्यवाही की गयी थी और कम्पनी द्वारा उत्पादित फार्मूलेशनों के मूल्यों में 23 जुलाई, 1984 को कमी की गई थी ताकि मै० जर्मन रेमेडीज द्वारा इस औषध के आयात किए जाने वाले मूल्य की तुलना में डिपाइरिडामोल के औसत आयात मूल्य को मान्यता दी जा सके।

सीमेंट उद्योग में मन्दी

5800. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल सीमेंट उद्योग में मंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सीमेंट की प्रति टन लागत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में काफी अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो पोर्टलैंड सीमेंट की उत्पादन-लागत अधिक होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में अनुमानित मांग को देखते हुए सीमेंट की उपलब्धता कुल मिलाकर कम ही रही है और सीमेंट उद्योग में सामान्य मंदी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अभी हाल ही मे कुछ सीमेंट संयंत्रों ने रिपोर्ट दी है कि कुछ क्षेत्रों में उठाने कम होने के कारण सीमेंट के वितरण में कठिनाई आई है। मांग में इस अस्थायी कमी का कारण यह जान पड़ता है कि कुछ राज्यों में वित्तीय/बजटीय अड़चनों के कारण तथा गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में, जो कि घोर सूखे आदि से प्रभा-

वित हुए थे, धन का उपयोग राहत कार्यों में किया गया। साथ ही देश में सीमेंट का उत्पादन और उपलब्धता भी कुल मिलाकर बढ़ी है। सीमेंट का जमा स्टॉक निकालने के लिए प्रभावित कारखानों की सहायता करने की दृष्टि से ऐसे कारखानों का आबंटन परिवर्तित करके उन क्षेत्रों में किए जाने की कार्यवाही की जा रही है जिनके सामान्य आबंटन उनकी मांग से कम रहे हैं।

(घ) और (ङ) सीमेंट की उत्पादन लागत में कई तथ्य काम करते हैं जिनमें परिचालन के साथ सहित कच्चे माल, ईंधन और बिजली आदि जैसी विभिन्न निविष्टियों की लागत भी सम्मिलित रहती है। अत: अंतर्राष्ट्रीय लागत और मूल्यों से इनकी तुलना करना तभी ठीक होगा जबकि भारतीय संयंत्रों में कार्यशील तथ्य विदेशों में विद्यमान तथ्यों के समान हों।

हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना के लिये "एयरो डिविवाटिव इंजन"

5801. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एम० बी० जे० प्रोजेक्ट में डिपेंड आन इम्पोर्ट आथ इंजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन के कंप्रेसर स्टेशनों के लिए एयरोडिटिव इंजनों से, जिनको गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिमानता प्रदान की गई है इस पाइप लाइन के अनुरक्षण और मरम्मत के मामले में पूर्णतया विदेशी फालतू पुर्जों और विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एच०बी०जे० गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य की बोली लगाने वालों को कहा गया है कि वे कम्प्रैसर स्टेशनों के लिए दोनों ही एअरोडेरिवेटिव इंजनों और औद्योगिक किस्म की मशीनों के लिए अपनी दरें दे। परियोजना में किस किस्म की मशीनों को प्रयोग में लाया जाएगा, इसके सम्बन्ध में तकनीकी और आर्थिक कसौटी तथा अन्य सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा।

शीरे की मांग और उत्पादन

5802. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में उपयोग के लिए शीरे की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में शीरे का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में शीरे का उत्पादन आवश्यकता से कम है;

(घ) यदि हां, तो मांग की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार खांडसारी शीरे का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (ग) अलकोहल आसवन उद्योग सहित उद्योगों द्वारा शीरे की पिछले चार वर्षों की औसत खपत के आधार पर, अनुमान है कि इस समय शीरे की औसत वार्षिक आवश्यकता लगभग 30 लाख टन है, शीरे का पिछले चार वर्षों का उत्पादन गन्ने और चीनी के मौसमी उत्पादन के आधार पर 23.87 लाख टन और 39.93 लाख टन प्रतिवर्ष के बीच रहा, चालू वर्ष के लिए शीरे की अनुमानित उपलब्धता लगभग 26 लाख टन है जो औसत अनुमानित आवश्यकताओं से कम पड़ेगा।

(घ) चूंकि शीरे के उत्पादन में कमी मुख्यत: अलकोहल की उपलब्धता को प्रभावित करती है, सरकार ने अलकोहल पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिनचर्ड अलकोहल के निशुल्क आयात की अनुमति दी है।

(ङ) सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि खांडसारी शीरे के वितरण और व्यापार पर नियंत्रण रखे ताकि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए इसकी उपलब्धि में सुधार हो सके।

चिलहाटी सीमेंट परियोजना को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करना

5803. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में चिलहाटी में प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन सीमेंट बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट कुछ वर्ष पहले तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त परियोजना को स्वीकृति मिल गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि यह संयंत्र स्थापित हो जाए तो भिलाई और राऊरकेला इस्पात संयंत्रों से स्लैग का उपयोग हो सकेगा; और

(घ) यदि परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है तो सरकार का चिलहाटी सीमेंट

परियोजना को सरकारी क्षेत्र में कब तक स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) पूर्णतया भारत सरकार स्वामित्वाधीन के एक उपक्रम सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने प्रतिवर्ष दस लाख मी० टन क्लिकराइजेशन और प्रतिवर्ष 11.9 लाख मी० टन सीमेंट ग्राइंड करने के लिए एक एकक चिलहाटी (मध्य प्रदेश) में और प्रतिवर्ष 7.1 लाख मी० टन स्लैग सीमेंट ग्राइंड करने के लिए एक एकक राउरकेला (उड़ीसा) में स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट जनवरी, 1984 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों से ग्रैनुअल वाले स्लैग का उपयोग करने कीपरिकल्पना भी की गई है। संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शामिल नहीं किया जा सका।

अमरीका से आयात किए गए खनन उपकरण

5804. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अमरीका से किसी अत्याधुनिक तट से दूर और तट पर खनन कार्य के लिए खनन उपकरण आयात किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : ओ०एन०जी० सी० और ओ०आई०एल० अपतट/तट पर खुदाई के लिए अमेरिका से अनेक उपकरणों का आयात कर रहे हैं। इनमें ड्रिलिंग रिग, ब्लो आउट प्रिवेन्टर्स, डाउन होल सर्वेक्षण औजार, फिशिंग टूल्स, भूमि से समुद्र तक कूप शीर्ष, क्रिसमस ट्री, सिमेंटिंग यूनिट और कूप नियंत्रण उपकरण आदि सम्मिलित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधायें

5805. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधायें प्रदान करने की विद्यमान नीति क्या है;

(ख) ग्रामीण संचार के विकास के लिए वर्तमान नीति कहां तक युक्ति संगत सिद्ध हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्देश्य प्राप्ति के लिए वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण-एक, दो तथा तीन में दी गई है।

(ख) वर्तमान उदारीकृत नीति ग्रामीण दूरसंचार के विकास में सहायक सिद्ध हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मण्डलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

8. आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होना चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीयइलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000/रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000/रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी : 1 (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़ कर जहां किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर, विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :

(एक) जनजातीय विकास खण्ड मुख्यालय

(दो) जिन स्थानों पर लम्पस (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सरकारी समितियां) स्थापित; और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तार घर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

विवरण-दो

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से सम्बन्धित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्तों का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्याधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक-तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वह इस प्रकार है : —

(एक) विवरण-एक में बतायी गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति के लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य के चालू वर्ष में आरंभ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लंबाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है, लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जाएंगे। गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक, दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250/- रु० (दो सौ पचास) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्त्रोत नहीं होगा।

डाक तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम समूहों के षडभुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षडभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा

करते समय वे स्थान छोड़ दिये जाएंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्र स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जायेगा जहां कि लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिये ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रयोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

विवरण-तीन

(डाक तार बोर्ड)

ग्रामीण/पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अंतर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मुख्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात ही स्वीकार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो। हालांकि उपस्कर भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंजों हेतु अत्याधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिये निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है।

(एक) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर, यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(दो) 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम समूह में ऐसे कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिये। (फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज को अभी विकसित किया जा रहा है। इसको कृपया नीचे पैरा (5) के सन्दर्भ में भी देखा जाये।

(तीन) 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(चार) 25 लाइनों का एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाये और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है, जब मांग 46 तक पहुंच जाये बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमशः 60 और 70 प्रतिशत हो।

(पांच) सामान्य रूप में नये स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारंभिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिये। फिर भी, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुये कि 10 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एस० ए० एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटा एक्सचेंज 25 लाइनों की नाममात्र की क्षमता के हैं। 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए लागू हैं।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन-रात सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अतः सामान्यतः 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाए।

खाना पकाने की गैस की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र शहरों के लिए मार्ग निर्देश

5806. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोई विशेष मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं कि कौन-कौन से शहर खाना पकाने की गैस सुविधाएं लेने के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह): (क) और (ख) 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले जिन शहरों की क्षमता एल० पी० जी० के विपणन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती हैं वहां एल० पी० जी० की सुविधा प्रदान करने का कार्य तेल उद्योग द्वारा चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

5807. कुमारी पुष्पा देवी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों से कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश में 1488 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का कार्यक्रम बनाया गया था। वास्तविक उपलब्धि 1170 मेगावाट थी।

(ख) और (ग) छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा का उत्पादन नीचे दिये गये अनुसार था :—

विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादित ऊर्जा (मि० यू०)
ताप-विद्युत		
सतपुड़ा	1142.5	4553
कोरबा चरण-एक	100	483
कोरबा चरण-दो	200	777
कोरबा चरण-तीन	240	1181
कोरबा पश्चिम	630	1131
अमरकन्टक	300	1732
जल-विद्युत		
गांधी सागर	115	438

तेल निगमों में खाना पकाने की गैस एजेंसियों के वितरण के बारे में नीति

5808. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस वितरण एजेन्सियों के आबंटन संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में सभी तेल निगमों में खाना पकाने की गैस की वितरण एजेन्सियों के संबंध में समान नीति है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाना पकाने की गैस एजेन्सी के आबंटन के लिए कुछ मार्ग निदेश निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) खाना पकाने की गैस वितरण एजेन्सियों के चयन का कार्य किस प्राधिकरण को सौंपा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ङ) एल० पी० जी० की वितरणशिप स्थापित करने के लिए स्थान का पता लगाने के बाद संबंधित तेल कम्पनियां समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगती है । चार क्षेत्रीय तेल चयन बोर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हैं और इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं तथा गुण दोष के आधार पर नामों की सूची संबंधित तेल कम्पनी को देते हैं । तेल कम्पनी पेनल में पहले व्यक्ति को आशय पत्र जारी करती है तथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे वितरणशिप दी जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

नये उद्योगों को दी गई राजसहायता

5809. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु राजसहायता का अनुरोध किया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक को कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इन एककों में विशेष रूप से उड़ीसा में, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है;

(घ) कितने एककों ने पिछड़े क्षेत्रों में सहायता प्राप्त नये औद्योगिक उपक्रमों के सहायक एककों के रूप में उभरने हेतु प्रोत्साहन दिखाया है; और

(ङ) इन नए औद्योगिक एककों की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों को कितना अनुमानित लाभ प्राप्त हुआ है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र उद्योगों के प्रकार को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता वितरित की जाती है। एककवार केन्द्रीय राजसहायता के वितरण, ऐसे एककों में स्थानीय लोगों को रोजगार और अनुषंगी एककों की संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

1983-84, 1984-85 और 1985-86 के वर्षों के दौरान, केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशियों की प्रतिपूर्ति की गई है :—

1983-84	51.93 करोड़ रु०
1984-85	82.03 करोड़ रु०
1985-86	101.27 करोड़ रु०

केन्द्रीय राजसहायता, रियायती वित्त, औद्योगिक लाइसेंसों को प्रदान करने में प्राथमिकता, आयकर आदि से छूट जैसे लाभों से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है और जिससे स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

विवरण

केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र उद्योग

1. समय-समय पर संशोधित उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योग।

2. निम्नलिखित बोर्डों/अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में आने वाले उद्योग :—

(क) लघु उद्योग बोर्ड।

(ख) कयर बोर्ड।

(ग) रेशम बोर्ड।

(घ) अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड।

(ङ) अखिल भारत हथकरघा बोर्ड।

(च) औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित अन्य कोई अभिकरण।

3. (1) मुर्गीपालन और कृषि पर आधारित सभी उद्योग केवल भूमि, भवन तथा उपकरणों पर ही होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए सहायता दी जाएगी।

(2) संकर बीज।

(3) खनन।

(4) शीत भंडार।

(5) होटल।

(6) मरम्मत करने वाली वर्कशाप सहित सामान्य किस्म की कार्यशालाओं—जैसे सेवा उद्योग/अन्य कोई सेवा उद्योग राजसहायता का पात्र नहीं है।

(7) यांत्रिकी प्रक्रिया के माध्यम से ड्राई-क्लीनिंग।

(8) लघु सेवा प्रशासन/स्थापना।

केरल के अल्लैप्पी जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

5810. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अल्लैप्पी जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) एल्लैप्पी यूनिट-II में 7वीं योजना के अंत तक 1500 लाइन आई०सी०पी० क्रॉसबार एक्सचेंज खोलने की योजना है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रमिक

5811. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वर्ष 1975, 1980 और 1985 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों का प्रतिशत कितना था;

(ख) क्या उक्त प्रतिशत घट नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के गिरावट के कारण भुगतान संतुलन पर प्रभाव

5812. **श्री चित्त महाता**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
श्री अमर रायप्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आने से आयात लागत कम होगी और भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) हालांकि पेट्रोलियम क्रूड की कीमतों में आई गिरावट से कुछ अनुकूल असर पड़ेगा फिर भी आयात लागत में कितनी कमी होगी इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भुगतान के संतुलन पर पड़ने वाला प्रभाव पेट्रोलियम कच्चे तेल की कीमतों के भावी उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा। चूंकि वर्तमान स्थिति अस्थिर है, इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन पर दीर्घावधिक विचार इस समय नहीं किया जा सकता है।

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

5813. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में वर्ष 1986-87 में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हरियाणा में 1986-87 के दौरान 25 लाइनों की क्षमता वाले 19 एम०ए०एक्स०-III एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि अपेक्षित मांग हो तथा वित्तीय दृष्टि से यह व्यवहार्य हो। अभी वे स्थान निर्धारित नहीं किए गए हैं जहां उक्त एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

चरखीदादरी टेलीफोन एक्सचेंज में "ट्रंक काल"

5814. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी दादरी एक्सचेंज से बुक कराये गये अत्यावश्यक ट्रंक काल भी नहीं मिलते और कई घंटों लग जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ट्रंक कालों को जल्दी मिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

चरखीदादरी से नई दिल्ली, रोहतक और भिवानी के लिए अत्यावश्यक ट्रंक कालें मिलाने में औसतन विलम्ब 30 मिनट का है तथा चर्खीदादरी और रिवाड़ी के बीच 15 मिनट।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में नए डाक तथा तारघर खोलना

5815. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान हरियाणा में नये डाक तथा तारघर खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

डाकघर

हरियाणा में 1986-87 के दौरान नए डाकघर खोलने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

तारघर

हरियाणा में 1986-87 के दौरान 40 संयुक्त डाकतार घर (डाकघरों में उपलब्ध तार सुविधाएं) खोलने का प्रस्ताव है। मानदंडों के आधार पर ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनता द्वारा इक्विटी शेयर खरीदना

5816. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता को, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में इक्विटी शेयर खरीदने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) सरकार ने मारुति उद्योग लि० से ऐसा एक प्रस्ताव प्राप्त किया है।

(ख) कम्पनी की वर्तमान पूंजी संरचना के अनुसार मारुति उद्योग लि० के 26 प्रतिशत सामान्य शेयर जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी लि० के पास हैं, जिसे पांच वर्ष के भीतर 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का विकल्प प्राप्त है। शेष सामान्य शेयर भारत सरकार के पास हैं। मारुति उद्योग लि० ने पूंजी संरचना में निम्न प्रकार से परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है :—

भारत सरकार	35%
सुजुकी मोटर कम्पनी	35%
जनता/वित्तीय संस्था	30%

(ग) पूंजीनिवेश के लिए निधि जुटाना तथा प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लचीलापन।

भारतीय साइकिल निगम के पास बेची न जा सकने वाली साइकिलें

5817. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साइकिल निगम के पास 3 करोड़ रुपये के मूल्य की लगभग 47000 न बेची जा सकने वाली साइकिलें पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के पास 31-3-1986 को लगभग 30,000 साइकिलों का स्टाक था। सामान्य रूप से सभी साइकिलों के संदर्भ में बाजार की स्थिति अच्छी न होने के कारण स्टाक अधिक था।

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

5818. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कुछ श्रेणियों के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के लागू होने के बाद "फेरा" कम्पनियों और उनकी सहयोगी कम्पनियों ने खाद्य पदार्थ उत्पादन के किन-किन क्षेत्रों में प्रवेश किया है; और

(ग) "फेरा"कम्पनियों के खाद्य पदार्थ तैयार करने के क्षेत्र में प्रवेश करने का (एक) लाभांश स्वदेश भेजने के कारण विदेशी मुद्रा के बाहर जाने तथा (दो) इन क्षेत्रों में कार्यरत अथवा कार्य आरंभ करने वाले संभावित लघु औद्योगिक एककों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्योग को अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन भी लाइसेंस मुक्त किया गया है कि औद्योगिक उपक्रम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिसीमा में नहीं आता है, अतः फेरा कम्पनी द्वारा लाइसेंस मुक्तता की सुविधाओं का लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कांच उद्योग में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

5859. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच उद्योग को कांच उत्पादों के स्थान पर प्रयोग किये जा सकने वाले प्लास्टिक उत्पादों से काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कांच उद्योग में क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) क्या कांच उद्योग के एककों के संगठनों ने सरकार से मोटरगाड़ियों के लिए कांच के पुर्जों का आयात बन्द करने और प्रौद्योगिकी अन्तरण समझौतों के द्वारा यहां अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की अनुमति न देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) गत समय में कांच की बोतलों के उद्योग में क्षमता का उपयोग कम हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि प्लास्टिक के सस्ते प्रतिस्थापक उपलब्ध होने लगे हैं।

(ग) वर्तमान आयात नीति के अनुसार, टफन्ड ग्लास का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर है। किन्तु सेफ्टी ग्लास प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि नई किस्म की कारों के लिए आवश्यक टफन्ड ग्लास बनाने के वास्ते विदेशी सहयोग से नये एककों की स्थापना हेतु अतिरिक्त क्षमताओं के लिए स्वीकृति न दी जाए।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग/पूंजीगत सामान सम्बन्धी सभी आवेदनों पर सरकार द्वारा विद्यमान नीति के अनुसार प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार करके उनका निपटान किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में माइक्रोवेव सेटेलाइट लिंक स्टेशन स्थापित करना

5820. **श्री सुदर्शन दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ माइक्रोवेव सेटेलाइट लिंक स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के स्टेशन किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। उत्तरपूर्व क्षेत्र में 5 माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उत्तरपूर्व क्षेत्र में 30 उपग्रह भू-केन्द्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) माइक्रोवेव स्टेशन बोंगई गांव तथा गोलपाड़ा में जिन्हें गुवाहाटी से जोड़ा जाएगा, शिवसागर एवं लखीमपुर में जिन्हें जोरहट से जोड़ा जाएगा, तथा एजबाल में स्थापित होंगे जिन्हें सिल्चर से जोड़ा जाएगा। जहां तक उपग्रह भू-केन्द्रों का प्रश्न है इनमें से 4 भू-केन्द्र अरुणाचल प्रदेश में जैरो, सेप्पा, अनिनी तथा देपारेजो में स्थापित किए जाएंगे तथा शेष 26 उपग्रह भू-केन्द्रों के लिए वास्तविक स्थानों पर निर्णय लिया जा रहा है।

छोटे तथा कम कीमत वाले ट्रैक्टरों का निर्माण

5821. **श्री एन० डेनिस**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा कम कीमत वाले ट्रैक्टरों के निर्माण के बारे में, जोकि कुछ राज्यों में भूमि की विभिन्न किस्मों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए अधिक उपयोगी होंगे, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) ट्रैक्टरों, शक्तिचालित हलों तथा विभिन्न आकारों की कृषि मशीनों को शामिल करने के लिए वर्तमान निर्माताओं को अपने उत्पादों की श्रेणी में विविधता लाने के लिए पूरी ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों के लाभ के लिए 25 डी० बी० एच० पी० तक के ट्रैक्टरों पर उत्पादन कर में छूट दी गई है।

तेल शोधक कारखानों के लिये साधारण मूल्य प्रारम्भ करना

5822. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल शोधक कारखानों के लिए साधारण मूल्य की एक नई प्रणाली प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका तेल शोधक कारखानों और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिगत तेल भंडारण की सम्भाव्यता

5823. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के भूमिगत भंडारण, जैसा कि अन्य देशों में प्रचलित है, करने की संभाव्यता की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किए गये हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) विशेष दल 1972 से भूमिगत भंडार सम्भाव्यता की जांच कर रहा है। किए गये तकनीकी आर्थिक जांचों और पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनों के विवरणों से ऐसा पता चला है कि कई स्थानों पर कच्चे तेल के भण्डार के लिए भूमिगत खनिज चट्टानी कन्दराएं उपयुक्त रहेंगी। चट्टानी कन्दरा की स्थिरता पर विश्लेषणात्मक पहलू पर अध्ययन किये जा रहे हैं। भण्डारण के लिए ऐसी कन्दराओं और भूमि पर परम्परागत टंकियों के निर्माण के लिए सम्बद्ध अर्थ व्यवस्था पर विचार इन अध्ययनों के पूरा हो जाने पर किया जायेगा।

गहरे जल में तेल उत्पादन की प्रौद्योगिकी के बारे में स्वीडन की पेशकश

5824. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन ये आयल इंडिया को गहरे जल में तेल का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय किसी भी क्षेत्र में गहरे जल में छिद्रण कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों और सहयोगियों का ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) स्वीडन की पेशकश पर निर्णय लिया गया है और उससे पहले की पेशकशों की तुलना में यह पेशकश कैसी है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विकास के लिये उद्योग और वाणिज्य के बीच बातचीत

5825. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग और वाणिज्य के विकास तथा देश की प्रगति के लिए उनके साथ रचनात्मक बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उदारीकरण के विभिन्न उपायों की जानकारी प्राप्त करने तथा उद्योग और व्यवसाय की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सरकार उनसे निरंतर बातचीत करती रहती है। यह एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सावधिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। अन्य स्तरों पर भी विचार-विमर्श होता है जैसे कि उद्योगों की विकास परिषद् और लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समितियां।

मोटर-वाहनों में एल० पी० जी० का प्रयोग

5826. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में पल्लावन परिवहन निगम ने टैक्सी कार और स्कूटर जैसे वाहनों को चलाने में एल० पी० जी० का सफल प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश भर में कार तथा अन्य वाहनों में एल० पी० जी० का प्रयोग ईंधन के रूप में करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वाहन चलाने के लिए पैट्रोल के स्थान पर एल० पी० जी० का प्रयोग करने से अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) पल्लवन परिवहन निगम मद्रास ने डीजल से चलने वाली कुछ बस के इंजनों में एच० एस० डी० के स्थान पर एल० पी० जी० का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि एल० पी० जी० को अनिवार्यतः घरेलू ईंधन के रूप में ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और जब तक इस प्रयोग की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित नहीं हो जाती है, देश में एल० पी० जी० को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिये तेल का भंडार

5827. श्रीमती डी० के० भंडारी :
डा० टी० कल्पना देवी
: क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाना रिकार्ड मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) हल्दिया अब कुल कितने तेल भंडार पर निर्भर है; और

(घ) ये भंडार अनुमानत: कितने समय के लिए हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) हल्दिया रिफाइनरी ने 1985-86 में 2.82 मिलियन मी० टन कच्चे तेल की रिकार्ड थ्रुपुट प्राप्त की है।

(ग) और (घ) हल्दिया रिफाइनरी केवल आयातित कच्चे तेल को ही प्रोसेस करती है।

ताप, पन, और परमाणु बिजली घरों की क्षमता का उपयोग

5828. श्रीमती डी० के० भंडारी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के प्रयोग द्वारा ताप, पन और परमाणु बिजली घरों की क्षमता का यथा सम्भव अधिकतम उपयोग करने के लिए लोड फैक्टर संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है;

(ख) क्या तापीय लोड प्लांट फैक्टर में सुधार के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही से बिजली उत्पादन की स्थिति काफी सन्तोषजनक हो गई है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या अपेक्षित स्तर तक कार्य कर रहे संयंत्रों में और आगे सुधार करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विद्युत केन्द्रों की क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करने के पहलुओं की जानकारी है और उनका विश्लेषण किया जाता है। जहां तक सम्भव होता है विश्लेषण कार्य में कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है।

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (फरवरी 1986 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिखाया गया है। वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 32 ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं ताकि इन विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाया जा सके।

विवरण-एक

विद्युत सप्लाई की स्थिति

अवधि : अप्रैल, 1984-मार्च, 1985
(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	कमी (%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	5571	3963	—1608	28.9
बी० एस० एल० सहित हिमाचल प्रदेश	614	650	+ 36	5.8
जम्मू व कश्मीर	1549	1270	+ 279	18.0
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब	9585	7741	—1844	19.2
राजस्थान	6570	5903	— 667	10.2
उत्तर प्रदेश	16352	14193	—2159	13.2
दिल्ली	4175	4448	+ 273	+6.5
चण्डीगढ़	306	303	— 3	1.0
	44722	38471	— 6251	— 14.0

1	2	3	4	5
गुजरात	12565	12784	+ 219	1.7
मध्य प्रदेश	9814	10232	+ 422	+4.3
गोवा सहित, महाराष्ट्र	24055	23102	— 953	4.0
पश्चिमी क्षेत्र	46430	46118	— 312	0.7
आंध्र प्रदेश	11287	12036	+ 749	+6.6
कर्नाटक	10277	9532	— 745	7.2
केरल	4775	4662	— 113	2.4
तमिलनाडु	13390	13580	+ 190	+1.4
दक्षिणी क्षेत्र	39729	39810	+ 81	+0.2
बिहार	4418	2678	—1740	39.4
पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित	6769	6621	— 148	2.2
दामोदर घाटी निगम	6576	5344	—1232	18.7
उड़ीसा	5194	4339	— 855	16.5
पूर्वी क्षेत्र	22957	18982	—3975	17.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1594	1632	+ 38	+2.4
अखिल भारत	155432	145013	—10419	6.7

विवरण-एक (क)

विद्युत सप्लाई की स्थिति : अवधि : अप्रैल-85 — फरवरी, 86

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	5067	3815	1252	24.7
हिमाचल प्रदेश	703	700	3	0.4

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	1544	1307	237	15.3
एन० एफ० एफ० सहित, पंजाब	9735	8806	929	9.5
राजस्थान	6370	5883	487	7.6
उत्तर प्रदेश	15943	13961	1982	12.4
दिल्ली	4504	4493	11	0.2
चण्डीगढ़	326	314	12	3.7
जोड़ :	44192	39279	4913	11.1
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	12778	12547	231	1.8
मध्य प्रदेश	10151	10136	15	0.1
महाराष्ट्र, गोआ सहित	23632	23237	395	1.7
जोड़ :	46561	45920	641	1.4
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	12220	12220	—	—
कर्नाटक	11046	8561	2485	22.5
केरल	4753	4753	—	—
तमिल नाडु	13260	11821	1439	10.8
जोड़ :	41279	37355	3924	9.5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	3935	2839	1096	27.8
पश्चिम बंगाल	66 0	6322	358	5.4
दामोदर घाटी निगम	6024	5438	586	9.7
उड़ीसा	4919	4015	904	18.4
जोड़ :	21558	18614	2944	13.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1608	1558	50	3.1
अखिल भारत	155198	142726	12472	8.0

विवरण-दो

राज्य-वार संयंत्र भार अनुपात

(संयंत्र भार अनुपात %)

	1984-85	1985-86
दिल्ली	51.1	51.0
हरियाणा	34.7	32.8
जम्मू व कश्मीर	—	—
राजस्थान	57.2	57.5
पंजाब	64.3	58.9
उत्तर प्रदेश	39.7	47.1
गुजरात	56.0	55.1
मध्य प्रदेश	51.8	57.7
महाराष्ट्र	50.3	54·8
आंध्र प्रदेश	54.9	67.3
कर्नाटक	—	33.5
तमिल नाडु	58.7	62.8
बिहार	30.5	34.1
दामोदर घाटी निगम	48.6	49.4
उड़ीसा	32.2	31.7
पश्चिम बंगाल	40·0	43.2
असम	29.6	27.5
अखिल भारत	50.1	52.4

केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय

5829. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1986 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में दिये गये प्रत्येक सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) शीरा और अल्कोहल पर मूल्य निर्धारण नीति और वितरण नियंत्रण, टापिओका जैसे कच्चे मालों के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन, शीरा का अनियन्त्रण और पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रतिबन्ध आदेशों की छूट से सम्बन्धित मुख्य सुझावों पर, शीरा और अल्कोहल पर नई नीति तैयार करते समय विचार किया जाएगा जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

शीरा और अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सम्पूर्ण वर्ष के लिए एक ही बार में अन्तर राज्य आवंटन करने और शुल्क मुक्त अल्कोहल (डिनेपर्ड) का आयात जारी रखने का भी निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि शीरा के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को अपने स्वयं के संसाधनों के अन्दर-अन्दर आवेदनों को अग्रता देनी चाहिए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां मंजूर करने के लिए मानदण्ड

5830. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खाना पकाने की गैस के वितरण एजेंसियां मंजूर करने के लिए राज्यवार और वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास एजेंसियां मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों से खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की अधिक मांग है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आवधिक सर्वेक्षणों के आधार पर तेल उद्योग प्रत्येक वर्ष के आधार पर विपणन योजनाएं बनाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) सामान्यतः 20,000 या उससे अधिक की जनसंख्या वाले उन शहरों को एल०पी०जी० के विपणन के लिए चरणबद्ध रूप से हाथ में लिया जा रहा है जहां आर्थिक व्यवहार्यता के लिए तत्व उपलब्ध है।

(ग) और (घ) शहरों से जुड़े ग्रामीण इलाकों को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० का विपणन नहीं किया जा रहा है और न ही ऐसा करने का प्रस्ताव है।

सीमेंट कारखानों की विकास दर और विस्तार दर

5831. श्री ललितेश्वर प्रसाद साही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 के बाद नये सीमेंट कारखानों की वार्षिक विकास दर क्या है;

(ख) वर्ष 1976 के बाद सीमेंट कारखानों की वर्षवार विस्तार दर क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों को सीमेंट की कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(घ) खुले बाजार मूल्यों की अधिकांश सीमेंट का क्या किया जाता है;

(ङ) क्या खुले बाजार मूल्य की 90 प्रतिशत सीमेंट महानगरों को भेजी जाती है; और

(च) क्या सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति से सरकार सन्तुष्ट है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(घ) चूंकि गैर-लेवी (खुला बाजार मूल्य) सीमेंट मूल्य तथा वितरण नियंत्रण की सीमा से बाहर है अतः ठीक-ठीक ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के लिए गैर-लेवी सीमेंट के प्रेषणों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-तीन में दिये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, हां।

विवरण-एक

वर्ष	नई सीमेंट की फैक्टरियों की अधिष्ठापित क्षमता की वार्षिक विकास की दर	सीमेंट फैक्टरियों की अतिरिक्त क्षमता की वार्षिक विस्तार की दर
1976	0.95%	0.71%
1977	0.93%	0.98%
1978	कुछ नहीं	1.85%
1979	4.29%	4.52%
1980	6.68%	2.47%
1981	8.10%	2.78%
1982	11.26%	3.79%
1983	5.29%	3.10%
1984	10.83%	0.92%
1985	7.48%	2.09%

विवरण-दो

वर्ष 1983, 1984 और 1985 में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित भिन्न-भिन्न राज्यों को किये गये सीमेंट का आवंटन

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सिंचाई और बिजली सहित वर्षवार आवंटन		
		1983	1984	1985
1	2	3	4	5
1.	चण्डीगढ़	75	77	77
2.	दिल्ली	266	328	313

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	438	411	498
4.	हिमाचल प्रदेश	123	152	197
5.	जम्मू और कश्मीर	188	365	387
6.	राजस्थान	621	428	507
7.	उत्तर प्रदेश	1642	1749	2192
8.	पंजाब	613	642	837
	योग उत्तरी क्षेत्र :	3966	4152	4981
9.	असम	223	291	308
10.	अरूणाचल प्रदेश	59	59	58
11.	बिहार	913	963	1013
12.	मेघालय	87	87	91
13.	मिजोरम	31	31	33
14.	मणिपुर	64	65	74
15.	नागालैंड	64	75	81
16.	उड़ीसा	508	487	497
17.	सिक्किम	58	59	63
18.	त्रिपुरा	60	66	68
19.	पश्चिम बंगाल	777	948	946
	योग पूर्वी क्षेत्र :	2 844	3128	3232
20.	दादर नगर हवेली	13	13	20
21.	गोआ दमन और दीव	109	108	112
22.	गुजरात	1088	1138	934

1	2	3	4	5
23.	मध्य प्रदेश	834	1067	1223
24.	महाराष्ट्र	1506	1721	1598
	योग पश्चिम क्षेत्र	3550	4047	3887
25.	आन्ध्र प्रदेश	958	1029	1005
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	22	23	23
27.	कर्नाटक	788	840	830
28.	केरल	481	475	439
29.	लक्ष द्वीप	5	5	5
30.	पाण्डिचेरी	27	27	29
31.	तमिलनाडु	874	878	968
	योग दक्षिण क्षेत्र :	3155	3277	3299
	कुल योग :	13515	14604	15366

विवरण-तीन

1983, 1984 और 1985 के वर्षों में गैर-लेवी सीमेंट का राज्यवार और क्षेत्रवार प्रेषण

(हजार मी० टन)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर लेवी प्रेषण		
		1983	1984	1985
1	2	3	4	5
1.	चण्डीगढ़	72	124	116
2.	दिल्ली	478	540	751

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	342	349	409
4.	हिमाचल प्रदेश	24	27	42
5.	जम्मू और कश्मीर	26	41	77
6.	पंजाब	469	435	685
7.	राजस्थान	204	275	407
8.	उत्तर प्रदेश	965	1179	1505
	योग :	2580	2970	3992
9.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	—
10.	असम	66	118	148
11.	बिहार	506	337	673
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	मिजोरम	—	—	—
15.	नागालैंड	3	5	—
16.	उड़ीसा	184	268	302
17.	सिक्किम	—	—	—
18.	त्रिपुरा	—	—	—
19.	पश्चिम बंगाल	728	771	1034
	योग :	1489	1699	2162
20.	दादर नगर हवेली	2	1	—
21.	गोवा, दमन और दीव	8	46	45

1	2	3	4	5
22.	गुजरात	943	1364	1557
23.	मध्य प्रदेश	446	474	608
24.	महाराष्ट्र	1573	2070	2343
	योग :	2972	3955	4555
25.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—
26.	आन्ध्र प्रदेश	919	1262	1304
27.	कर्नाटक	342	674	815
28.	केरल	191	859	1144
29.	लक्ष द्वीप	—	—	—
30.	पाण्डिचेरी	7	19	24
31.	तमिलनाडु	815	1246	1607
	योग :	2274	4060	4895
	कुल योग :	9315	12684	15604

[हिन्दी]

सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक आदि के रूप में नियुक्ति

5832. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन व्यक्तियों की उनमें नियुक्ति करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव के बारे में, जिनके सेवाकाल के दौरान इन उपक्रमों को घाटा हुआ है, नियुक्ति करते समय कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली के निकटवर्ती "रिंग टाउनों" की टेलीफोन प्रणाली को एक नये निगम के अन्तर्गत लाना

5833. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकटवर्ती "रिंग टाउनों" की टेलीफोन प्रणाली नये टेलीफोन निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारणा पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस टेलीफोन प्रणाली को एक नये निगम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां, टेलीफोन निगम का कार्य क्षेत्र दिल्ली संघ शासित क्षेत्र तक सीमित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनी मामलों के लिए अधिकरण की स्थापना

5834. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक अधिकरणों की तरह अन्य मामलों के लिए भी अधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी मामलों के लिए एक अलग अधिकरण स्थापित करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, संविधान के अनुच्छेद 323क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। अन्य प्रयोजनों के लिए अधिकरणों की स्थापना के संबंध में सरकार संविधान के अनुच्छेद 323ख के उपबंधों का अनुसरण करेगी।

(ख) कम्पनी मामलों के लिए किसी पृथक अधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सस्ते विद्युत उपकरण के लिए बेल्जियम की पेशकश

5835. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम ने देश के लिए सस्ते विद्युत उपकरणों की पेशकश की है, जैसाकि दिनांक 11 मार्च, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि इस मामले में सरकारी क्षेत्र के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा देश के अन्य एककों के हितों की पूरी रक्षा की जाए ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) बेल्जियम के विदेश व्यापार मन्त्री ने मार्च, 1986 में ऊर्जा मन्त्री और उद्योग मन्त्री से मुलाकात की थी और सामान्य रूप से कुछ बातचीत हुई थी। जब कभी ठोस प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों पर कार्यवाही करते समय बी० एच० ई० एल० सहित स्वदेशी उद्योग के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को आबंटित किये गये पेट्रोल पम्पों/खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की संख्या

5836. श्री राम प्यारे सुमन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के लिए जिलावार कुल कितने पेट्रोल पम्पों और खाना पकाने की गैस की डीलरशिप के आबंटन हेतु विज्ञापन दिये गये तथा ये विज्ञापन किन-किन स्थानों के लिये दिये गये और कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन पर क्या कारंवाई की गई;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के कुल कितने आवेदन पत्र

प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया और कितने अभी लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सभी मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित विवरण को एकत्र करने में निहित प्रयास से वांछित प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

5837. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने का विचार है;

(ख) चित्तौड़गढ़ जिले को माइक्रोवेव प्रणाली से कब तक जोड़ने का विचार है;

(ग) ऐसे तहसील मुख्यालयों को, जो अभी चित्तौड़गढ़ से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार का विचार चित्तौड़गढ़ जिले के किन-किन गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पांच जिला मुख्यालयों को माइक्रोवेव प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) चित्तौड़गढ़ को माइक्रोवेव के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, चित्तौड़गढ़ को आप्टिकल फाइबर केबिल मार्ग, जिसके 1989-90 में चालू करने की अस्थाई योजना है, से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ग) 1990 तक

(घ) सातवीं योजना के दौरान 28 ग्रामों को लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों से जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि और सामग्री उपलब्ध हो जाए। ये ग्राम हैं :—

(1) खाटीखेड़ा (2) राजगढ़ (3) रायता (4) कन्नौज (5) बानसेन (6) पंडोली (7) बेटवालगढ़-पछोली (8) बरोरी (9) गणेशपुरा (10) कारजू (11) मोखन (12) पिराना

(13) पुरहोली (14) सुत्रानिया (15) कुंवालिया (16) जश्मा (17) बबरना (18) हुथियाना (19) सतखंडा (20) गडोला (21) असवता (22) पनमोली (23) खेरोट (24 रखजावा (25) साघली बाड़ी (26) बड़मंडल (27) जादंड (28) रिबाड़ा

राजस्थान में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां और कनेक्शन

5838. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई को रोकने के लिए खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की संख्या बढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में खाना पकाने की इन गैस एजेंसियों की जिला-वार कुल संख्या क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक जिले में खाना पकाने की गैस के कुल कितने कनेक्शन दिये गये हैं;

(घ) चित्तौड़गढ़ जिले में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ङ) चित्तौड़गढ़ शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और उन्हें खाना पकाने की गैस के कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है; और

(च) खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए नया पंजीकरण कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आवधिक सर्वेक्षणों के आधार पर तेल उद्योग प्रत्येक वर्ष के आधार पर एल० पी० जी० वितरणशिप के लिए विपणन योजनाएं बनाता है जिसमें ऐसे वितरणशिप के लिए मांग संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जाता है। एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने से जलाने की वाणिज्यिक लकड़ी पर दबाव कम हुआ है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस समय चित्तौड़गढ़ जिले में दो एल० पी० जी० वितरणशिपें काम कर रही हैं।

(ङ) 31 मार्च, 1986 को चित्तौड़गढ़ शहर में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 550 व्यक्ति थे। प्रतीक्षा सूची में नए कनेक्शन तेल उद्योग के वार्षिक उपभोक्ता नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से दिए जाएंगे।

(च) राजस्थानी प्रथा को देखते हुए जिला प्रशासन एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए नये पंजीकरण हेतु उपयुक्त समय पर आवेदन आमंत्रित करेगा।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या	कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	जयपुर	19	72473
2.	जोधपुर	6	21944
3.	कोटा	6	15292
4.	बूंदी	1	5085
5.	अजमेर	6	23730
6.	उदयपुर	6	14217
7.	चूरू	3	4487
8.	झुंझूनु	3	8650
9.	जैसलमेर	1	609
10.	नागौर	2	2079
11.	सिरोही	2	1913
12.	बांसवाड़ा	1	751
13.	डूंगरपर	1	650
14.	धोलपुर	1	1024
15.	अलवर	4	11069
16.	श्रीगंगानगर	2	5218
17.	बीकानेर	4	11500
18.	झालवार	2	324
19.	जैलोर	1	2503

1	2	3	4
20.	चित्तौड़गढ़	2	2766
21.	भरतपुर	2	9283
22.	भीलवाड़ा	2	3336
23.	सीकर	1	6511
24.	सवाईमाधोपुर	2	3096
25.	टोंक	1	1804
26.	पाली	1	3371
27.	बाड़मेर	—	—

चुनाव-प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों के प्रयोग पर प्रतिबंध

5839. श्री आर० एम० भोये : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को चुनाव प्रचार के लिए पूजा के स्थानों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चुनाव आयोग से कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) "राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता" में यह अनुबंध है कि "मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य उपासना-स्थलों का प्रयोग निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाएगा।" संहिता के कुछ घोर अतिक्रमणों को निर्वाचन अपराध बनाने की दृष्टि से, निर्वाचन आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि निर्वाचन प्रयोजनों के लिए मंच के रूप में मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों और अन्य उपासना-स्थलों के प्रयोग को रोकने तथा व्यतिक्रम के लिए उपयुक्त शास्ति विहित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई विशेष उपबन्ध किया जाए।

[अनुवाद]

गुजरात के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन

5840. श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को कच्चे तेल पर इस समय रायल्टी किस दर पर दी जा रही है;

(ख) यह दर कब निर्धारित की गई थी और रायल्टी की दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए थे;

(ग) पिछली बार जब रायल्टी की दर निर्धारित की गई थी उस समय कच्चे तेल का मूल्य क्या था और इस समय कच्चे तेल का मूल्य क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन करने पर सहमत हो गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दरें कब तक संशोधित कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कच्चे तेल पर 61 रुपये प्रति मी० टन।

(ख) और (ग) रायल्टी दर में पिछला संशोधन अप्रैल, 1981 से उस समय किया गया था जब कच्चे तेल का मूल्य 305.41 रुपये प्रति मी० टन था। इस समय देशी कच्चे तेल का मौलिक मूल्य 968/-रुपये प्रति मी० टन है। रायल्टी का सम्बन्ध कच्चे तेल के कूप शीर्ष मूल्य से होता है और कई बातों के तालमेल से इसका निर्धारण किया जाता है। यथा, उस राज्य के लिए युक्तिसंगत राजस्व

की व्यवस्था करने की वांछनीयता जहां तेल का उत्पादन होता है की जाती है और इसके साथ-साथ इसे वहां तक सीमित किया जाता है, जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी की जायेगी। इसे कच्चे तेल के कूप शीर्ष मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रमुख मांग यह थी कि रायल्टी में संशोधन आयात के तुलनात्मक मूल्य के 20 प्रतिशत तक किया जाए।

(च) से (ज) रायल्टी की दर में संशोधन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

5841. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) उपलब्धियां क्या रही हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यवार ऊर्जा उत्पादन का कार्यक्रम और वास्तविक उत्पादन

(संख्या मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली का नाम	ताप विद्युत		न्यूक्लीय विद्युत		जल विद्युत		जोड़	
	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बी० बी० एम० बी०	—	—	—	—	9900	10568	9900	10568
दिल्ली	4610	4495	—	—	—	—	4610	4695
जम्मू व कश्मीर	0	7	—	—	870	863	870	870
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	1370	1247	1370	1247
हरियाणा	1409	1206	—	—	25	—	1434	1206
राजस्थान	1105	1109	1150	1292	792	925	3047	3326
पंजाब	4100	4276	—	—	1770	1487	5870	5763

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	14015	14084	—	—	4780	4583	18795	18567
गुजरात	12861	12641	—	—	950	293	13811	12934
महाराष्ट्र	19935	21359	1750	1962	5725	5239	27410	28560
मध्य प्रदेश	15235	15487	—	—	448	416	15683	15903
आन्ध्र प्रदेश	8980	10561	—	—	7425	5738	16405	16299
कर्नाटक	150	207	—	—	8810	7312	8960	7519
केरल	—	—	—	—	4990	5358	4990	5358
तमिलनाडु	8056	9631	1100	1731	4120	2946	13276	14308
बिहार	3050	3090	—	—	190	235	3240	3325
उड़ीसा	1550	1305	—	—	2440	2170	3990	3475
पश्चिम बंगाल	7824	7761	—	—	125	124	7949	7885
दामोदर घाटी निगम	6200	6059	—	—	250	405	6450	6464
सिक्किम	—	—	—	—	20	30	20	30
असम	920	842	—	—	—	—	920	842
मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा	—	—	—	—	1000	1001	1000	1001
अखिल भारत	110000	114120	4000	4985	56000	50940	1,70,000	17045

पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन

5842. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की स्थिति खराब है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई परियोजनाएं शुरू करने, चालू परियोजनाएं पूरा करने और वर्तमान परियोजनाओं का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी 13.6 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय कमी 8 प्रतिशत थी।

(ख) से (घ) सातवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं; राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में नई विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना; निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना आदि। जिन जल विद्युत तथा ताप विद्युत केन्द्रों को इस क्षेत्र में सातवीं योजना में चालू करने का कार्यक्रम है उनका ब्यौरा तथा उनके लिए प्रारक्षित निधियां क्रमशः विवरण-एक और दो में दी गई हैं।

विवरण-एक

पूर्वी क्षेत्र में सातवीं योजना में जिन जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम हैं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सातवीं योजना में चालू किए जाने के लिए क्षमता का कार्यक्रम (मेगावाट)	चालू करने की सम्भावित तारीख	सातवीं योजना के लिए प्रारक्षित निधियां (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
बिहार				
1.	उत्तरी कोइल	2×12	1988-89	23.64
2.	पूर्वी गण्डक नहर	3×5	1987-88 1988-89	20.96

1	2	3	4	5
3.	सोन पूर्वी नहर	2×1.65	1989-90	8.19
4.	सोन पश्चिमी नहर	4×1.65	1989-90	17.25
उड़ीसा				
1.	रेंगाली	2×50	1985-86 (चालू कर दी गई है)	7.56
2.	रेंगाली विस्तार	2×50	1989-90	39.39
3.	अपर कोलाब	3×80	1986-87 1987-88	44.00
4.	हीराकुंड विस्तार 7 यूनिट	1×37.5	1987-88	15.81
5.	पोतेरू	2×3	1988-89	5.46
सिक्किम				
1.	रोंगनीचू चरण-दो	5×0.5	1987-88	4.08
2.	रिम्बी चरण-दो	2×0.5	1986-87	1.14
पश्चिम बंगाल				
1.	रम्मन चरण-दो	4×12.5	1988-89 1989-90	33.00
2.	तीस्ता प्रपात 1 से 4	1×3×7.5	1989-90	45.00
3.	फँजी विस्तार	1×1.2	1986-87	1.51
केन्द्रीय क्षेत्र (दा० घा० नि०)				
1.	पंचेत हिल	1×40	1987-88	40.87

विवरण-दो

पूर्वी क्षेत्र में सातवीं योजना में जिन ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम है

क्रम सं०	परियोजना और यूनिट का नाम	सातवीं योजना में चालू किए जाने के लिए क्षमता का कार्यक्रम (मेगावाट)	चालू करने की सम्भावित तारीख	सातवीं योजना के लिए प्रारक्षित निधि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
बिहार				
1.	पतरातु चरण-चार यूनिट-10	1×110	1985-86 (समकालित)	7.58*
2.	मुजफ्फरपुर यूनिट-2	1×110	1985-86 (समकालित)	33.48×
3.	तेनुघाट यूनिट-1	1×210	1989-90	320.00+
दामोदर घाटी निगम				
1.	बोकारो "ख" चरण-एक	1×210	1985-86 (समकालित)	45.88
2.	बोकारो "ख" चरण-दो	2×210	1987-88 1988-89	156.59
3.	गैस टर्बाइन	3×30	3/87 (60 मे०वा) 87-88 (30मे०वा)	55.00
पश्चिम बंगाल				
1.	कोलाघाट चरण-1 यूनिट 1 और 2	2×210 यू-2	1985-86 (समकालित) 1987-88	46.94×
2.	कोलाघाट चरण-2 यूनिट-4	1×210 यू-1	1988-89	320.00**

1	2	3	4	5
3.	दुर्गापुर परियोजना लि० यूनिट-6	1×110	1985-86 (समकालित)	13.93
केन्द्रीय क्षेत्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)				
1.	फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र चरण-1	3×210 यू-1	1985-86 (समकालित)	181.00
		यूनिट-2 व 3	1986-87	

* इसमें यूनिट-9 के लिए प्रावधान शामिल है।

× इसमें यूनिट-1 के लिए प्रावधान शामिल है।

\+ इसमें यूनिट-2 के लिए प्रावधान शामिल है।

× इसमें यूनिट-3 के लिए प्रावधान शामिल है।

** इसमें यूनिट-5, 6 के लिए प्रावधान शामिल है।

उड़ीसा में हीराकुंड जलविद्युत परियोजना की सातवीं यूनिट की प्रगति

5843. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हीराकुण्ड जल विद्युत परियोजना की सातवीं यूनिट चलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, इस यूनिट को वर्ष 1987-88 के दौरान चालू कर दिए जाने की आशा है। पिट क्षेत्र की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। तथा ड्राफ्ट ट्यूब के उत्थापन का कार्य शुरू हो गया है। प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह कुओं की कंक्रीटिंग का कार्य चल रहा है। आयातित उपस्करों की सुपुर्दगी कर दी गई है, पेनस्टाक गेटों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और स्विचयार्ड उपस्कर प्राप्त कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के ट्रैक्टर कारखाने में हानि/लाभ

5844. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के अंतर्गत ट्रैक्टर कारखाना कब से चल रहा है तथा इसे कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) यदि इसे हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं और उसमें अब तक सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया है; और

(ग) क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एच० एम० टी० के ट्रैक्टर प्रभाग की स्थापना पिंजौर में 1971-72 में की गई थी। 1979-80 से यह एकक लगातार लाभ कमा रहा है जैसाकि नीचे दिया गया है : —

1979-80	74 लाख रु०
1980-81	97 ,,
1981-82	273 ,,
1982-83	28 ,,
1983-84	233 ,,
1984-85	287 ,,
1985-86	310 ,, (अनन्तिम)

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

नई दिल्ली से भुवनेश्वर और कटक के लिए विमान डाक सेवा

5845. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के दो बड़े नगर भुवनेश्वर और कटक को अभी तक विमान डाक सेवा से नई दिल्ली से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश की राजधानी तथा भुवनेश्वर और कटक के बीच विमान डाक सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए दैनिक हवाई डाक सेवा इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट संख्या आई० सी० 497/498 के माध्यम से उपलब्ध है। कटक के लिए तथा वहां से जाने वाली डाक भी उसी उड़ान के द्वारा भेजी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बोदघाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी

5846. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बोद घाट जल विद्युत परियोजना मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को यह परियोजना सबसे पहले किस तारीख को प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मंजूरी मिलने से पहले ही इस योजना पर 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही खर्च कर दी थी;

(घ) क्या अधिकारियो का एक प्रतिनिधिमण्डल विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श करने हेतु वाशिंगटन भी भेजा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बोदघाट जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट) एक निर्माणाधीन परियोजना है तथा तकनीकी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद योजना आयोग ने इसे फरवरी, 1979 में स्वीकृत किया था। तथापि, फरवरी, 1983 में प्रस्तुत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आवंटनों में से मार्च, 1986 तक परियोजना पर

14.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन स्वीकृति से सम्बन्धित मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

5847. श्री अमर राय प्रधान
श्री चित्त महाता
श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1978 में केन्द्रीय सरकार से हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए अनुरोध किया था और उसके बाद से केन्द्रीय सरकार पर इस बारे में बराबर बल देती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हल्दिया तेल शोधन कारखाने की वर्तमान क्षमता प्रतिवर्ष 25 लाख मीट्रिक टन की है और जिसमें 12 लाख मीट्रिक टन नेप्था का उत्पादन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए हैं और अकेली इस परियोजना के लिए प्रतिवर्ष 35 से 57 लाख मीट्रिक टन नेप्था की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या नेप्था की मांग को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता में जल्दी ही वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार के लिए अनुरोध कर रही है।

(ख) इसकी डिजाइन क्षमता 2.5 मिलियन मी०टन है जिसमें 1.28 लाख मी० टन नेप्था के उत्पादन की व्यवस्था है।

(ग) हल्दिया पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। इसकी नेप्था आवश्यकता लगभग 4.0 लाख टन होगी।

(घ) से (च) नेप्था के उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर घरेलू साधनों से तथा यदि आवश्यक हुआ तो आयात के द्वारा हल्दिया पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स की नेप्था की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव होगा। केवल इस प्रयोजन के लिए हल्दिया रिफाइनरी का विस्तार आवश्यक नहीं समझा गया है।

जिला मुख्यालय और राज्य की राजधानियों के बीच सीधी डायल सेवा प्रारम्भ करना

5848. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों और उप मंडलीय मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों के बीच सीधी डायल सेवा प्रारम्भ करने सम्बन्धी किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्यक्रम हैं और योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सीधी डायल सेवा प्रारम्भ करने के लिए और प्रशासनिक और अन्य आधार पर सभी समुदायों के हितों से सम्बन्धित स्थानों को जोड़ने सम्बन्धी प्राथमिकताएं क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें (i) जिला मुख्यालयों और राज्यों की राजधानियों तथा (ii) जिन-जिन राज्यों की राजधानियों और देश की राजधानी के बीच एस टी डी नहीं है उनके बीच एस टी डी सुविधा प्रदान करना शामिल है। जिला मुख्यालयों से देश की राजधानी (दिल्ली) और उप मंडल मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों तथा राज्य के मुख्यालयों के बीच एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना में प्राथमिकता नहीं दी गई है। देश के 435 जिला मुख्यालयों में से 187 जिला मुख्यालयों को 31.3.86 तक एस टी डी द्वारा उनके राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ दिया गया है। जिन जिला मुख्यालयों को एस टी डी द्वारा उनसे सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ा गया है उनकी संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है। देश के शेष जिला मुख्यालयों को भी सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों से जोड़े जाने की योजना बनाई गई है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। लेकिन शेष जिला मुख्यालयों में जहां उपेक्षित है मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण करने और उन्हें सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। सातवीं योजनावधि के दौरान शेष जिला मुख्यालयों को उनके राज्यों की राजधानियों के साथ एस टी डी द्वारा जोड़ने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

(ग) चूंकि काफी अधिक स्टेशन एस टी डी की मांग कर रहे हैं इसलिए इस बात को मद्दे-

नजर रखते हुए निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय की गई हैं :—

(i) राज्यों की राजधानियों और संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना।

(ii) जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ना।

(iii) दिल्ली में 300 कि० मी० के भीतर और बम्बई, कलकत्ता 300 और मद्रास से 200 कि० मी० के भीतर आने वाले जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित महानगर केन्द्रों से जोड़ना।

(iv) परियात की दृष्टि से उचित अन्य रूट (प्रतिदिन एक तरफा एक सौ काल कम से कम) बशर्ते कि स्वचल स्थानीय एक्सचेंज और विश्वसनीय संचारण माध्यम उपलब्ध हो।

(v) 1.4.85 को जिन स्थानों के एक्सचेंजों की क्षमता 1000 लाइन या उससे अधिक है उन्हें भी शामिल करने की योजना बनाई गई है।

जहां तक प्राथमिकता (III) का सम्बन्ध है स्थिति संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

31.3.86 तक जितने जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ा गया है उससे सम्बन्धित विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	राजधानी का नाम	जिला मुख्यालयों की कुल संख्या	राज्य की राजधानी के साथ जोड़े गए जिला मुख्यालयों की संख्या	राज्य की राजधानी के साथ न छोड़े गए जिला मुख्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	23	21	02
2.	असम	गुवहाटी	18	03	15
3.	बिहार	पटना	38	12	26
4.	गुजरात	गांधीनगर	19	09	10
5.	हरियाणा	चंडीगढ़	12	09	03

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	12	02	10
7.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	14	05	09
8.	कर्नाटक	बंगलूर	19	15	04
9.	केरल	त्रिवेन्द्रम	14	12	02
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	45	11	34
11.	महाराष्ट्र	बंबई	30	16	14
12.	मणिपुर	इम्फाल	08	01	07
13.	मेघालय	सिलांग	05	03	02
14.	नागालैंड	कोहिमा	07	01	06
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	13	02	11
16.	पंजाब	चंडीगढ़	12	07	05
17.	राजस्थान	जैपुर	27	06	21
18.	सिक्किम	गंगटोक	04	01	03
19.	तमिलनाडु	मद्रास	18	14	04
20.	त्रिपुरा	अगरतला	03	01	02
21.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	57	20	37
22.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	16	11	05
		योग	414	182	232

संघ शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों की संख्या जिन्हें सम्बन्धित प्रदेशों की राजधानियों के साथ एस टी डी द्वारा जोड़ा गया है।

1.	अंडमान निकोबार	पोर्टब्लेयर	02	00	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	09	00	09
3.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	01	01	00

1	2	3	4	5	6
4.	दिल्ली	दिल्ली	01	01	00
5.	दादरनगर हवेली	सिलवासा	01	00	01
6.	गोवा	पंणजी	01	01	00
7.	लक्षद्वीप	कवरत्ति	01	00	01
8.	मिजोरम	एवजल	03	01	02
9.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	02	01	01
	योग		21	05	16

विवरण-दो

निर्धारित दूरी के भीतर आने वाले जिला मुख्यालयों को महानगरों के साथ जोड़ने से सम्बन्धित स्थिति

महानगर केन्द्र	निर्धारित दूरी के भीतर आने वाले जिला मुख्यालयों की संख्या	उन जिला मुख्यालयों की संख्या जो महानगर केन्द्रों के साथ एस टी डी द्वारा जुड़े हैं।
बंबई	8	6
कलकत्ता	12	8
दिल्ली	60	33
मद्रास	6	5

सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

5849. श्री सुरेश कुरूप : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि सभी सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में केन्द्रीय सरकार के सभी उद्यमों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं;

(ग) यदि ऐसा कोई सरकारी उद्यम है जिसमें उक्त जातियों के सदस्य नहीं हैं, तो उसका नाम क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होते हैं।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड नैवेली की तीसरी खान का विस्तार

5850. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली, तमिलनाडु की परियोजना की तीसरी खान के विस्तार के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या तीसरी खान के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव में अधिक से अधिक संघटकों का आयात करने का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोई भी परियोजना तीसरी खान के विस्तार के लिए विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण

5851. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कतिपय कदम उठाने का है; और

(ग) कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान ओपेनकास्ट और भूमिगत खानों के पुनर्गठन/आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए जाते हैं। यह एक निरन्तर चलने वाला काम है तथा आधुनिक मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ करके अनेक खानों का पुनर्निर्माण किया गया है—जैसे ओपेन-कास्ट खानों में अधिक क्षमता की ड्रैगलाइनें और शावेल तथा भूमिगत खानों में लांगवाल फेस उपकरण, रोड हेडर, कन्वेयर आदि।

दक्षिण बेसिन गैस संसाधन काम्पलैक्स के दूसरे चरण को मंजूरी

5852. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने दक्षिण बेसिन गैस संसाधन काम्पलैक्स के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) परियोजना कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 246.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर साऊथ बेसिन गैस प्रोडेक्शन प्रोजेक्ट चरण-II को सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए सिफारिश कर दी है।

(ग) परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक गतिविधियां चल रही हैं, इस पर सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।

पश्चिमी बंगाल में लोक अदालतें

5853. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में लोक अदालतों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामले विनिश्चित किए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिमी बंगाल राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने कोई लोक अदालत लगाई है या नहीं। किन्तु कलकत्ता में पहली लोक अदालत लगाने के लिए कार्यपालक अध्यक्ष, विधिक सहायता सेवा, पश्चिमी बंगाल कारंवाई कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में वन-जन्य उद्योग लगाना

5854. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में वन-जन्य उद्योग लगाने की कोई गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा प्राप्त प्रगति रिपोर्ट से, यह पता चला है कि पश्चिम बंगाल राज्य में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की गुंजाइश है।

(ख) बड़े और मझौले उद्योगों के लिए राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) परिव्यय में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि सिंकोना की पैदावार तथा इपीकाक की पैदावार जैसी योजनाओं के लिए आवंटन किया गया है।

केरल में भारी उद्योग एकक

5855. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में खोले जाने वाले भारी औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं, वे कहां-कहां खोले जायेंगे तथा उनको किस तारीख तक खोला जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नया भारी उद्योग खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मशीनी औजार तथा मुद्रण मशीनों का निर्माण करने के लिए 1 जुलाई, 1966 को कलमस्सेरी में एच०एम०टी० के

एक भारी इंजीनियरी उद्योग एकक का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था।

(ख) और (ग) सरकारी उद्यम विभाग के अधीन सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में सरकारी क्षेत्र में इस समय किसी नई भारी इंजीनियरी परियोजना को स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। नई परियोजना की स्थापना तथा स्थापनास्थल का चुनाव तकनीकी आर्थिक बातों पर निर्भर करता है।

गोवा, दमन और दीव की बिजली की आवश्यकता

5856. **श्री शांताराम नायक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए गोवा, दमन और दीव सरकार के क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संघ राज्यक्षेत्र की इस समय बिजली की आवश्यकता कितनी है;

(ग) इस संघ राज्यक्षेत्र को इस समय किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी बिजली प्राप्त होती है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) गोवा, दमन और दीव सरकार से विद्युत उत्पादन के लिए केवल स्कीम नामश: 2.25 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की माइक्रो जल विद्युत स्कीम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है।

(ख) गोवा, दमन और दीव क्षेत्रों की वर्तमान विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता क्रमशः लगभग 1.28 मिलियन यूनिट प्रति दिन, 0.0466 मिलियन यूनिट प्रतिदिन और .0108 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है।

(ग) और (घ) गोवा की विद्युत की वर्तमान आवश्यकता महाराष्ट्र और कर्नाटक पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की कोरबा-सुपर ताप विद्युत परियोजना से पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है तथा दमन और दीव क्षेत्रों की पड़ोसी राज्य गुजरात से पूरी की जा रही है।

टेलीफोन के बिल बनाने के क्रम में परिवर्तन

5857. **श्री दौलत सिंहजी जदेजा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो महीनों के क्रम में टेलीफोन बिल बनाने की वर्तमान व्यवस्था को बदलकर तीन महीनों के क्रम में बिल बनाने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को दो महीनों के क्रम में बिल बनाने की व्यवस्था के कारण लोगों को हो रही परेशानी की जानकारी है; और

(घ) वर्तमान व्यवस्था की अनुपयुक्तता को देखते हुए समूचे देश में सभी नगरों में टेलीफोन बिलों का भुगतान सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) द्विमाषिक बिल बनाने की पद्धति से मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) टेलीफोन बिलों का भुगतान टेलीफोन कार्यालयों के काउन्टरों अथवा विशिष्ट डाकघर के काउन्टर पर जिसे उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए चुना गया है, किया जा सकता है। महानगर टेलीफोन निगम लि० के बनने के परिणामस्वरूप महानगर टेलीफोन निगम लि० के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले बैंकों के माध्यम से भी टेलीफोन बिलों के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान प्रणाली में किसी प्रकार की कमी का समाचार नहीं मिला है।

कर्नाटक में शरावती विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) परियोजना को मंजूरी

5858. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शरावती विसर्जनी कुल्या (टेलरेस) परियोजना (240 मेगावाट) से संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यह कब भेजी गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) शरावती टेलरेस जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अक्तूबर, 1981 में प्रस्तुत की गई थी और प्राधिकरण ने इसे अक्तूबर, 1983 में स्वीकृत कर दिया था। तथापि, परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अभी स्वीकृत किया जाना है। यद्यपि, पर्यावरण की दृष्टि से

स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रस्ताव परियोजना प्राधिकारियों से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का अध्ययन

5859. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए राज्य स्तर पर कोई एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अध्ययन और विश्लेषणों के निष्कर्ष क्या हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान

5860. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापन और अन्य कदाचारों के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारक आयोग ने अप्रैल, 1985 से अब तक कितने मामलों में कार्यवाही की है; और

(ख) कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है उसके क्या परिणाम निकले हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने विनिर्माताओं/व्यापारियों की ओर से अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित 176 मामलों पर विचार किया है।

(ख) आयोग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36घ के अन्तर्गत 52 मामले जिनमें अन्तिम आदेश पारित किए जा चुके हैं, सहित 142 मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जनजातियों के कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण

5861. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा तकनीकी और दक्षता प्राप्त कार्मिकों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सामान्य रूप से और अपनी परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा देने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ग) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। ऐसे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) 1000/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विशेष रूप से लाना;

(2) विशेष छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत जिसमें आई० आई० टी०/आर० ई० सी० के इंजीनियरी के विद्यार्थियों को दूसरे वर्ष में 5000/- रुपये का एकमुश्त इनाम दिया जाता है तथा संस्थानों/कालेजों में, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में 600 रुपये से 1000 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अधिकारियों/कार्मिकों के लिए पुनरीक्षा कोर्स/आवधिक प्रशिक्षण के एक अभिन्न भाग होते हैं।

(4) ओ० एन० जी० सी० की परियोजनाओं के आस-पास रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए कंपोनेंट योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) 1-7-1985 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बैकलाग इस प्रकार है :—

ग्रुप	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	430	273
ख	218	70
ग	149	122
घ	8	124

प्लास्टिक संसाधन यूनिटों का बन्द होना

5862. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक संसाधन यूनिटें 1 मार्च, 1986 से बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी प्लास्टिक यूनिट बन्द हुई हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) बजट की घोषणा के पश्चात लघु पैमाना क्षेत्र में प्लास्टिक प्रक्रिया ग्रस्त उद्योग पर उत्पाद शुल्क के विपरीत प्रभाव के बारे में विभिन्न प्लास्टिक एसोसिएशनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के अनुसार काफी बड़ी संख्या में लघु और छोटे एकक उत्पाद शुल्क लगाने के कारण बन्द हो गए हैं। दिनांक 2 और 3 अप्रैल, 1986 को संसद में लघु पैमाना उद्योगों को कुछ रियायतों की घोषणा की गई है।

केरल में उद्योग मंडल स्थित कैपरोलोक्टम संयंत्र में पूंजी निवेश

5863. श्री पी० एस० विजय राघवन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उद्योग मंडल स्थित कैपरोलोकटम संयंत्र शुरू हो गया है;

(ख) उस पर कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक पूरा हो जायेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उद्योग मण्डल, केरल स्थित मै० फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के कैप्रोलेक्टम संयंत्र पर अनुमानित निवेश लगभग 260.20 करोड़ रुपये है।

(ग) संयंत्र, 1988 की दूसरी तिमाही तक पूर्ण होना निर्धारित है।

नये गैस रेगुलेटरों में खराबी

5864. श्री बी० एस० विजयराघवन
श्री के० मोहन दास } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गैस सिलेंडरों में लगाए गए नये रेगुलेटर पूर्णतया सुरक्षित नहीं हैं और उनसे दुर्घटना हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इन नये रेगुलेटरों संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पूर्व ("क्लिक ऑन" किस्म के प्रेशर रेगुलेटरों का लगाना आरम्भ किया गया था। ऐसा करना संसार के कई भागों में प्रयोग में लाई जा रही प्रमाणित प्रणाली पर आधारित है और यह भारतीय मानक आई० एस०-9798-1981 के अनुरूप है। बन्द करने और खोलने की नाब टूटने जैसे छोटी-मोटी त्रुटियों के अलावा रेगुलेटर के फूल प्रूफ न होने और दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी होने की व्यापक शिकायतें तेल कम्पनियों को प्राप्त नहीं हुई हैं। रेगुलेटरों के डिजाइन के त्रुटिपूर्ण होने के कारण हुई दुर्घटना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

केरल में केन्द्रीय परियोजनाओं का विस्तार

5865. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में कुछ केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के विस्तार का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) ऐसे कोई प्रमुख विस्तार कार्यक्रम नहीं हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रमुख परिव्यय चालू परियोजनाओं के समापन के लिए है।

केरल में केन्द्रीय परियोजनाओं को मंजूरी

5866. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीय क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वांछित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा उसका विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल के कन्नानूर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधाएं

5867. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्नानूर जिले (केरल) में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कन्नानूर जिले में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कन्नानोर जिले के दो टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम द्वारा तेल पर रायल्टी में संशोधन

5868. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल की रायल्टी की दरों में संशोधन के लिए असम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

केरल में कन्नानूर में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के यूनिट की स्थापना

5869. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट (केरल) में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री(आई० टी० आई०) ने वर्ष 1985 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एकक पिछले दो वर्षों से लाभ पर चल रही है; और

(घ) क्या केरल में कन्नानूर में एक ऐसा ही एकक आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। इस कारखाने ने वर्ष 1985 के लिए उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित किए 23780 समकक्ष लाइनों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने में 23818 समकक्ष लाइनों का उत्पादन किया है।

(ग) जी हां। इस कारखाने को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान लाभ हुआ है।

(घ) जी नहीं।

लघु कंपनियों द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाया गया 6-ए० पी० ए०

5870. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 फरवरी, 1986 के दी बिजनेस स्टैंडर्ड में "स्माल कंपनी मेक्स 6-ए० पी० ए० विद अ ने नो हाउ" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) सरकार ने विदेशी तकनीक पर आधारित 6-ए० पी० ए० और उससे सम्बद्ध मदों के उत्पादन के लिए कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है अथवा कितने प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ग) प्रस्तावों का ब्यौरा, सहयोगकर्त्ताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी अदायगी की गई है और आगामी वर्षों में कितनी अदायगी की जायेगी;

(घ) सरकार ने इस मामले में रायल्टी के कारण खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को तुरन्त रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्दिष्ट लघु उद्योग क्षेत्र एकक द्वारा उत्पादन किये जाने की सूचना देने से पहले ही 6-ए० पी० ए० के उत्पादन के लिए चार प्रस्तावों, जिनमें विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त था, को मंजूरी दी गई थी और एक प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। अब तक मंजूर किए गये चार प्रस्तावों के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमा तक अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) अब तक मंजूर किये गये चार प्रस्तावों में कोई रायल्टी भुगतान अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

(ङ) 6-ए० पी० ए० के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	अन्तर्ग्रस्त भुगतान
1	2	3	4
1.	मै० मेक्स इंडिया लि०, नई दिल्ली	मैं० टोयोजोजो कंपनी लि०, टोक्यो, जापान	एक मुश्त जानकारी फीस रु० 37.85 लाख कर सहित
2.	मै० फोरेस इन्जीनियर्स (इंडिया) लि०, बम्बई	मै० दुफर, एस० पी० ए०, इटली	एक मुश्त जानकारी फीस 1.75 लाख यू० एस० डालर कर की शर्त पर
3.	मै० आस्ट्रा आई० डी० एल०, बंगलौर	मै० आस्ट्रा-स्वीडन	एक मुश्त जानकारी फीस स्विस करोनर्स 29.40 लाख कर की शर्त पर

1	2	3	4
4.	श्री जे० जे० निरुरकर, जै लक्ष्मी, 2, व्हाइट चर्च इन्दौर-45001	मैं० बारीसिन्टेक्स एस० ए०, स्पेन	एकमुश्त जानकारी फीस ——— यू० एस० डालर 3.00 लाख

"6-ए० पी० ए०" का आयात

5871. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरणीकरण एजेंसियों के साथ 6-ए० पी० ए० का नकली पूंजीकरण रोकने हेतु 6-ए० पी० ए० का आयात किया जा रहा है; और

(ख) क्या 6 ए० पी० ए० की मांग के लिये पूंजीकरण को वर्तमान प्रणाली का तात्पर्य एक तरफ विदेशी मुद्रा पर खर्च रोकने को जारी रखने और दूसरी विदेशी सप्लायरों को ऊंचे मूल्यों का भुगतान करना है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

केरल में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

5872. **श्री टी० बशीर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को केरल में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े थे;

(ख) केरल में वर्ष 1986 के दौरान गैस के कनेक्शन देने की व्यवस्था करने का क्या कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केरल में 31 दिसम्बर, 1985 को 3883 व्यक्ति खाना पकाने के गैस के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में थे।

(ख) 1986-87 के नामांकन कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 1986-87

में तेल उद्योग का 80,000 गैस कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवेश से लाभ

5873. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार जो भी पूंजीनिवेश करेगी उसमें प्रत्येक तीसरा रुपया सरकारी उद्यमों से प्राप्त होने का अनुमान है परन्तु सरकार को अपने कुल 43000 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य नीति बनाने का कोई विचार है ताकि प्रबन्धकीय अकुशलता के कारण होने वाले नुकसान का भार उपभोक्ताओं को न उठाना पड़े और इस सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके कि भारी घाटे में चल रहे उपभोक्ता उद्योगों और अत्यधिक बेरोजगारी, परियोजनाओं में वित्तीय और भ्रष्टाचार आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में पूंजीनिवेश किया जाये कि नहीं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना परिव्यय के वित्तीयन के स्रोतों के बारे में विवरण सातवें योजना प्रलेख में उपलब्ध है।

यह सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने कुल मिलाकर 1984-85 में 928.57 करोड़ रुपये, 1983-84 में 240.14 करोड़ रुपये तथा 1982-83 में 613.51 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है। इन वर्षों के दौरान लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ की प्रतिशतता क्रमश 12.74 प्रतिशत, 1 .94 प्रतिशत तथा 13 06 प्रतिशत रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत रूस के सहयोग से औद्योगिक परियोजनाएं

5874. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस के सहयोग से कितनी औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण किया गया है;

(ख) सोवियत रूस की सहायता से चलाई गई उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1981 से 1985 तक सोवियत रूस (यू० एस० एस० आर०) के साथ विदेशी सहयोग के 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। भारतीय और विदेशी फर्मों के नामों, विनिर्माण की मद, सहयोग के स्वरूप आदि को दर्शाने वाले सभी स्वीकृत विदेशी सहयोगों से सम्बन्धित ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र (इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर) द्वारा मासिक न्यूज लैटर के अनुपूरक के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं। स्वीकृतियों पर अनुवर्ती कारंवाई और उनका कार्यान्वयन देखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालयों की है और फलीभूत हुई स्वीकृतियों की संख्या के बारे में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

जिला थंजावुर, तमिलनाडु में लिग्नाइट की खोज

5875. श्री एस० सिंगरावडीवेल . क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि मैलादुथुरा मण्डल, जिला थंजावुर तमिलनाडु में हाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चलाये गये खोज कार्य के दौरान कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट पाया गया था;

(ख) क्या यहां पाया गया लिग्नाइट नैवेली के लिग्नाइट के बढ़िया किस्म का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे निकालने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मायावरम के उत्तर-पश्चिम में लगभग 10 कि० मी० दूर स्थित तिरूमंगलम में ड्रिल किये गये छिछले कुंए में लिग्नाइट मिला था। इसकी सीमें हैं जो 320 से 405 मीटर तक की गहराई में हैं।

(ख) किस्म के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अधिक आंकड़े एकत्र किए जाने हैं।

(ग) इस समय, लिग्नाइट के इन भंडारों के दोहन का कोई प्रस्ताव नहीं है। भंडारों के दोहन के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले विस्तृत जांच करके कुछ तथ्यों के बारे में पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता है जैसे— वह गहराई जहां भंडार हैं, भंडार की सीमा और मात्रा, विभिन्न वर्गों के अधीन भंडार आदि।

नारीमनम् में उपलब्ध प्राकृतिक गैस पूर्ण उपयोग

5876. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारीमनम् में अब उपलब्ध प्राकृतिक गैस को जलाया जा रहा है;

(ख) वहां पर प्रतिदिन कितनी प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक गैस को यदि पूरी तरह निकाला जाये तो यह उर्वर उद्योग जैसे पेट्रो-रसायन उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस गैस को पूरी तरह निकालने और उस तेल में पेट्रो-रसायन उद्योग स्थ पित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) : हां।

(ख) नारीमनम-1 कुएं में क्रूड आयल के साथ उत्पादित होने वाली करीब 4200 क्यूनि मीटर संबद्ध गैस को जलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) मार्च, 1985 में खोदे गए तेल के कुएं की भण्डारण क्षमता को स्थापि करने के लिए कुएं के उत्पादन परीक्षण को बढ़ाया गया है, इस स्थिति में इसके व्यापारिक स्तर प किए जाने वाले उत्पादन की व्यवहार्यता का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

अन्य देशों की तुलना में कोयले के भंडार

5877. **श्री माणिक रेड्डी**
श्रीमती डी० के० भंडारी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अनुभवों के अनुसार हमारे देश में समाप्त न होने वाले कोयले के भंडार और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमरीका/जापान/यूरोप/सोवियत संघ की भांति औद्योगिकीकरण और उत्पाद की तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए हमारे कोयले के भंडार 400 वर्ष या अधिक चलेंगे;

(ग) क्या भारत में प्रति व्यक्ति शिफ्ट उत्पादन कम है और यदि हां, तो कुछ अन्य देशों व तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(घ) क्या कम उत्पादन का कारण कमजोर गठन और निम्न पोषनिक स्तर तथा हम श्रमिकों को दिये जाने वाले घटिया किस्म के औजारों का होना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ज 1985 तक के निर्धारण के अनुसार भारत में कोयले का भंडार 1,55,901.78 मिलियन टन है

1200 मीटर की गहराई तक स्थित 0.5 मीटर एवं उससे अधिक मोटी कोयला सीमों में है। इस समय इस भंडार को विशाल माना जाता है।

(ग) और (घ) भारत और कुछ अन्य कोयला उत्पादक देशों में प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	कुल प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन
भारत	0.88 टन
फ्रांस	1.94 टन
संघीय जर्मन गणराज्य	3.11 टन
जापान	2.12 टन
सं० रा० अमेरिका	16.30 टन

(स्रोत : खान सुरक्षा महानिदेशक)

भारत की तुलना में अन्य देशों में प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन अधिक होने का कारण उन देशों की खानों में मशीनों का अधिक प्रयोग होना है। भू-खनन दशाओं में भी अंतर है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5878. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 1975 से अब तक कुल कितने भू-क्षेत्र का अधिग्रहण किया है (क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है) ;

(ख) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल कितने क्षेत्र का अवतलन किया गया और अवतलन के क्या कारण थे;

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 1975-85 के बीच अधिकृत की अथवा अवतलन की गई भूमि पर अधिकृत भूमि के स्वामियों को कितनी नौकरियां देने की पेशकश की गई है;

(घ) क्या भर्ती किये गये नए व्यक्तियों में उन व्यक्तियों की संख्या कम है जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें रोजगार के कम अवसर प्रदान करने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के नकली सिलेंडरों का वितरण और अवैध कनेक्शन

5879. **श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के लाखों नकली सिलेंडर प्रचलन में हैं और उन में अंतर पता लगाना आसान नहीं क्योंकि वे असली जैसे लगते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में खाना पकाने की गैस के उतने ही अवैध कनेक्शन हैं जतने वैध कनेक्शन;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार अवैध कनेक्शनों और नकली गैस सिलेंडरों की रोकथाम के लिये क्या उपाय करने का है;

(घ) क्या सिलेंडरों का प्रयोग सिलेंडर बमों के रूप में न होने के लिए जनहित में अवैध उपभोक्ताओं पर मुकदमा चलाने हेतु कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) दिल्ली में खाना पकाने की गैस के वितरकों के यहां पंजीकृत उपभोक्ताओं की नवीनतम संख्या कितनी है और वे प्रति माह कितने सिलेंडर लगाते हैं तथा क्या पंजीकृत उपभोक्ताओं और सिलेंडरों की सप्लाई में चिंताजनक असंतुलन नहीं है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय संघ प्रदेश दिल्ली में लगभग 7.58 लाख एल० पी० जी० कनेक्शन हैं। दिल्ली में एल० पी० जी० की प्रतिमाह औसत मांग 6.30 लाख सिलिंडरों की है जिसमें सर्दियों में करीब

30 प्रति की वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता संख्या और मांग का अनुपात यथोचित है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वेतन-ढांचे तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में समिति

5880. **श्री कालीप्रसाद पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वेतन ढांचे महंगाई भत्ते के फार्मूले तथा अन्तरिम सहायता एवं अन्य लाभों के प्रश्न की प्रश्न की जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश तथा वरिष्ठ सिविल सेवक की एक समिति के कार्य भार संभालने की तारीख से चार माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ता ढांचा का पालन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों की यूनियनों द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर 14 मार्च, 1986 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश को देखते हुए सरकार इस मामले पर न्यायालय से बाहर समझौता करते हुए याचिकाकर्त्ता यूनियनों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

सरकार ने केन्द्रीय महंगाई-भत्ता ढांचे का पालन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे, महंगाई भत्ते के फार्मूले तथा अन्तरिम सहायता एवं अन्य उपान्त लाभों की प्रश्न सम्बन्धी जांच करने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 7-4-1986 के 2 (10) 83-स० [illegible] (म० क०) संख्यक संकल्प के अनुसार एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की है, जिसमें [illegible] के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जस्टिस पी० एन० सिंघल तथा श्री ए० के० मजूमदार [illegible] हैं तथा जिसके श्री जस्टिस सिंघल अध्यक्ष हैं।

[illegible] देखते हुए, न्यायालय से बाहर समझौता करने का प्रश्न ही नहीं

[illegible] और प्रशिक्षित पूल कर्मचारी

[illegible] यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[illegible] डाक और दूरसंचार विभाग [illegible] कर्मचारियों की ओर [illegible] नों को दिये जाने [illegible] कारण उन्हें

नियमित नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करके उन्हें यह लाभ देने के लिए श्रम मंत्री द्वारा क्या कारंवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां। यह सच है कि संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग विभिन्न काडरों में अल्प-कालिक ड्यूटी के बतौर कार्य करने के लिए उनके नियमित रूप से खपाए जाने तक आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों की नियुक्ति घंटों के आधार पर करता रहा है। आरक्षित प्रशिक्षित पूल के स्टाफ को केवल नियमित पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। और इस प्रकार जब नए पदों की मंजूरी दी जाए तो इन्हें खपा लिया जाएगा। तथापि, मितव्ययिता के लिए नए पदों के सृजन पर लगे सामान्य प्रतिबंध के कारण उन्हें खपाया नहीं जा सका।

(ख) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के इन उम्मीदवारों को कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से, इनकी प्रति घंटे दरें बढ़ाकर 3 85 रु० कर दी गई है और सप्ताह में छ: दिन तक नियमित रूप से कार्य करने वाले आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों को साप्ताहिक अवकाश का भी लाभ दिया जाता है। अतिरिक्त पदों का सृजन होते ही उन्हें नियमित करना संभव हो सकेगा। इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि जहां कहीं नितांत आवश्यक हो इन पदों को भर दिया जाए ताकि आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों को इन पदों पर लगाया जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन और आयात

5882. **श्री पी० एम० सईद**
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में मांग को पूरा करने के लिए इस समय भारी मात्रा में सीमेंट का आयात किया जा रहा है;

(ग) वर्ष 1986-87 में कितनी सीमेंट का आयात करने का विचार है और किन-किन देशों में सीमेंट का आयात किया जाएगा और;

(घ) इस मामले में भारत के कब तक आत्मनिर्भर होने की संभावना है ?

श्रौद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में सीमेंट का उत्पादन 1980-81 में 185.6 लाख मी० टन से बढ़कर 1984-85 में 301.7 लाख मी० टन हो गया है तथा वर्ष 1985-86 में इसके लगभग 327 लाख मी० टन तक हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 1985-86 के दौरान 5 लाख मी० टन सीमेंट का आयात प्राधिकृत किया गया था जिसके लिए भारत के राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) ने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, चैकोस्लोवाकिया, डी० पी० आर० कोरिया और इंडोनेशिया के साथ अनुबंध किया था। उपर्युक्त में से अब तक 3.30 मी० टन सीमेंट का आयात किया गया है। शेष मात्रा का वर्ष 1986-87 में आयात किए जाने की संभावना है। इस समय और अधिक आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) लगभग सातवीं योजना के अंत तक।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अगली बात को लूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? आप क्यों शोर-गुल कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं ? कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

————

12.02 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

वर्ष 1986-87 की गृह मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं वर्ष 1986-87 की गृह मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० —2478/86]

सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा०का०नि० 528 (अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 25 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 39/85-सी०शु० की वैधता की अवधि 30 नवम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(2) सा०का०नि० 548 (अ) और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधि-

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जनार्दन पुजारी]

सूचना संख्या 125/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(3) सा०का०नि० 554 (अ) एक और व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2479/86]

नेशनल इंस्टिट्यूट फार एन्ट्रप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा के बारे में विवरण, तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट फार एन्ट्रप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट फार एन्ट्रप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल इंस्टीच्यूट फार एन्ट्रप्रिनियरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2480/86]

(3) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी—2481/86]

वर्ष 1986-87 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें तथा महासागर विकास विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1986-87 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2482/86]

(2) वर्ष 1986-87 की महासागर विकास विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2483/86]

12.03 म०प०

लोक लेखा समिति

36वां तथा 38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

(1) अनुदान साम्य शेयरों के गलत मूल्यांकन के संबंध में समिति के 78वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(2) संग्रह लागत के संबंध में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब लोग चिल्ला रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई सहयोग नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरूप।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, संयुक्त राज्य से आये वकील भोपाल में ठहरे हुए हैं और भोपाल के गैस पीड़ितों से उस शपथपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं जिसको संयुक्त राज्य में न्यायालय में जमा किया जाना है। वे ठहरे हुए हैं ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखित रूप में दीजिये। मैं देखूंगा।

श्री सुरेश कुरूप : यह एक बहुत गम्भीर समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखित रूप में दीजिये, मैं देखूंगा। आपने पहले ही बता दिया है, इतना काफी है। मैं यहां पर कोई पूरा वक्तव्य नहीं चाहता।

श्री सुरेश कुरूप : मुझे इसे पूरा करने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरूप, इतना काफी है। मैं समझता हूं। आप लिखित रूप में दीजिये। मैं यह संदेश मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। मुझे पूरा विवरण नहीं चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी है। क्यों प्रोफैसर साहब ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कृपा करके क्या आप उन्हें बतायेंगे कि आपने मुझे बुलाया है ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, एक इधर से तथा एक उधर से बुलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैंने इस पक्ष के लोगों को बुलाया था, आज मैं इस पक्ष के लोगों को बुला रहा हूं। मैं इस प्रकार नहीं बुला सकता क्योंकि कोई बीच में ही खड़ा हो जायेगा। प्रोफैसर महोदय अब कहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपका पक्ष ले रहा हूं। (व्यवधान)

मैं पहले ही तिहाड़ जेल से शोभराज के बच निकल भागने के बारे में चर्चा शुरू कर चुका हूं। इस सम्बन्ध में आपके सामने एक बहुत जरूरी मसला रखना चाहता हूं जिस पर मैं पहले ही एक नोटिस दे चुका हूं। आजकल समाचार पत्रों के एक कालम में यह बात प्रमुख रूप से दी जा रही है कि शोभराज को जेल से भगाने में चालाकी से काम लिया गया था और वह जानता था कि उसे थाईलैंड वापस भेजा जाने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर भगोड़े की सजा चाही है तथा अधिकारियों को बेहोश किया ताकि उसे नौ वर्ष की सजा मिल जाये और थाईलैंड वापस जाने से बच जाये। मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में विवरण चाहता हूं कि वे इस बारे में क्या उपाय करेंगे कि वापसी में देरी न हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से सही जानकारी हासिल करने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरी मांग यह है कि गृह मन्त्री महोदय यह विवरण दें कि, शोभराज की थाईलैंड वापसी में देरी न हो, इस सम्बन्ध में वे क्या उपाय कर रहे हैं। यह विवरण माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहिए।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : दिल्ली में अकबर होटल को बन्द कर दिया गया है जिससे बेरोजगारी फैली है और विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री कृष्ण अय्यर ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, डाकतार विभाग ने कर्नाटक में अनावश्यक रूप से समस्या पैदा कर दी है। पहले डाकघरों में फार्म कन्नड़ भाषा में थे। अचानक उन्होंने इन्हें बन्द कर दिया। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक पत्र लिख दें। मैं उसे मन्त्री महोदय को भेज दूंगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : संबंधित मन्त्री जी मुझे उत्तर दें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, कल कोयला खानों के सात लाख कर्मचारी 1983 के राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के लागू न किए जाने के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने कल ऊर्जा मंत्रालय की मांग पर इस विषय में चर्चा की थी। आपने और मंत्री महोदय ने इन सभी बातों का जिक्र किया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सात लाख कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामूवालिया

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मैं एक गम्भीर सवाल उठाने जा रहा हूं जिसमें लोगों की गहरी दिलचस्पी है। सबसे पहले, चंडीगढ़ में दो हजार ऐसे एल०पी०जी० सिलेंडर पाए गए जिसमें पानी मिला हुआ था। कल ट्रिब्यून में यह समाचार आया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखकर क्यों नहीं देते ? आपने लिखकर नहीं दिया है। कल मैंने कहा था कि आप कोई भी मुद्दा उठाना चाहें तो आप उसे लिखकर दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सिलेंडरों में पानी मिलाया गया है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले फिर से गोदावरी खानी में गैस फ्लोट हो गई है। इस वजह से वहां के गांव-गांव से लोगों को दूसरी जगह ले लाया जा रहा है। सिंगरेनी कोलयरी में फिर से गैस लीक हो गई है। वहां के ग्रामीण लोगों को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बहुत डेंजरस सिच्युएशन है।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी से कहूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : परियोजना क्षेत्र से हटाये गए परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में किए गए उपबन्ध को सरकार द्वारा वापिस लिए जाने से अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सरकार ने इस उपबन्ध को वापिस ले लिया है। अतः गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार चर्चा करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल हमने ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस दी है। 30 तारीख का वाक्या है। हम सब एम०पी० लखनऊ से आ रहे थे।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह रेलवे टिकिट के बारे में है। कल आपने यह मामला उठाया था। उसी बात को न दोहरायें। मैं वह पत्र मन्त्री जी को भेज दूंगा। हम इस पर विचार करेंगे···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : इसमें हमारा निवेदन यह है कि इसको प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही लिखकर दे दिया है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इसकी वास्तविकता के बारे में पता लगायें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : हम गृह मन्त्री से एक वक्तव्य चाहते हैं क्योंकि योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजित पंजा पर पश्चिम बंगाल में सी० पी० एम० के लोगों द्वारा हमला किया गया था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदया। श्री सुल्तानपुरी। बस इतना ही।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इतना चिल्लाएंगे तो मुझे सुनाई कैसे देगा !

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : घातक हमले की योजना बनाई गई थी। हाल ही में एक संसद सदस्य को पीटा गया। ऐसा हमेशा ही हो रहा है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें। मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

12.12 म० प०

अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) समिति की दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के दौरान बम्बई-पुणे-बम्बई, नागपुर और हैदराबाद के अध्ययन दौरे के बारे में इसके अध्ययन दल-एक का प्रतिवेदन।

(दो) समिति की दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के दौरान बम्बई-कलकत्ता-रांची और पटना के अध्ययन दौरे के बारे में इसके अध्ययन दल-दो का प्रतिवेदन।

12.13 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य सभा से सिफारिश

[हिन्दी]

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्रीमती मोनिका दास तथा श्री वी० कृष्ण मोहन के राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए पदों पर लाभ के पदों सम्बन्धी समिति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्रीमती मोनिका दास द्वारा तथा श्री वी० कृष्ण मोहन के राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए पदों पर लाभ के पदों संबंधी समिति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इस देश में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास पर अधिक बल देने

[श्री ए० चार्ल्स]

के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्यवश, केरल राज्य में कई नदियों, झीलों पश्च जल, नदी मुहानों और कृत्रिम नहरों के साथ एक लम्बा प्राकृतिक मार्ग है। केरल में नौगम्य मार्ग की कुल लंबाई लगभग 1900 कि० मी० है जो इस देश में कुल अन्तर्देशीय जलमार्ग का 20 प्रतिशत है। लेकिन कई कारणों से स्वतन्त्रता के पश्चात् केरल में स्वदेशी जलमार्गों का प्रयोग कम हो गया है।

केरल में अन्तर्निहित उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस नहर के पूरे विकास के लिए 1957 में गोखले समिति ने और 1967 में भगवती समिति ने सिफारिशें की थीं। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी पश्चिम तटीय नहर को एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने की भी सिफारिश की है। राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास की आवश्यकता को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक जलमार्ग को एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए और सातवीं योजना में इसके विकास के लिए कार्य शुरू किया जाये।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में बनाये जा चुके "तालानगर" के समान ढलाईनगर बनाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष जी, अलीगढ़ जनपद में लगभग 260 भट्टियों पर करीब सात हजार मजदूर कार्यरत हैं। जिनमें मिस्त्री, फायरमैन और सापल मिक्सर के अधिक परिवारजन उद्योगपतियों के आर्थिक शोषण के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। इन मजदूरों को ढलाई का काम अपने छोटे-छोटे मकानों में ही रह कर करना पड़ता है। परिणामस्वरूप इनके अधिसंख्य परिवारों का दामन टी० बी० और दमा जैसे भयंकर रोगों ने थाम रखा है। श्रम विभाग के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ये मजदूर ई० एम० आई० आदि के अस्पतालों की नि:शुल्क दवाओं तक से वंचित हो गये हैं। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जैसे अलीगढ़ में तालानगर बना है उसी तरह वहां पर ढलाई नगर बनाया जाये। यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

(तीन) अहमदपुर-कटवा और बर्दवान-कटवा रेल लाइनों का सुचारू रूप से संचालन तथा ए० के० (एन० जी०) रेलवे कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, पूर्वी रेलवे के अहमदपुर से कटवा और बर्दवान से कटवा तक सकरी रेलवे सेवा को रेल मंत्रालय द्वारा बन्द करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल

राज्य में बीरभूम बर्दवान और मुर्शिदाबाद जिले के कई रेलवे यात्री चिन्तित हैं। लाइन के बन्द करने के प्रस्ताव और यात्रियों की सुख-सुविधाओं में कमी करने, इन लाइनों पर धीरे-धीरे अनेक रेल सेवाओं को वापस लेने, सेवाएं चलाने के लिए कमीशन एजेंटों और किसी ठेकेदारों की नियुक्ति के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए इसके बड़ी लाइन में बदलने और रेलवे सेवा में सुधार के लिए 8 और 9 मार्च को एक ऐतिहासिक पदयात्रा के दौरान मांगें की गई हैं। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने ए० के० (सकरी लाइन) रेलवे कम्पनी लि० का राष्ट्रीयकरण करने और सकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त रेलवे लाइनों को सही ढंग से चलाने, इन्हें बड़ी लाइन में बदलने तथा निजी कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिए शीघ्र कदम उठाये जिससे इन रेल सेवाओं का प्रयोग करने वाले बड़ी संख्या में लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(चार) विलिंगटन द्वीप, कोचीन स्थित स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के यार्ड में इस्पात सामग्री का भण्डारण करने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : विलिंगटन द्वीप, कोचीन में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया का समूचे केरल राज्य में इस्पात सामग्री की सप्लाई करने के लिए एक यार्ड है। पिछले दो महीनों से इस यार्ड में कोई सामान नहीं है। इस परिणामस्वरूप छोटे उद्योगपतियों, भवन निर्माताओं और दूसरे लोगों को तमिलनाडु और कर्नाटक जाकर इस्पात सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है। इससे परिवहन खर्चा बहुत अधिक होता है इसलिए मैं सरकार से विलिंगटन द्वीप यार्ड में इस्पात सामग्री का स्टाक रखने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) केरल के पाथनमथिट्टा जिले में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन : (इदुक्की) श्रीमन, देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन सुविधा से लाभान्वित है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार की नीति इस ओर बढ़ाने की है जिससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी दूरदर्शन के नक्शे में लाया जा सके।

केरल के पाथनमथिट्टा जिले को दूरदर्शन के अन्तर्गत अभी तक नहीं लाया गया है। राज्य का यह एक सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जिला है जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही उन्नत जिला है जिसमें बहुत से स्कूल, कालेज और दूसरी शिक्षा संस्थाएं हैं। यह कुछ जिलों में से एक जिला है जो व्यापारिक फसलों जैसे इलायची, मिर्च, लौंग का उत्पादन करता है जो देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाती हैं। विभिन्न खाड़ी देशों में काम करने वाले केरल के लोग अधिकांशतः इसी जिले के हैं। जब दूसरे सभी जिलों को शामिल कर लिया गया है तो केवल पाथनमथिट्टा को छोड़ दिया गया है। इससे लोगों में बड़ी निराशा की भावना व्याप्त हो गई है।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पाथनमथिट्टा जिले में उपयुक्त स्थान पर कम से कम, कम शक्ति का एक ट्रांसमीटर लगाने के लिए शीघ्र कदम उठाए और इस प्रकार इस जिले के लोगों के चिर स्वप्न को साकार करें।

(छः) असम में प्रदीप्त गैस को व्यर्थ न जाने देने तथा एक गैस क्रेकर काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठने की मांग

श्री एम०आर०सैकिया (नवगांव): आयल इण्डिया लिमिटेड व तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा पिछले 25 वर्षों में प्राकृतिक गैस का जलाना इस क्षेत्र में एक अपमान जनक बात मानी गई है जबकि उपेक्षित आसाम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अधिक ऊर्जा और विद्युत की मांग हो रही है। यह पता चला है कि आसाम औद्योगिक विकास निगम ने आसाम में गैस को व्यर्थ जलाये जाने से रोकने के लिए गैस क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। जहां 652.40 लाख क्यूबिक घन मीटर गैस बचाई जा सकेगी। 19.74 मीट्रिक घन मीटर में से केवल 2.45 क्यूबिक मीट्रिक मीटर गैस का कुछ स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

अतः मेरा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि वह उक्त गैस को नष्ट होने से रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए और आसाम में प्रस्तावित काम्पलेक्स की स्थापना करे।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने की मांग

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढवाल) : उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना को स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1972 में दे दी गई थी। इससे लगभग 2000 मेगावाट बिजली बनेगी और 2 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 के केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि यह योजना उत्तर प्रदेश और केन्द्र दोनों सरकारें मिलकर बनाएं। 1985 में यह निश्चय हुआ था कि वर्ष 1985-86 में इस योजना पर 50 करोड़ रुपये व्यय किया जाए जिसमें 35 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार और 15 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार दे। उत्तर प्रदेश सरकार यह रुपया लगा चुकी है परन्तु केन्द्र सरकार ने रुपया नहीं दिया इसके कारण विस्थापितों को दिया जाने वाला मुआवजा नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त अभी तक इस योजना को बनाने के लिए जो संयुक्त संगठन बना है उसकी रूपरेखा भी तय नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति में जहां एक ओर राष्ट्र इस योजना से होने वाली सिंचाई और बिजली के लाभों से वंचित हो रहा है वहीं विस्थापित होने वाले लोग मुआवजा न मिलने और नए स्थान पर

उचित प्रबन्ध न होने के कारण बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। डूबने वाले क्षेत्र में सारे विकास कार्य बन्द हैं। अत: यह आवश्यक है—

1—पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति तुरन्त दी जाए।

2 -इसको बनाने के लिए संगठनात्मक ढांचे का या प्रस्तावित प्राधिकरण की रूपरेखा तुरन्त निश्चित की जाए।

3—केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 85-86 में दिए जाने वाले 35 करोड़ रुपये तुरन्त दिए जाएं ताकि मुआवजे का भुगतान हो सके और विस्थापितों की सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय हो सके तथा जो खर्च इस प्रत्याशा में किया जा चुका है, उसका भुगतान किया जा सके।

(आठ) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शिक्षित बेरोजगार हरिजन युवकों और अन्यों को ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

श्री बीरबल (गंगानगर) : श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है। यहां के हरिजन किसान अधिकांश चयनित परिवारों की परिभाषा में आते हैं। इस क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक हैं और अन्य बैंकों की कई शाखाएं भी हैं। परन्तु इनके द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में समय पर ऋण नहीं दिए जाने से किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। समय पर ऋण नहीं दिए जाने से किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। समय पर ऋण नहीं दिए जाने से कृषि उपज की क्षति ही नहीं अपितु कम उपज से राष्ट्रीय उत्पादन को हानि होती है।

आई० आर० डी० के अंतर्गत बहुत ही कम ऋण दिए जाने से कृषक समुदाय उचित ढंग से लाभान्वित नहीं हो पाता।

मूलधन पर चक्रवर्तीब्याज वसूल किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को दिए जाने वाले ऋण वितरण बैंकों द्वारा नीतियों और नियमों को ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की स्थिति मेरे जिले में गंभीर रूप धारण किए हुए हैं और इस बात को लेकर मैं बराबर 6 वर्षों से प्रयत्न करता आ रहा हूं।

अत: मैं केन्द्र सरकार के वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बढ़ती हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाए जाएं।

1—यह कि चयनित परिवारों को अविलंब ऋण स्वीकृत कर भुगतान कराया जाए।

2—यह कि आई० आर० डी० के अंतर्गत अधिक लोगों को ऋण वितरित किया जाए।

[श्री बीरबल]

3—यह कि ऋण वितरण की प्रकिया सरल की जाए।

4—यह कि बेरोजगार हरिजन शिक्षित युवकों को बेरोजगारों को रोजगार देने योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरित किए जाएं।

(नौ) बिहार के गिरिडीह जिले के नवाडीह उप-मंडल में पुल के निर्माण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता बेने की मांग

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिले के अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में मेंडरा गांव को गोमो से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करने की वहां की जनता की बहुत वर्षों से मांग चली आ रही थी। सात-आठ वर्ष पहले बिहार सरकार द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी कराया गया, किन्तु थोड़ा सा कार्य होने के बाद काम बन्द कर दिया गया। विभागों से कई बार अनुरोध किया गया और पदाधिकारियों ने रिवाइज्ड एस्टीमेंट बनाकर बिहार सरकार को कई बार दिया है, किन्तु इस पुल को पूरा करने का काम अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुआ है। पुल न बनने के कारण वहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामान के लिए भी उन्हें भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। गिरिडीह जिले के नावाडीह और धनबाद के तोपचांची प्रखण्डों का विकास उक्त पुल के बनने पर ही निर्भर करता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि क्योंकि इस पुल के बनने की लागत अधिक है अत: केन्द्र सरकार बिहार सरकार को आर्थिक सहायता कर इस पुल के निर्माण का कार्य अविलंब प्रारंभ करें ताकि नावाडीह और तोपचांची प्रखण्डों का विकास हो सके और वहां की जनता को भी देश के साथ विकास करने का अवसर मिल सके।

———

12.26 म० प०

अनुदानों की मांगें 1986-87 (—जारी)

(एक) रक्षा मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या-9—रक्षा मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा को मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी करीब 3 बजे उत्तर देने के लिए आयेंगे। अत: माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें। समय भी बहुत कम है। अब तीन घंटे रह गये हैं इसलिए आप मुख्य-मुख्य बातें ही कहें। और अधिक समय न लें।

अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): श्रीमन कृपया एक बात नोट कीजिए। कल साढ़े तीन घंटों में से ढाई घंटे सत्तारूढ़ दल ने लिए थे। इसलिए जो भी समय दिया जाता है···

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी समय दिया जाता है मैं दे रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि हम सब जानते हैं, रक्षा मंत्रालय की समस्याओं पर विदेश नीति, आर्थिक नोति, विदेश व्यापार या आन्तरिक सद्भाव को अलग रखकर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इस विशेष वाद-विवाद को ध्यान में रखते हुए हमें रक्षा तैयारियों के छोटे से पहलू तक ही सीमित रहना चाहिए।

दस वर्ष के तनाव शैथिल्य के वातावरण के बाद दुनियां में फिर से नये शीत युद्ध की शुरूआत हो रही है। महोदय, 1945 से तीसरी दुनियां में 120 युद्ध हुए जिनमें से मुश्किल से छः विकसित देशों के थे। नये शीत युद्ध का केन्द्र मध्य यूरोप न होकर हिन्द महासागर तट है। महोदय, आपने जो थोड़ा समय दिया है उसे इस विषय के विस्तार में जाकर बड़े-बड़े शाब्दिक चित्र खींचकर या उदाहरण देकर गंवाना नहीं चाहता। यह मैं तिवारी महोदय पर छोड़ता हूं जो यहां नहीं हैं। परन्तु विश्व-व्यापक युद्धपरक माहौल को देखते हुए चीन-पाक-अमरीका का अनमेल-सा गुट बन जाना अवश्यंभावी है। यही कारण है कि हिन्द महासागर में महाशक्तियां बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। हम चाहे गांधी जी के उपदेशों का प्रचार करें या नेहरू जी के प्रवचनों का प्रचार करें, इससे हालात में थोड़ा-बहुत सुधार भी नहीं होगा। इसलिए सुरक्षा नीति तय करना आवश्यक है। हम सुरक्षा नीति तय करने में बहुत संकोची, भोले और ढोंगी हैं। महोदय हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है। हमारी नीति हस्तक्षेप की नही है। इसलिए हमें अखंड रक्षा नीति पर विचार करना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह सोचते हैं हमारे देश में होने वाला रक्षा व्यय अधिक है। परन्तु महोदय मैं रक्षा व्यय के विक्षोभ पैदा करने वाले पहलुओं से चिन्तित हूं। प्रथमतः इसे गुप्त रखा जाता है। यह रुचिकर बात है कि हमारी समस्त रक्षा सम्बन्धी खरीद-फरोख्त का प्रौद्योगिक व सैनिक महत्व हमारे शत्रु भली-भांति जानते हैं। परन्तु उनको केवल भारत की जनता, संसद सदस्यों और राष्ट्रीय विपक्षी दलों के विद्वान सदस्यों से ही छिपाया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई ऐसा उपाय करे जिससे समस्त राष्ट्र रक्षा सम्बन्धी विषयों पर बिना किसी पक्षपात के अपनी राय जाहिर कर सके।

महोदय, पहले हमारे यहां रक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए केबिनट की एक पूर्ण उप-समिति होती थी। अब इसे बहु-प्रयोजन केबिनेट उपसमिति के साथ मिला दिया गया है जिसका नाम राजनैतिक मामलों की कमेटी है। जैसाकि हम सब जानते हैं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख राजनैतिक मामलों की समिति की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। आज हमारे यहां पूर्णकालिक रक्षा मन्त्री भी नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम कि प्रधान मन्त्री महोदय यह पदभार क्यों सम्भाले हुए हैं। मुझे श्री अरुण सिंह जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है चाहे राजनैतिक स्तर पर वे कम तजुर्बेकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह मेरा विचार है। आप इस पर आपत्ति नहीं उठा सकते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह पूर्ण रूप से सही है। वह किसी पदोन्नति की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि क्या दर्जा होना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अतः हमारी रक्षा प्रणाली को भावी योजना की शोचनीय कमी के कारण धक्का पहुंचा है। इसलिए इसने प्रतिक्रियावादी नीति को बढ़ावा दिया है। और इस प्रतिक्रियावादी नीति ने हमें खरीददारी के अनावश्यक व्यय के हिसाब-किताब में उलझा दिया है। प्रथमतः, हमने जगुआर खरीदे; फिर हमने मिराज-2000 खरीदे। भारतीय खजाने को केवल इन दो लड़ाकू जहाजों की कीमत विदेशी मुद्रा में 5500 करोड़ रुपये चुकानी पड़ी। सातवें दशक में सुब्रह्मण्यम कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि हमें एक लड़ाकू जहाज विकसित करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि हमने यह क्यों नहीं बनाया। अब हम स्वीडन से बफ्फर 155 मि०मी० तोप खरीद रहे हैं जिसके लिए फिर विदेशी मुद्रा में फिर 1500 करोड़ रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। वास्तव में पिछले सात वर्षों से 155 मि०मी० तोप के बारे में विचार कर रहे हैं। हमने एक निर्णय लेने में सात वर्ष लगा दिये। और सेना के नये जनरल सुन्दर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि क्या हमारे पास 155 मि०मी० तोप तैयार करने की क्षमता है। इस हालत में हमने इस तोप को बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये।

इसके अतिरिक्त अब हम वेस्ट लैंड हैलीकॉप्टरों का आयात भी कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले ही हमारे युवा प्रधान मंत्री महोदय ने अपने वैमानिक ज्ञान के कारण भारत और विदेश में यह सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इंग्लैंड का वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर भारतीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष में अनुपयुक्त है। मैं नहीं जानता कि अपना इरादा बदलने के लिए किस बात ने उन्हें प्रोत्साहित किया। डूबती हुई ब्रिटिश कम्पनी को बचाने के लिए हमने 'वेस्टलैंड' खरीदने के साथ ही 'सी हैरियर' विमान भी खरीदने का निर्णय लिया है। महोदय हम शीघ्र ही मध्यपूर्व के अरब बनने जा रहे हैं, तेल के धनी शेखों की तरह जो पश्चिम में खरीददारी पर अनावश्यक खर्च करते हैं।

मुझे ईरान के शाह की याद आती है जो सैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकतम हथियार खरीदने का शौकीन था। हम केवल आधुनिकतम हथियारों के शौकीन ही नहीं हैं, परन्तु हम विदेशी माल के नाम से कूड़ा-करकट भी खरीदने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए एच०एम०एस० हर्मस को लीजिए जिसे रद्दी समझकर काट दिया जाना था। यह बिक्री के लिए था और विश्वभर में इसका कोई खरीददार नहीं था। जब रीगन महोदय या श्रीमती थैचर किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी भूमिका प्रमुख विक्रेताओं की होती है। जब श्री राजीव गांधी किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो मुख्य रूप से उनकी भूमिका एक प्रमुख क्रेता की होती है।

वह विश्वभर के सैनिक व्यापारियों के लिए स्वर्गतुल्य बन गये हैं। अब हम हर्मस की खरीददारी की प्रमाणिकता की जांच करें। हम जानते हैं कि विमान वाहक जहाजों की बहुत सीमित भूमिका होती है। वे वास्तव में एक दिखावे की वस्तु हैं। वास्तविक कार्यवाही में वे उपयोगी नहीं हैं। वास्तव में वे सफेद हाथी और कागजी शेर का मिला-जुला रूप हैं। आपको ज्ञात है कि फाकलैंड युद्ध में

अर्जेन्टीना की नौसेना के पास अपना खुद का विमान वाहक जहाज था और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो सका। संयोगवश अर्जेन्टीना के विमानवाहक जहाज का नाम 'विसेन्ट डी मेयो' था। अंग्रेजी में इसका अर्थ 26 मई होता है। मुझे डर है कि एच०एम०एस० हर्मस भारत के लिए पहली अप्रैल साबित होंगे। यह समस्त भारत को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। हम इस विमान वाहक के बारे में जानते हैं। यह शतरंज के खेल में बादशाह के समान है। शतरंज के खेल में बादशाह के पास कोई अधिकार नहीं होता परन्तु केवल बादशाह की रक्षा के लिए आधी सेना अवश्य लगाई जाती है। चाहे किसी भी युक्ति से काम लेना पड़े, विमान वाहक की रक्षा अवश्य की जानी होती है।

मैं एडमिरल हाईमन रिकोवर का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें आधुनिक अमरीकन जल सेना का निर्माता कहते हैं। कांग्रेस के समक्ष सुनवाई में बोलते हुए उसने कहा था कि अचानक शुरू हुए युद्ध में अमरीका के परमाणु संचालित विमान वाहकों को भी, चाहे वे कितने ही अत्याधुनिक क्यों न हों, 30 मिनट में ध्वस्त किया जा सकता है जो एक विमान वाहक द्वारा विध्वंस के लिए लिया गया अधिकतम समय है। इसका अर्थ है कि आधुनिक युद्ध में आधा घन्टा बहुत है। सरकार ने यह विमान वाहक खरीदने के लिए दबाव क्यों डाला इसका एक सम्भावित कारण यह रहा होगा कि अन्यथा वायुसेना जल सेना को विमान रखने की अनुमति नहीं देती। वास्तव में, सरकार को तट के पास ठहराये जाने वाले विमान खरीदने चाहिए थे। परन्तु वायुसेना इस आधार पर इसका विरोध करती है कि नौसेना के पास ऐसे विमान होते हुए भी इसके एकमात्र अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास आठ मिनट का समय था। आप बारह मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। संक्षेप में कहने की कोशिश कीजिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा भाषण सुनने के लिए बहुत कम लोग उपस्थित हैं। इसलिए आप मुझे अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह विमान वाहक केवल सुदूर क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु हम पाकिस्तान और चीन, जो कि हमारे पड़ौसी हैं, के विरुद्ध कार्यवाही में इसका उपयोग नहीं कर सकते। यह 'हर्मस' विमान वाहक किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं होगा। अतः, हम इसे क्यों खरीद रहे हैं ? हम अच्छे हथियारों जैसे कि कम लागत वाली मिसाइलों के बारे में विचार क्यों नहीं करते ? हर्मस के जंग लगे जंगी बेड़े की लागत केवल 75 करोड़ रुपए हो सकती है। परन्तु उसे दोबारा जोड़ना, इलेक्ट्रानिक उपकरण, नये इंजन, 'सी हैरियर' और तोपों से लैस नौकाओं की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये आयेगी।

मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या बात है कि पिछले काफी वर्षों से हमने अपने लिए पनडुब्बियों का उत्पादन नहीं किया है ? जैसा कि मैं समझता हूं सोवियत संघ की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें 8 पनडुब्बियां दी हैं। निस्संदेह उन्होंने पिछले 15 वर्षों में अच्छा कार्य किया है। परंतु वे अब पुरानी हो चुकी हैं। ये पनडुब्बियां 'फोक्स ट्रोट' के नाम से जानी जाती हैं। हमारी सरकार ने जर्मनी की फर्म के सहयोग

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

से पनडुब्बियों के उत्पादन का काम हाथ में लिया है। लेकिन सहयोग के समझौते को अन्तिम रूप देने से पहले ही यह माडल पुराना पड़ गया है। फिर भी इनमें से चार पनडुब्बियां शायद भारत लाई जा रही हैं। मैं इसीलिए सुझाव दे रहा हूं कि इस आधुनिक संसार में जब तक पनडुब्बियां आणविक नहीं हैं, तब तक वे पुरानी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस गति से प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ती जा रही है और रक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ती जा रही है। जब मैं आणविक पनडुब्बियों की बात करता हूं तो यदि एक तरफा परमाणु निरस्त्रीकरण होता है तो मेरा कहना यह है कि वे इससे डरें नहीं। यदि हम आणविक प्रसार निषेध संधि के समर्थक हैं तो भी हम इसकी किसी शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे क्योंकि आणविक पनडुब्बियों के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि परमाणु अस्त्रों के प्रक्षेपण की सुविधा उपलब्ध हो। यह केवल आणविक शक्ति से संचालित होगी और हमारे पास क्षमता है। हमारे पास इसका उत्पादन करने के लिए आवश्यक जानकारी है। एक गैर-आणविक पनडुब्बी को इसके ध्वनि तरंग पैदा करने के कारण आसानी से पता लगाया जा सकता है। अतः हमारी प्रतिरक्षा के लिए आणविक पनडुब्बी आवश्यक है। यह सस्ती रहेगी, यह अधिक मारक होगी और अधिक विध्वंसक होगी तथा एक सौ हर्मस से भी अधिक कारगर होगी। यह नोट करना हमारे लिए शिक्षादायक होगा कि इंग्लैंड की दो परमाणु पनडुब्बियों ने फाक्लैंड की लड़ाई में अर्जनटाइना की सारी नौसेना को पत्तन पर बांधे रखा और यह बाहर न निकल सकी। ब्रिटेन को एक आणविक पनडुब्बी 'स्वोर्ड फिश' ने अर्जनटीना के लड़ाकू जहाज बैलग्रेनों को डुबोया था जो कि फाकलैंड युद्ध में अर्जेन्टीना की नौसेना के कफन में आखिरी कील सिद्ध हुआ। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक विमान वाहक बहुत उपयोगी नहीं होता है। चीन के पास 117 पनडुब्बियां हैं। इसके पास तीन आणविक पनडुब्बियां हैं। मुझे बताया गया है कि इन तीन पनडुब्बियों में से एक पनडुब्बी इस प्रकार की है कि उससे परमाणु अस्त्र भी छोड़े जा सकते हैं। हमें हवा से हवा में ईंधन भरने की सुविधा की आवश्यकता है। हमने इसके बारे में बहुत वर्षों से नहीं सोचा है। हमने परिवहन जहाजों के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा है। हम अभी तक सोवियत संघ से ए०एन०-32 परिवहन जहाज आयात कर रहे हैं। हमें स्वयं भी उन्हें बनाने के लिए विचार करना चाहिए। जनरल आइजनहावर ने स्वयं ही राष्ट्रपति पद से सेवा निवृत्त होते समय अमरीका को उस देश में बढ़ रहे औद्योगिक सैनिक काम्पलेक्स के हानिकारक प्रभाव के विरुद्ध सचेत किया था। उनकी इस चेतावनी के बावजूद भी अमरीकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसमें समा गई। लेकिन अमरीकी अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर इससे अधिक हानि न हुई। परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है क्योंकि हम अपने प्रतिरक्षा व्यय को राष्ट्रीय विकास की गति तेज करने, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विस्तार करने में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रतिरक्षा व्यय के उपयोग देश में विश्वजनीन विज्ञान का प्रभावी रूप से उपयोग करने में व्यय किया जा सकता है। परन्तु यह नहीं किया जा रहा है। हम प्रतिरक्षा व्यय का उपयोग केवल कीमती शस्त्रास्त्रों का आयात करने के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं।

काफी पहले हमने 10 करोड़ रुपये के पैराशूट खरीदे हैं। क्या हम पैराशूट भी नहीं बना सकते हैं? हमने आस्ट्रेलिया से 14 लाख रुपए के कम्बल भी खरीदे हैं! मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी

भेड़ों से प्राप्त ऊन काफी अच्छी नहीं है या काफी काली नहीं है या आस्ट्रेलिया की ऊन में किसी काले धन का हाथ है।

12.45 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

कारलाइल ने कहा था कि लक्ष्य छोटा रखना एक अपराध है। हमारे प्रतिरक्षा मन्त्रालय को छोटे लक्ष्य को लेकर चलने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे एम०बी०टी० और एल०सी०ए० से सम्बन्धी परियोजनाओं से लगता है कि ऊंचे आदर्शों के प्रति हम बहुत महत्वकांक्षी हैं। एम०बी०टी० जिसे अब अर्जुन कहते हैं उसी प्रकार गड़बड़ा कर खत्म हो जायेगा जैसे सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले मारुति कार का हुआ था। हम जानते हैं कि मारुति के अधिग्रहण से पूर्व उसमें इंजिन किसी देश का, गियर बक्स, किसी अन्य देश का और सस्पेंसन सिस्टम किसी और ही देश से मंगाया गया था। मारुति के अधिग्रहण के पूर्व प्रबन्धक मण्डल का जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे सदन में विपक्ष से उत्पन्न विरोध में समय ही नष्ट होगा।

यह अच्छा हुआ कि हमें मिग-21 के उत्पादन में सोवियत संघ से सहयोग मिला। हमें उसके आधार पर निर्माण करना चाहिए था। इसके बजाय लगता है हमने मिग-21 के उत्पादन को कम कर दिया है। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें स्वदेशी अनुपात कितना है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मिग-23 उतना ही अच्छा है और उसमें आयातित पुर्जों का अंश उतना ही है जितना हमारे मारुति को सरकार द्वारा हाथ में लेने के बाद उसमें था। तब मिग-23 के स्वदेशीकरण के लिए निर्धारित समय क्या है ?

अब मैं हल्के लड़ाकू वायुयानों के विषय पर आना चाहता हूं जो हमारे शासकों के बड़े-बड़े स्वप्नों को प्रतिबिम्बित करते हैं। मैं उनके आशावादी दृष्टिकोणों का विरोधी नहीं हूं परन्तु मुझे संदेह है कि कहीं एल०सी०ए० भी उनके हजहोक्स साबित न हो। ये सभी बातें वही हैं क्योंकि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड जिसे इन साधारण चीजों जैसे डोर्नियर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की आवश्यकता पड़ती है उस पर हल्के लड़ाकू वायुयानों के उत्पादन के लिए निर्भर नहीं कर सकते हैं। पिछले 24 वर्षों से हमारे पास एक ही प्रकार की राइफल जो कि सापेर राइफल है चली आ रही है ··· (व्यवधान)

मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि सोवियत संघ ने अभी हाल ही में एक नई कलाशनिकोव और टोकेरन नाम की राइफलों का उत्पादन किया है : इजराइलियों ने गलीली और अमेरिकियों ने एम-16 बनाई है। अत: यही उचित समय है कि हम अपनी राइफलों का सुधरा हुआ रूप बनायें इससे हमारी पैदल सेना को नीरसता से बचायेगा। यह उन्हें अधिक लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा।

(व्यवधान)

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

गत वर्ष हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा आणविक क्षमता के विकास किये जाने के फलस्वरूप इस उप-महाद्वीप में शस्त्रों के प्रसार से उत्पन्न खतरे के प्रति देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी कई बार प्रभावी बातें कहीं थीं। वे इन मुद्दों को उठाने में निश्चय ही सही है, हालांकि वे इनकी बहुत चर्चा करते हैं परन्तु क्या रहस्य है कि प्रधानमन्त्री अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में वे इस पर पूरी तरह से चुप हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्यों वे इस प्रकार चुप्पी साधे हुए हैं। वह कौन-सी ऐसी अच्छी बात हो गई कि जिससे कि वे फिर चुप हो गए हैं ? वह कौन-सी लोरी थी जिसने उन्हें सुला दिया है ?

इस बात की आवश्यकता है कि हिन्द महासागर में बढ़ती हुई समुद्री गतिविधियों को देखते हुए देश में ऐसी सेनाओं को गठित करने की जरूरत है जो जल थल दोनों क्षेत्रों में कार्यवाही कर सकें। इसमें कम से कम 10 से 15 वर्ष लगेंगे। अत: यह आवश्यक है कि अभी और इसी समय इस क्षेत्र में शुरूआत की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्द शहर) : सभापति महोदय, श्रीमान जी, मुझे इस विषय पर बहुत कुछ कहना था परन्तु आपने जो समय दिया है वह बहुत कम है, इसलिए सभी बातों की चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ अपने कुछ सुझाव ही दूंगा।

आरम्भ में रक्षा मंत्रालय में पिछले कुछ महीनों में दो अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें हुई है जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पहली बात यह थी कि रक्षा का कार्य भार स्वयं प्रधान मंत्री ने संभाल लिया है। दूसरी बात, एक नए थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति थी। ये दोनों बातों का स्वागत है और मैं इनसे बहुत खुश हूं। मुझे दु:ख है कि माननीय सदस्य ने, जो मेरे से पहले बोल चुके हैं, इस बात की आलोचना की है कि रक्षा मंत्रालय का भार स्वयं प्रधानमन्त्री ने संभाल लिया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक विषय है जिसे इस देश के सबसे बड़े प्रशासी अधिकारी द्वारा देखा जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय की सभी समस्याओं और नीतियों की ओर सरकार द्वारा सबसे अधिक ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक नए थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति का सम्बन्ध है, सदन जानता है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने जता दिया है कि वह किस प्रकार के आदमी हैं, सेना में वे क्या करने की सोच रहे हैं, और वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार के जनरल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पत्र से जो उन्होंने सेना के अपने साथियों को लिखा है सारा ढांचा हिल गया है और मुझे बहुत उम्मीद है कि भविष्य में उनके प्रयत्नों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे।

मैं मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से, जोकि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अपनी बात आरम्भ करता हूं। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में इस रिपोर्ट में कमियां हैं जिनकी ओर मैं अब इशारा करूंगा।

रिपोर्ट में मंत्रालय के पूरे साल के कार्य का वर्णन होना चाहिए और इसमें वर्णन वहां से आरंभ करना चाहिए जहां पिछली रिपोर्ट खत्म हुई थी ताकि इसे पढ़ते समय सदस्य यह जान जाएं कि मंत्रा-की क्या उपलब्धियां और क्या कमियां रही हैं और रिपोर्ट में पूरा विवरण होना चाहिए। इसके साथ-साथ इसमें मंत्रालय की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कुछ आलोचनात्मक और अर्थपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए अपितु होना चाहिए था। मुझे ज्ञात हुआ है कि दोनों बातों में इस वर्ष की रिपोर्ट में कमियां निकाली जा सकती है। जैसा मैंने अभी बताया है यह जानकारी पूर्ण नहीं है और जहां तक विश्लेषण का सम्बन्ध है इस रिपोर्ट में मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन का शायद ही कहीं कोई उल्लेख है। उदाहरणतया जैसा कल बताया गया था, चार या पांच महत्वपूर्ण परियोजनाएं ये हैं – मुख्य लड़ाकू टैंक, 155 एम० एम० फील्ड गन, टी०-72 टैंक एल० सी० ए०, पनडुब्बी, हवाई जहाज वाहकों की प्राप्ति और आयुध फैक्ट्रियां। इनमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट में बिल्कुल कुछ नहीं है, या हैं तो बहुत कम है। पिछले साल की रिपोर्ट में इनमें से कुछ परियोजनाओं का कुछ उल्लेख अथवा संक्षिप्त उल्लेख था परन्तु मैंने देखा है कि इस वर्ष की रिपोर्ट में शायद ही ऐसा कुछ हो। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इन परियोजनाओं पर काम हो रहा है; क्या इन परि-योजनाओं पर काम हो रहा है या वे हमारे लिए बहुत कठिन सिद्ध हो रही हैं या क्या मामला है। माननीय मंत्री जी ने कल हस्तक्षेप करते समय मुख्य लड़ाकू टैंक और फील्ड गन के बारे में विस्तार से बताया था। जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि इन परियोजनाओं के बारे में कल जो कुछ उन्होंने कहा था उसका यदि एक-चौथाई भी इस रिपोर्ट में होता तो अधिक अच्छा होता और सदस्यों को उनके बारे में कुछ जानकारी हो जाती और हमारे मन में गलतफहमियां और शंकाएं नहीं उठतीं। उस प्रकार मैं यह अनुरोध करूंगा कि इन बातों का मन्त्रालय को भविष्य में अधिक ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन सब बातों का उल्लेख करना चाहिए ताकि सदस्यों को यह स्पष्ट हो सके कि क्या हो रहा है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं प्रधानमन्त्री के मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालने का स्वागत करता हूं। किन्तु इस अवसर पर मैं उनसे मन्त्रिमंडल की रक्षा समिति को पुनर्जीवित करते का अनुरोध करूंगा जिसकी ओर कुछ समय पूर्व श्री जयपाल रेडडी ने भी इशारा किया था। इस समय रक्षा मंत्रा-लय से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय राजनैतिक मामलों की समिति में लिए जाते हैं, जहां न तो तीनों सेना अध्यक्ष उपस्थित होते हैं और न ही समिति के पास इन सभी मामलों को निपटाने के लिए समय होता है, उनके पास वांछित विशेषज्ञता भी नहीं होती है। यदि मंत्रिमण्डल की रक्षा समिति को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो गह अधिक अच्छा होगा। पहले भी यह हुआ करती थी परन्तु पिछले दो सालों से यह कार्य नहीं कर रही है। विगत में जल थल व वायुसेना के तीनों अध्यक्षों को इस समिति, रक्षा समिति में नहीं बुलाया जाता था। मैं प्रधानमंत्री से एक नई प्रणाली शुरू करने का अनुरोध करूंगा जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हो सकें। जहां तक वर्तमान प्रणाली में सेना अध्यक्षों के कार्यों की बात है, हम देखते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में तीनों सेनाध्यक्ष विशेषकर थल सेना अध्यक्ष दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासनिक कार्यों और कामकाजों को पूरा करने में लगे रहते हैं। अध्यक्षों के पास विषय-वस्तु पर गंभीर रूप से सोचने के लिए संगठन में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए शान्तिपूर्वक सोचने के लिए, नई-नई युद्ध नीतियां सोचने के लिए, दीर्घकालीन रक्षा योजनाएं

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

आदि बनाने के लिए शायद ही कोई समय होता है। यह मेरा सुझाव है कि जहां तक थल सेना अध्यक्ष का सम्बन्ध है हमें दो बहुत सक्षम अधिकारियों को उसके सहायक के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

एक का कार्य संचालन की देखभाल करना हो और दूसरे का कार्य संभार-तन्त्र की देखभाल करना हो। थल सेना अध्यक्ष को जिसे सोचने वाला जनरल ठीक ही कहा जाता है, उस संगठन के बारे में जिसकी वह अध्यक्षता कर रहा है, सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। क्योंकि अब हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं और युद्ध सामग्री का स्वरूप इतना बदल चुका है कि हमें भविष्य में होने वाली लड़ाई के लिए जो तकनीकी विज्ञान इलेक्ट्रानिक आदि पर आधारित होगी, पहले ही सोचना होगा और अपनी सेना तैयार करनी होगी।

नौ सेना के बारे में कुछ शब्द—नौ सेना का उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारा बहुत लम्बा समुद्री तट है जैसाकि हम पहले ही जानते हैं। हमारा बहुत लम्बा द्वीपीय भू-क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र है। मैं यह भी समझता हूं नौ सेना की वर्तमान सैन्य-शक्ति इन सभी उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः यह मेरा विनम्र सुझाव है कि जितनी जल्दी सम्भव हो नौ सेना का विस्तार होना चाहिए और रक्षा बजट में से नौ सेना को दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि हमें ज्यादा वायुयान वाहकों की आवश्यकता है या हमें और अधिक पनडुब्बियां चाहिए, यह निर्णय लेना विशेषज्ञों का काम है। लेकिन हमारी कुछ विवेकपूर्ण नीति होनी चाहिए जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जा सके कि नौ सेना में कितने वायुयान वाहकों की आवश्यकता है और कितनी पनडुब्बियों की आवश्यकता है। निःसंदेह हमारी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि दोनों की आवश्यकता है। परन्तु प्रत्येक की कितनी मात्रा में आवश्यकता है यह निर्णय लेना विशेषज्ञों का काम है। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें शायद वायुयान वाहकों की अपेक्षा पनडुब्बियों की अधिक आवश्यकता है। वायुयान वाहक उपयोगी होते हैं। हमारे पास होने चाहिए हमारे पास पहले ही एक है। दूसरा आ रहा है और मुझे यकीन है तीसरे को प्राप्त करने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वायुयान वाहक कीमती होते हैं वे सुभेद्य होते हैं और उन्हें बचाना इतना आसान नहीं है।

हम यह भली प्रकार जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में हमारे विक्रांत का क्या हुआ था। पूरे संसार में गाजी पनडुब्बी द्वारा इसका पीछा किया गया था और बड़ी कठिनता से, यह लगभग दैवकृत ही था कि हमने इस वायुयान वाहक को बचाया। यह सुभेद्य लक्ष्य होता है और मैं समझता हूं कि यदि हम पनडुब्बियों पर अधिक निर्भर रहें तो यह अधिक अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे पास द्वीपों के दो समूह हैं जो युद्धनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं—लक्षद्वीप और अण्डमान द्वीप समूह। इनका हमने उचित उपयोग नहीं किया है। यह मेरा नम्र सुझाव है कि उन द्वीपों पर दो स्थायी वायुयान वाहकों को स्थापित करना चाहिए।

कभी-कभी भूमि पर इन वाहकों को विमान वाहक कहा जाता है और उन्हें 'टेरा फर्मा' पर स्थापित किया जाता है। इनमें से एक लक्षद्वीप में और दूसरे अण्डमान द्वीप समूह में स्थापित किया जा सकता है। यदि हमारे ये दो भूमि वायुयान वाहक होंगे तो उनसे हम अरब सागर और हिन्द महासागर पर पूरा नियन्त्रण कर पायेंगे और अपने आर्थिक क्षेत्र की अधिक अच्छी सुरक्षा कर पायेंगे। इससे उस क्षेत्र में हमारे अन्य हितों की भी रक्षा होगी।

एक समाचार कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। कुछ समय पूर्व श्री डेविड ओबे ने, अमरीका की 'हाउस एप्रोप्रिएशन फारेन आपरेशन कमेटी' के अध्यक्ष थे, उनके कथनानुसार, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र दिये जाने के संबंध में भारत को अपने विचार प्रकट करने के लिये आमंत्रित किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप में उन शस्त्रों की सूची मांगी थी; जिनके बारे में भारत की यह राय है कि अमरीका को ये हथियार पाकिस्तान को नहीं देने चाहिए। श्री ओबे के मतानुसार भारत का रवैया अब तक रचनात्मक नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अमरीका की किसी समिति की ओर से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई किए जाने के बारे में शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है। यह अनुचित है तथा इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। किन्तु हम स्पष्ट रूप में यह जानना चाहते हैं कि वे कौन-कौन से शस्त्र हैं, जिन्हें भारत चाहता है कि पाकिस्तान को न दिये जायें; जिससे कि हम उसके बारे में विचार कर सकें। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा गया है; तो मेरे विचार से हमें उसका लाभ उठाना चाहिये और अपेक्षित सूची दे देनी चाहिए।

अब एक शब्द भूतपूर्व सैनिकों के बारे में गत कुछ समय में उनके बारे में बहुत कम कहा गया है। मुझसे पहले वक्ताओं ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया गया है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई बहुत सारी सिफारिशें मान ली गई हैं। किन्तु मेरे विचार में उनके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई है क्योंकि राज्यों से पूरा-पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिन सिफारिशों को स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये।

1.00 म० प०

महोदय, इस समस्या के दो पहलू हैं। एक भौतिक पहलू है और दूसरा मनोवैज्ञानिक या नैतिक। भौतिक पहलू पर विचार किया जा रहा है किन्तु मैं महसूस करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के मनोवैज्ञानिक अथवा नैतिक पहलू की उपेक्षा की जा रही है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक घरानों और सरकारी उपक्रमों में वह सम्मान नहीं मिलता है; जो उन्हें मिलना चाहिये। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है कि भूतपूर्व सैनिकों को "फौजी खुरपा" कहा जाता है। इसका शाब्दिक अनुवाद करना तो कठिन है किन्तु इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति निरक्षर, असभ्य तथा गंवार है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह व्यवहार बड़ा ही अपमानजनक है। इससे उनके गौरव और आत्माभिमान को ठेस पहुंचती है। सरकार को अधिकारियों

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

एवं राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी कर देने चाहिए कि सैनिकों के साथ अत्यधिक सहानुभूति और विनम्रता का व्यवहार किया जाये। ये ऐसे लोग हैं जो देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार हैं और अपने अधिकारियों को उनके साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

अंत में मैं परमाणु विकल्प के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। इस सभा में यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर के लिए परमाणु के प्रयोग के बारे में अपना विकल्प न छोड़ें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सीधी तरीके से परमाणु अस्त्रों का निर्माण आरम्भ कर दें। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है किन्तु हमें यह वायदा नहीं करना चाहिए कि हम परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे। हमारे पास इसके प्रयोग का विकल्प सदा विद्यमान रहना चाहिए।

अंत में एक शब्द रक्षा बल के कार्मिकों के संबंध में है। हमारे थल सैनिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक कठिनाइयों से जूझने में साहस, शक्ति और क्षमता में किसी से कम नहीं है। युद्ध के लिए अपेक्षित उन्हें केवल युद्ध लड़ने के शस्त्र-अस्त्र चाहिए, विश्व में सर्वोतम शस्त्र। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि युद्ध के लिए उपेक्षित सर्वोत्तम अस्त्र जवानों और वायु सैनिकों को उपलब्ध कराये जाएं और यदि उपलब्ध कराये जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि भारत पर बुरी नजर रखने वाला कोई भी दुश्मन अपनी दुर्गत बनाये बिना यहां से वापिस नहीं जा सकता।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं विश्व से संबंधित मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता अपितु अपने देश के आसपास के मामलों तक ही सीमित रखना चाहूंगा।

महोदय, हमारा देश चारों तरफ से विद्वेष रखने वाले देशों से घिरा हुआ है। पश्चिमोत्तर दिशा में पाकिस्तान है, उत्तर से पूर्वोत्तर तक चीन है, पूर्व में बंगला देश है और दक्षिण में श्रीलंका है। इसके अलावा हिन्द महासागर बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान ने गिलगिट सिक्यांग राजपथ को मिला दिया है जो प्राचीन सिल्क पथ के नाम से विख्यात है। हाल ही उन्होंने इस तिब्बत-सिक्यांग राजपथ को बरास्ता खंजेरव दर्रा से मिला दिया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार उन्होंने नागरिक और सैनिक परिवहन के लिये इस सड़क को खोल दिया है। इससे हमारी उत्तरी सीमा को और अधिक खतरा हो गया है। पाकिस्तान का सियाचिन के लिए चिल्लाने और उस क्षेत्र में झगड़ा होने का मुख्य कारण संभवत: यह है कि सियाचिन और सियाचिन से आगे का क्षेत्र अर्थात शकसगम उस राजपथ के नजदीक है जो खंजेरव दर्रे और सिक्यांग राजपथ को मिलाता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वे सियाचिन के लिए व्यर्थ में ही चिल्ला रहे हैं। 197 से पहले भी यह हमारा क्षेत्र था। 1971 के युद्ध में हम पाकिस्तान में बहुत आगे तक बढ़ गये थे और हमने टरटुक के क्षेत्र को मुक्त कर उस पर कब्जा कर लिया था। मैं नहीं जानता कि उनके चिल्लाने का क्या कारण है। इसका संभवतः वही कारण हो सकता है जो मैं बता चुका हूं।

अफगानिस्तान में रूस की उपस्थिति के कारण पाकिस्तान भेड़िया आया, भेड़िया आया कह-कर झूठमूठ चिल्ला रहा है। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर खतरा होने के नाम पर वह 1981 से 198 तक की अवधि के दौरान 2.3 बिलियन डालर के अस्त्र-शस्त्र और सभी प्रकार की सैनिक सामग्री प्राप्त कर चुका है और अब अमरीका उसे 4 बिलियन से अधिक डालर के अस्त्र-शस्त्र और सैनिक सामग्री देने के लिए सहमत हो गया है। प्रश्न यह है, कि क्या पाकिस्तान इन विभिन्न सैनिक सामग्रियों का उपयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध करेगा। मेरे विचार से ऐसा नहीं है। इसका उत्तर नकारात्मक ही है।

वे वहां पर युद्धपोत इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल हमारे मित्र श्री एडुआर्डो फैलीरो ने हमें बताया कि इन हारपून प्रक्षेपास्त्रों को सिर्फ जलपोत के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अफगानिस्तान के विरुद्ध इनका उपयोग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरे पाकिस्तान का पूरी तरह अफगानिस्तान के साथ दखलंदाजी करने का अर्थ है सोवियत संघ के साथ युद्ध। वे इतनी हिम्मत नहीं कर सकते।

तीसरे, पिछले अनुभवों से पता चला है कि पाकिस्तान को हथियार और गोलाबारूद अमरीका, नाटो तथा कुछ अरब देश एवं अन्य देशों से साम्यवादी चीन के साथ लड़ाई करने के नाम पर दिए गये थे परन्तु पाकिस्तान ने उन हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ किया। यह 1965 एवं 1971 के युद्धों से स्पष्ट है। यह साबित हो चुका है कि जो कुछ हथियार वह लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका इस्तेमाल वह हमारे खिलाफ करेगा। अतः हमें सतर्क रहना चाहिये तथा हमें रक्षा विंग के लिए हथियार और गोलाबारूद खरीदना चाहिये चाहे हमें अपनी योजना परियोजनाओं में कुछ कमी ही क्यों न करनी पड़े। मैं तो यही समझता हूं। देश की रक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा के बारे में कुछ संबंधित मुद्दों को मैंने पिछले सप्ताह उस समय उठाया था जब मैं विदेश मंत्रालय के बारे में बोल रहा था। मैं उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहता परन्तु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें चीन के साथ सीमा विवाद तथा पाकिस्तान के साथ कुछ मसलों को सुलझाने की बात को प्राथ-मिकता देनी चाहिये। वह हमारे हित में होगा। वह महत्वपूर्ण है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख के बारे में कुछ कहूंगा। वहां सेना तथा आम नागरिक के बीच काफी अच्छा समन्वय है। नागरिकों एवं सेना में अच्छा सम्बन्ध बनाये रखने के लिए मैं सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों, अधिकारियों तथा जवानों को बधाई देता हूं। नागरिक भी जितनी मदद इन लोगों की कर सकते हैं करते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि सैनिक नागरिकों को चिकित्सा, सुविधा, दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधा तथा अन्य सुविधायें जिनकी उन्हें जरूरत होती है, देते रहते हैं।

हम भी अपनी तरफ से उन्हें सब्जियां देकर तथा जनशक्ति के रूप में हर तरह से मदद करते हैं। महोदय, उस क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के बारे में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ इस तरह के अच्छे अनुसंधान कार्य कराये जा रहे हैं जिससे इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शरीर पर ऊंचाई में रहने का क्या प्रभाव पड़ता है तथा शीत प्रभावित मरीजों का कैसे इलाज किया

[श्री पी० नामग्याल]

जा सकता है। कृषि तथा पशु-पालन के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं। इस तरह से रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्मिक अच्छा काम करके स्थानीय जनता की मदद कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इन लोगों को इस तरह के विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि अगर जर्सी नस्ल की गायों तथा पशुओं की नकद भुगतान पर सप्लाई करने में हमारी मदद करें तो यह लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बदले हम सेना को ताजा दूध की सप्लाई कर सकते हैं जोकि इस समय मैदानों से हवाई जहाज की मदद से आता है।

अंत में मैं कुछ मध्यम दर्जे के अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में कहूंगा। 'सैकण्ड लेफ्टिनेंट' से 'मेजर' अथवा 'लेफ्टिनेंट कर्नल' आदि अधिकारियों में कुछ असंतोष तथा निराशा की भावना व्याप्त है। मेरे विचार से इसकी ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हाल ही में अखबार में छपी खबरों के अनुसार थलसेना अध्यक्ष इन अधिकारियों के एस० सी० आर० लिखने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए नए थल सेनाध्यक्ष को बधाई दूंगा, क्योंकि इससे प्रतिभावान युवा अधिकारियों में जो निराशा की भावना है, वह दूर होगी।

अंत में मैं लद्दाख स्काउट्स के जवानों को भलाई के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ये सैनिक बल 1947 से उत्तरी सीमा पर नियुक्त हैं। ये लोग उत्तरी सीमा पर तनात हैं तथा हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि भारत दर्शन यात्रा अथवा तीर्थयात्रा के लिए इन्हें बारी-बारी से ग्रुपों में अपने-अपने परिवारों के साथ सर्दी के मौसम में दो से तीन महीने के लिये सरकारी खर्च पर विशेष विमान या संबद्ध परिवहन की व्यवस्था करके भेजा जाना चाहिए। इससे सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों का हौसला बुलन्द होगा। अन्य शांति स्थलों पर नियुक्ति करवाने में ये लोग इच्छुक नहीं है। बर्फ से आच्छादित क्षेत्रों में ये लोग प्रसन्न हैं। अत: ये मेरे कुछ सुझाव हैं।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनु) : जनाबे सदर मोहतरम्, बिखरे हुए पत्थर और ईंट एक ढेर कहलाता है। अगर इन्हीं को चूने और सीमेंट से सलीके से चुन दिया जाए तो एक मजबूत से मजबूत किले की दीवार बनकर उसकी मुहाफिज बनती है। उसी तरह से हमारे मादरे वतन की अफवाज जमीन से आसमान और इस मादरे वतन की हर जमीन के चप्पे-चप्पे के लिए समुन्दर की न थकने वाली लहरों की परवाह न करते हुए समुन्दर की गहराई में हमेशा हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। मेरे से पहले बोलने वाले हमारे साथी ने कहा कि एक्स-सर्विस मैन सभ्य नहीं होते। मैं यह बताना चाहता हूं कि दोष हम सबमें नजर नहीं आते। इस अजीम हाऊस में लोग कुछ बोलते हैं और इस हाऊस के बाहर कुछ और बोलते हैं। एक फौजी आदमी जो फौज में भर्ती होता है तो वह अवध

बिहारी जसे महान शहीदों के अल्फाज को याद करता है। जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था तो उनसे अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा देश इस तरह चमक उठे कि विदेशी सत्ता इसमें जलकर खाक हो जाए और हमारी गुलामी भी इसमें भस्म हो जाए और इस राख से आज़ाद हिन्दुस्तान पैदा हो। इसी तरह अशफाकउल्ला खां साहब ने कहा था "खुदावंद कदूस, कभी ऐसा भी सवेरा आयेगा जिस दिन की सुबह को तेरा आफताब हमारे आजाद हिन्दुस्तान में चमकेगा"। हमारे अफसर और जवान अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने मादरे वतन की एक-एक इंच की हिफाजत करते हैं। वे इसलिए हिफाजत नहीं करते कि कुछ उनको बदले में मिलता है बल्कि इसलिए करते हैं कि वे जवाबदेह हैं खुदावंद कदूस को जिसने उनको यह जिम्मेदारी दी है। वे सब कुछ अपना न्योछावर करते हैं लेकिन एक इंच भी ज़मीन जाने नहीं देते। अगर ऐसे लोग आपकी नज़र में सभ्य नज़र न आएं तो इससे आगे और क्या बता सकता हूं। जो हमारी अफवाज हैं, उनकी बहबूदी के लिए चंद एक मेरे सजेशन्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब रिक्रूटमेंट हो तो तमाम आदमियों का रिक्रूटमेंट, तमाम फोरसेज का रिक्रूटमेंट और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको शामिल करके एक साथ रिक्रूटमेंट हो ताकि मुल्क के अन्दर जो भी भर्ती हो वह भर्ती एक साथ हो। एक जैसी ट्रेनिंग उनको मिले और उस ट्रेनिंग के अन्दर उनका सिलेक्शन हो और उसके बाद हो अलग-अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट किए जाएं। उसके साथ ही अगर हमारे मुल्क में यह कम्पलसरी हो जाए कि हर नागरिक इस मुल्क में पांच साल के लिए मिलिटरी सर्विस करेगा तो ऐसे एजीटेशन कभी पैदा नहीं होंगे। ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे कि जो देश में पैदा हुए हों और वे ही देश को खाने की बात करते हों। वे, मुल्क में रहते हों और मुल्क की पीठ में छुरा घोंपने की बात करते हों, यह कभी नहीं होगा।

मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आपने जो राशन अलाउंस एक जवान से लेकर ब्रिगेडियर की रैंक तक फ्री किया है, इसको आप ब्रिगेडियर की रैंक से ऊपर के आफिसर्स मेजर जनरल और जनरल तक फ्री कर दें। क्योंकि ब्रिगेडियर से ऊपर के मेजर जनरल और जनरल दो सौ और तीन सौ के बीच में ही होंगे, इससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको भी राशन फ्री करें। इससे उनमें डिसीप्लिन की भावना बढ़ेगी और वे भी सोचेंगे कि फौज में सिपाही से लेकर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, सब एक बराबर हैं। आपने राशन अलाउंस में एक छोटी सी वृद्धि की है। पहले यह रु० 7.35 था अब 5 पैसे की वृद्धि करके इसको रु० 7.40 कर दिया गया है। मेरी आप से इस बारे में इल्तजा है कि यह बहुत कम है। आप ही सोचिए क्या रु० 7.40 में एक सिपाही दो वक्त खाना खा सकता है। अर्थात नहीं खा सकता। इसलिए इसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

अब, मैं क्लोदिंग के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हमारी अफवाज में एक डांगरी कर दी गई है जब कि पहले ये दो होती थीं। इसलिए इस बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि दो डांगरी ही मिलनी चाहिएं तथा यह डांगरी फायरप्रूफ होनी चाहिए ताकि फाइटिंग के समय इससे सिपाहियों का बचाव हो सके।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहेब, अब मैं आर्म्ड कोर के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि यह हमारे मुल्क का बख्तरबंद दस्ता है, जो दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

करता है। यह आर्म्ड कोर अंग्रेजों के वक्त से "डी" ग्रुप में चला आ रहा है। यह बहुत टैक्नोलोजी वाला इक्विपमेंट है, जो लड़ाई में बहुत काम आता है। इसलिए इसको ग्रुप "डी" में नहीं बल्कि ग्रुप "ए" में होना चाहिए। आर्म्ड कोर के अन्दर ए, बी, सी, डी और ई पांच ग्रुप शुरू से चले आ रहे हैं। इस बारे में मेरी इल्तजा है कि चौथे पे कमीशन के अन्दर अगर ये सिफारिश हो जाए कि इन पांच ग्रुपों को घटाकर केवल ए, बी और सी तीन ग्रुपों में कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा और इस आर्म्ड कोर ग्रुप को "ए" ग्रुप में लाया जाना चाहिए।

अब, मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। अफसरान और जवान ऑपरेशन में और पीस में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसलिए उनके बच्चों को तालीम के लिए पूरी फेसिलिटी मिलनी चाहिएं, ताकि उनके बच्चे सफर न कर सकें।

अब, मैं जवानों को छुट्टी के समय रेलवे में दी जानी वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक जवान को एक साल के अन्दर एक रेलवे वारण्ट फ्री मिलता है और केजुअल लीव के अन्दर एक कंसेशन वाउचर मिलता है। इस बारे में मेरी गुजारिश है कि एक साल में दो फ्री रेलवे वारण्ट एक सिपाही को मिलने चाहिएं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहेब, आर्मी में तादाद पहले से काफी बढ़ी है, लेकिन रेलवे के अन्दर ट्रेफिक मूवमेंट के अन्दर उस हिसाब से कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जैसे एम० बी० एफ० यू०, कवर्ड सीज, किचिन कोर्स ये सब चीजें वही हैं जो कि पहले हुआ करती थीं। अगर हम फाइरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एम० बी० एफ० यू० की कमी के कारण हम उसी समय नहीं जा पाते हैं बल्कि हमें डेट दो-तीन महीने बाद की दे दी जाती है। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि रेलवे की ट्रेफिक सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिएं ताकि उनको इतना इंतजार न करना पड़े। जिस तादाद में आर्मी की भर्ती बढ़ी है, उसी तादाद में रेलवे की ट्रेफिक सम्बन्धी सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिएं।

आर्म्ड कोर के अन्दर जिस तरह से आपने अर्जुन टैंक की बात कही और हमारे अपोजीशन के भाई बोलते थे और एफ-16 की बात आप कर रहे थे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे दिलों में मजबूती है, तो यकीनी काबिल दुश्मन का कोई भी प्लेन हिन्दुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इसका जीता-जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। 1965 की लड़ाई में मेरे टैंक के ऊपर पाकिस्तान के तीन हवाई जहाज थे और वह हमारा कुछ भी नहीं कर सके। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एफ-16 की बात करते हैं, इनसे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बशर्ते हमारे दिलों में मजबूती हो।

मुझ से मेरे एक साथी ने एक बार सवाल किया था कि अगर आप लड़ाई में आगे जा रहे हैं और आपके पीछे वाली सेना नहीं आए, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने जवाब दिया कि हमारा टैंक आगे होना चाहिए, या हमारा टैंक दुश्मन पर गोला उगलता हुआ हो या हमारे टैंक की डीक निकलती हुई हो तो हमें मुल्क के लोगों के सामने शर्मिन्दा नहीं होना पड़ेगा। सेना के लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क

की वफादारी के लिए काम आते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अपोजीशन के लोगों की तरह से नहीं होना चाहिए कि बोलें कुछ और करें कुछ।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहेब, अब मैं मिलिट्री के लोग जो सर्विस में होते हैं उनकी एकोमोडेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि वे लोग अपनी एकोमोडेशन किराए पर देकर चले जाते हैं और जब सर्विस से रिटायर होकर वापिस आते हैं, तो उन्हें वह एकोमोडेशन खाली नहीं मिलती है और उसको खाली कराने में काफी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। किराएदार उनकी एकोमोडेशन को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कोई इस प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए कि यदि कोई सर्विस से रियाटर होकर फौजी आए, तो उसको उसका मकान किराएदार से फौरन खाली होकर मिलना चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र झुन्झुनू के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में केवल मात्र झुन्झुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से 60-70 हजार लोग फौज में भर्ती हैं। शायद ही कोई दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हिन्दुस्तान में होगा जहां से इतनी तादाद में लोग फौज में हों। इसलिए मैं अपने चनाव क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आप एक डिफेंस फैक्ट्री खोल दीजिएगा। इससे मेरे डिस्ट्रिक्ट झुन्झुनू के लोगों की हौसला अफजाई होगी और लोग ज्यादा तादाद में फौज में भर्ती होकर देश की खिदमत कर सकेंगे।

महोदय, जैसा मैंने पहले भर्ती के सम्बन्ध में कहा था कि एक साथ भर्ती हो, उसी बात पर जोर देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही कोई फौजी रिटायर होकर आये, उसी वक्त उसको सर्विस मिलनी चाहिए। उसको सर्विस ढूंढने के लिए भटकने नहीं देना चाहिए। इससे उनका टेलेण्ट का मिस यूज होता है। इसके लिए महोदय, यह होना चाहिए कि जैसे ही वह रियाटर हो, उसके पहले ही उसकी रिटायरमेंट के बारे में सूचना रिकार्ड आफिस को आनी चाहिए और वहां से एम्पलायमेंट के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन आदमी कब रिटायर हो रहा है और उसको कहां पर और किस वेकेंसी पर पोस्ट किया जाना है। यदि ऐसा होगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा। यदि उस को पैरेलल सर्विस की सुविधा मिल जायेगी तो उसको यह चिन्ता नहीं सताएगी कि मैं रिटायर होकर क्या करूंगा या मुझे बुढ़ापे में दिक्कत पैदा होगी। ये सारी उसकी चिन्ताएं पैरेलल सर्विस का बंदोबस्त होने से दूर हो जाएंगी।

महोदय, अब मैं पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि कम्यूटेशन पेंशन में जो उसको पैसा कटकर मिलता है, तो जब उनका पैसा पूरा हो जाये, तो उनको पूरी पेंशन मिलनी चाहिए न कि पैसा कटकर पेंशन मिलनी चाहिए।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अन्त में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि टैंक क्रू ज को एक कम्पू राशन मिलनी चाहिए। ताकि जल्दी से जल्दी उस राशन का वह इस्तेमाल कर सके।

अपनी स्पीच को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि डिफेंस की जो डिमाण्ड्स रखी गई हैं उनकी मैं पूरी-पूरी ताईद करता हूं और अगर इससे भी ज्यादा डिमाण्ड्स

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

डिफेंस के सम्बन्ध में रखी जाती हैं, तो भी उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम जितना भी और कुछ कर सकते हैं, वह हमें करना चाहिए।

मैं, माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी से इल्तजा करूंगा कि जब हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा टैंक बनाना चाहिए जो जमीन पर भी चल सके, हवा में भी उड़ सके और समंदर में भी दौड़ सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, 1986-87 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अन्तरिक्ष अनुसंधान में तेजी से जो प्रगति हो रही है उसके फलस्वरूप विश्व में वर्तमान युग में अव्यवस्था बढ़ गई है। वर्तमान में विश्व एक राजनैतिक शतरंज बोर्ड की भांति बन गया है और विभिन्न देश उसके प्यासे बन गए हैं। देश की सुरक्षा के लिए भय और कायरता का कोई स्थान नहीं है। साहस और वीरता ही देश की सुरक्षा के मूल स्रोत हैं। इस बात में दो रायें नहीं हो सकतीं कि भारत की सुरक्षा के लिए साहस अत्यन्त आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता हमारा मूल स्त्रोत है। केन्द्र सरकार को स्वतंत्र भारत के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए और देश की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए धन आवंटित करने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए।

अब तक हमारे देश को जिन युद्धों से जूझना पड़ा है वे उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा से हुए थे। परन्तु भविष्य में युद्ध का खतरा और हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरा दक्षिण की ओर से है। केन्द्र सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम यह बात स्वीकार करते हैं कि हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए हमारे द्वारा किये गये प्रयत्न पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। अमरीका के सातवें बेड़े द्वारा हिन्दमहासागर में बराबर गश्त लगाना इस बात का प्रमाण है।

दियागो-गार्सिया हिन्दमहासागर में संयुक्त राज्य अमरीका का एक नौसैनिक अड्डा बन गया है। त्रिकोमाली पत्तन को, जो श्रीलंका के पूर्वी समुद्री तट पर है, और जो आमतौर से हिन्दमहासागर पर नजर रखने के लिए प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लम्बी अवधि की लीज पर ले लिया गया है। त्रिकोमाली पत्तन पर 105 बड़े तेल टैंक हैं, संयुक्त राज्य अमरीका के समुद्री सेना ने उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया है। इन 105 बड़े टैंकों में भरे हुए तेल से आपातकाल में लगातार 2 वर्षों तक अमरीकी नौसैनिक जहाजों को ईंधन मिल सकेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर श्रीलंका का समुद्री तट संयुक्त राज्य अमरीका की सुरंगों का केन्द्र बन गया है।

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इन सबसे श्रीलंका के नौसेना जहाजों को हमारे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित रूप से आकर हमारे मछुआरों को तंग करने की दिशा में प्रोत्साहन मिला है। वे अक्सर अभागे मछुआरों पर अन्धाधुन्ध गोली चलाते हैं। वे उनके पोतों को जब्त करके उन्हें पकड़ लेते हैं और कोलम्बो ले जाते हैं। श्रीलंका में भारत के प्रति कोई सद्भाव नहीं है। श्रीलंका गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सदस्य होते हुए भी भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। भारत के गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के शांति के शक्तिशाली प्रयासों को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा एक तरफ उठाकर रख दिया गया है। हमारे युवा प्रधान मंत्री ने कई अवसरों पर श्रीलंका-पाकिस्तान के बढ़ते मेल जोल पर अपनी शंका व्यक्त की है। इस वातावरण में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत को दक्षिणी समुद्र तट से खतरा पैदा होने की सम्भावना है।

भारत और श्रीलंका के बीच पड़ोसी संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कच्चातीवू द्वीप, जो तमिलनाडु में रामानाथपुरम रियासत के नरेश के अधिराज्य में थे, श्रीलंका को दे दिये। हमारे पास दस्तावेज सम्बन्धी साक्ष्य हैं कि कच्चातीवू द्वीप भारत के थे। हमने ये द्वीप श्रीलंका को सहज ही में भेंट कर दिए। परन्तु श्रीलंका ने हमारी अच्छी भावनाओं को उठाकर समुद्र में फेंक दिया है। कच्चातीवू द्वीप से श्रीलंका के नौसैनिक पोत हमारे गरीब मछुआरों पर आक्रमण कर रहे हैं।

मेरी यह मांग है कि हमें एकपक्षीय रूप से कच्चातीवू द्वीप को वापिस लेकर वहां पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहिए। यह श्रीलंका को हमारे मछली पकड़ने वाले पोतों पर हो रहे क्रूर हमलों को रोक सकेगा। इससे हमारे दक्षिणी समुद्री तट की भी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी।

हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान भारत के उप-राष्ट्रपति ने लोक सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा था कि सेतुसमुद्रम नहर परियोजना देश के लिए सामरिक महत्व रखती है। उन्होंने यह भी कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना का क्रियान्वयन उचित समय पर किया जायेगा। इस परियोजना की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम लक्ष्मीनारायण समिति था। दक्षिणी नौसेना कमांड के भूतपूर्व अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने यह कहा है कि सेतुसमुद्रम नहर परियोजना वास्तव में एक सामरिक महत्व तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है।

इस सेतुसमुद्रम नहर परियोजना पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अमल किया जाए। इस परियोजना के लागू करने से व्यापारी जहाजों तथा सेना के जहाजों के लिए पूर्व से पश्चिम तक सीधा समुद्री मार्ग मिल जाएगा। उन्हें श्रीलंका की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें निकोमाली हार्बर के पास से गुजरने का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वी तट पर कलकत्ता से पूर्वी तट तूतीकोरिन तक कोयला ले जाने वाले पोतों को श्रीलंका से होकर आना पड़ता है। इसी प्रकार से नौसेना पोत जो पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाते हैं उन्हें श्रीलंका से होकर जाना पड़ेगा। सेतुसमुद्रम नहर परियोजना हमारे वाणिज्य जहाजों तथा नौसेना के जहाजों को सभी खतरों

[श्री पी० सेलेन्द्रन]

से बचा सकेगा। इस परियोजना को रक्षा परियोजना के तौर पर शुरू करके शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

अभी थल और वायु सेना पर होने वाले कुल परिव्यय का छठा भाग भी नौसेना के विकास के लिए आवंटित नहीं किया जा रहा है इसके बाद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हिन्दमहासागर से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। भारतीय नौसेना को दक्षिण तट पर श्रीलंका की नौसेना के खतरों को निष्फल करना होगा। मेरा सुझाव है कि दक्षिणी तट पर मंडपम में एक नौसैनिक अड्डा बनाया जाना चाहिए। कोचीन में पश्चिमी तट पर हमारी दक्षिणी नौसेना कमान्ड है। चूंकि युद्ध के दौरान कोचीन से नौसेना के पोतों को श्रीलंका से होकर आना पड़ेगा इसलिए मंडपम में एक नौसैनिक अड्डा होने से मंडपम से पोतों को अल्प सूचना पर चलाया जा सकेगा। हमारे दक्षिणी तट के खतरे को देखते हुए यह एक आवश्यक एहतियाती कदम है।

इसी प्रकार से, ब्रिटिश शासन के दौरान, उचीपुली वायुसेना का एक अड्डा था। आजादी के बाद इसकी उपेक्षा की गई है। यह स्थान भी मंडपम के पास है। इसे फिर से एक सक्रिय वायुसेना केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है इसलिए है क्योंकि नौसेना और वायुसेना के दक्षिणी भाग में सम्मिलित केन्द्र होना किसी भी अचानक संकट की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।

सम्पूर्ण पूर्वी तट पर मद्रास से कन्याकुमारी तक एक लम्बी सड़क है। यह सड़क भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के महत्व की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय को इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिग्रहण कर लेना चाहिए और मद्रास से कन्याकुमारी तक सैनिकों के आने-जाने के प्रयोग के लिए इस सड़क को बनाना चाहिए। दक्षिणी तट पर खतरे का सामना करने के लिए भी यह जरूरी है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सुझाव दूंगा कि विलिंग्डन, उधगमंडलम की तरह कोदइकनाल में भी एक सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाये। इस समय मद्रास में हमारी दक्षिणी सैनिक कमान है। मैं सुझाव देता हूं कि मदुरै में एक सैनिक कमान स्थापित की जाये जिससे जरूरत के समय दक्षिणी तट की तरफ सैनिकों को तुरन्त भेजा जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने परमाणु निरस्त्रीकरण, शान्ति तथा विकासशील और अवविकसित देशों के विकास के लिए जो आह्वान किया है उसकी सारे विश्व में काफी प्रशंसा हुई है और यह सफल रहा है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री की पहल पर संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दोनों के नेता निरस्त्रीकरण के बारे में चर्चा करने के लिए मिलेंगे। हमारी विदेश नीति की पहली बार भारतीय साम्यवादी दल के सम्मेलन में भी बहुत तारीफ की गई है। उन्होंने कहा

है, यह एक प्रगतिशील नीति है। "प्रगतिशील" शब्द का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था।

कुछ देश हैं जो यह नहीं चाहते कि भारत विश्व की तीसरी शक्ति बन जाये। वे चाहते हैं कि भारत अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए दूसरे राष्ट्रों से सहायता लेता रहे और इस पर उनका प्रभुत्व जारी रहे। परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्थिति बदल गई है। अतः कुछ विघटनकारी ताकतें हैं जो भारत के अन्दर अस्थिरता पैदा करने का भरसक प्रयास कर रही हैं और भारत के बाहर भी ऐसे ही प्रयासों में लगी हुई हैं।

हथियारों की होड़ से अब अन्तरिक्ष में युद्ध का खतरा हो गया है और प्रक्षेपास्त्रों, परमाणु और पारम्परिक शस्त्रों के अलावा अन्तरिक्ष शस्त्रों पर जोर दिया जा रहा है। शस्त्र प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई है। हमें चिन्ता चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संकट के बारे में चिन्ता है। पाकिस्तान में हथियार अमरीका से आ रहे हैं। बहुत ही आधुनिक शस्त्र कौड़ी के मोल आ रहे हैं। अफगानिस्तान के नाम पर, अमेरिका की नौसेना को आधुनिकतम हथियार दिये जा रहे हैं, और पत्तनों का विकास भी किया गया है। अमरीकी बेड़े ने इन्टरप्राइज के साथ कराची का दौरा किया यह निश्चित ही हमारे लिए चिंता का विषय है और यह समझा जाता है कि इसने भारत को घेर लिया है जैसा कि बंगलादेश युद्ध में प्रयास किया गया था। पाकिस्तान और चीन के लोगों द्वारा पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में आना-जाना लगा रहा है और पाकिस्तान द्वारा काश्मीर क्षेत्र में भारत की हथियाई गई भूमि तथा हिमालय के तिब्बती क्षेत्र पर वायुसेना के अड्डे राडार सुविधा के साथ बनाये गये हैं। अतः हम यह चुपचाप सहन नहीं कर सकते।

हाल ही में एक अमरीकी अध्ययन के अनुसार, दो सम्भावित क्षेत्र, जहां पर परमाणु युद्ध हो सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच अथवा पश्चिम एशिया है। इस अध्ययन दल ने यह भी कहा है कि यह विश्वास है कि बहुत से देशों ने गुप्त रूप से परमाणु बम बना लिए हैं और कुछ देश निकट भविष्य में परमाणु शस्त्र बनाने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। इस स्थिति को देखते हुए हमें स्वयं को किसी भी सम्भावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत पर पाकिस्तान द्वारा तीन बार हमला किया गया है फिर भी इसने सबक नहीं सीखा है। अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिटा सकता था परन्तु भारत की इच्छा किसी के क्षेत्र पर हमला करने अथवा अपने क्षेत्र के विस्तार करने की नहीं थी। यह शांति चाहता है। परन्तु हमारी अच्छाई को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अतः इन परिस्थितियों में, हमें समय के अनुकूल तैयारी करके हमारी सेनाओं को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रखना होगा। हमारे जवानों का मनोबल बहुत ही ऊंचा है जिसका प्रदर्शन कई बार हो चुका है और इस समय देश को एकता की जरूरत है जिसका प्रदर्शन तीन युद्धों के दौरान किया गया है। चीनी हमले के दौरान, गांवों के गरीब लोगों ने भारत की रक्षा करने के लिए सोने का दान किया था। पाकिस्तानी हमले के दौरान, एकता थी। अब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भी एकता रहेगी। विघटनकारी शक्तियां, उग्रवादी पाकिस्तान और अमरीका से मिले हुए हैं। यह एक खुला रहस्य है और लोगों को इन उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए स्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उग्रवादियों का सफाया हो जाए।

[श्री सोमनाथ रथ]

दूसरा पहलू एन० सी० सी० के बारे में है। एन० सी० सी० को नेमी तरीके से संगठित नहीं किया जाना चाहिए। एन० सी० सी० को बहुत ही सक्रिया बनाने पर जोर डालना चाहिए ताकि आपातकाल में वे लोगों की सहायता कर सकें। विद्यालयों और महाविद्यालयों दोनों के ही छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और जैसा कि सभा में बताया गया है कि फ्रांस, चीन और अन्य राष्ट्रों में सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। भारत में हम उसी व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाते? एन० सी० सी० हमारे छात्रों में अनुशासन, निष्ठा और देश प्रेम की भावना भरेगी। इस पर जोर दिया जाना चाहिए।

समिति ने रक्षा कार्मिकों, सुरक्षा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। समिति की कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। इन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए।

चीन और पाकिस्तान द्वारा हथियाए गये भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया जाना चाहिए। चीन के साथ बातचीत जारी रखी जाए इन क्षेत्रों को शान्ति पूर्ण ढंग से मुक्त कराया जाना चाहिए और ऐसा करते समय हमारी स्थिति उनके साथ सौदेबाजी करने की होनी चाहिए। अगर हम उनसे सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं होंगे, अगर हम हथियारों और गोला-बारूद से पूरी तरह से लैस नहीं होंगे तो वे शायद न्यायपूर्ण समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे।

मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपना भषाण मुझे दिए गए प्रतिवेदन के सिर्फ दो पैरा पढ़ करके समाप्त करता हूं। इसमें यह कहा गया है :—

> "रक्षा तैयारी एक व्यापक संकल्पना है तथा लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी तथा कर्मचारी निष्ठा एवं उच्च व्यावसायिक क्षमता के साथ लगातार हमारी लम्बी सीमाओं की निगरानी रख रहे हैं उनके पीछे सम्पूर्ण राष्ट्र है जो मुश्किल से प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा करने में उनकी सेवा और बलिदान से पूर्णतया अवगत हैं।"

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्तावित अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। आप तो जानते हैं कि अपना देश शांति, भाई चारा तथा विश्व-बन्धुत्व के सिद्धांत में अटूट विश्वास रखता है तथा इन्हीं भावनाओं के अनुरूप आचरण भी करता है। इस बात में दो मत नहीं कि हमारा देश न तो किसी पर आक्रमण करने के लिए लालायित है और न ही उसने ऐसा कभी पूर्व में ही किया है। यह भी एक हकीकत है कि अपने देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय राजीव जी गुट-निरपेक्ष देशों के चेयरमैन की कैपेसिटी में विश्व-बंधुत्व की बात सर्वत्र फैलाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

1.50 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

आपने देखा होगा कि जहां जहां अशांति का वातावरण हुआ है, चाहे वह अपने देश में हो या चाहे दूसरे देशों में हो, वहां-वहां राजीव जी का हमेशा प्रयास रहा है कि वह इसमें इन्टरवीन करें। चाहे निशस्त्रीकरण का मामला हो, चाहे परमाणु युद्ध को समाप्त करने की बात हो या फिर शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात हो—हमारा देश सदा ही अग्रणी रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश की सीमायें दूसरे देशों की सीमाओं से मिलती हैं। यह भी आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने देश की सीमाओं पर अनेक भड़काने वाली कार्यवाहियां यदा कदा हुआ करती हैं। पाकिस्तान जो एक छोटा सा देश है। उसे एक बड़े देश से सहायता हासिल होने के कारण, उसे बड़े अनुपात में न केवल युद्ध सामग्री ही नहीं मिलती है, उसका मनोबल सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। एक से एक सोफेस्टिकेटेड अस्त्र उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। इन बातों से चिन्ता होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने देश ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, जिससे यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सके कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।

आप जानते हैं कि अपना देश एक विशाल देश है और इस विशाल देश की आवश्यकतायें असीमित हैं तथा हमें इसकी सुरक्षा करने का पूरा-अधिकार है व सुरक्षा करनी भी चाहिए। इसी तारतम्य में हमको अपने देश की दीर्घकालीन डिफेंस नीति बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप अपने देश के स्वावलम्बन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वह पब्लिक सैक्टर के माध्यम से क्यों न हो। हमने एक अच्छा प्रयास किया है। अनेक पब्लिक सैक्टर स्थापित किए हैं और उन्हें समुचित धनराशि दी है। हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, को 19 करोड़ रुपया दिया गया है, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर को 27 करोड़ रुपया, भारत अर्थ मूवर्स लि० बंगलौर को 19 करोड़ रुपये, मैजगांव डॉक लि० बम्बई को 30 करोड़ रुपये, गोवा शिपयार्ड लि० गोवा को 3 करोड़ रुपये, गार्डन रिच शिपबिल्डिर्स और इन्जीनियर्स लि० कलकत्ता को 12 करोड़ रुपये, प्रगा टूल्स लि० सिकन्दराबाद को 5 करोड़ रुपये, भारत ओटोनोमिक्स लि० हैदराबाद को 15 करोड़ रुपये और मिश्र धातु निगम लि० हैदराबाद को एक करोड़ रुपये इस वर्ष में बजटरी एलोकेशन है। इसी तरह से अन्य प्राईवेट सैक्टर के लिए व्यापक व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उसके अच्छे परिणाम परिलक्षित होने शुरू हुए हैं। हम काफी हद तक अपने देश की रक्षा करने के लिए स्वावलम्बी बने हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करके उसमें सन्तोष करने वाला देश नहीं है। चाहे आर्मी की बात हो, चाहे नेवी की बात हो और चाहे एयर फोर्स की बात हो, हम समुचित प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी मजबूती की ओर ले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, समय कम है। मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि डिफेन्स सर्विसेज के लोग चाहे वे किसी भी सेना में काम करने वाले अधिकारी हों, कठिनाई का जीवन व्यतीत करते हैं और प्रतिवर्ष 40-50 हजार लोग 40 से 48 साल की उम्र में

[श्री लाल विजय प्रताप सिंह]

रिटायर हो जाते हैं। आज देश में करीब 4 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो रिटायर हो गए हैं। इनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए चाहे नौकरी की बात हो या पेंशन की बात हो या फिर जैसा कि अभी अयूब भाई ने निवेदन किया था कि मकान की जो समस्या उनके सामने उत्पन्न होती है, उसको दूर करने की बात हो। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो आड़े समय में हमारे काम आते हैं, खासकर उनकी विधवाओं को हमें हर चीज में प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि उनके बच्चों के लिए सेन्ट्रल स्कूलों की व्यवस्था है लेकिन उसमें भी उन्हें कई बार प्राब्लम आती हैं। मेरा निवेदन है कि और भी अच्छी व्यवस्था स्कूलों की उनके लिए होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते ही हैं कि अपना देश, जहां तक न्यूक्लियर प्रोगाम का सम्बन्ध हैं, उसके लिए वचनबद्ध है कि हम किसी प्रकार का परमाणु बम बनाने की बात नहीं सोचते हैं लेकिन मेरी यह निश्चय मान्यता है कि हम बेशक परमाणु बम न बनाएं लेकिन इस स्थिति में अपने आपको अवश्य रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम तत्परता के साथ बम का निर्माण कर लें। इसकी पूरी तैयारी हो समय रहते अभी कर लेना चाहिए और दुनिया के साथ, जिस प्रकार से अन्य देश इसके लिए बहुत आतुर हैं, हमें भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में बजट की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : चेयरमैन साहब, आज हम डिफेन्स बजट की अनुदान की मांगों पर बहस कर रहे हैं।

मैं सबसे पहले भारतीय सेना और भारतीय सेना के बहादुर जवानों, बहादुर अफसरों को, उनकी जो शानदार और एतिहासिक भूमिका देश की रक्षा में रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। हमारी सेना वर्तमान समय में न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए जी-जान से कोशिश कर रही है और अपना फर्ज निभा रही है बल्कि हमारी सेना ने देश की स्वतन्त्रता के लिए, आई० एन० ए० के रूप में कुछ लोगों ने अपने आप को पेश किया और समय-समय पर इतिहास में अपना शानदार रोल अदा किया। हमारी सेना भारत की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि भारत की एक कुटुम्ब के रूप में, एक परिवार के रूप में शानदार नमूना पेश करती है। हमारी सेना जो है वह कौमी यजिहती के लिए, नेशनल इन्टेग्रेशन के लिए एक नमूना है। जो एक शानदार और ग्लोरियस मिसाल है वह हमारी सेनाएं हैं।

2.00 म० प०

बहादुर सैनिक अपनी सर्विस के दौरान जिन्दगी के कीमती वर्ष अर्पित करता है। मगर सर्विस के दौरान और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद उसके सामने कुछ ऐसी प्राब्लम्स आती हैं जिन्हें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी सेना में चाहे अफसर हों, चाहे जवान हों, वे सोसायटी से बहुत दूर

बहुत सालों तक या तो बार्डर पर या कन्टोनमेंट में रहते हैं। इसलिए वे सोसायटी में अपने अधिकारों की, चाहे प्रापर्टी के हों, चाहे जमीनों के हों, उतनी रक्षा नहीं कर सकते, उतनी देखभाल नहीं कर सकते जितनी कि दूसरे सिविलियन्स कर सकते हैं। हमारे पास बहुत-सी ऐसी बातें आती हैं कि किसी की जमीन पर कब्जा हो गया, किसी के मकान पर कब्जा हो गया। इसलिए उनके बारे में, उनके इन्ट्रेस्ट्स जो प्रापर्टी में हैं, जो उनके घर के है, कोई उन्हें लीगल सुरक्षा मिले, उनके वे अधिकार सोसायटी में सुरक्षित रहें, सोसायटी को सोचना चाहिए।

एक्स-सर्विसमैन की पेंशन के बारे में बड़े डिफ़ेंट टाईप के स्केल हैं। जो लोग बीस वर्ष पहले रिटायर हुए हैं उनको और पेंशन मिल रही है, दूसरों को डिफ़ेंट रेंक में और पेंशन मिल रही है। हो सकता है कि सरकार के लिए कुछ मुश्किलात हों, पैसे की मुश्किलात हो, फण्ड की मुश्किलात हो, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए। यह न हो कि रिटायर होने के बाद एक कैप्टेन 14 सौ रुपये ले रहा हो और दूसरा तीन सौ रुपये ले रहा हो।

इसी तरह से आज मैं इस बजट पर बोलते हुए, भारतीय सेनाओं और हमारी डिफेंस के बारे में गवर्नमेंट के जो भी कदम हैं, गवर्नमेंट की जो भी एफर्ट्स हैं, आपोजिशन में होते हुए भी मैं अपनी तरफ से मुकम्मिल विश्वास प्रकट करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार जो भी कदम उठाएगी, हमें और सब को मुस्तैदी से सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि इन्टरनेशनल फोर्सिज हमारे नार्थ और साऊथ के बार्डर पर इस तरह से खेल खेल रही हैं कि हमारा देश डिस्टैबेलाइज हो जाए। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार देश की रक्षा के लिए जितना भी खर्च करना चाहे, जितना भी खर्च निर्धारित करना चाहे, हमें उसका साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए।

अब मैं कुछ छोटी-छोटी प्राब्लम्स के बारे में कहना चाहता हूं। देश में कन्टोनमेंट बनते हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक बहुत बड़ा कन्टोनमेंट बन रहा है। जब उसके लिए जमीन ली जाती है तो किसान—चूंकि देश की सुरक्षा का मामला है— अपनी जमीन खुशी से देता है। लेकिन उसमें प्राब्लम यह आती है कि वह जमीन बहुत सस्ते दाम से ली जाती है। अब उसकी जमीन जब कन्टोनमेंट में चली गई तो वह लेण्डलेस पेजेन्ट हो गया। न उसके पास जमीन होती है और न उसके पास कोई नौकरी होती है तो वह बेकार हो जाता है। उसके लिए किसी दूसरी जमीन या किसी नौकरी का प्रबंध करना चाहिए।

कोमों की जिंदगी में, कौमों के इतिहास में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जो बहुत चिंताजनक और नाखुश होते हैं। जो मजबूरी भी कहे जा सकते हैं जिनको की कोई खुशी से नहीं लाना चाहता। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि ऐसे कुछ लम्हात हमारे भारतवर्ष के इतिहास में आए। हमारी सेना के दरबार साहब पर हमले के बाद कुछ लोगों के जजबात बहुत तेज हो गए और उनके बारे में इंक्वायरी के बाद यह सामने आया कि वे सैनिक कोई बगावत नहीं कर रहे थे, उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया था। उनकी भावनाएं कुछ भड़क उठी थीं। उनको गिरफ्तार भी किया गया, डिस्मिस भी किया गया, उन पर मुकदमा भी चला। मैं बहुत गंभीरता से यह गुजारिश करता हूं कि

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

अगर अपने ही बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन बच्चों को हम माफ कर देते हैं। मैं सारे देश से और बहुत बड़े दिल वाले प्रिय प्रधान मंत्री जी से अपील और विनती करता हूं कि सिक्ख सोल्जर्स, जिन्होंने बैरकें छोड़ी थीं, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, जिन्होंने गलती की है, जानबूझ कर नहीं, जजबातों में गलती हो गई, उनके केस में नर्मी बरती जाए। मैं देश के सामने यह अपील कर रहा हूं, आपके सामने, आपके माध्यम से कि उनके साथ नर्म दिल से ऐसा करना चाहिए कि हम उनको दोबारा बसा सकें, उनको दोबारा रोजगार दिया जा सके, गलती का अहसास तो सभी ने कर लिया है, गलती हो गई है, इसके बारे में मैं बहुत गंभीरता से यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम यादव सिंह : (अलवर) श्रीमन्, आरम्भ में मैं माननीय प्रधान मन्त्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनरल के० एम० करियप्पा को उनकी देश के प्रति की गई उत्कृष्ट सेवाओं के बदले पांच सितारा रैंक और रियर एडमिरल (सेवा निवृत्त) दया शंकर को वाइस एडमिरल का रैंक प्रदान किया। मैं माननीय प्रधान मन्त्री को रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को बेहतर परिलाभों और आर्मी और अन्य सेवाओं की हथियार-प्रणाली में नई और उच्च तकनीक सम्मिलित करने की घोषणा पर भी मुबारकबाद देता हूं।

श्रीमन्, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का आरोप लगाया है कि रक्षा के बारे में सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं और रक्षा विभाग द्वारा जो भी खरीद की जाती है, उसकी जानकारी देश में तभी दी जाती है, जब ये खरीद-वार्ता समाप्त हो जाती है और इसकी जानकारी प्रेस द्वारा देश में दी जाती है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूरी चर्चा के दौरान, रक्षा सेवाओं के लिए नवीनतम क्षेत्र में की जा रही आयोजना, उच्च प्रौद्योगिकी, और बेहतर उपकरण प्रणाली के बारे में कोई भी ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है।

उनकी बातों मे कुण्ठा की झलक नजर आती है। वे कुण्ठा, नैराश्य जो उन्हें राजनैतिक क्षेत्र में मिली है, उनकी विचारधारा की वजह से उनके दिमागों में हैं, उनके कार्यों की झलक आदि पूरे राष्ट्र के सामने है। इसीलिए देश के महत्त्वपूर्ण विषय —रक्षा - के बारे में भी वे कोई ठोस सुझाव दे पाने की स्थिति में नहीं हैं।

यह सत्य है देश की सुरक्षा और बचाव हमारी सशस्त्र सेनाओं के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की पहली आवश्यकता, वहां राजनैतिक संकल्प और मजबूत नेतृत्व का होना होती है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के मजबूत नेतृत्व के कारण ही स्वेज नहर में ब्रिटिश नौसेना-बेड़ा नहीं आ सका। श्रीमती इन्दिरा गांधी के इसी मजबूत नेतृत्व के कारण 1971 में बंगाल की खाड़ी में अमरीकी सातवां नौसेना बेड़ा नहीं आ सका। वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही आज उनके हाथों में देश सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं।

वास्तव में, हमारे नेता, शांतिदूत रहे हैं। सारा विश्व, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा

शांति के लिए किये जा रहे प्रयासों और दोनों बड़ी ताकतों को नजदीक लाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की ओर उत्सुकता से देख रहा है, ताकि सारा विश्व राहत की सांस ले सके। आज विश्व की यही सबसे बड़ी चिन्ता है। आज यह किसी देश की ही रक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की रक्षा का प्रश्न है। उसकी सुरक्षा व उसके अस्तित्व का प्रश्न है। और इस दिशा में भारत, भारत के लोगों और भारत के नेताओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सारे विश्व में सराहना की गई है।

श्रीमन्, भारतीय सेना का इतिहास कीर्ति से भरा है। सेना ने न केवल युद्ध बल्कि शान्ति में भी सेवा की है। मैं ऐसे राज्य से आया हूं, जिसने 1965 और 1971 में युद्ध की ज्वाला देखी है। राजस्थान पाक सीमा पर स्थित है और इस बात के बावजूद कि राजस्थान के लोग रेगिस्तानी क्षेत्र, अभाव, और पानी की कमी वाले क्षेत्र में रहते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में अन्य कई मुश्किलें झेलते हैं; लेकिन यह सम्मान, प्रशंसा का विषय है कि 1971 के युद्ध में रन आफ कच्छ का एक बड़ा भाग—पाकिस्तान का 1.74 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर भारतीय सेना द्वारा कब्जा किया गया था। 1971 में ही नहीं, 1965 में भी, पश्चिम क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपने जौहर और बहादुरी का परिचय दिया। और भारतीय सेना समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अतः, उस राज्य का नागरिक होते हुए जहां हमेशा ही बहादुरों और देशभक्तों की पूजा की जाती रही है; मैं सभा के अन्य माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमें इन बहादुर सैनिकों का हौंसला बुलंद रखना चाहिए, उन सैनिकों का जिन्होंने युगों-युगों तक इस देश की सेवा की है।

आज देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल जीवन के एक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में भी अपनाया जाना चाहिए। हमारे अभियंता, हमारे सैनिक और हमारे तकनीकी लोग जो कि रक्षा विंग से सम्बद्ध हैं उनसे आशा की जाती है कि वे ऐसी आधुनिकतम तकनीक विकसित करें जो भारतीय आवश्यकताओं पर आधारित हो और जो शस्त्र प्रणाली तथा युद्ध कौशल के लिए अपेक्षित है और वे ऐसा कर रहे हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि सीमा सड़क संगठन को मजबूत बनाया जाए और सड़कें बनाने के लिए उसे और राशि दी जाए। राजस्थान की सीमा लम्बी है। वहां स्थायी पक्की सड़कें बनाने की आवश्यकता है ताकि आपातकालीन समय में देश पाकिस्तान या पड़ोसी देशों से जिनकी भारत के विरुद्ध कुदृष्टि हो सकती है, होने वाले खतरों का सामना कर सकें। यही नहीं, सीमा तक रेलवे की बड़ी लाइन भी बिछाई जानी चाहिए। वहां सप्लाई जारी रखनी आवश्यक है। जोधपुर से बाड़मेर और गोदरा तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिए। रक्षा की यह परमावश्यकता है। मैं समझता हूं इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो जवान सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनके पुनर्वास की आवश्यकता है। उन्हें कम ब्याज-दर पर 25,000/- से 50,000 रु० तक ऋण दिया जाना चाहिए। जब जवान सेना सेवा कर रहे होते हैं तो उनके बच्चों की सही प्रकार से देखभाल नहीं होती और उन्हें गांवों के स्कूलों में सही प्रकार से शिक्षा भी नहीं मिल पाती; अतः उनके बच्चों को सेना में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए। अतः उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह भी अनुरोध

[श्री राम सिंह यादव]

करना चाहता हूं कि रक्षा कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए दी गई कृषि-भूमि संबंधी लम्बी मुकदमेबाजा के मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए, ताकि उनका शीघ्र पुनर्वास किया जा सके। जिन जवानों को यह कृषि-भूमि आबंटित की गई है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे फिर रहे हैं। कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, जिसके अन्तर्गत उन जवानों को, जिनकी कृषि-भूमि पर अन्य लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, और लम्बे समय से मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, उनको कुछ सहायता दी जानी चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाना कि अगर कोई अतिक्रामक सेना के कर्मचारी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता है तो उसे वह भूमि न्यायालय में संक्षिप्त मुकदमेबाजी के बाद, वापस कर दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सेना के जो अधिकारी और जवान सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अर्ध सैनिक बलों, जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रेलवे सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल आदि में सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिला कल्याण बोर्ड अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों को कोई भी रोजगार देने में अक्षम हैं। उन्हें रोजगार का अवसर नहीं मिलता। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् रोजगार की गारंटी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय मैं वर्ष 1986-87 के लिए रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

जैसाकि हम सब जानते हैं कि किसी राष्ट्र की रक्षा नीति वास्तव में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय नीति एवं विदेश नीति पर आधारित होती है। देश द्वारा तय की गई राष्ट्रीय नीति, और साथ ही विदेश नीति तथा अपने आस-पास के माहौल को ध्यान में रखकर ही रक्षा कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए।

हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी तथा स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बार-बार यह दोहराया था कि किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने व क्षेत्र हथियाने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। यद्यपि हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री रक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाले हुए हैं, परन्तु वह आणविक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में हैं और इस विषय में अपनी पूरी कोशिश करते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में निरस्त्रीकरण तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के लिए उनकी भूमिका की महाशक्तियों सहित विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा बहुत सराहना की गई है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे कुछ पड़ोसी देश, विशेषतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नाम पर परिष्कृत हथियार इकट्ठे कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका से परिष्कृत हथियार प्राप्त कर उनका संग्रह कर रहा है। मैं एक सामान्य-सा प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या हारपून मिसाईलों का प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध किया जायेगा ? इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान द्वारा प्राप्त जंगी जहाजों, पनडुब्बियों इत्यादि का प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं

किया जायेगा। हमारी सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान में हथियारों के संग्रह का प्रयोग भी अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अतः हमारी रक्षा तैयारियां हमारे चारों ओर हो रही इन गतिविधियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिएं।

बहुत से पहलू हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। परन्तु यहां मैं केवल एक समस्या को रखना चाहता हूं जो इस सभा में कल मेरे माननीय साथी श्री कुमारमंगलम द्वारा उठाई गई थी। अपने भाषण में कल उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण रेंज (एन०टी०आर०) का जिक्र किया था। मेरा अभिप्राय श्री एन० टी० रामाराव से नहीं है। नेशनल टेस्ट रेंज के लिए उड़ीसा में बालियापल-भोगराय क्षेत्र का चुनाव किया गया है। यह क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र बालासोर के अन्तर्गत आता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चूंकि स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं इसलिए परीक्षण स्थल कन्याकुमारी कर दिया जाना चाहिए। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। किंतु मुझे वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं वर्तमान राज्य मन्त्री महोदय श्री अरुण जी तथा उनके पूर्वाधिकारी महोदय से मुझे यह जानकारी मिली है कि इस स्थल का चुनाव करने से पूर्व कन्याकुमारी सहित 22 सम्भावित स्थलों पर विचार कर चुके हैं और अन्त में बालियापाल-भोगराई को इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उपयुक्त पाया है। माननीय मन्त्री अरुण जी भी इस विषय के बारे में कल अपने भाषण में अवगत करा चुके हैं। शायद सभा को यह ज्ञात होगा कि इस स्थल का चुनाव वर्ष 1978-79 में जनता सरकार द्वारा किया गया था परन्तु तब वे इस योजना को कार्यरूप नहीं दे पाये थे।

जब इस नेशनल टेस्ट रेंज की स्थापना की जा रही है तो उससे लगभग 5000 परिवारों को इस क्षेत्र से विस्थापित किया जायेगा। अतः लोग कड़ा विरोध प्रकट कर रहे हैं। उन लोगों की दशा तथा मनाभावों का फायदा उठाकर कुछ राजनैतिक दल अपने राजनैतिक हितों के लिए उनका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनैतिक दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), उस क्षेत्र के लोगों को रात के समय सशस्त्र प्रशिक्षण देने की हद तक पहुंच गया है और ये राजनैतिक नेतागण सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। इन राजनैतिक नेताओं ने लोगों को इस कदर भड़का दिया है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस क्षेत्र में नहीं जाने दे रहे हैं और इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। हाल ही में बालासोर के जिलाधीश और कुछ अन्य कर्मचारी वहां गये तो उनका बहुत अपमान किया गया और उनको परेशान किया गया।

फिर भी ये लोग बहुत भावुक हैं और विशेषतौर पर, अब इनको घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन लोगों को इन राजनैतिक नेताओं द्वारा उकसाया जा रहा है। चाहे हालात कुछ भी हों यदि सरकार स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद भी इस परियोजना को देश के हितों को ध्यान में रखकर केवल बालियापाल-भोगराई में ही आरम्भ करने का निर्णय लेती है तो मानवता के आधार पर समस्त स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि सरकार को आवश्यकता से अधिक एक इंच भूमि भी नहीं लेनी चाहिए। वे कम से कम, उतनी ही भूमि ले जो बहुत आवश्यक है। मुआवजा, विस्थापन, रोजगार और इस तरह के अन्य सहायक उपायों को उन लाभभोगियों से विचार-विमर्श करके लागू किया जाना चाहिए।

[श्री चिन्तामणि जेना]

स्कूल, कालेज, औषधालय, अस्पताल, क्लब जैसी कई दूसरी सार्वजनिक संस्थाएं वहां हैं। सभी कर्मचारियों, जैसे अध्यापक इत्यादि जो इन संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, को उचित मुआवजा देना चाहिए। हजारों लोग जो शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले पान के बागों, आम के बागों, नारियल तथा काजू के बागों के मालिक हैं, को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कई लोगों ने सरकारी भूमि पर इस प्रकार के आम के बाग लगा रखे हैं, घर बना रखे हैं तथा मछली पालन के लिए तालाब बना रखे हैं, उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उस क्षेत्र के लोग राज्य सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम पर आश्रित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि केंद्र पुनर्वास, मुआवजा और नियुक्तियों आदि के मामले मे उनकी मदद के लिए आगे आये। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया वहां मेन बैटल टैंक (एम०बी०टी०) कारखाना स्थापित करने के मुद्दे पर विचार करें। लोग समझेंगे कि यह प्रधान मन्त्री द्वारा उनकी कठिनाई को देखते हुए उनके लिए एक उपहार है।

कुछ तर्क और वितर्क प्रतिरक्षा बजट के बारे में उठाये गये हैं। लेकिन हम भली-भांति जानते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा व्यय पाकिस्तान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, श्रीलंका, फ्रांस और बहुत से दूसरे देशों से बहुत कम है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं परन्तु मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की वार्षिक रिपोर्ट से एक पैराग्राफ उद्धृत करूंगा। पृष्ठ 7, प्वाइंट 7.4, में उद्धृत करता हूं :—

> "1985—90 की प्रतिरक्षा योजना पूर्णता के प्रखर चरण पर है। ज्यादा जोर उपकरणों के आधुनिकीकरण और बदलाव पर, अधिक मार करने वाले अस्त्रों और संचार के अत्याधुनिक माध्यमों और आत्मनिर्भरता तथा आयात विकल्प पर ही दिया जा रहा है।"

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें व्यय के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या यह ज्यादा या कम होना चाहिए, जबकि हम आधुनिकीकरण और परिष्करण की ओर अग्रसर हैं और विशेषत: हमारे देश के आकार और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए हमारा व्यय निस्संदेह दूसरों से कम है।

जब हम अधिक व्यय की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1940 में जब हम स्वदेशी वस्तुओं के बारे में बात करते थे तो इससे हमारा तात्पर्य हाथ से बने कपड़ों से था, परन्तु आज जब हम स्वदेशी वस्तुओं का जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय उपग्रहों और कम्प्यूटरों से होता है। इसलिए हमें उपग्रहों और हाथ से बने कपड़ों पर व्यय की तुलना नहीं करनी चाहिए।

महोदय, मैं इस मुद्दे पर फरवरी 1986 के आंकड़ों के सामरिक विश्लेषण से उत्पन्न एक छोटा सवाल रखना चाहता हूं। यह बात विचार करने के काबिल है कि सन 1962-63 में प्रतिरक्षा पर व्यय 473.9 करोड़ रुपये था अर्थात् सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.1 प्रतिशत जबकि 1980-81 में यह 3866.77 करोड़ रुपये था और सकल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 3.38 प्रतिशत था। इसलिए यदि हम 1970-71 का मूल्य सूचकांक लें तो पायेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.8 प्रतिशत है।

यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे जवान और प्रतिरक्षा कर्मचारी अपने त्याग के लिए, देश प्रेम की भावना के लिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए जोकि किसी से कम नहीं है, और जिसे हमने सन 1962, 1965 और 1971 में देखा है, वे प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। जो आदर्श उन्होंने सामने रखे हैं वे काफी समय तक हमारी उन्नति के आड़े आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होंगे।

एक और प्रार्थना है :—हमारे राज्य उड़ीसा के बालासोर जिले में एक दूसरा सैनिक स्कूल होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से इन मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हूं।

किसी भी देश की प्रतिरक्षा नीति एक राष्ट्रीय सहमति का मामला है और हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि इस सभा में विभिन्न मसलों पर एक व्यापक सहमति है। सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट को बनाने की प्रशंसा करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि यह न केवल यथार्थवादी है अपितु काल्पनिक भी है। पहले अध्याय में आखिरी पैराग्राफ अर्थात पैराग्राफ-II में जो वाक्य है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा और हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे इसकी तुलना करना चाहूंगा। इस वाक्य में कहा गया है : —

> "अन्ततः भारत की सुरक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम स्वभावतः हमारे लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय है। खासतौर से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी शक्तियां आन्तरिक विघटनकारी शक्तियों के साथ राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर गठबन्धन कर सकती हैं और हमारी सुरक्षा समस्याओं को और जटिल बना सकती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।

यह इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण कथन है। यह जरूर कम से कम एक महीने या एक पखवारे पहले बनाई गई है।

एक साक्षात्कार का उल्लेख है जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया ने लन्दन की "न्यू लाइफ" पत्रिका को दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अपनी अन्दरूनी समस्याओं के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाना चाहता है।

2.31 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसमें जो एक गठबन्धन है मुझे खुशी है कि उसे हमारे अपने लोगों ने अधिक अच्छी तरह समझा है; परन्तु बाद में जिया को ऐसा कहना पड़ा है।

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

इसलिए, हमारे लिए यह बढ़ती हुई चिन्ता का विषय है कि पश्चिम की बड़ी शक्तियां भारत में अन्दरूनी विघटनकारी शक्तियों को उभारने में लगी हैं और मतभेद को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए यह हमारे लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को कभी-कभी देश में आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए सेवा हेतु भी बुलाना पड़ा है और पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपितु देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में उन्होंने जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी सराहना करता हूं। सेनाओं का प्रशंसनीय कार्य इस बात से जाहिर है कि बहुत से शहीदों ने आजादी के पश्चात कुछ वर्षों में पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार हुए युद्धों में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मेरे अपने राज्य हिमाचल ने देश की सशस्त्र सेनाओं में 1049 शहीद भेंट किये हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।

हमें देखना है कि हमारी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के समक्ष नई चुनौतियां आ रही हैं। इनमें से एक चुनौती पाकिस्तान द्वारा आणविक स्थिति पर पहुंचने के लिए उसका संकल्पबद्ध प्रयास है। दूसरे पाकिस्तान की सत्ताधारी दल ने हाल ही में इस बारे में जो प्रस्ताव पारित किए हैं वे भी हमारे लिए चिन्ता का विषय हैं।

इसी तरह, पश्चिम की बड़ी शक्तियों द्वारा हिन्द महासागर को अपने इरादों का अखाड़ा बनाने की कोशिश भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए हमें इन सभी कठिनाइयों के लिए तैयार रहना है और मुझे यकीन है कि हमारी सशस्त्र सेनायें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इसी संदर्भ में मैं कहूंगा कि देश द्वारा, सरकार द्वारा और इस सभा द्वारा उनके ऊपर किये जाने वाले खर्च के लिए बहुत उदारता से धन मंजूर किया गया और इसके लिए सभी ने उनकी प्रशंसा की है। हमें न केवल उनकी आवश्यकताओं को नयी प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को, नये अस्त्रों के अर्जन, हथियारों की होड़ को, पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद को ही देखना है अपितु अपनी प्रतिरक्षा के अन्य पहलुओं पर भी विचार करना है। और प्रतिरक्षा आयोजना ने पिछले कुछ वर्षों में अपना एक स्थान बनाया है और उसमें स्थिरता आ गयी है। जैसे कि हाल ही में कुछ आंकड़े सामने आये हैं और जैसे कि कुछ मित्रों ने कहा है कि हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 3 प्रतिशत इस पर खर्च किया जाता है; और यह बहुत थोड़ी रकम है परन्तु यह ठीक खर्च की जाती है। यह देश की सीमाओं की सुरक्षा पर खर्च किया जाता है और इसीलिए सशस्त्र सेनायें शाबाशी के काबिल हैं।

हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों पर विशेष ध्यान देना है और हमें यह देखना है कि उनका कल्याण देश की जिम्मेदारी है। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात 1919 से देश में सैनिक बोर्ड बनाये गये और हमारी सरकार ने जिला सैनिक बोर्डों, राज्य सैनिक बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये और कई अन्य उपाय किए हैं। परन्तु हमें एक दीर्घकालीन नीति बनानी है क्योंकि सेनायें इस समय

अपने 35 से 37 आयु के 60,000 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सेवा से निवृत्त करती है। इसलिए यह सिविल क्षेत्र की अन्य सेवाओं के साथ एक असंगत तुलना है। परिणाम यह होता है कि उन्हें नौकरी की तलाश करनी पड़ती है और यह उनके लिए मुश्किल होता है। एक अनुमान के अनुसार जो पेंशन की धनराशि हम देते हैं वह काफी है। प्रतिवर्ष पेंशन पर 600 करोड़ रुपये का खर्चा आता है, और यह जल्दी ही वेतन से ज्यादा हो जायेगा। इसलिए हमें इस पर नए सिरे से विचार करना होगा और हमें एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे धन का सदुपयोग हो और सशस्त्र सेनाओं के कर्मिकों को सेवा निवृत्ति के समय कोई दिक्कत तथा असुविधा न हो। इस प्रकार, मैं अनुरोध करता हूं कि हम नए सिरे से विचार करें। हमें सारी स्थिति पर पुनःविचार करना होगा और उनको 35 वर्ष की उम्र में सेवा-निवृत्त करने की बजाए हम 25 या लगभग 30 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त कर सकते हैं, और फिर सिविल सेवाओं में उनको इस ढंग से लगाया जाये कि वे नियमित वेतन ले सकें जिससे कि पेंशन की समस्या न रहे। और उनको राज्य की सेवाओं के साथ किसी भी ऐसी प्रतियोगिता का सामना न करना पड़े जो उनके अनुकूल न हो जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ तो सशस्त्र सेनाओं में सैनिक जवान रह सकेंगे और दूसरी तरफ उनकी पेंशन की समस्या सुलझ जाती है। आजकल, भूतपूर्व सैनिक पेंशन में असमानता को हटाने की मांग कर रहे हैं जिसे चतुर्थ वेतन आयोग के पास भेज दिया गया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, और एक सिफारिश यह है कि उनके कल्याण की देखभाल करने के लिए दोनों सदनों की एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो विभिन्न उपाय सदन में तथा सदन से बाहर किये गये हैं उनकी क्रियान्विति केवल कार्यपालिका ही सुनिश्चित न कर सकती है। इस प्रकार, यदि एक संसदीय समिति और एक ऐसी ही समिति राज्य विधान सभा में हो तो इस प्रकार वे कार्यपालिका के काम की छान-बीन कर सकेंगी और इस प्रकार यह उचित दिशा में एक कदम होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान पद समान पेंशन" की मांग है। इसलिए, इस पर भी सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए।

देश में 229 जिला सैनिक बोर्ड ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं, किन्तु इनको और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। हमारे दौरे के दौरान, मैं सौभाग्यवश इस समिति का सदस्य था, हमने पाया कि कुछ जिला सैनिक बोर्ड धन की कमी के कारण कठिनाई उठा रहे हैं। इसलिए, उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए।

मेरे राज्य में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, तीन सैन्य केन्द्र—एक हमीरपुर में, एक ऊना में और एक शिमला तथा कुल्लू दोनों जिलों की सीमाओं पर नागेली में —स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन सैन्य केन्द्रों की शीघ्र स्थापना से हमें मदद मिलेगी। इसी तरह, हमारे राज्य से आयुध कारखाने की मांग पर जिसके लिए हमारे मुख्य मंत्री ने मांग की है—रक्षा मंत्री को गौर करना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गये अच्छे कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं और मैं श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार के उन विभिन्न कदमों की भी सराहना करता हूं जो उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौजवान सैनिकों को बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाये रखने के लिए उठाये हैं, उन्होंने अब तक हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। उन्होंने बिना किसी जाति, रंग और धर्म के भेदभाव के कठिनाई

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

की घड़ी में देश की रक्षा की है। बगैर किसी साम्प्रदायिक पक्षपात के पंजाब उपद्रवों में उनकी भूमिका सशस्त्र सेनाओं के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को एक योगदान है और सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए कि अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और गलत समझे जाने की परवाह न करते हुए उन्होंने एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और भारत की एकता की रक्षा न सिर्फ सीमा पार की चुनौतियों से बल्कि हमारे देश की चुनौतियों का मुकाबला करके की है।

मैं इन शब्दों के साथ, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें। पहले ही हमने काफी समय ले लिया है। अब श्री नारायण चौबे अपना भाषण देंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : प्रारम्भ में, मैं सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करता हूं जो हिमालय पर्वत, समुद्री-तटों पर तथा मरुस्थलों में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

सबसे पहले, मैं एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय भी इन्हें सुनें। मुझे रिपोर्ट में यह देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि फिर आप एक ही आधार पर दो महाशक्तियों की तुलना कर रहे हैं। श्री पराशर भी इस पर बोले हैं। आप उनको एक समान ले रहे हैं कि दोनों महाशक्तियां विश्व में तनाव पैदा कर रही हैं। यह वास्तविकता से बहुत दूर है, श्री राजीव गांधी इसे जानते हैं, सभी माननीय मंत्री इसे जानते हैं, और आप भी यह जानते हैं। लेकिन आप अपनी रिपोर्टों में महाशक्तियों की बराबरी कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि क्यों आप महाशक्तियों को बराबर मानते हैं। महाशक्तियों में आपका मित्र कौन सा है? आपका दोस्त कौन और आपका शत्रु कौन है? आप इसे जानते हैं। सभी अवसरों पर सोवियत संघ आपकी तरफ रहा है और आप यह जानते हैं। एक महाशक्ति तनाव के खिलाफ है। वह महाशक्ति तनाव पैदा करने के विरुद्ध है और वह महाशक्ति तनाव में कमी करने के लिए कहती है और दूसरी महाशक्ति नई-नई विस्फोटक आणविक युक्तियों के लिए कह रही है। इसलिए इन दो महाशक्तियों की बराबरी करना उचित नहीं है। यह मेरा पहला अनुरोध है।

दूसरा अनुरोध यह है कि श्रीमान, अमेरिका में, पेन्टागन के नाम से एक और महाशक्ति है। वे हमें कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। वे भारत को कोई भी महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि, भारत ने सुरक्षा सैन्य सूचना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये। इसलिए भारत को सूचना नहीं दी गयी है। इस प्रकार एक महाशक्ति — अमेरिका के साथ हमारी यह स्थिति है। और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ है। भारत के प्रति इसके व्यवहार को आप जानते ही हैं।

और श्रीमान, आप जानते हैं कि कई रहस्योद्घाटन हो रहे हैं जैसे—लारकिन बन्धु का मामला, रामस्वरूप मामला इत्यादि। किसके लिए कौन कर रहा है? सभी पश्चिमी देश हमारे

सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सूचना लेने के इच्छुक हैं। वे हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठानों के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे देश में कुछ बलि के बकरे या गद्दार हैं, जो उनके लिए काम करते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह दोनों महाशक्तियों की बराबरी न करे और दोनों को एक ही आधार पर न मानें।

जो तीसरा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि वे भारत के लिए कठिनाई पैदा करना चाहते हैं। वास्तव में छठे बेड़े के जहाज कराची में हैं।

पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिये हैं। अमेरिका को सभी सैनिक अड्डे पाकिस्तान द्वारा दिए गए हैं।

श्रीलंका ने भी अड्डे दे दिए हैं या देने वाला है। और यह कहना गलत है कि दोनों महाशक्तियां हिन्द महासागर को संघर्ष क्षेत्र बना रही हैं। हमारी समस्या यह है कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। देखिए डियागो गार्शिया का क्या हुआ है? ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? परमाणु अस्त्रों के साथ वहां कौन है? कौन सी महाशक्तियां हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां हमारी सैनिक तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक पैसा दिया जाना चाहिये। हम समझते हैं कि और पैसे की आवश्यकता है। क्योंकि नई प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है और रक्षा में भी सुधार किया जाना चाहिए।

मैंने कहा है कि आप भी इसे जानते हैं। हम सभी इसे जानते हैं। हमारा देश गरीब है हमें देखना है कि इन परिस्थितियों में किस चीज की आवश्यकता है और हमें उचित ढंग से खर्च करना है। इस स्थिति में हम अपने प्रधान मंत्री व रक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं कि हमें देश के लिए किस चीज की आवश्यकता है। हां, मैं सहमत हूं कि हमें एक दूसरे वायुयान वाहक की आवश्यकता है। हम सहमत हैं कि पूर्वी-क्षेत्र व दूसरे क्षेत्र में निगरानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन ब्रिटेन से हरमीज वायुयान लेने का क्या लाभ है। ब्रिटिश नौ सेना ने भी यही कहा है कि यह कूड़ा करकट है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमें कूड़े-करकट की ही आवश्यकता है।

श्री नारायण चौबे : कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लागत 400 लाख पौंड होगी। पांच तारीख के "हिन्दू" में कहा गया है कि हमें एक सौ हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। और हम एक अप्रचलित जहाज को खरीदने जा रहे हैं जबकि ब्रिटिश नौ सेना ने हरमीज केप्रयोग न करने का निर्णय लिया है। लेकिन आप देखिए कि आस्ट्रेलिया ने इसे नहीं खरीदा, चिली ने इसे नहीं खरीदा, ब्राजील ने इसे नहीं खरीदा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भारत इसे क्यों खरीद रहा है। हम यह जानना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हरमीज के साथ-साथ आप कुछ 'सी-हैरीयर', 'जेवर जेट', 'सी-किंग' हैली काप्टर और बहुत से प्रक्षेपास्त्र व कई सौ करोड़ रुपये के इलेक्ट्रानिक के उपकरण खरीदना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों खरीदा जा रहा है? क्य

[श्री नारायण चौबे]

इससे हमें किसी प्रकार की सहायता मिलेगी ? जबकि हम अपने विमान वाहक का उत्पादन स्वयं करने जा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा विभाग विदेशों से काफी मात्रा में खरीद कर रहा है। यह सूचना दी गई है कि हम स्वीडन से चार सौ 155-एम० एम०फील्ड तोपें खरीदेंगे जिनकी कीमत 1~,00 करोड़ रुपये होगी। कल ही लोक लेखा समिति ने रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा है। "जांच समिति की रिपोर्ट के अध्ययन से समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति, समझौता समिति, सरकारी कर्मचारियों के दूसरे दल, रेजिडेन्ट इन्सपेक्टर जिसने जहाज पर लदान से पूर्व माल को स्वीकृति दी और फर्म के विरुद्ध जुलाई/अगस्त 1979 तक कानूनी कार्यवाही शुरू न करने वाले अधिकारियों की ओर से गलतियां की गई थीं।"

इस प्रकार शस्त्रों का व्यापार करने वाले ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुणसिंह) : 1979 में सरकार आपकी थी।

श्री नारायण चौबे : 1981 में देश पर आपका शासन था। खैर, यह एक उस समय स्वतन्त्र देश था चाहे इस पर आप शासन करते हैं या जनता करती है और वह देश का पैसा था। इसकी जांच होनी चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हम इन वस्तुओं को विदेशों से क्यों खरीद रहे हैं जिनका उत्पादन यहां किया जा सकता है और किया जा रहा है। दक्षिणी कोरिया से 10 करोड़ रुपए की कीमत का पैरासूट खरीदने का क्या कारण है जबकि इनका उत्पादन कानपुर में किया जा सकता है ?

धूप के 1000 चश्मे खरीदने का क्या लाभ है ? (**व्यवधान**)। आप हाल ही के "इन्डिया टुडे" में प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़िए। हमारे पास सूचना है कि हम सेना के लिए 15 लाख ऊनी कम्बल खरीदने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सेना में भी विदेशी सामान के लिए चाह क्यों है।

मैं आधुनिकीकरण का स्वागत करते हैं। यह उचित और ठीक है। लेकिन हमें बताया गया है कि आधुनीकीकरण के नाम पर आप 30 प्रतिशत कर्मचारियों को कम कर रहे हैं। कल, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास बहुत कुशल व्यक्ति हैं। मैं नहीं समझता कि आप उन्हें हटा सकते हैं। आप उनका लाभ उठा सकते हैं। दोनों मान्यता प्राप्त संघों ने इसका विरोध किया है।

हमें यह बताया गया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर आप रक्षा इकाइयों के उत्पादन कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को दे रहे हैं। आयुध कारखानों की देख रेख में काम करने वाले कपड़े के कारखानों को, जो टैंट आदि का उत्पादन कर रहे हैं, क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं और आप निजी कम्पनियों को क्रयादेश दे रहे हैं। 'मार्टिक' टेन्टों व सेना के कपड़ों के लिए क्रयादेश बड़े-बड़े ठेकेदारों को दिए जा

रहे हैं। ब्रिटेन में श्रीमती थैचर की सरकार रक्षा उद्योग में होने वाले उत्पादन कार्य को निजी क्षेत्र को देने की कोशिश कर रही है। मुझे विश्वास है कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस सम्बन्ध में, उनका अनुकरण नहीं करेगी।

एच० ऐ० एल० आगरा में 170 अत्यधिक कुशल कर्मकारों को जबरन छुट्टी दे दी गयी है। ए० एन० 32 के आने के साथ-साथ मुझे विश्वास है कि उनके पास पर्याप्त कार्य होगा। मुझें आशा है कि मंत्री जी इसकी जांच करेंगे।

निरीक्षण महा निदेशक के अन्तर्गत विभिन्न रक्षा इकाइयों के सी व डी श्रेणी के 1107 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसकी जांच करेंगे और उन्हें फालतू घोषित नहीं किया जायेगा।

आपने यह स्वीकार किया है कि रक्षा उत्पादन विभागों में मधुर सम्बन्ध हैं। परन्तु रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 1981 की अनियमितता समिति की रिपोर्ट आई है, जिसे सरकार ने 14-10-85 को स्वीकार किया है। परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे लागू करें।

एम० ई० एस० विभाग में भ्रष्टाचार की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। मैं जानता हूं कि मिदनापुर जिले में कलई कुण्डे हवाई अड्डे में क्या हो रहा है। वहां के ठेकेदार और मोटे होते जा रहे हैं गैरिजन इंजीनियर उचित ढंग से आपकी सेवाएं नहीं की जाती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करें और यह देखें कि इसे रोक दिया जाए।

जैसा कि दोनों पक्षों से हमारे मित्रों ने मांग की है कि सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों की जांच की जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों की भी जांच की जानी चाहिए। वे कौन हैं? वे न तो असैनिक कर्मचारी हैं और न ही सेना के आदमी हैं।

[हिन्दी]

धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो आप उन्हें असैनिक कर्मचारियों की तरह संघ बनाने की अनुमति दीजिए या उन्हें सैनिक के रूप में स्वीकार कीजिए ताकि उन्हें सैनिकों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त हो सकें। न इसे करने न उसे करने की बात नहीं होनी चाहिए।

मैं भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। आपकी रिपोर्ट में भी भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित कुछ अच्छी बातों का उल्लेख है। सभी मामलों को एक ही स्थान पर निपटाने

[श्री नारायण चौबे]

की यह प्रणाली रक्षा सचिवालय और सेना मुख्यालयों से सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सारे भारत में प्रशंसा की जाती है। यदि आप दिल्ली में एक स्थान पर मामले निपटाने की प्रणाली बनाते हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम प्रत्येक राज्य की राजधानी में यह होना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे।

अन्तिम बात, जो मैं कहना चाहता हूं, यह है कि मेरे जिले मिदनापुर में रक्षा विभाग ने झार ग्राम व संकरेल पुलिस स्टेशन के 25 गांवों को नोटिस दे दिया है वे वायु सेना प्रशिक्षण के लिए इन गांवों को लेना चाहते हैं। अधिकारियों ने उन्हें उचित नोटिस नहीं दिए हैं। वे उनसे बात नहीं करना चाहते। वे बहुत नौकरशाही ढंग से व्यवहार करते हैं। यदि रक्षा की आवश्यकताओं के लिए इन गांवों को ले लिया जाना है तो उन्हें लेने दीजिए परन्तु कृपा करके उचित मुआवजा उन लोगों को दिया जाना चाहिए, उन्हें उचित नोटिस दिया जाना चाहिए और उन लोगों को जहां तक सम्भव हो सके रोजगार दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को रोजगार देना सम्भव नहीं है।

परन्तु अगर इन मामलों में वे केवल नोटिस जारी करते हैं और नागरिकों के साथ नागरिकों जैसा व्यवहार न करके बहुत ही उग्र व्यवहार करता है तो मैं निवेदन करूंगा कि इन मामलों पर गौर किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे रक्षा कार्मिकों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी वे हमारी सीमाओं की रक्षा करके राष्ट्र की एकता की रक्षा करेंगे।

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, माननीय सदस्य ने अभी-अभी बताया है कि रक्षा उत्पादन विभाग के लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी। मेरे ख्याल से शायद माननीय सदस्य कल सभा में उपस्थित नहीं थे। मैंने यह स्पष्ट किया था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य अपने ख्याल को ठीक कर लें।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ध्यान में रखने की है कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। जो युद्ध होते हैं, उनकी कोई तारीख निश्चित नहीं रहती है, उनका कोई मुहूर्त नहीं रहता है। हम यह नहीं कह सकते कि पांच साल तक हमको किसी भी देश से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आज की परिस्थितियों को देखा जाए, तो यह स्पष्ट दीखता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, चीन है या श्रीलंका है, उनके कार्यकलापों को जब देखते हैं, तो उनसे हमको स्पष्ट शक होता है कि ये लोग लड़ने को कभी भी

आमादा हो सकते हैं। हम अपने मन की बात कर सकते हैं। हमारा मन शुद्ध है, हमारा भारत किसी से लड़ना नहीं चाहता परन्तु हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके मन में क्या बदनीयता है, और वे किस समय पर क्या करेंगे, इसकी कोई गारन्टी नहीं है। हमारे सामान्य विरोध पक्ष के सदस्यों ने कहा कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों खरीदना चाहते हैं, आप पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने की बात क्यों करते हैं। मैं यह कहता हूं कि मान लीजिए कि चार महीने के बाद हमको लड़ाई करनी पड़े या लड़ाई हम पर थोपी जाए, तो क्या एक विक्रान्त एयरक्राफ्ट कैरियर से हम शत्रु का मुकाबला करेंगे। वह अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर कहां रहेगा। अबियन सी में रहेगा या बे आफ बंगाल में रहेगा या हिन्द महासागर में आगे जाएगा। कम से कम तीन या चार एयरक्राफ्ट कैरियरों की हमें जरूरत है। और ये सलाह किसकी लेते हैं ? अखबारों की। अखबारों में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अखबारों में किस तरह से फोरेन पावर्स स्टोरी प्लान्ट करती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टीज हैं। एक तरफ हम स्पीचेज में यह कहते हैं कि हमारे जो अफसर हैं नेवी के, थल सेना के, वायु सेना के, हमको उन पर पूर्ण विश्वास है और वे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और दूसरी तरफ हम ऐसी बातें कहते हैं। उनकी राय मानने में क्या एतराज है। हम उनकी राय लें और फोरेन पावर्स जो मैगजीन में स्टोरी प्लान्ट करती हैं, उनकी बात न मान कर हम अपनी सुरक्षा के बारे में निर्णय लें। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें भावनाओं में आनेकी जरूरत नहीं है। मैं इस मत का हूं कि हमारे जो अफसर हैं, उनकी राय पर ध्यान देकर हमें अपना काम करना चाहिए। आज नेवी को सबसे ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। 7 हजार किलोमीटर से ज्यादा हमारे समुद्र की सीमा है। उसको मजबूत करने की, उसकी सुरक्षा की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उसके लिए आप सब-मैरीन लीजिए। आप जितना भी नेवी में लगाते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा धन नेवी के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी, नेवी में गुप्तचरी न हो, इस बात का आप ध्यान रखिये। हमारे बम्बई के अन्दर, जहां पर कि दंडवते साहब रहते हैं, वहां पर 35 मंजिला एक ताजमहल होटल है। आप इस बात की स्टडी कीजिए कि जितने भी नेवी के फोरेन से अफसर आते है वे वहां रहते हैं और टोप मंजिल पर बाईनाक्युलर लगाये जाते हैं। आपकी जो वहां पर नेवी की कार्यवाही चलती है, उसकी वे स्पाइंग कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आजकल तो नये-नये हथियार बन गये हैं। नये-नये मिसाईल, राकेट्स आ गये हैं। दो सूट केस में अगर राकेट रख कर होटल में कोई रहता है तो वह आपके दो-एक शिप्स को डेमेज कर सकता है। इस बात पर आपको गंभीरता से ख्याल करना चाहिए। यह बात हंसी में टालने की जरूरत नहीं है। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नेवी में एक क्लोज्ड बन्दरगाह होना चाहिए। हमारे यहां सभी ओपन बन्दरगाह हैं, कोई क्लोज्ड बन्दरगाह नहीं है। हमारे सभी शिप्स लंगर डाल कर पड़े रहते हैं और उन पर हमारे शत्रु की नजर पड़ती रहती है। आप इस बात पर भी ध्यान रखें, ऐसा मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

काफी तरक्की हुई है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन डबल हो गया है। लेकिन जितना प्रोडक्शन आप बताते हैं उतना नहीं हुआ है। क्योंकि आप 1980 की प्राइसिज पर प्रोडक्शन बताते हैं जबकि 1985 में प्राइसिज दूसरी हैं। उन प्राइसिज पर तो प्रोडक्शन डबल हो गया है लेकिन आप इन पांच सालों में इन्फ्लेशन देखिये कि कितना हुआ है। अगर इस को ध्यान में रखकर हम अपनी प्रगति को देखें तो हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाएं।

हमारे यहां सबसे ज्यादा खामी इस बात की है कि हमारी फैक्ट्रियां पुरानी हैं। हमारी कुछ फैक्ट्रियां तो 70-80 साल पहले लगी थीं। जब वे प्लान्ट लगे थे तब भी वे पुराने लगे थे। अब तक उनका मोडरेनाइजेशन नहीं हुआ। उनका बड़ी तेजी से मोडरेनाइजेशन करना चाहिए।

आखिर में सबसे खास बात यह कहूंगा कि हमारे यहां जो वार-विडोज हैं उनकी ओर हमें खास ध्यान देना चाहिये। एक वार-विडो का किस्सा मेरे सामने आया जिसको सुन कर हृदय द्रवित होता है। सन् 1971 की वार में, शादी के 15 दिन बाद ही वह विडो हो गयी। सरकार ने कुछ रहम किया। उस समय की स्कीम के हिसाब से दो ऐसे लोगों को एक गैस एजेन्सी दी गई। इन दो में एक अपंग और एक वार विडो। इन दोनों ने मिलकर एक छोटा-सा व्यापार शुरू किया। इसके लिये उन्हें सरकार की ओर से एक जगह भी उपलब्ध करायी गयी और 460 रुपये साल पर वह जगह उपलब्ध करायी गयी। पांच साल के बाद उनको कहा गया कि आपको उस जगह से निकाला जायेगा। आपके स्टेट आफिसर ने उनको नोटिस दिया और कहा कि उस जगह का किराया 460 रुपये साल नहीं हो सकता, 10,000 रुपये साल का देना होगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये जो खर्च हुए हैं वे भी देने पड़ेंगे। आज परिस्थिति यह है कि दो-लाख रुपया या कितना रुपया उसकी तरफ बकाया है। एक तरफ तो आप उनकी मदद करना चाहते हैं दूसरी तरफ आपकी ब्यौरोक्रेसी वाले उनको हरेस करना चाहते हैं। आप वार-विडोज का ख्याल करें। इस तरह से खाली क्रोकोटाईल टीयर्स बहाने से काम नहीं चलता। आपकी ब्यौरोक्रेसी किस तरह से वार-विडोज को खत्म कर रही है, इसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया। हमारे एक्स-सर्विसमेन और वार-विडोज की तरफ आप विशेष ध्यान दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, विश्व स्थिति और पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त राज्य अमरीका के छठे बेड़े द्वारा परमाणु युद्ध की धमकी एवम् हमारी सीमाओं पर तनाव की स्थिति को देखते हुए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बजट में रक्षा के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है बल्कि मुझे चिन्ता इस बात की है कि इस धनराशि को किस प्रकार से खर्च किया जायेगा। मैं यह प्रश्न प्रधानमंत्री के समक्ष रख रहा हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि हरमीज विमान वाहक की खरीद धन की बर्बादी नहीं है? महोदय, मुझे चिन्ता है कि जवानों और सिपाहियों तथा नाविकों और विमान कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे चिन्ता है कि हमारे

देश के जवान रक्षा सेवाओं में निराश क्यों हो रहे हैं। अगर आप देश के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा करें तो आप देखेंगे कि ये नारे व सूक्तियां चल रही हैं : अपनी पूरी शक्ति के साथ देश की सुरक्षा कीजिए, "सेना में भर्ती होइये, देश की सेवा कीजिए।" इस प्रकार के विज्ञापनों ने सारे देश में लाखों युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान)

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, आप मुझे सम्बोधित कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : ये तो वैसे ही अमर हैं, इनको रोने की क्या आवश्यकता है ?

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : आपने डिफेंस की जो हालत कर दी है, उसको देखकर रोता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, अगर ये इस प्रकार से शोर करेंगे तो मैं कैसे बोल सकूंगा ?

आप देख सकते हैं कि सैकड़ों स्वस्थ युवा व्यक्ति अपने पूरे जोश व ताकत एवम् अन्य बहुत सी खूबियों को लेकर रक्षा भर्ती केन्द्र के सामने खड़े रहते हैं। परन्तु यह सत्य है कि चुने जाने के लिए उन्हें अपने लिए और बहुत सी खूबियां तथा सहायक चीजें जुटानी पड़ती हैं। और मैं माननीय प्रधान मंत्री से भिन्न-भिन्न भर्ती केन्द्रों में इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कहूंगा। हालांकि एक युवा व्यक्ति को जो भी कीमत चुकानी पड़े वह सब कुछ भूल जाता है क्योंकि जब वह अपना नाम चयन किए गये लोगों की सूची में पाता है तो वह अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता है। वास्तव में, बेरोजगारी के इस समय में अगर उसे सिपाही भी नियुक्त किया जाता है तो वह अपने आपको भाग्यशाली समझता है चाहे उसे इसके लिए देना भी पड़े। वह लड़का कभी पीछे नहीं हटता। यद्यपि वह दिन-रात लगन से मार्च करता रहता है, क्योंकि वह अपनी पवित्र मातृभूमि के प्रति वचनबद्ध है। जब वह "जय जवान" और 'जय हिन्द" के नारे सुनता है तो वह प्रेरित होता है, और जब वह सेना में भर्ती हो जाता है तो वह अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। वह टेनीसन की कविता से प्रेरणा लेता है जिसमें कहा गया है :

"देअर्स नॉट टू मेक रिप्लाई
देअर्स नॉट टू रीजन व्हाई
देअर्स बट टू डू एण्ड डाई"

[श्री अमर राय प्रधान]

अतः युवा राष्ट्र के लिए उच्चतम बलिदान देने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करता है।

परन्तु उसकी निराशा शुरू होती है जब उसका नाम किसी विशेष रेजिमेंट में, चाहे वह सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, मद्रास रेजिमेंट हो, चाहे वह मराठा रेजिमेंट हो या डोगरा रेजिमेंट हो अथवा राजपूत रेजिमेंट, सम्मिलित कर लिया जाता है। सिपाही बंगाली या उड़िया या आसामी के नाम से रेजिमेंट नहीं पाता। वह सोचता है कि रक्षा सेवा में राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत पर किसी प्रकार का बंधन लगाया जा रहा है। अतः मातृभूमि के नाम पर आप इस प्रकार से सम्प्रदाय और पन्थ को क्यों बीच में ला रहे हैं ? आप काफी पहले 1943 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिन्द सरकार की आजाद हिन्द फौज के विचार को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वह 21वीं सदी में ले जायेंगे। वे 21वीं सदी में जायें परन्तु वे 1943 की ओर भी मुड़कर देखें और इन रेजिमेंटों के नाम आजाद हिन्द सरकार के ढंग से गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चन्द्र ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड आदि जैसे नाम रख दें। गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, इंदिरा ब्रिगेड, आदि नाम होने चाहिए। जवानों के दिमागों में राष्ट्रीय एकता की बात हो।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : भगत ब्रिगेड होनी चाहिए।

श्री अमर राय प्रधान : हां, भगत सिंह ब्रिगेड होनी चाहिए। (व्यवधान) आप इस तरह से क्यों बता रहे हैं ? यह किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जवानों में, जिनके लिए आप मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, निराशा की भावना ठीक ही आ रही है। जब जवान भोजन की मेज पर होते हैं तब उन्हें निराशा होती है। वह भोजन की मेज पर क्या पाता है ? उसकी व्यंजन सूची क्या है और सेना अधिकारी की व्यंजन सूची क्या है। कृपया ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों को रोजाना खाने में दिये जाने वाली चीजों के नाम मुझे बताये जायें।

अफसरों के लिए चावल/आटे का कोटा 450 ग्राम हैं। जवान तथा अन्यों के लिए यह 620 ग्राम है। यह बेहतर है। अफसरों के लिए सब्जियां 110 ग्राम और अन्यों के लिए 110 ग्राम है। नमक, अफसरों को 20 ग्राम और 20 ग्राम दूसरों को। दाल, अफसरों को 40 ग्राम, जवानों को 90 ग्राम। यह वास्तव में बेहतर हैं। परन्तु मांस के मामले में अफसरों के लिए यह 260 ग्राम जबकि जवानों के लिए यह मात्र 110 ग्राम है। दूध अफसरों के लिए 500 मिलिलीटर और जवानों को 220 मिलिलीटर। अफसरों के लिए 2 अंडे और दूसरों को एक भी नहीं। मक्खन अफसरों को 20 ग्राम और जवान तथा दूसरों को कुछ नहीं। कार्न फ्लैक्स अफसरों को 7 ग्राम और जवानों को कुछ नहीं। दलिया अफसरों को 20 ग्राम और जवानों को कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान : यह सच है। प्रधान मंत्री इस बात से इंकार करें। ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा का प्रत्येक सदस्य हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए रक्षा बलों की तरफ देखता है। मेरे विचार से अफसरों और जवानों में भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : उन्हें इन्कार करने दीजिए। प्रधानमंत्री इस बात से इन्कार करें। जवानों को सिर्फ इतना मिल रहा है। इस देश में जवानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। सभा को पता लगना चाहिए कि उनसे भिन्न व्यवहार क्यों किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमर राय प्रधान : जी, महोदय। फलों के मामले में असफरों को 230 ग्राम और जवानों को 100 ग्राम। मसालों के मामले में यह 20 ग्राम या 50 रुपये प्रति माह है जबकि जवानों के लिए यह केवल 5 05 रुपये प्रति माह है। तेल के मामले में यह 378 मिलिलीटर असफरों को जबकि जवानों के लिए यह 0.5 मिलिलीटर है।

मैं आनता हूं कि अधिकारियों के लिए तेल बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी करनी होती है। परन्तु जवानों को केवल 5 एम० एल० तेल उपलब्ध कराया जाता है।

लेकिन जवान शारीरिक श्रम करते हैं अतः उन्हें अधिकारियों के बराबर मक्खन, दूध, दलिया और फल क्यों नहीं मिलने चाहिएं। जवानों और अन्य रैंकों को भी ये वस्तुएं दी जानी चाहिएं। अन्यथा जवानों का हौसला ही खत्म हो जाएगा। कृपया आप जवानों की भलाई के लिए कुछ करें, उनके लिए आप केवल मगरमच्छी आंसू न बहायें बल्कि कृपया उनके लिए कुछ करें।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हम इस वर्ष 8728 करोड़ रुपये व्यय करेंगे जो कि पिछले साल के मुकाबले 867 करोड़ रुपये अधिक है। यद्यपि, हमारी विदेश नीति का आधार गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण और पंचशील है, फिर भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपने देश में आंतरिक शान्ति बनाए रखने के लिए जल, थल और नभ तीनों प्रकार की सेनाओं की आवश्यकता होती है। आज की परिस्थितियों में पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है और चाइना, अरूणाचल को अपने नक्शे में बताने लगा है और साथ ही हिन्दमहासागर एक अशान्त क्षेत्र होता जा रहा है, खासकर यू० एस० ए० एन्टरप्राइज जो कि आज कराची बंदरगाह पर खड़ा है, अगर

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

ऐसी परिस्थिति में आज हम 867 करोड़ रुपये अधिक खर्च करते हैं तो कोई अधिक नहीं है। आज विश्व में जहां-जहां भी डिफेन्स पर खर्च होता है, उसकी तुलना भारत से करें तो पाएंगे कि प्रतिशत के मुकाबले काफी कम खर्च करते हैं जबकि हमारे पड़ौसी, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना और इन्डोनेशिया हमसे अधिक खर्च करते हैं। जब हम इक्कीसवीं शताब्दी में आत्म निर्भरता की ओर शस्त्रों के बारे में बढ़ना चाहते हैं तो यह खर्चा हमें करना ही पड़ेगा। हम यह चाहते हैं कि हमारे सम्बन्ध पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे बनें परन्तु हमारे देश के चारों ओर जो सीमाएं हैं, वहां पर हमें खतरा नजर आता है। यदि हम पश्चिमी सीमा की ओर दृष्टिपात करें तो पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के नाम पर विदेशी सहायता लेता है, उसने अपनी सारी सेना हमारे पश्चिमी क्षेत्र में इकट्ठी कर ली है। उन्होंने पुंछ, राजोरी और हाजीपीर में सेना का भारी जमाव कर लिया है। हमारे आजाद काश्मीर के मुजफ्फराबाद और रावलकोट क्षेत्रों में वायुसेना के अड्डे बना लिए हैं। इसके अतिरिक्त लद्दाख में साई-चिन के के पास इस वर्ष चार बार उनकी ओर से आक्रमण हुए हैं। ये सारी बातें इस बात का द्योतक हैं कि साईचिन के प्रति उनके इरादे नेक नहीं हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन अब अपने नक्शों में साईचिन को पाकिस्तान का भाग दिखाने लगे हैं।

दूसरी ओर यदि हम अपनी उत्तरी सीमाओं की ओर दृष्टिपात करें तो वहां चीन आता है और चीन और भारत के बीच, 1962 से पहले कभी आमने-सामने मुठभेड़ नहीं हुई थी, परन्तु जब उन्होंने दोनों देशों के बीच बड़ने वाले तिब्बत को हड़प लिया तो चीन की विस्तारवादी नीति परिलक्षित हुई। इसी आधार पर 1962 में उसने "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" का नारा देकर हमारे ऊपर आक्रमण किया था और हमारा 14 हजार वर्गमील का इलाका हड़प लिया। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क और सावधान रहना बहुत ही जरूरी है।

यदि हम दक्षिण की ओर दृष्टिपात करें तो हिन्दमहासागर में हमें बड़ी शक्तियों का जमाव दिखाई देता है। 'अमेरिका ने डियागो-गार्शिया में जो अपना सैनिक अड्डा कायम किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे पड़ौसी राष्ट्र श्रीलंका में, हमारे तमिलियन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, वह हमें चौंकाने वाला है। कुल मिलाकर सारी स्थिति बहुत विस्फोटक है। इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि युद्ध के बादल हमारी सीमाओं पर दस्तक दे रहे हैं, हम शुतुर्मुर्ग की नीति नहीं अपना सकते। जैसा यहां हमारे कई विरोधी दलों के सदस्यों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के बजट में हमने जो राशि बढ़ाई है, वह बहुत गलत है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए जो कुछ करने जा रही है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है और इसी प्रकार सरकार को निरन्तर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की ओर बढ़ते जाना चाहिए।

मान्यवर, एक निवेदन मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह करना चाहूंगी कि हमें सेना के बारे में डिफेन्सिव नीति छोड़कर ऑफेन्सिव नीति अपनानी चाहिए क्योंकि आज दुनिया के सारे राष्ट्र परमाणु शक्ति से सम्पन्न हो रहे हैं। जब हम अपने पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान की ओर देखते हैं, वहां डाक्टर

अब्दुल कादिर खां ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि यूरेनियम को संशोधित करने की टेक्नोलोजी में पाकिस्तान भारत के मुकाबले 25 वर्ष आगे है। इसके अतिरिक्त दुनिया की बड़ी शक्तियों के पास इतनी अधिक मात्रा में परमाणु शस्त्रास्त्र है, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती ··

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, आप लेडीज के साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए। मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगी।

हमें दुनिया की बड़ी शक्तियों के प्रति भी सावधान और सजग रहना है और सोचना है। यद्यपि हम अभी तक एटामिक एनर्जी का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों में ही करते आए हैं परन्तु दूसरी ओर अमेरिका हमारे बारे में बराबर झूठा प्रचार करता रहा है। तारापुर में हम एटामिक पावर जैनरेट करने के लिए यूरेनियम संशोधित कर रहे हैं, उससे ऊर्जा बना रहे हैं और जब हम में एटम बम बनाने की क्षमता भी विद्यमान है तो आज जब हमसे अणु प्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने की बात कही जा रही है, वह हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वह सन्धि पक्षपातपूर्ण है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। हम अपनी स्वतंत्रता और खुशहाली के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। आज हमने एटामिक पावर का उपयोग शान्तिपूर्ण कामों के लिए शुरू तो किए हैं, परन्तु हममें इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल दूसरी दिशा में भी कर सकें। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान शिव बहुत शान्तिप्रिय थे परन्तु राक्षसों का संहार करने के लिए उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा और आवश्यकता के समय हर बात के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए।

मान्यवर, हमारी सेनाओं में शूरवीर काम करते हैं और उनकी वीरता के किस्से अनगिनत हैं। उनकी बहादुरी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी युद्ध में हमारे सैनिक बहुत खूबी और बहादुरी के साथ लड़ेंगे परन्तु जब उन्हें अणु-शक्ति का मुकाबला करना पड़ेगा, अणु-अस्त्रों का मुकाबला करना पड़ेगा तो उनकी बहादुरी काम नहीं देगी। इसलिए अब जो भी लड़ाई होगी, वह जमीन पर नहीं होगी, बल्कि जल और नभ में होगी। ऐसी स्थिति में हमें अपनी नेवी और एयर-फोर्स को भी सशक्त करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान के पास एफ-'6 विमान हैं और हमारे पास मिग-23 और मिग-27 हैं तथा कुछ मिराज-2000 भी हैं, इसके अतिरिक्त जगुआर भी हैं परन्तु ये विमान पाकिस्तान के एफ-16 विमानों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर पायेंगे या नहीं, अभी हमारे सामने यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हमने सोवियत रूस से जो ए० एन०-32 लिए थे, उससे हमारी वायुसेना के कई वीर शहीद हो गए हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि बाहर से हम जो भी प्लेन्स खरीदें, हमें पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको चलाने लिए हमारे सैनिक पूरी तरह से ट्रेन्ड हो गए हैं। हमें उनको पहले उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि इस प्रकार के एक्सीडेंट कम से कम हों।

मान्यवर, आज हमारे तमाम एटामिक प्लांट्स बड़े असुरक्षित हैं, खास तौर से नरौरा एटामिक प्लांट, राणा प्रताप सागर एटामिक प्लांट, आर० ए०पी०पी०जेड० मेरे क्षेत्र में पड़ने वाला रावतभाटा में है। इनकी सुरक्षा के लिए भी हमें अपनी वायुसेना को सतर्क करना चाहिए क्योंकि जब कहीं

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

एटम बम गिरता है, किसी ठिकाने पर, तो उससे निकलने वाली रेज बहुत हानि पहुंचा सकती है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जितनी हमारी बेस इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी मजबूत करने की आज बहुत आवश्यकता है क्योंकि जब भी हम विदेशों से हथियार लेते हैं तो वे उनके स्पेअर-पार्ट्स हमें नहीं देते और स्पेअर-पार्ट्स न होने की वजह से हमारे वे हथियार कुछ समय बाद बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी इन्डस्ट्री में, आर्डिनेन्स फैक्टरियों में, बाहर से जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनको बुलवा कर, आमंत्रित करके, यहां लगाना चाहिए ताकि हम हर मामले में आत्म-निर्भर हो सकें।

मान्यवर, हमें आर्मी को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें आज अपनी सैकेंड लाइन डिफेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि हम सैकेंड लाइन डिफेंस को मजबूत कर पायें, सी० आर० पी० और पैरा-मिलिटरी फोर्सेज को मजबूत कर पायें तो उससे हमें काफी मदद मिल सकती है। हमारी सीमाओं पर प्रहरी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। उनको ठण्ड में रहना पड़ता है और भारी हिमपात का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगी कि हमारे सैनिकों के बच्चे, चाहे देश के किसी भी कोने में पढ़ें, सरकार की ओर से उन्हें निशुल्क या फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि यदि उनके परिवार शहरों में रहते हैं तो उन्हें आवास की सुविधा सरकार की ओर से होनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि युद्ध में हमारे बहुत से वीर शहीद हो जाते हैं, उनकी वीडोज को आप विशेष प्रकार की सहायता देते हैं परन्तु वार-एक्सरसाइज में जो व्यक्ति मरते हैं, उनकी वीडोज को वार-वीडोज के समान दर्जा नहीं दिया जाता, उनको वार-वीडोज के समान नहीं समझा जाता। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं उस बहादुर सैनिक की बहन हूं जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध में भाग लिया था और जो बंगलादेश में लड़ा था। मेरा वह छोटा भाई, मेजर विजय सिंह शक्तावत, एक वार-एक्सरसाइज में शहीद हो गया और मुझे उसका गर्व है। परन्तु उसकी वीडो और उसके बच्चों को अन्य वार-वीडोज की तरह सुविधाएं नहीं मिलतीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो सैनिक दुश्मनों के हथियारों से शहीद होते हैं और जो अपने ही देश में किसी गलती से मरते हैं, उन्हें एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति फील्ड में काम कर रहे हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : केवल दो मिनट और। मैं अभी समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

एक निवेदन मैं सैनिक स्कूलों के बारे में करना चाहती हूं। आपने देश भर में 18 सैनिक स्कूल कायम किये हैं। एक और सैनिक स्कूल आपने वीर भूमि चित्तौड़गढ़ में भी कायम किया है, मेरा निवेदन है कि यहां पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, इसके लिए आपका सारा बोर्ड तथा प्रिंसपल बधाई का पात्र है।

आपने 18 सैनिक स्कूल लड़कों के लिए खोले हैं। मेरा निवेदन है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए भी कम-से-कम आप एक सैनिक स्कूल कायम कीजिये ताकि हमारी बहुत-सी बच्चियां भी आर्मी की शिक्षा ग्रहण कर सकें या एयर-फोर्स में जा सकें या अन्य आफिसेज में काम कर सकें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगी कि आज हमारे देश में डिफेन्स की बागडोर हमारे प्रिय नेता माननीय राजीव जी के हाथ में है, जिनकी बौद्धिक कुशलता, विवेक और दूरदृष्टि में सारे देश का और सबका भरोसा है। इसलिए पूरी आशा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित ही नहीं, मजबूत हैं और उनके नेतृत्व में हमारा देश हमेशा अखंडित रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप समय के मामले में बहुत सचेत हैं। महोदय, मैं यह कहते हुए माफी चाहता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर वार्षिक वाद-विवाद को वास्तव में सफलतापूर्वक कम कर दिया है और यह एक औपचारिकता मात्र रह गया है। अर्थात लगभग 6 घंटे में हमें करदाताओं के लगभग 8000 करोड़ रुपये को ठिकाने लगा देते हैं और मैं नहीं चाहता···

उपाध्यक्ष महोदय : समय के सम्बन्ध में निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया जाता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे खेद है। आपके बारे में कुछ नहीं है। 'हमारा' तात्पर्य सभा से है। इसलिए मैं अपने विचारों को अपनी नीति की आवश्यक बातों तक ही सीमित रखूंगा तथा मैं उन सभी के विस्तार में नहीं जाऊंगा जिनके विस्तार में मैं अन्यथा जाना चाहता हूं।

मैं रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से शुरू करता हूं जो हमारे वाद-विवाद की रूपरेखा होनी चाहिए। महोदय, प्रतिवेदन में सच्चे नौकरशाही ढंग से तीन चीनी बन्दरों बुद्धिमान बन्दरों की मिसाल को अपनाया गया है। इसमें नक्षत्र युद्ध से विश्व शान्ति को खतरे की ओर अथवा। राष्ट्रपति रीगन की युद्धनीतिक रक्षा पहल की ओर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक औद्योगिक कम्प्लेक्स की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। मुझे कहना चाहिए कि इसमें महत्वपूर्ण मामलों का अच्छा वर्णन किया गया है। परन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि कौन किसके पीछे है? उदाहरण

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

के लिए इसमें तीसरी दुनिया के कार्यक्षेत्र का उल्लेख है जहां अन्तर्राष्ट्रीय तनाव रहता है और उनकी सर्व-प्रभुसम्पन्नता, अखंडता और स्वतंत्रता को खतरा रहता है। परन्तु इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें राष्ट्रपति रीगन की अपराधपूर्ण गतिविधियों की ओर अमरीकी सैनिक-औद्योगिक कम्प-लेक्स की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अमरीका सशस्त्र सिपाही की भूमिका निभाना चाहता है, चाहे वह दक्षिण एशिया हो और दक्षिण पूर्वी एशिया या लेटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, इसी प्रकार हिन्दमहासागर क्षेत्र में भारत को भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसमें उनपावर को कमजोर माना गया जिसके पास सीटी तो है परन्तु वह इसका उपयोग नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में जो राजनीतिक स्थिति बताई गई है। वह बिल्कुल "एलिस इन वन्डरलैंड" जैसी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जटिल आंतरिक राजनैतिक परिवेश में आप अपनी लागत पर सहज हो सकते हैं। सम्भवत: आप इन कुछ त्रुटियों को ठीक भी कर सकते हैं। परन्तु आप इतने सहज नहीं बन सकते और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों को साफ-साफ वताने से इन्कार नहीं कर सकते।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश के अध्याय के पैरा 11 में मैंने सुस्पष्ट संदर्भ पाया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"अन्तिम रूप से, भारत की सुरक्षा का आन्तरिक विस्तार यथार्थ रूप से हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है, विशेषरूप से उस तथ्य की वजह से बाहरी ताकतें देश के अन्दर राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भिन्न मतधारी ताकतों के साथ गठजोड़ करके हमारी सुरक्षा समस्याओं को बढ़ा सकती है, गठजोड़ करके हमें इस स्थिति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।"

आन्तरिक ताकतों के विरोध के इस उल्लेख से आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोकतंत्रीय ढांचा और लोकतंत्र में विरोध संगत तथा महत्वपूर्ण है। वस्तुत: पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली शक्तिशाली विरोध पर निर्भर करती है। हम इस तरफ उस विरोध का प्रति-निधित्व करते हैं। क्या आप किसी भी तरह से हम में से किसी पर विदेशी ताकतों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाते हो? किसी के ऊपर बिना प्रमाण के यह आरोप लगाना बहुत गम्भीर बात हैं। परन्तु यदि आप उन लोगों का हवाला दे रहे हैं जो हमारी अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और निरर्थक हिंसा में लिप्त हो रहे हैं तथा पृथकतावादी के कार्यों में लगे हुए हैं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप क्यों समझते हैं कि यह आपके लिए कहा गया है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं मान नहीं रहा हूं।

···आपको यह विशिष्ट रूप से कहना चाहिए और ऐसा छोटा व्यंग नहीं कहना चाहिए जिससे

जिससे पूरा विरोधी पक्ष उलझता हो। यह एक दलीय लोकतंत्र नहीं है। हमारे सांविधानिक लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रणाली जैसा कि संसद द्वारा परिलक्षित है, सर्वोच्च है और नागरिक प्राधिकार की सर्वोच्चता निर्विवादपूर्ण है। इसलिए यह शोचनीय है कि इस प्रकार के प्रलेख में इस प्रकार की बातों का, जाने में या अनजाने में, मैं तो यही कहूंगा अनजाने में, उल्लेख किया गया है। इसके लिए स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र भारत की सामरिक नीति में पहला परिवर्तन उप-महाद्वीप के विभाजन के साथ हुआ था। हमारे पश्चिम और उत्तर पश्चिम में युद्धप्रिय और आक्रमणकारी पड़ोसी हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य में आक्रमण द्वारा शक्ति संतुलन में परिवर्तन करना चाहते हैं। उत्तर में स्थित तिब्बत के ऊपर चीनियों का अधिकार अन्तिम रूप में स्वीकार करने के साथ बदल रही थी जिसके द्वारा हमने समय बचाने की कोशिश की।

चीन में महान और शक्तिशाली क्रान्ति हुई थी जिसने इसे जिससे हमने आशा की थी कि हमारे मित्र बनेंगे परन्तु यह धीरे-धीरे हमारे विरुद्ध हो गये और आक्रमण की पूरी सम्भावना हो गई।

हमारा पड़ोसी पाकिस्तान को विश्वव्यापी सुरक्षा में और अमरीका तथा यू० एस० नव उपनिवेशवाद के जाल में फंसाया गया। यह सर ओलाफ केटो जो कभी नार्थ वेस्ट फ्रंटीयर का राज्यपाल रहा है, जो साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है तथा जो उप-महाद्वीप में सक्रिय रहा है। युद्ध नीति का सिद्धांत है। हम 1947-49, 1962 और 1965 की लड़ाइयों से गुजरे हैं और इस सिद्धांत को लागू होते महसूस किया है।

1962 के अनुभव ने ऐतिहासिक रूप से सुप्त उत्तरी सीमा को प्रोत्साहित किया जिसे हम केवल ,1971 में आंशिक रूप से सुधार सके थे। परन्तु पश्चिम एशिया की घटनाओं ने और उसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में हुए परिवर्तनों ने 70 के दशक में स्थिति में फिर से परिवर्तन हुआ। और अब पंजाब में कुछ हिंसक आंदोलनों द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्रीय अखंडता की समस्या को विगत इतिहास की नजर से देखने की आवश्यकता महसूस होती है। और यदि आप लार्ड डलहौजी या हार्डिंग के दिनों को तथा सिख लड़ाई के दिनों को देखें तो आपको इसी प्रकार की सैनिक स्थिति देखने को मिलेगी।

यह इस तरह लगता है मानो लोगों के कुछ ग्रुप हैं जिनमें से एक राज्य शक्ति की सहायता से दूसरा विवेकहीन धर्मांधता और हिंसा द्वारा प्रेरित होकर पूरे उप-महाद्वीप पर कब्जा जमाये रखना चाहता है। और प्रादेशिक रूप से दुर्भाग्यवश, क्या मैं कह सकता हूं कि यह खतरा पंजाब के दोनों तरफों से है और यह इतिहास की एक महान विडंबना है कि एक राज्य सत्ता की सहायता से और दूसरा पृथकतावादी तत्वों और गुमराह विवेकहीन धर्मांधता से प्रेरित होकर पूरे उप-महाद्वीप के लिए चुनौती दे रहा है।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

हिन्द महासागर की घटनाओं और इसके नजदीकी श्रीलंका के आसपास और पश्चिमी एशिया में घटनाओं के साथ तथा हिन्द महासागर में अमरीका के आक्रामक रवैये को देखते हुए यह कहना सही होगा कि लम्बी तटीय लाइन सहित हमारी सभी सीमाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं। पूरी तरह से इस भूगौलिक-सामरिक मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए नीति अपनानी चाहिए।

मैंने कल अपने युवा राज्य मंत्री श्री अरुण सिंह द्वारा पहली बार किए गए हस्तक्षेप को ध्यान से सुना। किसी भी मापदंड से देखा जाए तो यह प्रभावशाली था परन्तु वह मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यह राजनीति से अलग था। परन्तु इससे निस्संदेह उनकी बात का महत्व कम नहीं होता है।

किन्तु महोदय, इससे मेरे कुछ संदेह तो दूर हो गए हैं किन्तु अनेक संदेह यथावत बने हुए हैं। उनकी इस बात से मैं किसी हद तक सहमत हूं कि आधुनिक युद्ध प्रणाली में हम आत्म निर्भर नहीं हो पाए हैं। आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के साथ जोड़ने की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए और जैसा उन्होंने ठीक ही कहा है कि हम विज्ञान की प्रखरता को नष्ट नहीं कर सकते हैं। किन्तु रक्षा और विकास एक दूसरे पर बहुत आश्रित हैं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए स्वावलम्बन बढ़ने के साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। इसलिए स्वयं की रक्षा करने तथा अपने सीमा प्रदेशों की रक्षा करने की क्षमता तथा प्रौद्योगिकियों को उधार लेने अथवा अद्यतन बनाने की क्षमता में एक अनुपूरकता होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में हर प्रकार के गम्भीर क्षेत्रों में हमें स्वावलम्बी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिरक्षा और उसके सभी घटकों की रक्षा करने का तथा रक्षा करने का सारा बोझ उठाने का उत्तरदायित्व हमारा अपना होना चाहिए न कि हमें किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी प्रभुसत्ता का सार यहीं है।

इसलिए हमारी विदेश और रक्षा नीतियों में और विकास के लिए हम जो मार्ग चुनते हैं उसकी दिशा में हमारे प्रयत्नों तथा तरीकों में पारस्परिक गहरा सम्बन्ध है। गुट-निरपेक्षता और शांति बनाये रखने की जो हमारी विदेश नीति है तथा अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई से विरासत में मिले हमारे साम्राज्य-विरोधी दृष्टिकोण के साथ जो हमारा समन्वय है, तथा अपनी कार्यकुशलता और अर्थ-व्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने की जो हमारी नीति है वे एक दूसरे के पूरक हैं ताकि हम अपनी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने की क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

महोदय, लम्बी अवधि की रक्षा योजना बनाना हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि आपने रक्षा नीति बनाई है किन्तु हमें और अधिक वैज्ञानिक रक्षा नीति बनानी होगी जो नये वित्त मंत्री की लम्बी अवधि की आर्थिक नीति से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि रक्षा व्यय बढ़ गया है। यह बड़े महत्व की बात है कि आज हम रक्षा पर 8000 करोड़ रुपया व्यय करते हैं और शताब्दी समाप्त होने से पहले ही रक्षा व्यय बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो जाएगा किन्तु जो भी धन व्यय किया जाए वह

किफायतसारी से किया जाए तथा जो भी पैसा खर्च किया जाए वह लागत से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर किया जाये। यह सच है कि रक्षा व्यय और आर्थिक विकास में एक प्रकार का सम्बन्ध है। आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में यह एक संघटित प्रक्रिया है।

महोदय, जो बात मैं दोहराना चाहता हूं वह यह है कि लागत नियंत्रणकारी तरीके से धन का व्यय करना सर्वाधिक महत्व का विषय है। अत्यधिक बोझ अथवा यों कहिये कि इस महत्वपूर्ण बोझ के साथ इस अर्थव्यवस्था की कमी को पूरा करने के लिए हम जो प्रबंध करते हैं, उस अनियमित विकास तथा धन तथा संसाधनों के अनियमित वितरण की प्रवृति के साथ, समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है तथा बहुत बड़ा औचित्य है कि हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम जो भी पैसा खर्च करें उसे लागत नियन्त्रणकारी तरीके से खर्च करें। जिस प्रकार किसी उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पादन समिश्रित हो जाते हैं उसी प्रकार रक्षा के सम्बन्ध में वैकल्पिक साधनों और चयनों में भी विभिन्न प्रकार का समन्वय होना चाहिए। इसलिए वेस्टलैण्ड के जो 21 हैलीकोप्टर खरीदे गए हैं, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्वयं भी कभी पायलट रहे थे, कुछ दिन पहले ही इस संसद में की थी कि वे हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि हमने उन्हें क्यों खरीदा है। इसी प्रकार का प्रश्न हर्मेस मालवाहक हवाई जहाजों के बारे में पूछा जा सकता है।

हमारे महान देशभक्त दादा भाई नौरोजी ने एक बार एक 'ड्रैन' सिद्धांत का आविष्कार किया था। यह बहुत ही सशक्त और बौद्धिक शस्त्रागार था जिसका इस्तेमाल हम स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान कर रहे थे। उन्होंने यह बात सिद्ध की थी कि अंग्रेज किस प्रकार इस महान राष्ट्र का खून चूस रहे हैं। और किस प्रकार उसे ले जा रहे हैं। किन्तु उनके लिखने के आठ दशक बाद भी मालूम पड़ता है कि स्वतन्त्र भारत में भी वही काम हो रहा है। जब जगुआर का उत्पादन बंद होने की स्थिति में था तब हम उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार यही स्थिति वेस्टलैंड के बारे में थी। इसका उत्पादन बंद करना पड़ रहा था कि हम उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। इसके लिए आर्थिक सहायता मांगी गई थी और मुझे पता है कि ब्रिटेन ने 650 लाख पौंड की सहायता प्रदान की थी तथा समाचारपत्रों के अनुसार उन्होंने यह सहायता इस शर्त पर दी थी कि इसका उपयोग केवल इस कूड़ा-करकट की खरीददारी के लिए किया जाएगा। इस संसद को यह जानने का अधिकार है कि इस कूड़ा-करकट के खरीदने से क्या लाभ हुआ है।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इससे पहले 'आर०एण्ड डी०' के अनेक प्रयत्न किये गए हैं। अनेक ऐसे नायक हैं, जिनके बारे में न कभी कुछ सुना गया और न कभी उन्हें देखा गया, वे ऐसे नायक हैं जो कभी लड़ाई पर तो नहीं गये किन्तु वे प्रयोगशालाओं में कार्यरत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसे युवक के बारे में जानता हूं जिसने हैदराबाद के बी० आर० डी० एल० संगठन में एक बख्तरबंद शस्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो बहुत थोड़े वेतन पर कार्य करते हैं किन्तु यदि वे विदेश में काम करते तो उन्हें उस वेतन का पांच गुना या दस गुना रुपया मिल सकता था।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि रक्षा के सम्बन्ध में हमारा रवैया वही नहीं होना चाहिए जिस प्रकार हम इन बलों को चलाते रहे हैं और निवेश देते रहे हैं अथवा आर० एण्ड डी० के प्रयासों का अनुगमन करते रहे हैं अपितु हमारा रवैया तो हमारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही होना चाहिए और यही रवैया हमें अपने परिवहन, अथवा संचार प्रणाली में अपनाना चाहिए और यही रवैया हमें उत्पादन में तेजी से आधुनिकीकरण करने तथा इस देश में कुशलता लाने के लिए अपनाना चाहिए जिसका केन्द्र बिन्दु रक्षा हो। यह बात महत्व की है कि यह संसद या तो स्वयं ऐसा करे अथवा कोई ऐसी समिति गठित करे जिसके द्वारा इस नीति पर और अधिक विस्तार पर चर्चा करने का हमें अवसर प्रदान कर सके।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। किसी भी देश का रक्षा बजट उस देश की सरकार के प्रधान के मानसिक रवैये पर और उस देश की सरकार के गठन के अनुरूप होता है। विश्व में लोकतन्त्र, तानाशाह, राजा द्वारा शासित तथा अन्य प्रकार की सरकार हैं। हमारे देश की सरकार विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा हमारा देश गांधी और नेहरू का देश है और हम शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं।

किन्तु महोदय, जब हमें निश्चित है कि हमारे पड़ौस में शत्रु हैं तो ऐसी स्थिति में इस बात का अनुमान नहीं किया जा सकता है कि शक्तिशाली शत्रु कब हमला कर दे। इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० जॉन एफ० केनेडी ने एक पुस्तक लिखी है। द्वितीय विश्व युद्ध में वह एक नौसेना अधिकारी था। उन्होंने लिखा है कि जब जर्मन ने इंग्लैंड पर हमला किया था तब इंग्लैंड किस प्रकार झपकी ले रहा था। अत: हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आज रक्षा के मामले में थल की अपेक्षा वायु सेना पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। हमें और अधिक लड़ाकू वायुयानों की आवश्यकता है। निगरानी रखने के लिए भी हमें इनकी आवश्यकता है। अमरीका, रूस और अन्य देशों के पास उपग्रह के माध्यम से जासूसी करने के साधन उपलब्ध हैं। भाग्यवश हमारा अपना उपग्रह और हमारी रडार प्रणाली सर्वोत्तम है। विश्व में इनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने उपग्रह से चलने वाले वाहनों का विकास किया है जिसके लिए हम अदायगी भार बढ़ा सकते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम न केवल परमाणु बम अपितु आई० सी० बी० एम० भी विकसित कर सकते हैं।

किन्तु महोदय जब हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में और निरस्त्रीकरण में विश्वास करते हैं, तो हम इस दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें अपनी नवीन क्षमताओं का विकास करना होगा और अपनी सेना को आधुनिकतम सज्जा से सुसज्जित करना होगा, कमांडो प्रचालन के लिए तैयार रहना होगा तथा नौसेना, थलसेना और वायुसेना के समेकित विकास की ओर ध्यान देना होगा।

महोदय, रक्षा कार्मिकों का मनोबल भूतपूर्व सैनिकों के प्रति अपनाये जा रहे हमारे व्यवहार

पर आश्रित है। भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार देने की तत्काल आवश्यकता है। पारिस्थिक कार्य बल प्रष्ठापित करने की एक योजना है जिससे वातावरण को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सकेगी। इस पारिस्थिक कार्य बल में अधिकाधिक रक्षा कार्मिक नियुक्त किये जायेंगे। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य बल को प्रष्ठापित करने तथा विकसित करने के लिए कारगर कदम उठाये जायें।

नैतिकता तथा अनुशासन खेलों के माध्यम से आता है। खेल योजना बनाने के बारे में विचार किया गया था और जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। किन्तु मैंने बजट में उसका प्रावधान नहीं देखा है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की योजना के लिए धन का नियतन अवश्य किया जाए। खेल ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अनुशासन और मिलकर काम करने की भावना विकसित की जा सकती है और इससे राष्ट्रीय बल बढ़ता है।

देश की ताकत केवल सैनिक कार्मिकों पर ही नहीं अपितु जनता पर भी निर्भर होती है। हमें जनता में रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास सैनिक स्कूल हैं। मैं उस राज्य का हूं जहां अंग्रेजों ने सबसे पहला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आरम्भ किया था। मैं उस क्षेत्र का हूं जो पिछड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री वहां का दौरा शीघ्र ही करने वाले हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वहां एक सैनिक स्कूल आरम्भ किया जाए।

अन्त में हिन्द महासागर में बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों को देखते हुए तथा फॉकलैण्ड द्वीप के अनुभव के आधार पर हमें अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप तथा अन्य द्वीपों में हमें सैनिक अड्डे मजबूत करने चाहिए। उपचार से परहेज बेहतर होता है।

मुझे कुछ और भी मुद्दों पर बात करनी थी किन्तु चूंकि हम प्रधान मंत्री का भाषण सुनने को उतावले हैं, इसलिए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं। इन शब्दों के साथ में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा, मैं दो-तीन बातें ही सिक्योरिटी एन्वायरन्मेंट के बारे में कहना चाहता हूं। कल विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि चीन ने हमको कोई नुकसान नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे।··· **(व्यवधान)** ·· मैं कहूंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में चीन के बारे में जो सही तस्वीर दी गई है, उससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है। चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस के बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में डिसआर्मामेंट फेन्कनैंस से जो बताया गया है, वह सचमुच में तारीफ के काबिल है··· **(व्यवधान)** · मैं श्रीलंका की बात करूंगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश अभी जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उस नाजुक दौर से आजादी के बाद कभी नहीं गुजरा था। चीन और पाकिस्तान का नैक्सस बहुत ही डेंजरस नैक्सस है। मैं आपको बताऊंगा कि चीन एक बहुत ही क्लोज्ड सोसायटी है, जहां से इन्फार्मेशन बहुत कम आती रहती है। सारी दुनिया में जो चाइनीज वाचर्स हैं, उन्होंने कहा है कि चीन बहुत बड़ी मात्रा में तिब्बत में आर्म्ड-फोर्सेज को जमा कर रहा है। 1959 में जब दलाई-

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

लामा तिब्बत से चले गए थे, उसके बाद चीन ने जितनी बड़ी फोर्स वहां जमा की, उससे कई गुना ज्यादा फौज तिब्बत में आज जमा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घण्टी है, जिसे हम आसानी से ध्यान से नहीं हटा सकते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके का रवैया अपना रहा है, वह अच्छी वाह-वाही नहीं है। हमें तो डर लगता है कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा और चीन उसका साथ देगा।

अफगानिस्तान की समस्या नहीं भी होती, तब भी पाकिस्तान को आर्म्स मिलते। आपको याद होगा पंडित नेहरू के जमाने में जब अमरीका ने पाकिस्तान को आर्म्स दिए, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि आप यह क्या कर रहे हैं। भाई मैं जो दे रहा हूं वह चीन के लिए है, आपके लिए नहीं हैं। लेकिन वह हमारे खिलाफ, हिन्दुस्तान के खिलाफ यूज हुए। यह जो नैक्सस पाकिस्तान और चीन का है, इसके पीछे अमेरिका है···(व्यवधान)···हम अपनी शक्ति पर खड़े हैं। हम कहते हैं कि जब तक हम मजबूत नहीं होगें, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा लेकिन कोई दुश्मनी की बात करे और हम कहें कि वह दोस्ती की बात करता है, तो यह वही बात होगी जैसी कि हिन्दी में कहावत है कि "तुम मुझे लाठी मारो और मैं कहूं, वाह, वाह"। यह बात चलने वाली नहीं है। 1949 में चीन आजाद हुआ और 1949 से लेकर 1965 तक, उसने जितनी धोखेबाजी की बात हिन्दुस्तान के साथ की, उतनी किसी दूसरे देश ने नहीं की। पं० नेहरू ने जितना बड़ा धोखा चीन से खाया, उतना किसी देश से नहीं खाया। तो मैं यह कहूंगा कि आज हम होस्टाइल नैबरर्स से घिर गए हैं। एक नैक्सस श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है। इजरायल भी इसकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान और चीन के बीच में नैक्सस हो गया है और अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। इतनी कठिन परिस्थिति है, जिस पर गौर से ध्यान देने की बात है और इसे हंसी-मजाक में नहीं टाला जा सकता। मैं कहूंगा कि हर नागरिक को, हर सिटीजन को सेक्यूरिटी कान्सेस होना चाहिए।

इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि आपकी इंस्टीट्यूट आफ डिफेन्स एण्ड एनेलिसिस ने जो स्टडी की है, उससे मुझे संतोष नहीं मिला है। जितना एनोलिसिस हुआ है, वह संतोषजनक नहीं है। हमारे डिफेन्स के बारे में स्टडी बहुत सीरियसली होनी चाहिए और जहां से जो भी इन्फार्मेशन मिल सके, उस पर गौर किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सेक्यूरिटी एन्वायरन्मेंट हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और इस आल सीरियसनैस इसको देखा जाना चाहिए।

*श्री सी० सम्बु (बापतला): उपाध्यक्ष महोदय, हम कल से रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर विचार कर रहे हैं। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। युद्ध तथा शांति में सेना सराहनीय काम कर रही है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्यों में उनका काफी योगदान रहता है।

---

*तेलुगू में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

महोदय, हमारे देश के तीन ओर जल है। हमारा तटवर्ती क्षेत्र काफी बड़ा है। फिर भी सरकार थल-सेना की ओर ही अधिक ध्यान देती रही है। वायु सेना और नौ-सेना को कम महत्व दिया गया है। अब हिन्द महासागर बड़ी ताकतों की प्रतिद्वन्द्विता का क्षेत्र बन गया है। हमारे पड़ौसी देशों, पाकिस्तान और श्रीलंका का रुख हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं है। इन परिस्थितियों में नौसेना और वायु-सेना को मजबूत बनाना अत्यावश्यक है। नौसेना के विस्तार एवं विकास के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हाल ही में लीबिया में क्या हुआ है। अमेरिका ने लीबिया के तट से परे सिडरा की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किए जिससे लीबिया को बहुत क्षति पहुंची है। अमेरिका ने लीबिया को न केवल उसके नौसेना और वायुसेना के अड्डों को अपितु वहां के तट पर अवस्थित तेल प्रतिष्ठानों को भी नष्ट करने की धमकी दी है। विश्व में इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी नौसेना और वायु-सेना को मजबूत बनाना चाहिए। बाम्बे हाई आदि में हमारे महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठान हैं जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन स्थानों को निरन्तर खतरा बना रहता है। हमारे शत्रु बिना किसी कठिनाई के इन स्थानों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए नौसेना को मजबूत करना हमारी आज की आवश्यकता है। हमारे रक्षा माम ों में नौसेना को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए।

महोदय, विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। इसे बहुत आसानी से विश्व के सर्वाधिक श्रेष्ठ नौसैनिक अड्डों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसका तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर अवस्थित विशाखापत्तनम को न केवल इस देश के बल्कि इस पूरे क्षेत्र के अत्याधुनिक नौसेनिक अड्डे के रूप में विकसित करे।

हमारी सेना में सिख रेजीमेंट, गोरखा रेजीमेंट और असम राइफल आदि रेजीमेंट हैं। कुछ समय पहले हमने एक आंध्र रेजीमेंट की मांग की थी जिसमें अधिकतर जवान तेलुगू-भाषी हों। यहां तक कि हमारे मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामाराव ने भी आंध्र रेजीमेंट के लिए केन्द्र से अनुरोध किया था। किन्तु उस मांग को प्रांतीय मांग कह कर अस्वीकार कर दिया गया था। महोदय, तेलुगू लोग देश-भक्ति में सबसे आगे हैं। प्रकाशम अल्लूरी और सीता राम राजू जैसे कई बड़े नेता आंध्र प्रदेश के थे। हजारों पुरुषों और स्त्रियों ने हमारी प्यारी मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्योछावर किया है। आंध्र रेजीमेंट की हमारी मांग प्रांतीय मांग नहीं है। हम यह केवल अपने देश के लिए लड़ने वाले अधिक जवान प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार गोरखा और सिख रेजीमेंट की तरह आंध्र रेजीमेंट की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इससे निश्चय ही एकता और अखंडता मजबूत होगी। महोदय, मेडक में एक आयुध कारखाना लगाया गया था। इसकी आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी जिनका वह निर्वाचन क्षेत्र था। किन्तु सरकार ने किन्हीं अज्ञात कारणों से यह निर्णय किया कि वहां केवल भारी वाहनों की 'बॉडी' ही बनाई जाएगी और इंजन कहीं और से लाया जाएगा। महोदय, यह उचित नहीं है। इससे उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। इससे उत्पादन में अड़चनें होंगी इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इंजन कहीं और बनाने का विचार छोड़ दे और मेडक में ही इसका उत्पादन करें। यदि एक ही स्थान पर सभी पुर्जों का निर्माण किया जाए तो बेहतर होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।

[श्री सी० सम्बु]

महोदय, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को आजकल अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे बड़ा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगभग 35 वर्ष की आयु में उन्हें रोजगार से बेदखल कर दिया जाता है। सेवा-निवृत्त होने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं होता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई भूतपूर्व सैनिक अपने जीविकोपार्जन के लिए रिक्शा चला रहे हैं। उन्हें रोजगार देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है ताकि वह सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उनके लिए आवंटन में कुछ वृद्धि करे और उन्हें इस शोचनीय दशा से बचाये। इसी प्रकार युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को भी समय पर सहायता देने का मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। भूतपूर्व सैनिकों को और युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं को सरकार द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन लोगों को आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने चाहिएं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

महोदय, देश में सभी को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसे सभी स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और एन० सी० सी० शिक्षा के सभी चरणों में अनिवार्य होनी चाहिए। सैनिक प्रशिक्षण हमारे छात्रों को अनुशासित और देशभक्त बनायेगा।

महोदय, सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अत्यावश्यक है। सरकार को सशस्त्र सेनाओं का यथासम्भव शीघ्र आधुनिकीकरण करना चाहिए।

महोदय, अपनी बात कहने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिससे अक्सर धोखे से चीन के नक्शे में दिखा दिया जाता है। इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सम्भवतः अन्तिम वक्ता हूं। मैं चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र से हूं इसलिए मैं सीमावर्ती क्षेत्र के अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे याद है कि 1962 में जो कुछ भी हुआ वह जहां तक उस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का सम्बन्ध है, बहुत गलत और खतरनाक था। इसलिए तब से अब तक हम लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि जब तक सुरक्षा सेनाओं और स्थानीय लोगों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं होते तब तक यह बहुत खतरनाक हो सकता है और उस क्षेत्र की सेनाएं इतनी सफल नहीं हो सकती।

इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जब रक्षा कार्मिकों द्वारा रक्षा कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तब शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे उदाहरण हैं जहां कई वर्षों के लिए भूमि किराये पर ली जाती है और किराया नहीं चुकाया जाता। कभी-कभी तो अधिग्रहण कीमत बहुत कम होती है। मैं आग्रह करता हूं कि इस बारे में कुछ उपाय किए जाएं ताकि लोगों का सेनाओं में विश्वास बना रहे क्योंकि वहां लोगों का सामना सरकार से नहीं बल्कि जनरल, अधिकारियों और जवानों से होता है। यदि इस प्रकार की भ्रान्तियों को बल्कि चिढ़ाने वाली बातों को समाप्त

कर दिया जाये तो बड़ी आसानी से सम्बन्ध अच्छे बनाये जा सकते हैं।

यह भी सही है कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से एक निश्चित दूरी तक ही बनाई जा सकती है। रक्षा अधिकारियों से अनुमति लिए बिना राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें नहीं बना सकती। किन्तु यहां के स्थानीय लोगों द्वारा अक्सर यह देखा जाता है कि सीमा-पार चीन की भूमि पर सड़कें बनाई गई हैं और वाहन चल रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और उन्हें लगता है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा और चीन द्वारा हमला किए जाने पर उनको पीछे छोड़ दिया जायेगा और उनकी परवाह नहीं की जायेगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि रक्षा अधिकारियों से अनुमति की नीति को समाप्त कर दिया जाये। यदि किसी मामले में अनुमति की आवश्यकता हो तो वह गृह मन्त्रालय से प्राप्त की जा सकती है।

सामाजिक और आर्थिक विकास सम्बन्धी कई गतिविधियां उन क्षेत्रों की रक्षा आबादी पर निर्भर करती हैं। पूर्ति के मामले में ऐसा अक्सर देखा गया है। स्थानीय लोग फलों सब्जियों आदि का उत्पादन करते हैं किन्तु वे उन्हें रक्षा अधिकारियों को नहीं बेच सकते। रक्षा अधिकारी इस काम के लिए बाहर से ठेकेदारों को रखते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे स्थानीय लोग ही उत्पादनों को बेच सकें क्योंकि वे छोटे किसान होते हैं और शीघ्र नष्ट होने वाले फल और सब्जियां ही उगा सकते हैं।

अब राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं भी कहना चाहता हूं कि सुरक्षा निस्संदेह, देश की अखंडता और स्वतन्त्रता के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें नैतिकता, सुरक्षा प्रदान करती है, यह हमारे अधिकारों, स्वतन्त्रता और सीमा की रक्षा करती है और इस प्रकार राष्ट्रीय अखंडता की भी रक्षा करती है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि हम दूसरे देशों के साथ खरीद-फरोख्त करते रहे अथवा उन पर निर्भर रहे तो हम आवश्यकता के समय कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि रक्षा मन्त्रालय के अनुसंधान एवं विकास विभाग को मजबूत बनाया जाना चाहिए। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, अनुसंधान इस प्रकार किया जाना चाहिये कि हम अपने देश के चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं बना सकें।

मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमें बताया गया है कि जब कोई विमान बहुत नीचे उड़ता है तो हमारे विद्यमान राडार में उसकी परछाईं नहीं आती। किंतु यदि हम एक ही स्थान पर स्थित रहने वाला एक उपग्रह बना लें जिसमें नीचे उड़ने वाले विमान की परछाईं आ सके तो हम अपनी क्षमता को अधिक मजबूत बना सकेंगे।

4.00 म०प०

मैं श्री चौबे द्वारा उठाई गई बात का जवाब देना चाहता हूं उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा कार्मिकों के लिए कपड़ों का आर्डर गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं दिया जाना चाहिए; यह काम रक्षा-विभाग में ही किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में श्री चौबे को संतुष्ट करना चाहता हूं। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के

[श्री सी० सम्बु]

लोग सुरक्षा कार्मिकों के लिए कपड़े और जूते बना सकते हैं तो इस काम का बोझ सुरक्षा विभाग पर क्यों डाला जाये क्योंकि उन्हें और कई जरूरी काम करने होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि रक्षा कार्मिकों की आवश्यकता की वस्तुओं का आर्डर रक्षा विभाग को देना औचित्यपूर्ण है। मेरे विचार में हम यह काम सुरक्षा विभाग को न सौंपकर सही कर रहे हैं और इस तरह पूरा देश इन कामों में अधिक हिस्सा लेगा और जिम्मेदारी महसूस करेगा।

हमारे युवाओं को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय सुरक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कई सदस्यों - श्री मोहम्मद अयूब खान और अन्य सदस्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुरजोर आग्रह किए हैं। हमारे युवाओं को सुरक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। यदि बेहतर सुविधायें दी जाएं तो वे सुरक्षा सेनाओं में भर्ती होंगे। आज स्थिति यह है कि कुशल लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां अधिक पैसा मिलता है। किंतु सुरक्षा सेनाओं के लिए कुशल व्यक्ति नहीं मिलते। उन्हें सेना आकर्षित नहीं करती। मैं प्रधान मंत्री जी को उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए बधाई देता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि सेनाओं में अधिकारियों को अधिक सुविधाएं दी जाएं ताकि भर्ती के समय कुशल व्यक्ति आकर्षित हों। यदि समुचित सुविधाएं वेतन और सम्मानित दर्जा नहीं दिया जायेगा तो कुशल व्यक्ति इसमें नहीं आएंगे। इसलिए छात्र स्तर से ही उन्हें इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। हम यह विशेषरूप से सीमावर्ती क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर से शुरू कर सकते हैं। पूरे देश में एन० सी० सी० को अनिवार्य बनाया जा सकता है। यदि पूरे देश में एन० सी०सी० अनिवार्य करना सम्भव न हो तो हम सीमावर्ती इलाकों से इसके परिणाम देखने के लिए इसे शुरू कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए और रक्षा सेनाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा करते हुए मैं माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैं रख रहा हूं।

इस देश में कुछ ऐसे क्षेत्र और समुदाय हैं जो परम्परागत रूप से रक्षा प्रयासों में भाग लेते आ रहे हैं।

वे अपने लड़कों को सुरक्षा सेनाओं में जीविकोपार्जन के लिए नहीं अपितु रक्षा प्रयासों में भाग लेने के लिए भेजते रहे हैं और वे इससे गौरवान्वित महसूस करते थे।

महोदय, उनके लिए यह वास्तव में सम्मान की बात थी कि उन्होंने अपने पुत्रों को सेनाओं में भेजा। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है। इसमें और इसके आस-पास कुछ ऐसे समुदाय हैं जो रक्षा सेनाओं में भाग लेते रहे हैं।

महोदय, विक्टोरिया क्रास जीतने वाला प्रथम भारतीय खुदा दाद खान, प्रथम परम वीर चक्र विजेता, हवलदार अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान शौकत अली अंसारी, दोनों ने महावीर चक्र प्राप्त किया सभी उसी क्षेत्र के हैं।

उस समुदाय के लोग, जो विशेषकर सभी मुस्लिम हैं, सशस्त्र सेनाओं में गए। जब वे वाराणसी भर्ती कार्यालय गए तो उन्हें बताया गया कि मुसलमानों के लिए कोई रिक्तियां नहीं हैं। जब कभी वे वाराणसी भर्ती कार्यालय गए, उन्हें बताया गया कि मुस्लिम के लिए कोई रिक्तियां नहीं आई हैं।

श्री नारायण चौबे : क्या ऐसा है ?

श्री जैनुल बशर : जी हां, ऐसा है। रक्षा मंत्रियों को मैंने कई पत्र लिखे। मैं अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह अच्छा नहीं है।

श्री जैनुल बशर : निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं है। और हमारे क्षेत्र के सर्वाधिक व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं में हैं जिन पर हमें गर्व है। हमारी सशस्त्र सेनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र अथवा ऐसी किसी चीज से कोई संबंध नहीं है किंतु फिर भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस सेवा में भी हैं। मैं मंत्री जी से, विशेषकर अरुण सिंह जी से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप प्रधान मन्त्री से अनुरोध करें।

श्री जैनुल बशर : दूसरे, मेरा जिला उत्तर प्रदेश के उन दो जिलों में से एक है जो अपने लोगों को सशस्त्र सेनाओं में भेजते हैं। एक जिला बुलन्दशहर है जिसका प्रतिनिधित्व मेरे माननीय मित्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह कर रहे हैं और दूसरा गाजीपुर, जहां से अनेक लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होते हैं। केवल मेरे जिले में ही लगभग 60,000 सेना से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और मेरे विचार में बुलंदशहर में इससे कुछ अधिक हैं। मुझे ऐसी आशा है। मेरे जिले में एक बी० पी० एम० कार्यालय और एक सुरक्षा लेखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव था। किंतु मुझे नहीं मालूम इन कार्यालयों को यहां खोलने की बजाय बलिया में खोलने का प्रस्ताव कैसे सामने आ गया है हालांकि बलिया की अपेक्षा गाजीपुर और बुलंदशहर से अधिक व्यक्ति सेना में जाते हैं—जहां गाजीपुर की तुलना में बहुत कम रक्षा कार्मिक हैं। मुझे बताया गया है कि बलिया में कोई अधिकारी है जो चाहते हैं कि यह कार्यालय वहां खोला जाये। मैं माननीय मन्त्री श्री अरुण सिंह से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें। गाजीपुर में 60,000 से अधिक सेवानिवृत्त सुरक्षा कार्मिक, एक हजार से अधिक युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवायें तथा अन्य कई व्यक्ति हैं। इसलिए बी० पी० एम० कार्यालय गाजीपुर में होना चाहिए।

महोदय, मेरे क्षेत्र में 260 एकड़ भूमि एयर-फोर्स की है, वहां एयर-फील्ड हुआ करता था। परन्तु इसे अब बन्द कर दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि उस जगह रक्षा उत्पादन यूनिटें स्थापित

[श्री जैनुल बशर]

की जानी चाहिए। यह गांव फिरोजपुर, तहसील मुहम्मदाबाद और जिला गाजीपुर में है। वहां पर 260 एकड़ भूमि है जिस पर सुरक्षा उत्पादन एकक आसानी से खोला जा सकता है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षा उत्पादन एक : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई यूनिट नहीं है। यहां भूमि भी उपलब्ध है। मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और मुझे आशा है कि वह इस ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं सभा से कल की अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहता हूं। किंतु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमने सारा दिन राष्ट्रीय एकता परिषद में उस विषय पर बिताया जो हमारे मस्तिष्क को परेशान कर रहा है। और आज दोपहर मैं अधिकतर सदन में बैठा रहा हूं और सभा के विचार सुनता रहा हूं।

मैं सशस्त्र सेनाओं को युद्ध और शांति में उनकी भूमिका, कर्तव्य-परायणता, देशभक्ति, बहादुरी और राष्ट्र के लिए कुर्बानी के लिए बधाई देने के साथ अपनी बात शुरू करता हूं।

सुरक्षा के विषय पर चर्चा करते समय केवल आस-पास के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सुरक्षा पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। हमने देखा है कि पिछले वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण खराब हुआ है। तनाव को कम करने के कई प्रयत्न किए गए हैं किन्तु अभी भी हम देखते हैं कि विश्व के कई भागों में तनाव बढ़ रहा है हम देखते हैं कि बड़ी ताकतें कुछ इस प्रकार सक्रिय हो रही हैं जैसी कि वे लम्बे समय से नहीं थी। इससे तनाव बढ़ा ही है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण सम्भवत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह कोई पांडित्य प्रदर्शन की बात नहीं है और न ही भारत इसके माध्यम से अपने लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाह रहा है। आणविक शस्त्रों की दौड़ से भारत कई प्रकार प्रभावित होता है। कोई भी आणविक गठजोड़ युद्ध किसी एक क्षेत्र तक या युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह बहुत तेजी से फैलेगा और यह निश्चित रूप से केवल युद्ध स्थल के आस पास के क्षेत्रों को ही प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जीव को प्रभावित करेगा। कुछ बड़ी आणविक ताकतों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे इस बात में विश्वास नहीं करती कि आणविक युद्ध सीमित आणविक युद्ध हो सकता है और यदि कोई बड़ी आणविक ताकत यह करती कि यह सीमित युद्ध हो सकता है। तो इसका मतलब है यह सीमित युद्ध नहीं होगा और इसी आधार पर हमें योजना बनानी होगी। हम केवल यही योजना बना सकते हैं कि आणविक शस्त्रों से लैस राष्ट्रों में निरस्त्रीकरण के लिए जनमत तैयार करें। सभा भी आणविक युद्ध के परिणामों से भली-भांति परिचित है। हमने इस सम्बन्ध में कई अवसरों पर चर्चा की है और कई प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि इसके परिणाम केवल विकिरण अथवा सीधे क्षति तक ही सीमित नहीं अपितु धरती से जीवन ही समाप्त कर सकते हैं। निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में सोवियत संघ के नेताओं द्वारा की गई पहल और प्रस्तावों को जानकर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए थे। इससे हमारी आशायें बंधी थी। इसके बाद और

रियायतें दी गई तथा नए सिरे से पहल की गई। आशाए और बढ़ीं। जिनेवा शिखर सम्मेलन से एक बार फिर विश्व की मनस्थिति में परिवर्तन आया। दुर्भाग्य से हाल के महीनों में हमने देखा है कि स्थिति उसमे और बदतर हो गई है और जो प्रस्ताव किये गए हैं उन पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। हमने देखा है कि जो प्रस्ताव रखे गए हैं। उन पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। और विश्व में निरस्त्रीकरण के इस अवसर को खो दिया गया तो इसकी व्याख्या एक ही शब्द में की जा सकेगी और वह है "अक्षम्य"।

भारत ने निरस्त्रीकरण की दिशा में विशेष भूमिका निभाई है खासकर 1984 के मध्य से जब पांच महाद्वीपों के छह देशों ने पहल की, हमने प्रस्ताव रखे कि पुनरीक्षण किए जाएं। हमने हथियारों की होड़ की निंदा की। एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की निश्चित ही और विश्व भर की विशेष रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। हमारा विश्वास है कि इस आंदोलन को मजबूत किया जाना चाहिए और हमें विश्व जनमत तैयार करने के लिए पहल करनी होगी ताकि हर परमाणु शक्ति सम्पन्न देश में निरस्त्रीकरण के लिए कार्यवाही शुरू हो सके। अपने क्षेत्र में हमने तनाव को कम करने की कोशिश की है। शायद इस दिशा में जो ठोस कदम उठाया गया है वह है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन। "सार्क" हमारे क्षेत्र में तनाव कम करने और परमाणु राष्ट्रों के बीच मैत्री स्थापित करने में सहायक होगा। हमें आशा है कि "सार्क" और द्विपक्षीय वार्ता से हमारे बीच मतभेद कम होंगे और कुछ क्षेत्रों में अभी भी व्याप्त तनाव पूरी तरह समाप्त हो सकता है। दुर्भाग्य से हमारे ही क्षेत्र में सैन्य माहौल में काफी और गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। कुछ देशों को हथियार अब बहुत ही आसान कर्ज पर उपलब्ध हैं। जिस आड़ का— अफगानिस्तान की आड़—इस्तेमाल किया जा रहा था वह आड़ खत्म हो गई है। हमारा हमेशा से मत रहा है कि इस क्षेत्र में जिस किस्म के हथियार लाए जा रहे हैं वे इस प्रकार के नहीं हैं कि उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में किया जा सके। अपनी विदेश यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख मैंने वरिष्ठ नेताओं से भी किया था। आज यह आड़ भी खत्म हो गई है। हमें बहुत गम्भीरता से सोच विचार करना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अगर अफगानिस्तान में नहीं किया जाना है तो उनका उपयोग कहां किया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है।

इस सदन का ही नहीं बल्कि भारत में हम सबका ध्यान क्षेत्र में जिस पहलू की ओर जा रहा है वह है पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। जैसा कि इस सदन में मैं अनेक बार कह चुका हूं और मैं इसे पुनः दोहराऊंगा कि भारत परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को बढ़ाना नहीं चाहता। हमारा कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। पर हमें निश्चित तौर पर संकेत और सूचना मिली है जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़ा है कि पाकिस्तान ने परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को त्यागा नहीं हैं और वह परमाणु बम बनाने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम हो गया तो उससे हमारे क्षेत्र में माहौल में निश्चय ही परिवर्तन आएगा। हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांति कार्यों के लिए है और हम इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं परन्तु यदि पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया तो हमें बहुत गंभीरता से अपने विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा इस बारे में हम हर एक के साथ सक्रिय रवैया अपना रहे हैं जो पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने से रोकने का प्रयास या रोकने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करेगा।

[श्री राजीव गांधी]

हमारे कुछ सदस्यों का चाहे जो भी विचार हो पर चीन के साथ सीमा समस्या अभी जारी है। कल मैं यहां नहीं था पर कुछ सदस्यों ने जो कुछ कहा उसकी प्रतिलिपी मेरे पास है और उससे मुझे ध्यान हो आया है कि आज हमारे एक सदस्य ने क्या कहा था। मैंन अखबारों में भी पढ़ा था— मेरे द्वारा कुछ विपक्षी दलों को राष्ट्र-विरोधी कहे जाने पर कुछ टिप्पणी की गई थी। मैं नहीं विश्वास करता कि हर विपक्षी दल राष्ट्र-विरोधी है। ऐसा नहीं है। लेकिन आप इससे इन्कार नहीं कर सकते कि कुछ सीमावर्ती राज्यों में कुछ विपक्षी दल—विपक्षी का मतलब है हमारे विपक्ष में—राष्ट्र विरोधी हैं। इस तथ्य से आप इंकार नहीं कर सकते। बम्बई में अपने भाषण में मैंने जो कुछ कहा था वह इसी सम्बन्ध में कहा था। कई बार व्यक्ति को दोबारा से विचार करना पड़ता है। मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से यह लोक सभा के कल के वाद विवाद से लिया गया है :

"आई डू नाट फील एशेम्ड बिकाज चाइना हैज नेवर हार्म्ड इण्डिया, अकार्डिंग टू मी"

(व्यवधान

श्री अमल दत्त (डाइमंड हार्बर) : इसमें क्या गलत है ? मैंने कहा था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसमें क्या गलत है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री राजीव गांधी : मुझे खेद है। मैंने यह नहीं सुना था।

श्री अमल दत्त : मैंने कहा था कि युद्ध के बाद उन्होंने भारत की एक इंच भूमि भी नहीं ली। युद्ध के बाद वह इस स्थान पर लौट गए जहां वे युद्ध के समय थे। मैंने यह कहा था। दुर्भाग्य की बात है कि यह बात रिकार्ड में नहीं आई है। और इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि युद्ध से उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया गया है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि··· **(व्यवधान)** मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि युद्ध के बाद चीनी उस प्रदेश से लौट गए जिस पर उन्होंने कब्जा किया था।

श्री अमल दत्त : वे वहां लौट गए जहां से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। मैं सीमा-विवाद के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं। लेकिन भारतीय भूमि के एक इंच टुकड़े पर भी कब्जा करने के लिए उन्होंने युद्ध का फायदा नहीं उठाया। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एकदम स्तंभित हूं···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, कार्यवाही वृतांत में मेरे यह शब्द सम्मिलित किये जायें कि आज भी कुछ भारतीय भूमि चीन के कब्जे में है।

श्री अमल दत्त : आप मुझे बताइए कि युद्ध के बाद चीन ने कितनी वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं पूरी तरह से स्तम्भित हूं। मालूम नहीं माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से मिली। मैं प्रो० दंडवते को धन्यवाद देता हूं कि हम जो कुछ कहते रहे हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है।

श्री अमल दत्त : सीमा का सवाल एक और बात है।

श्री राजीव गांधी : मैं जानता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए।

श्री राजीव गांधी : मैं दोबारा बात नहीं करना चाहता (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हर कोई चीनी आक्रमण के बारे में जानता हूं। हर कोई यह जानता है। कृपया बैठ जाइये। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में और चर्चा की जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : तो इसका हल क्या है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से जैसा कि मैं समझा हूं, माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है··· (**व्यवधान**) कृपया मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। (**व्यवधान**) जैसा कि मैं समझा हूं आपने बहुत स्पष्ट कहा है कि आज चीन के कब्जे में कोई भारतीय भूमि नहीं है।

श्री अमल दत्त : मैंने कहा था ··

श्री राजीव गांधी : आपने ऐसा अभी-अभी कहा है।

श्री अमल दत्त : मुझे स्पष्ट करने दीजिए ताकि यह बात साफ हो जाए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**) मैं नहीं सोचता कि हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : अगर माननीय सदस्य स्पष्ट करना चाहते हैं ··

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आप जानते ही हैं कि शुद्ध न किये गये रिकार्ड उद्धृत नहीं किए जाते। मैं इसमें शुद्धि करूंगा। मैंने कहा कि युद्ध के बाद उन्होंने किसी भारतीय भूमि पर कब्जा नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : ओह, युद्ध के बाद। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे खेद है कि मैंने उसे गलत समझा है। युद्ध के बाद उन्होंने हमारी किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्या वे अपने मूल स्थान पर नहीं लौट गए हैं ? अगर नहीं लौटे हैं तो मुझे बताइये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा सुझाव है कि इस विवाद को आगे और न घसीटा जाए। इस विवाद को जारी रखना राष्ट्र-हित में नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए। आप जारी रखिए।

श्री राजीव गांधी : मैं प्रो० दंडवते जी से पूरी तरह सहमत हूं। हमें इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं—मालूम नहीं वे इस सदन के सदस्य हैं लेकिन मुझे याद है कि हमारी सलाहकार समिति की एक बैठक में चीन समस्या और चीन के साथ हमारे सीमा-विवाद की चर्चा की जा रही थी और मेरा विश्वास है कि सदस्य इसी दल का था। उन्होंने भी कहा था कि अक्साई चिन हमारा नहीं है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इसे सलाहकार समिति के कार्यवाही वृतांत में से देखा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपको सलाहकार समिति की कार्यवाही से उद्धरण नहीं देना चाहिए।

श्री राजीव गांधी : मैंने उद्धृत नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी :···क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह यह नहीं बता सकते। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय । उन्होंने उद्धृत नहीं किया है।

श्री राजीव गांधी : मैंने इस बात का जिक्र केवल इसलिए किया है क्योंकि··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इसे नहीं मान सकता। उस सभा में मैं उपस्थित था, मुझे ज्ञात है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप किसी बात की और आगे चर्चा करें। मैं किसी भी बात की चर्चा करने की और अनुमति नहीं दूंगा। कृपा करके बैठ जाईये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान चौधरी महोदय, कृपया बैठ जाईये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात की चर्चा अब क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत गलत है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। केवल एक मिनट के लिए बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप नहीं जानते कि हमारा आधार क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न कौन सा है ?

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव गांधी : सलाहकार समिति के सम्बन्ध में की गई अपनी टिप्पणी मैं वापस लेता हूं। मैं केवल एक माननीय सदस्य द्वारा की गई उस टिप्पणी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था जिसमें मैंने यह कहा था कि कुछ दलों ने राष्ट्र विरोधी ढंग से कार्य किया है। मैंने केवल इसी सभा के वाद-विवाद से एक उद्धरण पेश किया है। (व्यवधान) अच्छी बात है, मैं अपने वक्तव्य को सही कर लूंगा जब आप इसे सही करेंगे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस बात को सभा की कार्यवाही में शामिल होने दीजिए कि वे हमारे दल की तुलना राष्ट्र विरोधियों से कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय एकता को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उनका कहने का तात्पर्य यह नहीं है। उन्होंने केवल सदस्य महोदय को उद्धृत किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय नहीं, नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कभी भी नहीं कहा है कि आपका दल राष्ट्र विरोधी है। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर सकता हूं कि पहले वे अपने-अपने स्थान ग्रहण करें?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। मैं अब और परिचर्चा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और बात की व्याख्या करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिये। कृपा करके आप सभी पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आचार्य महोदय, अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि कोई दल राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने केवल सदस्य महोदय को उद्धृत किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिये। राष्ट्र विरोधी ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें नहीं कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी बात को उद्धृत किया और माननीय सदस्यों ने इसे मानने से इंकार कर दिया। यह सारा मामला है। आगे और चर्चा नहीं।

श्री राजीव गांधी : मेरी समझ में नहीं आता··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम उद्धृत कीजिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं पढ़ रहा हूं।

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम क्या है ?

श्री राजीव गांधी : व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया गया है। आप कौन से नियम का उल्लेख कर रहे हैं ? आप मुझे बताइये।

प्रो० मधु दंडवते : वे रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम उद्धृत कीजिये। आप किस नियम का उल्लेख करना चाहते हैं ? आप मुझे बताइये। किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जबकि बड़े गर्व के साथ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं कोई विवरण नहीं चाहता। कोई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम का उल्लेख कीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये।

श्री राजीव गांधी : मैं इस बात पर बल नहीं देना चाहता। परन्तु··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : जो मुद्दा उठाया गया है वह यह है कि सलाहकार समिति में चाहे कुछ भी कहा गया हो···

श्री राजीव गांधी : मैंने उसे वापस ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इसे पहले ही वापस ले चुके हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह इसे पहले ही वापस ले चुके हैं। इस बात की वे घोषणा कर चुके हैं। प्रधान मंत्री महोदय यह कह चुके हैं।

श्री राजीव गांधी : मैंने उस बात को वापस ले लिया है। बहुत पहले मैं स्वयं यह कह चुका हूं।

श्री अमल दत्त : आपने मेरे मामले को भी वापस ले लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री राजीव गांधी : महोदय मुझे बोलने की अनुमति दी जाये क्योंकि मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रहे वाद-विवाद का जवाब दे रहा हूं। मुझे इसी वाद-विवाद से उद्धृत करने की अनुमति दी जाये। इसी वाद-विवाद में से जो भी उद्धृत कर रहा हूं मेरे विचार में उसमें "युद्ध पूर्व" या "युद्ध पश्चात" कोई उल्लेख नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इस बात का जिक्र नहीं किया गया था।

श्री राजीव गांधी : नहीं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अमल दत्त : बीच में टोका-टोकी की गई थी।

प्रो॰ मधु दंडवते : हो सकता है कि इस शब्द को निकाल दिया गया हो क्योंकि यह असंसदीय है !

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं जो कहा गया है उसका सारगर्भित भाग पढ़ता हूं। मुझे यह मिल गया है। इस पर पीला निशान लगा दिया गया है। शायद मुझे इस पर लाल स्याही से निशान लगाना चाहिए था।

श्री बसुदेव आचार्य : यह 'शुद्ध नहीं किया गया' है।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : अरे, कितना करेक्ट करोगे इसे ?

[अनुवाद]

जो कुछ कहा गया है, आप उसका सार नहीं बदल सकते। आप छोटी मोटी शुद्धि कर सकते है। आप जो कुछ कहा जा चुका है, उसका अर्थ नहीं बदल सकते। अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। अर्थ यह है कि :

> "मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती क्योंकि चीन ने भारत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है…".

आपने यही कहा है। (व्यवधान)

क्या आप यही बात कहना चाहते थे ? यदि आप यह बात नहीं कहना चाहते थे तो आप स्वयं किसी और समय इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। किन्तु हमें अब सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह बाद में स्पष्ट करेंगे।

श्री राजीव गांधी : मुझे विश्वास है, कि वह स्पष्ट करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री राजीव गांधी : महोदय, एक मिनट के लिये मुझे इस बारे में कुछ कहना है क्योंकि एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है।

जब मैंने यह कहा था कि कुछ विरोधी दल राष्ट्र-विरोधी है तो मेरा कहने का यह मतलब नहीं था कि सभी दल राष्ट्र विरोधी हैं। किन्तु यदि टोपी किसी के सर पर ठीक आती है और यदि कोई

[श्री राजीव गांधी]

उसे पहनना ही चाहता है तो मैं उसे पहनने से नहीं रोक सकता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बहुत हो गया। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : क्या प्रधान मंत्री के बोलने का यही तरीका होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे : किसी भाषण का उद्धरण देकर, कालेज के छात्र के समान वह इसे घसीट रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, श्री बसुदेव आचार्य। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : चूंकि आप इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात और है, जिस पत्र को सभा पटल पर रखा गया है एक माननीय सदस्य ने उसी पत्र का उल्लेख किया है। इसलिये, मैं भी उसका उल्लेख करूंगा। यह रक्षा मंत्रालय का 1985-86 का लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है, एक सदस्य ने इसके बारे में कहा है "रक्षा के लिये दोषपूर्ण उपकरण खरीदने से अधिक राष्ट्र विरोधी और क्या हो सकता है क्योंकि आप वास्तव में हमारी रक्षा सेनाओं को क्षीण कर रहे हैं ?" हम आपसे पूर्णतया सहमत हैं। मैं सदस्य महोदय को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह माल 1978 में आयात किया गया था। **(व्यवधान)**

एक अन्य सदस्य जगुआर हवाई जहाज के बारे में कह रहे थे कि इसका उत्पादन बन्द किया जा रहा है, हम लोग बेकार की चीज खरीद रहे हैं। इसे 1978-1979 में खरीदा गया था। हमारी सरकार ने इसे नहीं खरीदा था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किन्तु खरीददारी अब भी की जा रही है। **(व्यवधान)** मैं जगुआर से वेस्ट लैण्ड तक का उल्लेख कर रहा था। वेस्ट लैण्ड के बारे में कहिये।

श्री राजीव गांधी : मैं वेस्ट लैण्ड के बारे में बताऊंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब आप जगुआर को छोड़ दें और वेस्ट लैण्ड के बारे में उत्तर दें।

श्री राजीव गांधी : मैं वेस्ट लैण्ड के बारे में उत्तर दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : मुझे खेद है कि आप ने नहीं कहा। मेरे भाषण के, जिसको आपने उद्धृत किया

है, वाक्य के बाद अंतर्बाधाएं की गयी थीं। मेरे भाषण का वह अंश छोड़ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री अमल दत्त : इसे प्रसंग से बाहर नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री राजीव गांधी : मैं उनको वेस्ट लैण्ड के बारे में भी बता देता परन्तु रक्षा विभाग वेस्ट लैण्ड नहीं खरीद रहा है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपकी टिप्पणी पर मुझे खेद है। आप प्रधान मंत्री हैं। आपकी टिप्पणी के लिये मुझे खेद है। आप संसद में बोल रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आप भारत की संसद में बोल रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : किसी और समय मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूंगा क्योंकि इसका रक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु वेस्ट लैण्ड में कोई खराबी नहीं है। हमें उसके बारे में कई शिकायते थीं। उन्हें सुधार दिया गया है। (व्यवधान)। मैं कह चुका हूं कि कुछ शिकायतें थीं। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि हमें कुछ शिकायतें थीं जिन्हें सुधार दिया गया है। एक शिकायत आर्थिक पहलू के बारे में थी कि इसके चलाने पर कितनी लागत आयेगी! कुछ भी हो, उसके बारे में हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उपकरण के बारे में शिकायत करना कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं है।

श्री राजीव गांधी : नहीं नहीं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं दोषपूर्ण उपकरणों के आयात के बारे में कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मतभेद हो सकता है। कृपया इसे तूल मत दीजिये ··

श्री राजीव गांधी : मैं केवल उस मुद्दे का उल्लेख कर रहा था जो इस चर्चा में यहां उठाया गया था। मैं अन्य मुद्दों के बारे में नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हम सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं। आप हमें कोई जानकारी नहीं देते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको जानकारी देने की बात को भी लूंगा।

श्री अमल दत्त : हमें सभी जगहों से जानकारी एकत्र करनी होती है और यदि हम गलती करते हैं। (व्यवधान) आप कहते हैं कि "आपने गलती की है" (व्यवधान) चर्चा के दौरान मैंने वेस्ट लैण्ड का मुद्दा उठाया था (व्यवधान)। यही मुख्य मुद्दा है जो मैंने उठाया था।

श्री राजीव गांधी : संभवतः अन्य सदस्यों को पता नहीं है किन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय

[श्री राजीव गांधी]

सदस्य को जानकारी दी गई थी। विरोधी दलों के कुछ सदस्यों को उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दी गई थी। तथापि, मैं पुन: अपने देश के आसपास के वातावरण के विषय पर आता हूं।

श्री अमल दत्त : हमने अभी श्री अरुण सिंह से बात की थी किन्तु हमें कोई जानकारी नहीं दी गई।

श्री राजीव गांधी : अत: आपने रक्षा मंत्री से पता लगाया और सूचना प्राप्त की।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : स्पष्ट तो कर दिया किन्तु हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि भविष्य में क्या किया जाना चाहिये।

श्री राजीव गांधी : हम ऐसी स्थिति में और अधिक कर ही क्या सकते हैं जब हम यह महसूस करते हैं कि यह जानकारी देना जन हित में नहीं है? हम मंत्री महोदय को सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से बात करने और उनकी शंकाओं को दूर करने की अनुमति देते हैं। इससे अधिक हम और क्या कर सकते हैं? परन्तु दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति विशेष को यह अवसर दिया गया वही यह कह रहे हैं कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया। यदि अन्य सदस्य यह कहते कि 'हमें जानकारी नहीं दी गई' तो मैं समझ सकता हूं किन्तु जिस सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया वह कह रहे है कि हमें जानकारी नहीं दी जाती···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : दत्त जी, मैं जानता हूं कि आपको बुरा लग रहा है कि आपने यह बात कही और यह दुविधा में डालने वाली बात है किन्तु मुझे जो बात कहनी है, उसे तो कह लेने दीजिये···

श्री अमल दत्त : कृपया मेरा पूरा भाषण पढ़िये, इससे पता चल जायगा।

श्री राजीव गांधी : अपने देश के आसपास के वातावरण पर पुन: लौटते हुए ··

प्रो० मधु दण्डवते : आप पुन: पढ़ रहे हैं?

श्री राजीव गांधी : आप क्या पुन: यह चाहते हैं? ··· (**व्यवधान**)

श्री लंका भी एक और ऐसा क्षेत्र है जहां आंतरिक उपद्रवों के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि बहुत से शरणार्थी भारत में आ रहे है और उस देश में जो तनाव व्याप्त है, उससे हमारे देश में

भी तनाव उत्पन्न हो रहा है। परन्तु देश की रक्षा की दृष्टि से जो और भी अधिक चिन्ता का विषय है वह यह है कि इससे श्री लंका में विभिन्न सैनिक शक्तियों को प्रेरणा मिल रही है। और जैसा कि कई बार कहा जी चुका है राजनीति में विचित्र लोगों का गठबंधन हो जाता है। मैं उनका यहां जिक्र नहीं करना चाहता। किन्तु यह बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि श्री लंका में पाकिस्तानी और इजरायली हाथ में हाथ मिलाकर कार्य कर रहे हैं। यह वास्तव में असाधारण बात है।

हिन्द महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम चाहते है कि वहां कोई विदेशी तागत घुसपैठ न करें। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ बड़ी शक्तियां वहां सक्रिय हैं और उस क्षेत्र में बड़ी ताकतें अपने उद्देश्य पूरा करने में लगी हुई हैं। जो आरम्भ में शांति क्षेत्र बनाया था वह तनाव क्षेत्र बनता जा रहा है। किन्तु इस क्षेत्र को शांति क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये सभी प्रयत्न जारी रहने चाहियें।

किसी सदस्य ने मेरे विचार से मतभेद का उल्लेख किया···

एक माननीय सदस्य : श्री उन्नीकृष्णन।

श्री राजीव गांधी : किसने यह कहा वह यहां कोई अर्थ नहीं रखता। मैं उनसे पूरी तर सहमत हूं। मैं परिवर्तन के बारे में उनसे सहमत हूं। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मतभेद लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और हम चाहते है कि मतभेद हो। किन्तु मतभेद हमारे लोकतंत्रीय प्रणाली के अन्दर तथा उसके माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिये। विरोध का अर्थ यह नहीं है कि हम बन्दूक अथवा अन्य हथियार उठा लें···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह विरोध नहीं है वह विद्रोह है···(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : वह भी विरोध है···

प्रो० मधु दण्डवते : आप हथियार उठाकर यह नहीं कह सकते कि यह विरोध है। हमारा कतई ऐसा विचार नहीं है।

श्री राजीव गांधी : मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि विचारधारा क्या हैं और यदि इसमें कोई गलती हुई है तो हम उसे सुधार सकते हैं···

श्री अमल दत्त : उस प्रतिवेदन की भाषा बदल दीजिये।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : विरोध करने का यह तरीका अच्छा नहीं है। यह तो विरोध का अभद्र तरीका है।

श्री राजीव गांधी : हमारे आस पास रक्षा वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नई प्रौद्योगिकियों, आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाया जा रहा है और इन प्रौद्योगिकियों पर धन व्यय होता है। वे मंहगी हैं। कभी-कभी उन्हें लागू करना मंहगा पड़ता है, उनका रख-रखाव

[श्री राजीव गांधी]

मंहगा है और उनका कारगर ढंग से उपयोग करने के लिये अपने लोगों को प्रशिक्षण देना मंहगा पड़ता है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र में जितनी संख्या में और जितनी मात्रा में उनका प्रवेश हो रहा है; हमें उसको दृष्टि में रखते हुए अपने को तैयार रखना है। हम आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि हमें अपनी स्वतंत्र स्थिति तथा नीति बनाये रखनी है तो यह आवश्यक है कि हम इस खर्च को बर्दाश्त करें। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प हो सकता है यदि हम अपनी अखंडता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी नीति का सौदा करना चाहते हैं। किन्तु हम इनका सौदा नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ देशों ने आसान शर्तों पर आसानी से उच्च किस्म की प्रौद्योगिकी मिल रही है। किन्तु यदि हम चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहे तो हमारे पास यह भार सहन करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत सारे सदस्यों ने इस मूलभूत विचार तथा सिद्धांत का अपने भाषणों तक में समर्थन किया है··· (व्यवधान)

मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति इस विचार को पसन्द नहीं करता।

श्री अमल दत्त : हमें इस समय तक उन्हें अपने देश में विकसित कर लेना चाहिये था।

श्री राजीव गांधी : मैं वास्तव में यह नहीं जानना चाहता कि आपने क्या कहा, और सभा भी नहीं जानना चाहती···

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपको पता होना चाहिए। आपको सारा भाषण पढ़ना चाहिए था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दत्त जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमल दत्त : आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमने कहा था कि हम उन्हें इस समय तक समाप्त कर सकेंगे।

श्री राजीव गांधी : शायद क्षेत्र के बारे में, जो आपने कहा है तो यह उनका है।

श्री अमल दत्त : फिर आप वही बात दोहराते जा रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : ऐसी किसी भी प्रक्रिया का अनिवार्य अंग आत्मनिर्भरता होगी। जैसा कि राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रत्येक नट और बोल्ट, वाशर तथा प्रत्येक पुर्जा बनायें, क्योंकि इससे सम्पूर्ण परियोजना की लागत का संबंध है और कुछ चीजों का निर्माण आर्थिक दृष्टि से मितव्ययतापूर्ण है और कुछ का नहीं परन्तु सामरिक महत्व की चीजें हमें अवश्य बनानी चाहिए। दूसरी बात यह उठाई गई है : हम जूते और वर्दियों के निर्माण को क्यों रोक रहे हैं। तथ्य यह है कि देश के छोटे स्तर तथा इससे भी छोटे उद्योगों में इनका निर्माण करने की

पर्याप्त क्षमता व शक्ति है और इस समय इसकी जरूरत नहीं है जो पहले थी, 20 वर्ष पहले हो सकती है, जबकि रक्षा उत्पादन के लिए ऐसी चीजें बनाने की क्षमता का विकास नहीं हुआ था। परन्तु आज रक्षा उत्पादन के लिए ऐसी चीजों पर अपना ध्यान देना आवश्यक है जो हमें उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी की जरूरत है, जिसमें बहुत ही आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और जो हमें विदेशों से प्राप्त नहीं हो पाती और अगर यह ध्यान एक ही क्षेत्र मे केन्द्रित होता तो हम उन सभी चीजों का उत्पादन आमतौर पर नहीं कर पाते। तो सरकारी उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कभी-कभी छोटे एककों की तुलना में अधिक महंगे पड़ते हैं और जो यूनिट इन चीजों का निर्माण करेंगी वे पूर्णतया भारतीय यूनिट होंगी। उनकी निष्ठा या देश के प्रति उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं है और हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते जिसकी वजह से अधिक से अधिक लोग देश की रक्षा करने में, जैसी भी वे कर सकते है हाथ न बंटायें। परन्तु आत्मनिर्भरता के लिए हमारे पास उच्च श्रेणी का अनुसंधान व विकास कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम विकास करेंगे। हमें अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करके उसे कुशल बनाना होगा, उसे इतना तेज करना होगा ताकि हम समय पर पर्याप्त संख्या में उपकरणों का उत्पादन कर सकें। परन्तु शायद सबसे अधिक जो प्रश्न सभा में उठता रहेगा वह यह है कि क्या हम रक्षा अनुसंधान व विकास के मामले में अपने तक ही सीमित रहेंगे। हमें विकास प्रक्रियाओं में कतिपय जोखिम उठाने पड़ेंगे। असफलतायें हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं परन्तु जब तक हम में उन कार्यों के करने का साहस नहीं होगा, हम कभी भी सीख नहीं पायेंगे और हमें ये कार्य करने होंगे। सभा को विश्वास में लिया जायेगा परन्तु हमें अपने रक्षा सैनिकों, अपने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और रक्षा उत्पादन प्रबन्धकों के लिए आपके पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होगी···

श्री अमल दत्त : सभा को पहले कभी विश्वास में नहीं लिया गया है।

श्री राजीव गांधी : आज बहुत नाराज हैं।

श्री अमल दत्त : यह सही है; इसीलिए···

श्री वसन्त साठे : अमल दत्त जी को आज रात नींद नहीं आयेगी।

श्री राजीव गांधी : शायद इस विशेष वाद-विवाद में आर० एण्ड डी० तथा डी० आर० डी० ओ० एवं उत्पादन के लिए दो एम० ओ० एस० द्वारा जितना विस्तार से बताया गया है इतना पहले सभा को कभी नहीं बताया गया है और इसका एक ही कारण है कि मैं प्रत्येक बात की बारीकी में नहीं जाना चाहता। इसमें से अधिकांश पहले ही बताया जा चुका है। अब मैं सामान्य सिद्धांत के बारे में बात करने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय हमारे आर० एण्ड डी० तथा उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने आज तक जो कार्य किया है हमें उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। हम आपको प्रत्येक बात नहीं बता सकते, क्योंकि यह ठीक नहीं होगा। परन्तु मैं आपको इस समय ऐसे कुछ कार्यों का उल्लेख करूंगा जो उन्होंने किये हैं और वे इतने ही उन्नत कार्य हैं जितने कि विश्व के किसी अन्य देश में हो रहे हैं।

(व्यवधान)

[श्री राजीव गांधी]

आप हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

रक्षा सम्बन्धी ठेकों, सौदों, मूल्यांकनों की गोपनीयता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दस ।वेजों के वर्गीकरण के प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि इस सभा की यह धारणा है, मैं जानता हूं और मेरी स्वयं की भी यही धारणा रही है कि दस्तावेजों का जरूरत से ज्यादा वर्गीकरण किया जाता है। मैं इस समय मात्र रक्षा के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि समग्र रूप से सभी विभागों के बारे में कह रहा हूं। हम इस पर विचार करेंगे। और इसको तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सी कठिनाइयां हैं—जिसे रक्षा विभाग परम गोपनीय समझता है या जिसे रक्षा विभाग समझता है कि वह सिर्फ गोपनीय हो, उसी के समान वाली बात को दूसरे मंत्रालय द्वारा परम गोपनीय समझा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग यह समझ सकता है कि यह सब असंगत हैं और किसी की परवाह नहीं करता तथा इसे गोपनीय सूची से हटाया जा सकता है। अत: एक ही मामले पर ये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। हम दस्तावेजों के वर्गीकरण को तर्कसंगत बनाने के लिए कोशिश करके कुछ हल निकालेंगे और शायद इसे सरल बना सकेंगे। संसद या देश को कभी भी किसी भी ब्योरों के बारे में अंधेरे में रखने की मंशा नहीं रही है, परन्तु…

श्री अमल दत्त : हथियार प्राप्त करने ?

श्री राजीव गांधी : मैं इस पर बात करूंगा और हम चाहेंगे कि संसद सदस्य और सभा ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करे। सभा में, सभा के बाहर तथा प्रेस में हम इन चर्चाओं का स्वागत करेंगे। परन्तु आपको महसूस करना चाहिए कि हमारी भी कुछ सीमायें हैं। हम अपने उपकरणों के कार्य की सीमाओं को आपको नहीं बता सकते। हम आपको उपकरणों के मूल्यांकन को नहीं बता सकते, क्योंकि वह हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए हितकर नहीं होगा। उसे आप हमें अपने तक ही रखने की अनुमति प्रदान करें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कुछ रहस्य शायद मंत्रियों तक भी न पहुंचे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे लोग हैं जो इसे चीन को भेज देते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : वर्तमान परिस्थितियों में, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। उच्च प्रौद्योगिकी और हथियारों तथा पैसे सम्बन्धी कठिनाइयां जो हमारे साथ हैं, एवं विकास कार्यक्रम और रक्षा कार्यक्रम के बीच जो समझौता हमें करना पड़ता है, उनमें हमें यह देखना होगा कि रक्षा व्यय का भरपूर उपयोग हो। इसका अर्थ है, हम प्रत्येक रुपये से, जो हम खर्च करते हैं, अधिकतम रक्षा

हासिल करें। अब, इसके लिए शायद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़े। परन्तु जैसा कि राज्य मन्त्री ने कहा है कि वास्तव में किसी को तंग करने का प्रश्न नही है या ऐसे किसी कार्यक्रम की वजह से बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैलने की बात नहीं है। परन्तु आपको उस समय हमसे सहमत होना पड़ेगा जब हम यह कहते हैं कि कतिपय प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हो रहा है और हमें यहां 200 व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। उन्हें वहां से हटाकर कहीं और कार्य करना होगा। हम उन्हें प्रशिक्षण देंगे। हम उन्हें वहां कार्य पर लगायेंगे। परन्तु परिवारों को सामाजिक कठिनाइयों का निर्वाह करना होगा और हम उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। परन्तु अगर रक्षा को अति उत्तम बनाना है तो यह होना ही चाहिए।

अब हम रक्षा योजना के लिए नये ढांचे की योजना बना रहे हैं। यह निश्चित ही अधिक वैज्ञानिक होगा। एक सदस्य ने कहा था कि हमारी रक्षा योजना का ढांचा वैज्ञानिक नहीं है। एक ही साथ उन्होंने यह भी कहा था, "आप हमें नहीं बताते कि आपकी योजना क्या है।" मैं नहीं जानता कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। परन्तु मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं···

श्री अमल दत्त : 'ढांचे' और 'योजना' में अन्तर है।

श्री राजीव गांधी : परन्तु अगर आपको यह पता नहीं है तो आपको यह कैसे मालूम है कि यह वैज्ञानिक हैं अथवा यह वैज्ञानिक नही हैं ? **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : परन्तु योजना को नहीं बताया गया है।

श्री राजीव गांधी : मैं माननीय सदस्य की बात से एक बार फिर से भ्रम में पड़ गया हूं, क्योंकि या तो माननीय सदस्य को हमारी रक्षा योजना के बारे में पता है, ऐसी स्थिति में वह गोपनीयता की शिकायत नहीं करते अथवा···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : ढांचा अपर्याप्त है। परन्तु योजना को प्रकट नहीं किया जाता है। 'ढांचे' और 'योजना' में अन्तर है।

श्री राजीव गांधी : हम ढांचे पर गोर कर रहे हैं और हम एक नया रक्षा योजना ढांचा तैयार कर रहे हैं। यह अधिक वैज्ञानिक और अधिक गतिशील होगा···

श्री अमल दत्त : मैं खुश हूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम प्रसन्न होंगे।

श्री राजीव गांधी : वह पहले ही हंस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब अच्छे मिजाज में हैं।

श्री राजीव गांधी : शायद वह शान्ति में सो जायेंगे।

हमें अपने सैन्यतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था को इष्टतम स्तर तक पहुंचाना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारा कमान नियंत्रण तथा संचार प्रणालियां न केवल इष्टतम हों बल्कि हर सम्भव तरीके से भी कार्य करें। हमें अपनी रणनीतिक आसूचना को इष्टतम बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने विभिन्न प्रकार के हथियारों, तीनों सेनाओं के इन हथियारों को इष्टतम स्तर तक लाना होगा। शायद, तीनों सेवाओं, आर० एण्ड डी० व्यवस्था, उत्पादन एककों तथा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच अधिकतम समन्वय की आवश्यकता है।

भविष्य के युद्धों में इन तीनों सेवाओं में अत्यधिक सम्पर्क की जरूरत होगी जैसा कि कई हाल ही के युद्धों में देखने को मिला है। सदस्यों को यह भी पता होगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के समक्ष लम्बित मामला एक "आर्मी एविएशन' को बनाने का है।

भविष्य में रणभूमि में हमलावर हेलीकाप्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कुछ समय से एक "आर्मी एविएशन कोर" के लिये संभावित भरती करने का मामला हमारे पास विचाराधीन है। सरकार पूरी तरह से जानती है कि आजकल के युद्धों में, युद्ध में इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिये टैंक रेजीमेंटों तथा हमलावर हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन के बीच पूर्ण समन्वय जरूरी है। यद्यपि सरकार मानती है कि यह एकता सेना और वायुसेना के वर्तमान ढांचों के अन्तर्गत अलग से "आर्मी एविएशन कोर" बनाये बिना हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन के संगठन, और कमान तथा नियंत्रण को तर्कसंगत बनाकर सम्भव है। वायुसेना के स्वामित्व और रखरखाव में अटैक हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन अब स्थल सेना की कमान और नियंत्रण में आ जायेगा। इस स्क्वाड्रन के विमान चालकों को हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन तथा टैंक रेजीमेंट दोनों के रणकौशल और संचालन के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे टैंक-विरोधी और हेलीकाप्टर विरोधी संचालन संबंधी सभी दांव-पेंचों को अच्छी तरह से समझ सकें।

हमारी सेना के आधुनिकीकरण में हमने कई क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया है। रात में युद्ध करने संबंधी उपकरण शायद इन सबमें से अत्याधुनिक है। "आप्टो-इलेक्ट्रोनिक्स" अब सेना में आ रहे हैं और वे जल्दी ही सेना के अभिन्न अंग हो जाएंगे।

वायु रक्षा की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। कल सैनिकों और युद्ध सहायक एकक की गतिशीलता को बहुत अधिक बढ़ाया जा रहा है। तोपखाने की व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही साथ हम अपने टैंकों, विमान रक्षक तोपों और संचार उपकरणों में सुधार कर रहे हैं।

नये समुद्री टोही विमान नौसेना को मिल रहे हैं। पनडुब्बी-विरोधी क्षमता में, चाहे वह हवा से अधास्थल में या धरती से अधास्थल में या अधास्थल से अधास्थल की हो, सुधार किया जा रहा है। हम नौसेना को सभी तीनों तरीकों से— वायु, धरती पर और धरती से नीचे—शक्तिशाली बना रहे हैं।

कई संसद सदस्य हरमीज विमानवाहक के बारे में कह रहे हैं।

इस समय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वार्ता जारी है और अन्तिम चरण में है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर्मीस की कीमत के बारे में आपके पास जो आंकड़े हैं वे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताये गये हैं। मैं इसकी तुलना एशियाई खेलों पर हुए खर्च के आधार पर आपके विचार से लगाना चाहता हूं। आयाम वही हैं—कभी दसगुना या कभी अधिक।

5.00 म० म०

वायु सेना में भी समयसारणी के अनुसार नये परिवर्तन किये जा रहे हैं। हम नई सुधरी हुई वायु रक्षा प्रणाली आरम्भ करने जा रहे हैं। ई० सी० एम० और ई० सी० सी० एम० प्रणालियां आरम्भ की जा रही हैं। एक मुख्य समस्या उड़ान सुरक्षा के बारे में है। हालांकि पिछले कुछ माह में, इस बारे में कुछ सुधार हुआ है; लेकिन हम वायुसेना मुख्यालय में एक नई "इन्सपेक्टर जनरल" शाखा स्थापित करने जा रहे हैं जोकि उड़ान सुरक्षा के स्तर का विश्लेषण और इस बारे में मानदण्ड निर्धारित करेगी। हम आशा करते हैं कि इससे उड़ान सुरक्षा स्तर में सुधार होगा।

किसी रक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों को चलाने वाला व्यक्ति होता है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। रक्षा और युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति के अधिकतम सुरक्षित प्रयोग के लिए प्रशिक्षण एक आवश्यक घटक है। शारीरिक प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों पर सैन्य प्रशिक्षण—चाहे आज वे इन उपकरणों का वास्तव में प्रयोग कर रहे हों या नहीं—यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इन उपकरणों को सही चालू स्थिति में रखा जाना चाहिए। जैसे-जैसे नई प्रौद्योगिकी आ रही है, इसके लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं में उच्च स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

लोगों की प्रेरणा और रवैये को प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए और इस ओर काफी सतर्कता बरती जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणालियां अपनाई जा रही हैं और प्रशिक्षण के गुणात्मक और मात्रात्मक स्वरूप में भी काफी वृद्धि की जा रही है।

हम सेवा शर्तों के बारे में विचार कर रहे हैं। सुधार के लिये प्रस्ताव चौथे वेतन आयोग को भेजे गये हैं। सरकार इस बात की सम्भावना पर भी विचार कर रही है कि सेना की लड़ाकू क्षमता को कम किये बिना आबन्ध शर्तों को कैसे बदला जाये। हमारा उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना, उनको रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराना, और मकान निर्माण कर और पेंशन का भुगतान कर सरकार पर वित्तीय भार कम करना है।

सेनाओं में उच्च मनोबल बनाये रखने के लिए कल्याणकारी उपाय एक महत्वपूर्ण घटक है। हम अगले चार वर्षों में, प्रत्येक वर्ष 70 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने जा रहे हैं। आवास समस्या को भी प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। हम अपंगता पेंशन को भी संशोधित करने जा रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिकों ने हमेशा ही यह महसूस किया है कि हमने उनके लिए काफी कुछ नहीं किया। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हमारे यहां एक उच्च स्तरीय समिति है। समिति ने जो 68 सिफारिशें की थीं, उनमें से हमने 51—48 पूरी तरह से और 3 आंशिक रूप से स्वीकार कर

[श्री राजीव गांधी]

ली हैं। पहली दफा पेंशन सम्बन्धी नीतियां, वेतन आयोग को भेजी गई हैं। हम रक्षा मंत्रालय में एक नया प्रभाग खोलने जा रहे हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पुनर्वास सम्बन्धी काम देखेगा और भूतपूर्व सैनिकों और विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सम्पर्क स्थापित रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद काफी लाभदायक रहा है। सदस्यों के सुझावों और विचारों को नोट कर लिया गया है और हम उन पर विचार करेंगे। हम हमेशा ही सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में जो भी सुझाव आयेंगे, उन पर हम विचार करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : श्री अमल दत्त के सुझावों पर भी।

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या कर रहे हैं।

यहां मैं, यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय पर उनके जो विचार हैं, वे हमसे मेल नहीं खाते, सरकार का बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। हम महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्रों पर निश्चय ही कब्जा किया हुआ है और हम किसी भी हालत में, यह नहीं कह सकते कि ये क्षेत्र हमारे नहीं हैं। शायद लद्दाख से निर्वाचित हमारे माननीय सदस्य उनको लद्दाख ले जाकर उस क्षेत्र को दिखाएं, ताकि वे सीमा के दूसरी ओर देखकर स्थिति का सही अनुमान लगा सकें।

श्री पी० नामग्याल : उन्हें वहां अत्यधिक ऊंचाई चढ़ने में कठिनाई होगी।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं नहीं जानता कि क्या यह कम ऊंचाई की कठिनाई से अलग होगी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री जी, मैं, तो केवल एक शेर पढ़ना चाहता हूं, शायद चौबे जी दत्ता साहब को समझा देंगे, क्योंकि चौबे जी बड़े वरिष्ठ मैम्बर हैं :—

"कल उन्होंने खुद-ब-खुद घूंघट उठाया था, अब आप हैं कि आज ही शीशा दिखा दिया।"

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : श्रीमन्, अन्त में, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि भारत अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहता। हम दूसरे देशों की भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहते। हम दूसरों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया

है। लेकिन हम अपनी स्वतन्त्रता पर भी समझौता नहीं करेंगे। अपनी प्रभुसत्ता, अपनी प्रादेशिक एकता या विचार अभिव्यक्त करने और अपने कार्य करने की स्वतन्त्रता हमारी रक्षा सेनाएं हमेशा ही किसी भी चुनौती, संभाव्य घटना का सामना करने के लिए तैयार हैं और रहेंगी। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, निवेदन करता हूं कि वे इन्हें वापस ले लें और अनुदानों की मांगें पारित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग से नहीं रखना चाहता, तो मैं अब, रक्षा मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 मे रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17 से 22 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत के संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
17.	रक्षा मंत्रालय	89,50,51,000	23,72,04,000	4,43,27,55,000	1,18,60,21,000
18.	रक्षा—पेंशनें	91,74,88,000	...	4,58,74,37,000	

1	2	3		4	
19.	रक्षा सेवाएं— थल सेना	9,10,96,20,000	··· ···	45,54,81,02,000	
20.	रक्षा सेवाएं— नौ-सेना	1,13,35,00,000	···	5,66,75,00,000	
21.	रक्षा सेवाएं— वायु सेना	3,11,23,08,000		15,56,15,42,000	
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		1,82,08,00,000		9,10,40,00,000

(दो) जल संसाधन मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 97 पर चर्चा और मतदान होगा। इसके लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें संख्यायें लिखी हों उन कटौती प्रस्तावों की जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरंत सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दे दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए जल संसाधन मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
97	जल संसाधन मंत्रालय	27,12,29,000	2,57,67,000	1,35,43,92,000	12,88,33,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव बोलेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : श्रीमन्, जल संसाधनों की इस मांग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश की प्रगति के लिए सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण मद है।

हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या की प्रमुख जीविका कृषि है और पर्याप्त सिंचाई साधनों के बिना कृषि लोगों की आवश्यकता के अनुरूप खाद्य और खाद्य उत्पाद उपलब्ध नहीं करा सकती तथा न ही उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे रुई, जूट और गन्ना उपलब्ध करा सकती है। कृषि उत्पादन में किसी भी भारी कमी का अर्थव्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य संबंधित नदियों के थालों में जल को मोड़कर एकत्रित करना और उसे कृषि तथा अन्य पीने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराना होना चाहिए।

सुनिश्चित सिंचाई कृषि विकास तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

बड़ी और मझली परियोजनाओं से कुल 580 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

तथा छोटी परियोजनाओं से 550 लाख हैक्टेयर भूमि की सिचाई करने की क्षमता पैदा करने का अनुमान लगाया गया था। इस योजना में से छठी योजना के अन्त तक बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनाओं से 305 लाख हैक्टेयर तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं से 370 लाख हैक्टेयर क्षमता पैदा की गयी है।

सातवीं योजना में लगभग 14360 करोड़ रुपये के परिव्यय से 129 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का प्रस्ताव है। कुल परिव्यय 1,80,000 करोड़ रुपये है इसमें से जल संसाधनों के लिए मात्र 7.9 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है। यह सिंचाई के लिए आबंटित की गयी है।

राष्ट्र ने अतीत में की गई त्रुटियों की पहले ही काफी कीमत चुकाई है। दूसरी योजना से सिंचाई हेतु आबंटन में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप देश को हजारों करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ा है। हमें अब वही गलती फिर नहीं करनी चाहिए।

जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है सभी तरफ से पहले शुरू की गई परियोजनाओं तथा नयी परियोजनाओं और योजनाओं को जिन्हें पिछड़े क्षेत्रों और विशेषकर बुरी तरह से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू किया जाना है, को पूरा करने के लिए काफी दबाव पड़ रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि सातवीं योजना में जल संसाधनों के लिए पुन: अधिक धनराशि दी जाये।

सुनिश्चित सिंचाई से गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी। सरकार का आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० आदि गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर 9000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। सुनिश्चित सिंचाई से किसान वर्ष में एक से अधिक फसल और निश्चित रूप से वर्ष में एक फसल लेने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं और इससे कृषि श्रमिकों को भी अधिक कार्य-दिवस प्राप्त हो सकेंगे और उन्हें बढ़े हुए वेतन प्राप्त होंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों गरीब से गरीब लोगों की गरीबी दूर करने में काफी सहायता मिलेगी।

सर्वोच्च प्राथमिकता लघु सिंचाई योजनाओं को दी जानी चाहिए, क्योंकि लघु सिंचाई योजनाओं को बहुत ही कम अवधि में पूरा किया जा सकता है। बड़ी और मझली योजनाओं के द्वारा प्रति एकड़ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की लागत 10,000 रुपये या इससे भी अधिक आती है जबकि लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में यह 3000 रुपये प्रति एकड़ के आस-पास है। सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धन देना चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि नलकूपों के बारे में सरकार को अपने रुख में मौलिक परिवर्तन करना चाहिए। सरकार किसानों से जल कर वसूल कर रही है चाहे सिंचाई स्रोत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया हो अथवा किसानों ने अपने प्रयास से सिंचाई का प्रबन्ध किया हो। सरकार बड़ी और मझली योजनाओं पर लगभग 10,000 रुपये या अधिक प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च कर रही है।

नलकूपों के सम्बन्ध में, केवल छोटे एवं सीमान्त कृषकों को लगभग 33 व 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता लघु सिंचाई योजनाओं के तहत दी जाती है। अतः, राष्ट्रीय हित में, सरकार को दूसरे कृषकों को भी 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता देनी चाहिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जिन्हें किसी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल नहीं किया गया है या भविष्य में किसी सिंचाई परियोजना के तहत शामिल किया जायेगा।

भूमिगत जल क्षमता के बारे में, कुछ राज्यों ने स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग किया है। ऐसे राज्यों में सरकार को और भूमिगत जल का और इस्तेमाल करने पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि पहले के जल स्रोत जो चालू हैं वे सूख जायेंगे और इससे उनका ही नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर केवल 50 प्रतिशत भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धन देना चाहिए।

ऐसे क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल उपलब्धि के बारे में गहन सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है वहां पर गहन सर्वेक्षण फिर से करना चाहिए और किसानों को भूमिगत जल की उपलब्धता, इसकी गहराई तथा मात्रा जो प्रति मिनट प्राप्त की जा सकती है, के बारे में बताना चाहिये।

सरकार जहां कुएं सूख गये हैं या नाकामयाब हुए हैं वहां सहायता दे रही है। मेरा सुझाव है कि यह सुविधा उन किसानों को भी दी जाये जिन्होंने नलकूपों के असफल होने या नाकामयाब कुओं के खोदने के कारण नुकसान उठाया है। मैं इसका सुझाव इसलिये दे रहा हूं क्योंकि मापदंड एक ही है तथा किसानों को होने वाला घाटा भी उतना ही है। अतः इस सुविधा का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिये।

छिड़काव और टपकने से सिंचाई करने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में सरकार उन कृषकों को जो छोटे और सीमांत किसानों की परिधि से बाहर हैं 20 प्रतिशत सहायता दे रही है। छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में यह 50 प्रतिशत है। ऐसा हो और यह सही है। परन्तु सहायता राशि की ऊपरी सीमा जो अन्य किसानों को मिलती हैं उसे न केवल अन्य किसानों के हित में बल्कि राष्ट्र हित में बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे उसी जल मात्रा से 30 प्रतिशत अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिल सकेगी। क्योंकि छिड़काव प्रणाली की लागत बहुत अधिक है सरकार को अन्य किसानों की सहायता राशि की ऊपरी सीमा बढ़ा देनी चाहिये।

परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में बहुत देरी की जा रही है और सभी राज्यों की कई परियोजनाएं सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस देरी के कारण, परियोजनाओं की अनुमानित लागत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और इससे राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ रहा है। केन्द्रीय जल आयोग एक ही प्रारूप में सूचना नहीं मांग रहा है। वे कुछ प्रश्न पूछते हैं और जब उन प्रश्नों का उत्तर राज्य सरकारों द्वारा दे दिया जाता है तो वे फिर कुछ और आशंकाएं व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से, यह सब चलता रहता है और बहुत ही मूल्यवान समय नष्ट होता जा रहा है। अतः केन्द्रीय जल आयोग

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

द्वारा केवल एक ही प्रारूप में, उसे जो सूचना चाहिये, पूछनी चाहिये ताकि प्रक्रिया को जितनी जल्दी सम्भव हो पूरा किया जा सके।

वन और पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति न देना इन परियोजनाओं के शुरू करने में एक और रुकावट है। इस माननीय सभा में सदस्यों ने बहुत बार वन और पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने में असामान्य विलम्ब किये जाने का उल्लेख किया है। वन क्षेत्र में कमी आने पर हमें भी सरकार के समान चिन्ता है। सातवीं योजना में जो 7000 करोड़ रुपये पुनः वनरोपण के लिए आवंटित किए गए हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इस बारे में चिन्तित है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भी यही मत है। इसके साथ 1980 के वन अधिनियम की क्रियान्विति देश के विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले 30 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 1.5 लाख हैक्टेयर वन भूमि की कमी हुई है और अब 25-10-80 से अधिनियम के लागू किये जाने के बाद इसे घटाकर प्रतिवर्ष लगभग 3600 हैक्टेयर पर लाया गया है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें जब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता केवल नहरों के निर्माण के लिए और किसी परियोजना के लिए वन भूमि लेने का प्रस्ताव करती हैं। उसके साथ ही राज्य सरकार राज्य के अन्तर्गत अन्यत्र इसी के बराबर क्षेत्र में वन लगाने की जिम्मेदारी लेती है। इन हालातों में सरकार को इन परियोजनाओं को मंजूरी देनी चाहिए जोकि बकाया पड़ी है और इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण दूंगा जिसे कि मैं पहले भी आपके ध्यान में ला चुका हूं।

> "कृष्णा जिले में नागार्जुन सागर नहरों के अन्तर्गत आठ योजनाएं हैं जिसमें केवल 60 हैक्टेयर भूमि आती है और यह 60 हैक्टेयर भूमि वन भूमि नहीं है अपितु बेकार भूमि है, जिसमें झाड़ियां ही हैं जो 6386 हैक्टेयर भूमि सिंचित कर सकती है।"

वहां पर केवल झाड़ियां हैं, और नहर के अन्य भागों की खुदाई वन अधिनियम लागू होने से पहले हो चुकी है तथा यदि इसको मंजूरी दी जाती है तो 6386 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। सरकार की नीति यह है कि उस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये जो कि किसानों के लाभ के लिए पहले तैयार हो गई है। वन विभाग की उदासीनता का यह एकमात्र उदाहरण है जोकि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वन विभाग काफी समय ले रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार की तरह जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने दायित्वों का पता है। अतः 200 हैक्टेयर भूमि तक की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इन मामलों पर कार्यवाही करने और परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अपेक्षित समय में कमी करके उसे निपटा सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें किसानों को आवश्यक सलाह दें, क्योंकि देश पहले ही ऐसी स्थिति में आ गया है जहां अनाज का उत्पादन संतोषजनक स्तर तक पहुंच गया है, तथा हमारे पास अनाज का पर्याप्त स्टाक है। इसके साथ ही हमारे देश में तिलहनों, दालों तथा चने की कमी है। पिछले 20 वर्षों से चने का उत्पादन नहीं बढ़ा। अतः सरकार को यह कहना चाहिए कि उनके कमान क्षेत्रों में ही जहां पर भूमि स्तर बहुत नीचा है तथा वहां पर चावल जैसे अनाज ही पैदा हो सकते हैं केवल सभी वहां धान पैदा किया जाये। अन्य क्षेत्रों में किसानों को सिंचित शुष्क

फसलें पैदा किए जाने की सलाह दी जानी चाहिए, जबकि इन सिंचाई प्रणालियों से उतने ही पानी से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकती है, अधिक किसान लाभान्वित हो सकते हैं। जल प्रबन्ध सेल को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और किसानों को उनकी जल की आवश्यकता के अनुसार सलाह देना है। सम्बद्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत उस क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलें। और मिट्टी की किस्म के बारे में आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली के सम्बन्ध में उसे किसानों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। कमान क्षेत्रों में किसानों को सम्बद्ध करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अभी तक हम उसी पुरानी प्रक्रिया का अनुपालन करते रहे हैं जोकि ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही थी। इस समय किसानों को जल वितरण प्रणाली में किसी भी तरह सम्बद्ध नहीं किया जाता जिसके कारण अपनत्व की भावना नहीं आ पाई है। वे बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा कितनी घपलेबाजी की जाती है, जिसके कारण किसानों को कितनी कठिनाइयां होती हैं। मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के धूले तथा नासिक जिलों में जहां पर कि 'फाद' प्रणाली लागू है जहां पर कि पिछले 300 से 400 वर्षों से किसान जल वितरण का प्रबन्ध स्वयं कर रहे हैं, तो उस प्रणाली को अन्य क्षेत्रों में भी क्यों लागू नहीं किया जाता ताकि स्वयं किसान जल वितरण का कार्य कर सकें। गुजरात में काकरापुर परियोजना में मोहिनी जल सहकारी समिति ने पहल की है। माइक्रो वितरण प्रणाली के अनुसार किसान स्वयं कार्य कर रहे हैं तथा वे जल कर एकत्र कर रहे हैं। किसानों के सहयोग से कमान क्षेत्र में जल का समान वितरण तथा अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

अपने राज्य से संबंधित समस्याओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के सम्बन्ध में मुझे विवशता से यह कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार जानबूझ-कर तेलुगु-गंगा परियोजना को मंजूरी देने में विलम्ब कर रही है। रायलसीमा क्षेत्र के पुराने सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए यह परियोजना ही एकमात्र उम्मीद है। रायलसीमा को ब्रिटिश शासन के समय से ही स्थायी सूखा-प्रवण क्षेत्र माना जाता है। मैं इस योजना के विस्तार में नहीं जाना चाहता, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान पहले दिला चुका हूं। मैं तथा मेरी पार्टी के अन्य सदस्य कई बार सरकार को इस बारे में बता चुके हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बचावट न्यायाधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि आंध्र प्रदेश अपने हिस्से से अधिक फालतू बचे पानी का उपयोग कर सकता है, अन्यथा पानी बिना उपयोग किये समुद्र में चला जाएगा।

न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फालतू पानी के उपयोग से आंध्र प्रदेश को ऐसे पानी का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हमारी सरकार ने सभी अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस समझौते को तथा बचावट न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करते हैं। इस पर 2000 ई० के बाद पुनः विचार किया जा सकता है। अब यह दायित्व भारत सरकार का है कि वह इस निर्णय को क्रियान्वित करे। यदि कोई राज्य बचावट न्यायाधिकरण के निर्णय से भिन्न बात कहता है तथा यदि केन्द्रीय सरकार उस बात को लागू करने की कोशिश नहीं करती है तो उस निर्णय का महत्व ही क्या है? फिर कोई न्यायाधिकरण अथवा आयोग बनाया ही क्यों जाए? ऐसे निर्णय दिए ही क्यों जायें जबकि उन्हें क्रियान्वित नहीं करना है।

[श्री शोभनाद्रीश्वरराव]

मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राजनीति का खेल न खेले और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के लोगों की वास्तविक और सही मांगों को मानने में विलम्ब न करें। केन्द्र के इस तरह के व्यवहार से; केन्द्र तथा राज्यों के अन्यथा सामान्य सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ेगा।

मुझे खुशी है कि अन्त में कर्नाटक ने सचाई समझी है। उसने स्वीकार किया है कि आंध्र प्रदेश फालतू पानी का उपयोग कर सकता है, परन्तु वह चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश फालतू पानी के 25% भाग का ही उपयोग करें। यदि आंध्र प्रदेश केवल 25% का ही उपयोग करता है तो शेष 75% समुद्र में जायेगा जो बेकार जाएगा और इससे राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होगा।

बचावट न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आंध्र प्रदेश पूरे फालतू पानी का उपयोग कर सकता है। अतः कर्नाटक को तेलुगु गंगा परियोजना में बाधक नहीं होना चाहिए।

'पोलावरम' परियोजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 7.25 लाख एकड़ भूमि सिंचित करने के अलावा यह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को पानी की पूर्ति करेगा। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र चरण—1 सरकार की नवीनतम जानकारी के अनुसार 1988 तक पूरा हो जाएगा। अतः पोलावरम परियोजना को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। इस परियोजना के अधीन 60 मेगावाट निश्चित विद्युत उत्पादन के साथ 720 मेगावाट बिजली के उत्पादन का प्रस्ताव भी है। 'पोलावरम' परियोजना से 80 टी० एम० सी० पानी गोदावरी से कृष्णा नदी को दिया जा सकता है।

वास्तव में यह प्रतिष्ठित परियोजना अर्थात गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की परियोजना का एक अंग हो सकता है। इस परियोजना के निर्माण से कृष्णा नदी का 80 टी० एम० सी० जल रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि गोदावरी नदी के पानी को प्रकाशम बांध के ऊपर से कृष्णा नदी को दिया जा सकता है।

इसलिए परियोजना के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार के अनुरोध करता हूं इस पूरी परियोजना को अपने हाथ में लें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो कम से कम ऊर्जा क्षेत्र को भारत सरकार अपने हाथ में ले और बाकी हिस्से को विश्व बैंक को सौंप दें।

उत्तरी तटीय आंध्र जिलों के सम्बन्ध में वामसाधरा चरण -- II बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। बात केवल इतनी है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक साथ बैठ कर उड़ीसा की डूब में आने वाली भूमि के बारे में अन्तिम निर्णय लेना होगा। मंत्री और अधिकारी स्तर पर वार्ता पहले ही हो चकी है और हमारे मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में उड़ीसा के मुख्य मंत्री और आपको एक बैठक बुलाने के लिए कई बार लिखा है। इस विषय को हल करने के लिए, दोनों मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का हम पुनः अनुरोध करते हैं।

श्रीरामसागर परियोजना के I और II संशोधित चरणों को भी केन्द्रीय जल आयोग ने अभी

स्वीकृति नहीं दी है। संशोधित चरण-I के अन्तर्गत कुल अनुमानित क्षेत्र 5 लाख एकड़ से बढ़कर 10.22 लाख एकड़ हो गया है। यह लम्बे समय से सी० डब्ल्यू० सी० के अधीन विचाराधीन है। मेरा सुझाव है कि इसे शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिए।

चरण—II के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने एक संशोधित अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने बताया है कि श्रीरामसागर परियोजना का क्षेत्र 171.7 टी० एम० सी० है। यह प्रतिवेदन 31-7-1985 को भेजा गया था। मैं सुझाव देता हूं कि सी० डब्ल्यू० सी० को शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए।

येलरू जलाशय परियोजना—यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को 73 एम० जी० डी० पानी सप्लाई करना है। चूंकि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र 1988 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि इस परियोजना को तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिये, जिस पर आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही 46 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है।

कृष्णा डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह सदियों पुराना तरीका है इसका ढांचा बहुत पुराना हो गया है, नहरों में गाद भर गई है और इन नदियों को पक्का करने की आवश्यकता है।

अत: इस प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक योजना पहले ही बनाई गई है। सरकार को इसकी स्वीकृति देनी है।

अन्त में मैं कहूंगा कि बाढ़ तथा सूखे से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिये सरकार को गंगा और कावेरी को जोड़ना चाहिये। यह परियोजना सूखे तथा बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम करने में काफी सहायता करेगी। वर्ष 1985-86 में ही सरकार ने सूखा राहत के लिये 52.7 करोड़ रुपये की राशि तथा बाढ़ राहत कार्यक्रम के लिये 502 करोड़ रुपये मुहैय्या कराये हैं। केवल वर्ष 1983 में 1280 करोड़ रुपये की राशि की फसल नष्ट हुई है। आप किसानों की क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। इन सभी वर्षों में हुए नुकसान का अगर आप हिसाब लगाएं और उन्हें जोड़ें तो देखेंगे कि नुकसान की राशि हजारों करोड़ों रुपये होगी। अत: नुकसानों को कम करने के लिए अन्तत: गंगा कावेरी को जोड़ने की योजना शुरू की जानी चाहिये। निश्चय ही यह बहुत ही मंहगी योजना और काफी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है परन्तु हमें इस काम को आरम्भ करना चाहिए। गांव के बेरोजगार युवकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कीजिए ताकि हमारा देश, भगवान के दिये हुए इस अमूल्य उपहार का तथा अमूल्य और बारहमासी जल स्रोत का, जो अन्य सभी देशों को प्राप्त नहीं है और हमें उत्तर में हिमालय के रूप में उपलब्ध है जिससे हम सिंचाई के लिये वर्ष भर पानी प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग कर सकें इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.34 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक "गंगा", गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो उन्होंने अथक प्रयास किया है, उसके लिए हम सब आप के आभारी हैं। मैं अभी हरिद्वार गई थी, कुम्भ महापर्व के अवसर पर मैं समझती हूं कि हमारे देश के अनेक प्रकाण्ड दर्शन शास्त्री और विद्वान लोग वहां एकत्रित थे, सब ने एक स्वर से इस बात की प्रशंसा की है। मैं आशा करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह गंगा के समान अन्य जो हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं, उनका भी प्रदूषण दूर करने की दिशा में कारगर कदम उठाये जायेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया है, जिसकी प्रथम बैठक 30 अक्टूबर को हुई और जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की। इस परिषद में जल को एक दुर्लभ, अमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है और उसका उपयोग अमूल्य निधि के रूप में किया जाए, ऐसा इन लोगों ने निर्णय लिया है और साथ ही साथ जमीन के नीचे, भूगत और सतही जमीन के ऊपर जो जल साधन हमारे हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक कैसे और कितना अधिक किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई है। सबसे अधिक खुशी की बात तो यह है कि बहुत अर्से के बाद हमारी सरकार ने एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बहुत ही बल दिया है।

सभापति महोदय, मैंने एप्रोच पेपर को भी देखा है। उसमें सिंचाई, विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काफी जोर दिया गया है। सिंचाई क्षमता का कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, जो हमारी चालू योजनाएं हैं, जो बहुत अर्से से चल रही हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो संभवत: आज के युग में कारगर नहीं हो सकती, उन पर पुनर्विचार करके कैसे नये ढांचे में ढाला जाए या कैसे समाप्त किया जाए या उनकी जगह दूसरी योजनाएं प्रारंभ की जाएं, इन सारी बातों को प्राथमिकता दी गई है।

हमारे देश में जल स्रोत एक प्राकृतिक देन है, ईश्वर का वरदान है और इस वरदान के माध्यम से हम देश में खुशहाली ला सकते हैं और अपने गांवों के किसानों की समृद्धि बढ़ा सकते हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है मगर मुझे दु:ख इस बात का है कि हमारे भारत में जो कुल कृषि योग्य भूमि है, उसका पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं और जो सिंचाई की हमारी सुविधाएं हैं, उनसे देश का अधिकांश भाग अभी तक वंचित रहा है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहती। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो कृषि प्रधान हमारे प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल,

असम एवं अन्य प्रान्त हैं, जहां जल का विशाल भंडार है, उनका भी सर्वेक्षण अभी तक नहीं सम्भव हो सका है। इसकी छानबीन होनी चाहिए कि कैसे हम इतने बड़े जल के विशाल भंडार का उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्राय: सभी राज्यों में बहुत दिनों से जो योजनाएं हैं, उनके लिए जो निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, अनावश्यक कारणवश उनमें विलम्ब हुआ है, जिसके फलस्वरूप लागत योजना पर काफी राशि बढ़ती चली गई है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहती हूं कि आज से नहीं, जब से हम लोग स्वतन्त्र हुए हैं, उस वक्त से बहुत सारे आयोग गठित किये गये और बहुत से एक्सपेरीमेंट्स किये गये। केन्द्रीय जल आयोग, कृषि आयोग, बाढ़ आयोग, सिंचाई आयोग, कितने ही आयोग गठित किये गये, मैं कहां तक गिनती करूं, मेरी समझ में नहीं आता लेकिन सभी का एक ही विचार है, वे सब एकमत हैं कि देश में जितनी भी वर्षा होती है, उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं और पानी निरर्थक बह कर चला जाता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। योजना आयोग भी यही कहता है कि सिंचाई क्षमता का जितना उपयोग होना चाहिए था, उस हद तक नहीं हुआ है। सभापति महोदय, जिस तरह से यह एक वरदान है, उसी तरह से यह एक अभिशाप भी है। प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखा, कटाव, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपार जन, धन की क्षति होती है। 1953 से लेकर 1983 के बीच में लगभग 335 करोड़ रुपये का बाढ़ से नुकसान हुआ है। प्राकृतिक प्रकोपों के बाद 1954 में राष्ट्र व्यापी प्रतिवर्ष बाढ़ नियंत्रण बोर्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नदी आयोग की स्थापना हुई परन्तु जितना उत्तरदायित्व इनका था, उस हद तक इन्होंने काम नहीं किया है और ये कारगर सिद्ध नहीं हो सके हैं। उसका काम था—विशेष रूप से जो हमारे लम्बे तटबंध है, उनका और जल निकासी नहर का निर्माण करना, पानी के जमाव को दूर करना, गांव की सतह को ऊपर करना। यह सारे काम अधूरे रह गये हैं। इनके कारण जो हमारी जनता जो कि गांवों में रहती है, उसको बहुत कष्ट होता है। स्वतंत्रता के 37 वर्षों के बाद भी हम जल सम्पदा का उचित उपयोग नहीं कर पाये हैं। यह एक गंभीर विषय है।

यह तो सही है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं की हमें कल्पना करनी चाहिए, दूरदर्शिता को अपनाना चाहिए और बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनाना चाहिए। लेकिन मंत्री जी जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं जिनसे गांव वालों को फायदा होता है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं उनमें बहुत ही कमी है, वे बहुत ही पीछे हैं। ये छोटी योजनाएं है कुओं की सफाई, तटबंधों की मरम्मत, छोटे-मोटे बांधों की मरम्मत। यह काम भी नहीं हुए है। सिंचाई के लिए जो नलकूपों का निर्माण किया गया है वह कार्य तो सफेद हाथी के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि करोड़ों रुपये तो केवल सरकार को व्यवस्था पर खर्च हुए हैं। इनका काम भी योजनाबद्ध और कालबद्ध योजना के अन्तर्गत नहीं हो सका। इनके बारे में मैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के उदाहरण दे सकती हूं जहां राजकीय नलकूप पूर्णरूपेण फेल कर गये हैं और उनसे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमारी शानदार उपलब्धि रही है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, तो मैं यह कहूंगी कि सभी अन्न के मामले में हम आत्म

[श्रीमती कृष्णा साही]

निर्भर नहीं हुए है। चावल और गेहूं के मामले में तो आत्म निर्भरता की बात कही जा सकती है लेकिन तिलहन और दलहन में क्या अभी भी हम बहुत पीछे नहीं हैं ? अगर हम चावल खायेंगे, रोटी खायेंगे तो क्या उसके साथ हम दाल नहीं खायेंगे ? आम जनता जो कि गरीब जनता है, जिसको कि प्रोटीन की जरूरत है, उसको दाल चाहिए। सारे विश्व में जितना दाल का उत्पादन होता है, उसका 87 प्रतिशत उत्पादन हमारे देश में होता है। वह भी हमारे देश के आठ राज्यों में — उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में दाल का उत्पादन होता है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक क्षेत्रफल में दाल का उत्पादन होता है, दाल की खेती होती है। भारत में इतने बड़े क्षेत्रफल में दाल की खेती होने के बावजूद हमारे यहां दाल की उपज प्रतिहेक्टेयर बहुत कम है। हम पिछले दो दशकों में भी इसमें वृद्धि नहीं कर पाये हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जहां दलहन की खेती होती है वह अधिकतर असिंचित क्षेत्र में ही होती है। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था और 1980 से जब से मैं संसद सदस्य हूं बराबर इस ओर सरकार का ध्यान दिला रही हूं कि हमारे यहां मोकामा और बड़हिया दाल के मामले में बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है फिर भी वहां हमारी सरकार दाल की पैदावार बढ़ाने की दिशा में कोई भी काम नहीं कर रही है। वह 410 वर्ग मील का क्षेत्र है।

शिवारामन कमेटी की रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहती हूं जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान जहां बालू की जमीन अधिक है या जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां भारत सरकार विशेष योजनाएं लागू करे और राज्य सरकारों को उसके लिए विशेष राशि की पूर्ति करे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि हमारा बिहार प्रांत एक तो बाढ़ के प्रकोप में रहता है और दूसरे सूखे के प्रकोप में रहता है। वहां का काफी एरिया बालू और दियर का क्षेत्र है। हमारे डी० पी० यादव जी भी उस इलाके से आते हैं। इसके लिए भारत सरकार को विशेष राशि देनी चाहिए, विशेष योजना बनानी चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी जो विदेशी मुद्रा है, उसके स्रोत पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमें दलहन और तिलहन की खेती के लिए विशेष ध्यान देना है। सबसे दुःखद बात तो यह है कि मिट्टी का कटाव बहुत हो रहा है और मिट्टी का कटाव इस तरह से आम जनता को प्रभावित कर रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है वह नष्ट हो रही है। मैं एक किताब पढ़ रही थी "फारेस्ट फार्मिंग आफ इंडिया" उसमें ये आंकड़े थे, पता नहीं ये कहां तक सच हैं या गलत हैं, ये मैं नहीं कह सकती, उस किताब के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि उसमें दिया हुआ था कि 50 वर्षों में हमारे जंगल इस तरह से बेशुमार ढंग से काटे जाते रहे है कि 9-10 करोड़ हैक्टर जंगल अभी तक काट दिये गये हैं और प्रति वर्ष 600 करोड़ टन मिट्टी बह जाती है। इसका मतलब यह हुआ प्रति वर्ष हमारे यहां 60-70 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन समाप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुकामा-बड़हैया ढाल योजना जो 20 वर्षों से लंबित पड़ी है, इस योजना को आप कार्यान्वियन करायें। इसको राज्य सरकार की योजना के रूप में नहीं देखना चाहिए, इस ओर भारत सरकार को विशेष ध्यान इसलिए देना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए बहुत लाभदायक और महत्वपूर्ण है। जब श्री के० एल० राव साहब मंत्री थे, उस समय वह दो बार मोकदमा गए थे और उन्होंने देखा था कि कितनी उर्वरा जमीन है। अगर वहां पर आधुनिक ढंग से दाल की खेती की जाए तो वह इलाका स्वयं तो दाल के मामले में

आत्मनिर्भर होगा ही, बल्कि सारे देश को भी वह दाल दे सकता है। यदि सिंचाई की भी व्यवस्था हो तब।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहती हूं, बार-बार आप लोगों से निवेदन करती हूं कि हमारे बिहार का काफी इलाका गंगा के कटाव से पीड़ित है, लोग बेघर-बार हो गए हैं, सरकार को करोड़ों-करोड़ रुपया उनकी व्यवस्था के लिए खर्च करना पड़ता है। इसके लिए क्यों न एक ऐसी योजना बनाई जाए जो कि दीर्घकालीन योजना हो। दीर्घकालीन योजना के अभाव में प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार का और भारत सरकार का करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है। दीर्घकालीन योजना बनने के बाद हमारी जनता को लाभ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को लाभ होगा और वह हमेशा के लिए दुख-दर्द से मुक्त हो जाएगी।

यह तो प्राकृतिक प्रकोप की बात हुई, लेकिन मंत्री जी, जो मानव-निर्मित आपदा है, विपत्ति है, उसका क्या किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि आप मन से बहुत ऊंचे हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि बड़े-बड़े काम हों, सभी जगह समन्वय हो, आपने जल-संसाधन विभाग बनाया है, नया विभाग है और आप चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग का ऐसा समन्वय हो कि हम सब सिंचाई के काम में आगे बढ़ सकें और देश की सिंचाई क्षमता अधिक से अधिक बढ़ सके, लेकिन आप मशीनरी का क्या करेंगे। किसके माध्यम से आप ऐसा करेंगे। नाम तो आपने बदल दिया, सिंचाई विभाग को आपने जल संसाधन विभाग नाम दे दिया, लेकिन नाम बदलने से काम कैसे बदलेगा, इसको भी सोचना है। इसके लिए कौन सी व्यवस्था आप शुरू करेंगे। किस व्यवस्था को आप अलाउद्दीन के चिराग के रूप में साबित करेंगे। पहले जो गलतियां हमसे हुई हैं, जिनके कारण हम अपनी सिंचाई की क्षमता पूरी नहीं बढ़ा सके, कालबद्ध योजना नहीं बना सके, इन सब बातों की ओर मंत्री जी को ध्यान देना होगा। मंत्री जी ध्यान दें, मैं यही कहना चाहती थी कि जो भ्रष्टाचार है, जो लालफीताशाही है आपके सिंचाई विभाग में, उसको आप कैसे बंद करेंगे, इस बात के लिए आपको हम लोगों को आश्वासन देना होगा। आपको हमें इस बात की जानकारी देनी होगी कि कौन सा तरीका आप अपनाने जा रहे हैं। आपको सम्भवतः मालूम होगा कि प्रत्येक विभाग में आर्थिक अपराध की बात होती है सब जगह माफिया की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन मैं आप से कहना चाहती हूं कि सिंचाई विभाग में भी एक माफिया गिरोह है जो बजट का 50 प्रतिशत अपने घर ले जाता है या उसका दुरुपयोग होता है। इसको आप कैसे बन्द करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो वाटर लागिंग की प्राबलम है, वह कैसे दूर होगी। इसके बारे में जो वार्षिक रिपोर्ट मिली है, उसमें मैंने देखा है कि इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है कि वाटर लागिंग जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, वह कैसे दूर होगी। जल ही जीवन है। जल कीमती है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी आज स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के बाद भी गांवों में हम लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पाये हैं। पेयजल की आपूर्ति सुदूर गांवों में कैसे हो, इसके लिए इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर उत्तरदायित्व फेंकता है। लोक स्वास्थ्य यंत्रणा विभाग कहता है कि हम नहीं कर सकते, दूसरा या तीसरा विभाग करेगा। आखिर यह जवाबदेही किसकी है कि गांवों में पेय-

[श्रीमती कृष्णा साही]

जल की आपूर्ति करें, और मैक्सीमम सिंचाई की सुविधाएं जो गांवों में दी जा सकती हैं, वह किस प्रकार से दी जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आशा और अपेक्षा करती हूं कि इस नए विभाग के गठन के बाद अवश्य भविष्य में कुछ सुधार होगा व्यवस्था में परिवर्तन कार्य प्रणाली में तबदीली होगी।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

तंगभद्रा बोर्ड को बनाये रखने की आवश्यकता। (24)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर में पेनाहोबिलाम बैलैंसिंग जलाशय और धर्मावरम नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता। (25)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच चित्रावती और पेन्नेर नदियों के जल-विवाद को निपटाने की आवश्यकता। (26)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

चित्रावती से बक्कापटनम (आंध्र प्रदेश) टैंक में पानी के उन्मुक्त प्रवाह को बहाल करने की आवश्यकता। (27)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में इन बेल बोर परियोजना को बड़े पैमाने पर आरम्भ करने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता। (28)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले को भूमिगत जल का पूर्ण लाभ उठाने के लिए डीप ड्रिलिंग रिंग देने की आवश्यकता। (29)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जायें।

रायल सीमा के अनन्तपुर जिले में भूमिगत जल का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। (30)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपये कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले को रेगिस्तान से बचाने के लिए इस क्षेत्र में भूमिगत जल का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता। (31)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कतिपय तालुकों में सिंचाई करने के लिए तुंगभद्रा के आगे के किनारे से समानान्तर नहर परियोजना को मंजूरी देने की आवश्यकता। (32)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जायें।

अनन्तपुर, चित्तूर, चित्रदुर्ग, तमकुर और कोलार जिलों में, जो चिर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, शुष्क भूमि में सिंचाई करने के लिए नेत्रावती को पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ने के लिए तुरन्त सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। (33)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

हैदराबाद में केन्द्रीय सतही जल बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता। (34)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपये कम किये जाएं।

देश के चिर सूखा संभावित क्षेत्रों में सतही जल से अधिक लाभ उठाने के लिए विशेष योजना तैयार करने और पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता। (35)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

राज्यों के बीच विवादों के निवारण के लिए देश के सभी नदी का जल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता। (36)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लाभार्थ इच्छमपल्ली परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता। (37)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपये कम किए जाएं।

तेलुगु गंगा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता। (38)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

तुंगभद्रा परियोजना, जिसमें अत्यन्त तीव्र गति से गाद जमा हो रही है, को गहरा करने की आवश्यकता। (39)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

जल प्रबन्ध सेल के कार्यकरण में सुधार लाने और उसे सक्रिय बनाने की आवश्यकता। (40)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित लघु सिंचाई योजनाओं को सक्रिय बनाने की आवश्यकता। (41)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बाढ़ भविष्यवाणी प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता। (42)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपये कम किये जाएं।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : मैं प्रस्तुत करता हूं—

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत माग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र तथा सिंचाई प्रयोजनार्थ जल की सप्लाई करने हेतु येलेरू जलाशय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (59)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (60)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपए कम किए जाएं।

कूप छिद्रण के लिए किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (61)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में हे 100 रुपये कम किए जाएं।

राज्य के बीच जल विवादों से उत्पन्न मतभेदों का समाधान करने हेतु पग उठाने की आवश्यकता। (62)

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि
में से 100 रुपये कम किये जाएं।

पोलावरम परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता। (63)

[अनुवाद]

श्री मेवासिंह गिल (लुधियाना) : सभापति महोदय, यदि मैं आरंभ में ही इस मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूं तो आप मुझे क्षमा कीजिए ।

मेरे विनम्र राय में केन्द्रीय सरकार में एक मंत्रालय ऐसा है जिसकी ओर यदि विभिन्न दृष्टि-कोणों से देखा जाए तो उस पर लापरवाही का और उसके परिणामस्वरूप अकुशलता का आरोप लगाया जा सकता है और यह मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय है । इसके पीछे भी इतिहास है ।

सदन के अन्दर और बाहर इस देश की जनता की यह सामान्य धारणा है कि पानी—चाहे यह वर्षा का हो अथवा नदियों का या झील का— यह हमारे देश की समस्त जनता की सम्पत्ति है । किंतु दुर्भाग्य से यह मंत्रालय यह दिखाने के लिए कि जनता की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, या कानून लाने में अथवा वर्तमान कानून में परिवर्तन करने में बार-बार और उत्तरोत्तर असफल हुआ है ।

महोदय, मैं इतिहास के उन पृष्ठों पर दृष्टि डालना चाहता हूं जब हमारे संविधान निर्माता इस समस्यां से परिचित थे और उन्होंने किसी न किसी प्रकार अपने विवेकानुसार पश्चिमी लोकतांत्रिक सरकारों के संविधानों से कुछ कच्चे विचार लिए और इस प्रकार "सिंचाई" अथवा "जल संसाधनों" को राज्य विषय के रूप में राज्यों के लिए अधिकार में राज्य के विषय के तौर पर छोड़ दिया गया । उसी समय संविधान बनाने वालों ने यह विचार अनुच्छेद 262 में शामिल किये ।

और तत्पश्चात मैं इतिहास के उस काल की चर्चा करना चाहता हूं जब इस सम्मानित सदन द्वारा अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 पारित किया गया था ।

मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इन कानूनों की ओर तथा एक परिवर्तित कानून लाने में असफलता की ओर दिलाना चाहूंगा ताकि जल-संबंधी विवादों से बचा जाए अथवा उन्हें खतम किया जाए । जब संविधान बनाया गया तो इसी समय पहली बार ' जल" का विषय राज्यों को सौंपा गया, केन्द्र को नहीं । परिणामस्वरूप प्रान्तीयतावाद की भारी समस्या के बीज बोये गये । और इस समय पहली बार सुस्थापित और सर्वमान्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के इस सिद्धांत को आघात पहुंचा कि सारा पानी प्राकृतिक स्रोत है और भारत की सारी जनता की सम्पत्ति है । उसी समय पहली बार तटवर्ती राज्यों को यह सोचने का अवसर दिया गया कि उनकी भूमि से जो पानी होकर बहता है और उनके क्षेत्रों की झीलों में जो पानी है, वह उनका है और वे उसके स्वामी हैं । इसी समय उन राज्यों को जो तटों पर नहीं बसे हैं इस बात का पता चला कि उन्हें उस जल की एक भी बूंद पर अधिकार नहीं है जो उनकी भूमि में नहीं बहता है और उन्हें इन्द्र देवता की कृपा हेतु आकाश की ओर देखना पड़ा और अन्य कई विचित्र बातों की सहायता लेनी पड़ी ।

दो-एक वर्ष पहले मैं राजस्थान गया था क्योंकि मैं स्वयं यह देखना चाहता था कि— मुझे इतिहास से ज्ञात हुआ था कि मेरे पूर्वज या यूं कहें पंजाब के किसानों के पूर्वज राजस्थान से पंजाब में आए थे जब उनकी फसल और मवेशियों के लिए वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, तो वे टोलियों में पंजाब की

हरियाली अथवा हिमालय की हरियाली में जाने के लिए मजबूर हो गये। मैं केवल इसी विचार से राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर तथा अन्य स्थानों को गया और मैंने स्वयं उनके पैरों पर सदियों से जमे मैल के टीले देखे और उनकी आंखें जल की एक बूंद के लिए निरन्तर आकाश की ओर लगी देखीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहनें और माएं अपने सिरों पर पानी से भरे घड़े 3 से 5 किलोमीटर की दूरी से अपने बच्चों, बूढ़ों तथा रोगियों के लिए ले जा रही थीं। और मैंने उनकी आंखों से जान लिया कि पानी का एक गिलास उनके पैरों के तले लाखों टन सिलिकॉन और उनकी तपती हुई भूमि के तले यूरेनियम के ढेरों से अधिक कीमती है। वे भी उसी भारत माता के बेटे-बेटियां हैं जहां गंगा, गोदावरी तथा अन्य नदियां बहती हैं और अपने साथ हिन्दमहासागर में लाखों टन अतिरिक्त पानी बहा ले जाती हैं। यह वही लोग हैं जिनके बच्चों ने अपनी-अपनी मातृभूमि के प्रत्येक इंच के लिए जीवन का बोम्बडीला अथवा जोजीला में कुर्बानी दी है। ऐसे हैं वे लोग, किंतु उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया है क्योंकि मंत्रालय इस कानून में परिवर्तन नहीं ला सका और जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सका।

सभापति महोदय, हमें देखना है कि क्या इन लोगों को पसीने की बूंदों के बराबर गले से उतरने वाली पानी की प्रत्येक बूंद के लिए मूल्य चुकाना होगा।

सभापति महोदय, हमें देखना है कि क्या इन लोगों को पानी की ऐसी प्रत्येक बूंद के लिए जो पसीने की बूंदों के साथ उनके गले से उतरता है मूल्य चुकाना होगा। यहीं पर केन्द्रीय सरकार असफल हुई है, और आप देखेंगे कि यद्यपि वे इस देश के लोग हैं फिर भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1954 के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण में राजस्थानियों से यह कहना पड़ा कि राजस्थान को कोई अधिकार नहीं बनता है, राजस्थान का नर्मदा नदी के पानी पर कोई अधिकार नहीं है, चाहे नर्मदा राजस्थान के निकट ही क्यों न बहती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून और अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में कहा गया है कि कानून के अन्तर्गत केवल तटवर्ती राज्यों का ही पानी पर अधिकार है। माननीय मंत्री ने रावी और ब्यास जल अधिकरण विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए जो तर्क प्रस्तुत किए उनका मेरी राय में कुछ महत्त्व नहीं है। यह उस न्यायाधिकरण का निर्णय है जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने की है उन राज्यों की अधिकारिता नहीं है जो तटवर्ती नहीं है अथवा उन्हें उन नदियों के पानी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो अन्य राज्यों में से बह रही हैं। ऐसा ही गोदावरी और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणों के मामले में हुआ है। यही कानून है क्योंकि न्यायाधीश इस सम्मानित सदन द्वारा बनाये गये कानून और नियमों की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यह वह समय था जब पिछले कानूनों की जांच के लिए और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण विधेयक पर चर्चा हुई। किंतु इसको अद्यतन बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और कानून वैसे का वैसा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे राज्यों को जो तटवर्ती नहीं हैं, तटवर्ती राज्यों के आश्रय पर छोड़ दिया गया है। इन्हीं कारणों से कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं। एक विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच उत्पन्न हुआ है।

[श्री मेवासिंह गिल]

6.00 म०प०

अन्य विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। ये विवाद इसलिए उत्पन्न नहीं हुए कि लोग प्राकृतिक संसाधनों को आपस में बांटना नहीं चाहते बल्कि इसलिए कि उन्हें कानून के उपबंधों से यह बोध कराया गया है कि कुछ लोग इसके अधिकारी हैं और और कुछ नहीं हैं। इसे बदलना होगा। जब तक मंत्रालय इस कानून को नहीं बदलता, यह बात लोगों की समझ में जमी रहेगी और विवाद उत्पन्न होते रहेंगे।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पंजाब के विभाजन से पूर्व यमुना नदी पंजाब और उत्तर-प्रदेश से होकर बहती थी।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हम सदन का समय एक घंटा बढ़ा देते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा समय में एक घंटे की वृद्धि से सहमत है।

आपको एक घंटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री मेवासिंह गिल : महोदय, मैं अनुपात में ही समय लूंगा। पंजाब के विभाजन से पहले यमुना नदी पंजाब से होकर बहती थी और यह पंजाब और उत्तर-प्रदेश की सीमा पर थी। विभाजन के बाद हरियाणा ने दावा किया यमुना नदी उनकी है क्योंकि यह हरियाणा में से होकर बहती है। और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला था कि पंजाब यमुना-घरबी नहर के जरिए यमुना नदी से बिल्कुल पानी लेने का अधिकारी नहीं है क्योंकि अब पंजाब यमुना नदी के नदी के तट पर स्थित राज्य नहीं है। इस प्रकार यह प्रश्न उठा कि यदि पंजाब यमुना नदी से जल लेने का अधिकारी नहीं है तो हरियाणा भी रावी-ब्यास जल का अधिकारी नहीं है। और यह विवाद शुरू हो गया। यह विवाद कानून में कमी के कारण ही शुरू हुआ। इस कानून को ठीक करना होगा और नवीनतम परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा।

उस दिन माननीय मंत्री ने अन्तर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि "नदी घाटी में कोई राज्य" शब्दों से तात्पर्य होगा "सिंध घाटी में कोई राज्य" दुर्भाग्यवश यह सही नहीं है। उसी समय मंत्री जी ने सिंध घाटी संधि में से जिस पर श्री जवाहर लाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे एक वाक्य उद्धृत किया था। इसमें "नदियों की प्रणाली" (दि सिस्टम ऑफ रीवर्स) शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंध नदी प्रणाली नदी घाटी से बिल्कुल भिन्न है। 'नदी घाटी' एक संक्षिप्त पारिभाषिक शब्द है, चाहे यह सिंध नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, गंगा नदी घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो। यह केवल एक नदी से संबंधित है।

इसका मतलब नदियों की घाटी नहीं है। इसलिए यह कानून इस अन्तर्राज्यीय मुद्दे को हल

नहीं कर सकेगा और इस देश में उत्पन्न स्थित को सुलझा नहीं सकेगा। कानून में संशोधन करना होगा। संविधान में कुछ ऐसा संशोधन करना होगा कि जल को प्राकृतिक संसाधन माना जाये और सभी भारतीयों की सम्पत्ति माना जाये और जहां और जिसे इसकी आवश्यकता हो उसे दिया जाये। ऐसा केवल कानून में संशोधन करने से ही संभव है।

हमारा राज्य पंजाब यह नहीं कहता कि हरियाणा या राजस्थान को जल नही मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमें अपने जल संसाधन यदि उन लोगों के साथ बांट सकें जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। किंतु प्रश्न यह है कि पंजाब के खेतों में भी पानी की अधिक आवश्यकता है। हमें उन्हें किसी प्रकार ऊर्जा की सप्लाई देनी होगी चाहे वह आणविक ऊर्जा के रूप में हो या किसी अन्य रूप में जिससे वे जमीन के नीचे से पानी खींच कर फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकें या इस काम के लिए कोई अन्य तरीका इस्तेमाल करना होगा। इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा और इन छोटे मोटे विवादों से ऊपर उठकर कानून बनाने होंगे।

सभापति महोदय, मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : सभापति महोदय मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। कम से कम स्वाधीनता के 39 वर्षों के बाद सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति बनाने पर विचार तो किया है। यह अच्छी बात है। किंतु दवा देने से पहले रोग की जानकारी आवश्यक है। यदि रोग की सही पहचान हो तो ही सही दवा दी जा सकती है।

जल के संबंध में इस देश में उठने वाले विवादों के दीर्घकालिक निपटारे के लिए हमें पहले समस्या का पता लगाना होगा। हमें समस्या का विश्लेषण करना होगा। स्वतंत्रता-पूर्व चौथे-पांचवें दशक में जल-संसाधनों का विन्यास बहुत कम था क्योंकि इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। उस समय अविभाजित भारत, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश शामिल हैं, की कुल जनसंख्या केवल 33 करोड़ थी। अब यह तीन गुणा से भी अधिक है तब भी उस देश में बड़े-बड़े शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अकाल और महामारियां होती थीं।

अंग्रेजों के जमाने में केवल डेल्टा सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया, ऊपर नदी थालों में सिंचाई पर नहीं। इस कारण उन राज्यों में जहां डेल्टा है, सिंचाई की प्रतिशतता भी अधिक है और ऊंचाई पर स्थित नदी तटीय राज्य शुष्क थे और वहां अकाल पड़ते थे। वहां सिंचाई के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। हुआ यह कि यदि ऊंचाई पर स्थित नदी तटीय राज्यों में सिंचाई का विकास करने के लिए परियोजनाएं बनाई गई तो ब्रिटिश सरकार ने जिसे इन राज्यों के संबंध में प्रभुसत्ता प्राप्त थी, उन्हें रोक दिया। अतः स्वतंत्रता के पश्चात् हमें विरासत में ऐसा देश मिला जिसमें बहुत कम सिंचाई होती थी और सिंचाई तथा डेल्टा क्षेत्रों का असंतुलित विकास हुआ था। 1947 में क्या स्थिति थी? शेष जल का प्रयोग भी निचले नदी तटीय राज्यों द्वारा करने की योजना थी, ऊंचाई पर स्थित सूखा पीड़ित राज्यों द्वारा नहीं। अतः इसमें संतुलन स्थापित करने और जल संसाधनों

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

के समान वितरण की जिम्मेदारी केन्द्र की थी। किंतु केन्द्र ने क्या किया ? यह बुरी तरह असफल रहा है - मुझे इस शब्द का प्रयोग करते हुए खेद हो रहा है—केन्द्र अस्थाई प्रयत्न करता रहा है और दबाव के आगे झुकता रहा है। आज तक केन्द्र ने यही किया है। कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनाई गई। कानून की खामियों में कभी सुधार नहीं किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 39 वर्ष पश्चात् भी हमारी कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रीय जल नीति चाहता नहीं। कर्नाटक जैसे कुछ राज्य इसके लिए कहते रहे हैं ताकि न्यायाधिकरण के लिए भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हों। कर्नाटक 1960 से राष्ट्रीय जल नीति के लिए आग्रह करता आ रहा है। आखिरकार अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। यह स्वागत योग्य बात है।

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम में खामियां हैं। नदी विवाद अधिनियम के अनुसार नदी थाले को उस सीमा तक माना गया जिस सीमा तक थाले के जल का निर्धारण हो। लेकिन वितरण के बारे में क्या-क्या स्थिति है ? इसमें थाले के क्षेत्र के भीतर तक ही वितरण सीमित नहीं रखा गया। इसमे थाले के बाहर भी जल के वितरण की अनुमति है। इसलिए न्यायाधिकरण गठित किए जाते हैं। न्यायाधिकरण केवल थाले के क्षेत्र में ही जल का निर्धारण करेगा। किंतु वितरण करते समय वे थाले से बाहर भी वितरण करते हैं। कृष्णा न्यायाधिकरण के मामले में भी ऐसा ही हुआ।

वास्तव में स्वर्गीय श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम जो 1963 में सिंचाई मंत्री थे के वक्तव्य के अनुसार यह कृष्णा-गोदावरी न्यायाधिकरण होना था। किन्तु जब न्यायाधिकरण गठित किया गया, तो यह कहा गया कि कानून के मुताबिक न्यायाधिकरण केवल एक नदी थाले तक ही सीमित होता है। इसलिए इसे केवल कृष्णा न्यायाधिकरण बनाया गया। क्या हुआ ? न्यायाधिकरण ने भी थाले से बाहर भी जल का आबंटन किया। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम में असमानता और अन्याय अन्तर्निहित है। मुझे उस दिन समाचार पत्र में यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री श्री शंकरानन्द जी ने कहा है कि यह कानून जल विवादों के निपटान के लिये अपर्याप्त है। इस प्रकार के अपर्याप्त कानून से न्यायाधिकरण के माध्यम से किसी प्रकार के समाधान की अपेक्षा की जा सकती है ? उनके निर्णय भी अस्थायी होते हैं और अक्सर राजनीतिक आकस्मिकताओं से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। जहां तक प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इन परिस्थितियों के परिणाम हानिकर हैं। नदी थालों के अधिकांशतः ऊपर के क्षेत्र अकाल ग्रस्त हैं। और सामाद्रिस के वर्षा विमुख वाली पट्टी (पश्चिमी घाट) वाले हैं। जबकि नदियों का अधिकांश भाग इन पहाड़ों में से बहता है, परन्तु इन अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए जल के प्रयोग सीमित किया जा रहा है क्योंकि नीचे स्थित राज्य द्वारा अधिकांशतः नदी थाले से बाहर, जहां पर 40 से 45 इंच वर्षा होती है, जल का प्रयोग करने की मांग मान ली गई है। सरकार अब भी किसी नदी थाले के क्षेत्रों और लोगों को इस बात की मान्यता दे सकती है कि उन्हें इस थाले के पानी के प्रयोग का अधिकार है और प्राथमिकता प्राप्त है क्योंकि उनके लिए जल का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इससे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं सुलझाने में बहुत सहायता मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवलम्बनीयता का है। चौथे दशक में इतनी जनसंख्या नहीं था। उन्होंने

90 प्रतिशत अवलम्बनीयता को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने 75 प्रतिशत अवलम्बनीयता की पेशकश की। अब पूरे विश्व में 50 प्रतिशत अवलम्बनीयता अपनायी जाती है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि यदि अवलम्बनीयता कम नहीं हो, तो आपके पास अधिक अतिरिक्त जल नहीं होगा। यदि अवलम्बनीयता अधिक होगी तो अन्य कार्यों के लिए भी अतिरिक्त जल नहीं बचेगा। राष्ट्रीय जल नीति बनाते समय सरकार द्वारा यह अवलम्बनीयता अपनायी जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को ध्यान रखें और कार्यान्वित करें।

अब वे महानदी के जल का प्रवाह कावेरी की ओर मोड़ने के लिए एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उड़ीसा से आए हमारे साथियों का क्या विचार है। सरकार इस निर्णय पर किस प्रकार पहुंची कि महानदी में अतिरिक्त जल है। उन्होंने यह पता लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं कि नदी के थाले में अतिरिक्त जल है या नहीं ? क्या उन्होंने सिंचाई की प्रतिशतता के किसी राष्ट्रीय मानक का पता लगाया है ? सभी राज्यों को मान्य कोई फार्मूला निर्धारित किए बिना यह कैसे सम्भव है ? उदाहरण के लिए, मान लें कि सरकार सभी राज्यों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सिंचाई चाहती है। तो यदि यह प्रतिशतता 50 से अधिक हो तो उसके पास अतिरिक्त जल माना जाए। किन्तु यदि ऐसा नहीं है तो अतिरिक्त जल का अनुमान किन मानदंडों के आधार पर लगाया जाता है। अत: सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अवलम्बनीयता भी निर्धारित की जानी चाहिए और यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि एक नदी घाटी में कितनी सिंचाई होनी चाहिए ताकि अधिक और कम जल का पता लगाकर उसे समायोजित किया जा सके।

मेरे विचार में महानदी से जल प्रवाह कावेरी में मोड़ने के लिए 400 फुट की लिफ्ट सिंचाई करनी होगी। यह वास्तव में 'लिफ्ट' सिंचाई है। जल डेल्टा क्षेत्रों में जाता है जहां वर्षा 40 से 45 इंच होती है। यदि यह औचित्यपूर्ण है तो शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी 'लिफ्ट' सिंचाई की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए कर्नाटक में, यदि हम कृष्णा नदी के जल के विषय में विचार करें, हमें बीजापुर आदि जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कम से कम 200 फीट उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।

हर समय अकाल-पीड़ित क्षेत्र रहते हैं। उदाहरणत: कर्नाटक लगातार चार वर्षों से सूखे से पीड़ित है। अस्थाई राहत उपाय बार-बार किए जाते हैं। इसके बदले, यदि सूखे तथा अर्ध-सूखे क्षेत्रों में जल संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करते समय भारत सरकार को तत्सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अन्यथा हमें सूखा राहत के नाम पर प्रतिवर्ष बार-बार कुछ राशि खर्च करनी पड़ती रहेगी। इसके बदले स्थाई राहत के रूप में, केन्द्र को सूखे तथा अर्ध-सूखे क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

संक्षेप में, राष्ट्रीय जल नीति में निम्नलिखित बातों को मान्यता दी जानी चाहिए :

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

(एक) किसी नदी थाले के जल का उपयोग करने का अधिकार वहां की धरती तथा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हो;

(दो) जल-विवाद अधिनियम का इस प्रकार से संशोधन हो कि जिससे किसी नदी थाले की जनता तथा धरती को समता के आधार पर अधिकार मिले। अतिरिक्त जल को थाले की आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद ही दूसरी ओर मोड़ा जाए।

(तीन) किसी नदी थाले में जल की मात्रा का मूल्यांकन करने में पुराने 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत अवलम्बनीयता हो।

(चार) सूखे तथा अर्ध-सूखे क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना उपलब्ध कराने तथा उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने की केन्द्र पर विशेष जिम्मेदारी हो।

(पांच) किसी नदी थाले में जल की कमी और आधिक्य का मूल्यांकन करने के लिए मान्य फार्मूला हो।

(छः) सूखे तथा अर्ध-सूखे क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई योजना को मान्यता दी जाए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय जल नीति तैयार करते समय इन मुद्दों को शामिल करें। साम्यिक सिद्धांत पर आधारित किसी उचित जल नीति के बिना किसी भी विवाद का कोई ऐसा स्थाई हल नहीं हो सकता जो सम्बद्ध राज्यों को स्वीकार्य हो।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में कुछ टिप्पणी करने में बहुत प्रसन्नता है।

चूंकि हमने गत वर्ष इस विषय पर चर्चा की, राष्ट्रीय हित में जल संसाधनों के विकास तथा उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति के निर्माण के पक्ष में राष्ट्रीय सर्व सहमति है। यह सचमुच एक सुखद शकुन है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना की गई है। देश में इस बात पर सर्व सहमति है कि जल संसाधनों को अत्यन्त मूल्यवान तथा दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन माना जाए आए और इस पर इस के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह बात स्वीकार की गई है और अभी मेरे मित्र श्री नन्जे गौडा ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। महत्व इस बात का है कि हमें न केवल अविलम्ब ही एक राष्ट्रीय जल नीति बनानी चाहिए, अपितु इसे प्रभावशाली ढंग से लागू भी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति का स्वागत करते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल नीति को लागू करने के लिए पूरे देश में विशेषकर तटवर्ती राज्यों में अच्छा वातावरण होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय नीति बनाते हुए यह हमें देखना चाहिए कि लंबित जल विवाद आपसी समझौते से निपटाए जाएं। इस संबंध में मैं माननीय जल संसाधन मंत्री के रवैये का स्वागत करता हूं।

मेरे विचार में तीन-चार मुख्य जल-विवाद हैं और वह अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं कि यह विवाद मैत्री पूर्ण ढंग से सुलझा जाएं।

ऐसा ही एक विवाद कावेरी जल विवाद है। मैं फिर एक बार माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह क टिक, तमिलनाडु, तथा अन्य सम्बद्ध राज्य के मंत्रियों को बुलाएं और यह देखें कि इनके बीच आपस में समझौता हो। स्वयं मैं समझता हूं कि सर्वोत्तम समझौता वह है जो आपसी सहमति से होगा, क्योंकि ये न्यायाधिकरण प्रभावहीन हैं। आप कैसे उनका निर्णय लागू करेंगे क्योंकि ये निर्णय लागू कराने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है ! आप उन्हें प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा यह विचार है प्रधान मंत्री समेत सभी लोग इन झगड़ों को निपटाने के लिए स्वयं आगे आएं।

हम सभी यह मानते हैं कि भारत जैसा देश जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं गंवा सकता है। हमारे देश के सभी भागों में एक जैसी वर्षा नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में 40 इंच वर्षा होती है तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जो सूखा-ग्रस्त रहते हैं और जहां केवल चार इंच वर्षा होती है। हमारे यहां सूखा प्रवृत्त क्षेत्र भी हैं। और जलाक्रांत क्षेत्र भी हैं। ऐसा है हमारा देश। अत: मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह देखें कि जल का उचित प्रबन्ध हो रहा है या नहीं। मेरे मित्र, श्री शोभनाद्रीश्वर राव ने जिन्होंने चर्चा आरंभ की तेलुगु-गंगा योजना के विषय में कहा। कुछ दिन पहले हमने इस विषय पर चर्चा की। मैं यह चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार इस विषय में अपना मत स्पष्टता से व्यक्त करे। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, कर्नाटक बचावट एवार्ड के पक्ष में है। श्री राव ने यह जो कहा है कि कर्नाटक सरकार के रवैये में परिवर्तन हुआ है, इसमें कुछ गलतफहमी हुई है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और कर्नाटक सरकार का रवैया लगातार पहले जैसा रहा है। हम कहते रहे हैं कि बचावट एवार्ड पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। तेलुगु-गंगा योजना के सम्बन्ध में हमें यह शंका है : आंध्र प्रदेश सरकार के लिए इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी परियोजना आरंभ करने के लिए अतिरिक्त पानी कहां है ? बचावट न्यायाधिकरण ने न केवल 2060 टी० एम० सी० तक जल का आबंटन किया है; किंतु यदि जल-आधिक्य भी है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है—जब मात्रा 2060 टी० एम० सी० है और 2130 तक है, तो भी, महाराष्ट्र को 35 प्रतिशत, कर्नाटक को 50 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश को 15 प्रतिशत मिलेगा। और यदि यह 2130 टी० एम० सी० से अधिक है तो महाराष्ट्र राज्य को 25 प्रतिशत, कर्नाटक को 50 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश को 25 प्रतिशत मिलेगा।

जहां तक वर्तमान 800 टी० एम० सी० का सम्बन्ध है जो पहले ही आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया है, यह 749 टी० एम० सी० तक देने को वचनबद्ध है और वाष्पीकरण द्वारा जो हानि होती है वह श्रीसेलम में लगभग 33 टी० एम० सी० है और जूरीला परियोजन में 18 टी० एम० सी० है।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। इसी प्रकार नार्थ एवेन्यू में भी हम दोनों अच्छे पड़ोसी हैं। अत: हममें न केवल नार्थ एवेन्यू में हार्दिक मित्रता है, अपितु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी है। अत: मैं तेलगु देशम के माननीय सदस्यों को यह सुझाव देता हूं कि वह बातचीत करने आगे आएं। श्री शंकरानन्द ने आंध्र प्रदेश सरकार को दो-तीन बैठकों में आने के लिए आमंत्रित किया

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

है। लेकिन अधिकारी भी बैठकों में नहीं आए हैं। हमें मिल बैठकर निर्णय लेना होगा। कोई गलतफहमी है। हमें इस समस्या को सुलझाना होगा क्योंकि हम एक ही राष्ट्र तथा एक ही देश के हैं। हमारे हित एक-जैसे हैं। हमारे राष्ट्रीय हित हम सबके लिए सर्वोपरि हैं। अत: मैं गंभीरता से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले का समाधान करें। हमारा केवल इतना कहने का कोई अर्थ नहीं कि यह अभी हल हो चुका है। इसमें कोई गलतफहमी है। हम कहते हैं कि हम बचावट न्यायाधिकरण का पालन करते हैं, आप कहते हैं कि आप भी बचावट न्यायाधिकरण का पालन करते हैं। जब हम दोनों का उद्देश्य एक-जैसा है···

सभापति महोदय : महाराष्ट्र को मत भूलिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जो मेरे माननीय साथी ने कहा है वह वर्ष 2000 के बाद होगा। वर्ष 2000 से पूर्व, आंध्र प्रदेश को सारा अतिरिक्त जल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

(व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जब महाराष्ट्र के सदस्य बोलेंगे वे भी तो निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख करेंगे। इस बात की कोई जमानत है कि फालतू जल उपलब्ध होगा? क्योंकि फालतू जल भी राज्यों में आबंटित कर दिया गया है। आपकी योजना के लिए यदि जल की पूरी अतिरिक्त मात्रा आपको दे दी जाए तो ठीक है क्योंकि आपने 700 करोड़ रुपये लगाए हैं। यदि सारा जल आप को दिया जाए तो आपको परियोजना के लिए पर्याप्त जल मिल जाएगा, जिस का अनुमान किया गया है। महोदय, अत: हम इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे।

मैं और दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। जहां तक हमारे देश की सिंचाई क्षमता का सम्बन्ध है, मेरा विचार है, कि हमारे पास लगभग 1500 लाख हेक्टेयर भूमि है जिस पर खेती हो सकती है। इसमें से अभी केवल 50 प्रतिशत खेती के अन्तर्गत लाई गई है। हमें प्रयास करना है और देखना है कि शेष 50 प्रतिशत भी खेती के अन्तर्गत लाई जाए। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास के आरंभ से 1951 में छठी योजना के आरम्भ से केवल 205 बड़ी तथा 900 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। छठी योजना के आरम्भ में केवल 29 बड़ी तथा 460 मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई हैं। आज क्या स्थिति है? आज यह स्थिति है, कि 7वीं योजना के आरंभ में 118 बड़ी और 433 मध्यम परियोजनाएं होंगी, चालू परियोजनाएं जिनकी कुल मूल लागत —जो बहुत अधिक है—24,600 करोड़ रुपये है। हमारे देश की चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए भी हमें 24,600 करोड़ रुपये चाहिए। यह पैसा कहां से आएगा? कुछ योजनाएं गत 20 वर्षों से लम्बित पड़ी हुई हैं।

महोदय, अत: चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। मैं गम्भीरता से जो बात माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं वह यह है कि इन परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार साधन ढूंढने पड़ेंगे। आप राज्यों से यह नहीं कह सकते हैं कि पैसा प्राप्त करना उनका काम है, क्योंकि जब तक आप राज्यों की सहायता नहीं करेंगे तो राज्यों के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करना असंभव है।

कर्नाटक को ही लीजिए। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें 6000 करोड़ रुपये चाहिए। मंत्री जी भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। कर्नाटक में इनकी सिंचाई क्षमता 55 हेक्टेयर की है जबकि उन्होंने केवल 25 हेक्टेयर का प्रयोग किया है। जहां आंध्र प्रदेश में सिंचाई की प्रतिशतता 40 है। तमिलनाडु में 40 प्रतिशत है और कर्नाटक में यह केवल 22 प्रतिशत है। हमारे राज्य में सात बड़ी नदियां और बहुत सी सहायक नदियां हैं। हम वित्तीय साधनों की कठिनाइयों के कारण नदियों के जल को प्रयोग में नहीं ला सके हैं। अत: आप अधिक राशि की व्यवस्था कीजिए।

आपको अधिक राशि के प्रावधान के लिए योजना आयोग के साथ लड़ना होगा।

सातवीं योजना में कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है ? यह केवल 14,000 करोड़ रुपये है, जहां कुल लागत अकेले 24,600 करोड़ रुपये है। अत: हम कहां जा रहे हैं ? हम वहीं होंगे जहां हम थे। अत: मैं गम्भीरतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जहां तक कर्नाटक का संबंध है सातवीं योजना में बहुत सी परियोजनाएं शामिल की गई है और मंजूरी दी गई है और केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं हम जानते हैंकि वित्तीय कठिनाई है परन्तु साथ ही आप यह भी जानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने बाह्य स्रोतों से सहायता जुटाने की केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है जिससे कर्नाटक सभी परियोजनाएं आरम्भ कर सकें और पूरा कर सके। हमारे लोक निर्माण मंत्री ने भी आपसे प्रति वर्ष योजना के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये देने की अपील की है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया है। माननीय मंत्री जी ने जो अपने मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं समझता हूं कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिना कृषि के विकास के हमारा देश मजबूत नहीं बन सकता है, क्योंकि इस देश के अस्सी प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर हैं और अपनी जीविका सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर जल का अभाव रहेगा, किसान सिंचाई के साधन नहीं पायेंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। आजादी के बाद हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई और उसके माध्यम से इस देश के किसानों ने खाद्यान्न का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा दिया, जिससे अब हमको विदेशों से गल्ला नहीं मंगाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों के जिस अथक परिश्रम से इस देश को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है, वह बहुत ही सराहनीय है।

अभी थोड़ी देर पहले सदन में रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार हो रहा था। मैं समझता हूं कि इस देश के विकास में किसानों और रक्षा में जवानों ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए माननीय जल संसाधन मंत्री ने जो अपने मंत्रालय की मांगें पेश की हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करके उसका सदुपयोग होना चाहिए, तभी किसान और देश का हित हो सकता है।

हमारे देश में वर्षा के पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अब तक प्राकृतिक जल का सदुपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तब तक सही मायनों में हम पीछे रहेंगे, क्योंकि अधिकांश जल बह कर समुद्र में चला जाता है। इसी की वजह से बाढ़ आती है। वर्षा के पानी के बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ आती है और काफी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम वर्षा के जल को रोक कर कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं, तो मैं समझता हूं कि जो पृथ्वी के नीचे जल का धरातल जो नीचे होता जा रहा है, वह भी रुक सकता है। जल को रोकने से जलवायु भी बदल सकती है और पानी ऊपर आएगा तो लोग कुआं खोदकर पानी पी सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि किसानों की तरक्की के लिए अच्छे बीज, उर्वरक, जल और दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जल का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि वर्षा के पानी को हर हालत में सरकार को रोकने की योजना बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं जानता हूं बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई है, यदि वहां पर छोटे-छोटे तालाब बना दिए जाएं तो तालाबों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं समझता हूं कि देश में जो

[श्री राम पूजन पटेल]

गांव समाज की जमीन बेकार पड़ी हुई है, वहां पर सरकार को तालाब बनाने में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए। तालाब जब बन जाते हैं, तो उनमें पानी बहुत रुकता है और पानी को रोकने से बाढ़ में कुछ कमी आएगी, क्योंकि करोड़ों रुपया हमको प्रति वर्ष बाढ़ की आपदाओं पर खर्च करना पड़ता है।

एक बात और कहूंगा। हमारे देश में बहुत नलकूप लगाए जा रहे हैं और सरकार का यह उद्देश्य है कि इन नलकूपों से सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं लेकिन एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो सरकारी नलकूप लगाए जाते हैं, उसमें टेक्निकल आदमी काम करने वाले होते हैं, हमारे इंजीनियर और ओवरसियर आदि काम करने वाले होते हैं और गांव में जो लोग नलकूप लगाते हैं, वे नान-टेक्निकल होते हैं, लेकिन उनके नलकूप दस-दस और बीस-बीस साल तक खराब नहीं होते और अच्छे ढंग से काम करते हैं और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाते हैं जबकि सरकारी नलकूप जो लगते हैं, जिनकी लागत तीन-चार लाख रुपये होती है, वे एक-दो साल के बाद ही खराब हो जाते हैं। उनकी नालियां टूट जाती हैं जबकि उनमें 1 और 4 के अनुपात का मसाला लगा होता है और उससे वे नालियां जुड़ी होती हैं। दूसरी ओर किसान 1 और 6 के अनुपात से जो नालियां बनवाता है, वे दस-दस साल तक खराब नहीं होती हैं। सरकारी नलकूपों की नालियां दो साल में ही टूट जाती हैं। जब हम उनसे पूछतेहैं, तो इंजीनियर और अधिकारी कहते हैं कि यह टेक्निकल चीज है। यह तो एक साधारण सी बात है और टेक्निकल के नाम पर इस तरह से अन्याय किया जाता है। मेरा कहना यह है कि अधिकारियों को अपने दिल व दिमाग से देश के हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए और इस विशाल देश को मजबूत बनाना चाहिए। कानून और भय से ही कार्य नहीं होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जहां ऐसी बात आवे, उन अधिकारियों के खिलाफ, जहां ऐसे निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई जाएं, सख्त कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि सख्ती और भक्ति से ही काम चलता है। बहुत मुलायम बन जाओगे, तो काम नहीं चलेगा। इस पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मैं यह उत्तर प्रदेश में यह देखता हूं कि वहां पर आधे से ज्यादा ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं और इसका उचित उत्तर हमें दिया जाए। किसान जो नान-टेक्निकल आदमी है, उसके ट्यूबवेल 18-20 साल तक चलते हैं और सरकारी ट्यूबवेल जिन पर चार लाख रुपये की लागत आती है, वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि नीयत में कुछ कमी है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सा पानी बेकार बह कर चला जाता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं। वहां का एक बहुत अहम मसला है। शारदा सहायक योजना के अन्तर्गत जो नहर बनी हुई है, उसमे रिसाब होता है, सीपेज होता है और उस सीपेज के कारण किसानों के बहुत से खेत और फसल खराब हो जाती है। उनसे सिंचाई के पैसे ले लिए जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि नहर विभाग की लापरवाही के कारण जो किसानों की फसल खराब हो जाती है, उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन क्योंकि किसान सीधे-साधे होते हैं और उनकी कोई यूनियन नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, इसलिए उन पर निरंतर छुरा चलता रहता है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जो कि सीपेज हो रहा है, वह बन्द हो क्योंकि उससे किसान के खेतों की फसल खराब हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है। उसके कारण वहां एक समस्या पैदा हो गई है और इसके कारण मेरे क्षेत्र में अत्यधिक प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक हानि उठानी पड़ रही है। मेरा मन्त्री

जी से निवेदन है कि सीवेज आदि के कारण जो नुक्सान होता है, उन किसानों पर लगान नहीं लगना चाहिए और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।

सिंचाई के साथ-साथ में आपका ध्यान पेय जल की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां नहरें हैं, वहां पर सीपेज के कारण कुओं का पानी खराब हो गया है और वहां पर कुओं का पानी इतना गन्दा होता है कि पीने के काबिल नहीं है। जहां पर गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, वहां पर हैंड पाइप लगाने की सरकार की योजना चल रही है लेकिन होता क्या है कि गांवों के जो बड़े लोग हैं और सम्पन्न लोग हैं, वे अपने यहां हैंडपाइप लगवा लेते हैं और गरीब आदमी को पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, उनको पानी से मुहताज होना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि हैंडपाइप लगवाने में वरीयता गरीबों को दी जाए। 20-20 हजार रुपये एक हैंडपाइप पर पड़ता है और वे जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही सोच-समझकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि हैंडपाइप खराब न हो और गरीबों को पानी मिलता रहे। जिस उद्देश्य से सरकार देती है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। एक कहावत है कि चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, नुक्सान खरबूजे का ही होता है। इसी तरह से गरीबों को जो पैसा मिलता है, या उनके लिए जो पैसा होता है वह घूम-फिरकर ठेकेदारों के पास, बिचौलियों के पास ही जाता है, वह गरीबों के हित में नहीं खर्च हो पाता। गांवों में कुएं बहुत दिनों तक खराब नहीं होते लेकिन हैंडपम्प दो-तीन साल में ही खराब हो जाते हैं। इसलिए पानी की कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो सके। देश सर्वोपरि है। जब तक आप मजबूत और स्थायी कार्यक्रम देश में पूरे नहीं करेंगे तब तक देश की स्थायी उन्नति नहीं हो सकेगी।

पिछले अधिवेशन में मैंने गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए एक निवेदन किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसको दूर करने के लिए इस कार्य का शुभारम्भ, उद्घाटन इलाहाबाद में किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। देश की जनता की निगाह इस ओर लगी हुई थी। प्रयाग में इसका शुभारम्भ किया गया, यह बहुत ही पुनीत कार्य किया गया।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के कुछ मुख्य कार्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इलाहाबात के कोडिहार विकास खंड में मुबारकपुर से सीता कुंड तक बांध बनाने के लिए मैंने निवेदन किया था जबकि मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था। उसका सर्वेक्षण भी हुआ था लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको रोक दिया गया। वहां पर करीब 35 गांव हैं और करीब 30-35 हजार एकड़ भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ में डूब जाती है। अगर वह बांध बन जाता है तो उससे गांवों की सुरक्षा भी हो जायेगी और करीब 30-35 हजार एकड़ भूमि में फसल भी हो सकेगी। फूलपुर क्षेत्र में एक गांव नीलापुर है। वहां पर 1973-74 में बाढ़ से गांव बहने वाला था। उस समय इस क्षेत्र से हमारे वित्त मंत्री जी संसद सदस्य थे और मंत्री भी थे तो उन्होंने वहां पर बांध बनवा कर पत्थर गिरवाया। उससे वह गांव बच गया, अन्यथा वह गांव डूब जाता। उससे थोड़ी-बहुत ही स्थिति अच्छी हुई है। उसमें और सुधार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसका पुनः सर्वेक्षण करा कर वहां पर बांध की स्थायी व्यवस्था कर

[श्री राम पूजन पटेल]

दें जिससे कि गांव के लोगों का भला हो सके।

मैं यह कहता हुआ इन मांगों का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस धन का सही रूप में उपयोग करने के लिए आप निर्देश जारी करें जिससे कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी सही रूप से काम में लगें। अगर वे सही रूप से काम में लगेंगे तो हमारा देश और भी आगे जायेगा। इसी तरह से हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है।

धन्यवाद।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : माननीय सभापति जी, सदन में हम लोग सिंचाई मंत्रालय और अब जल संसाधन मन्त्रालय पर चर्चा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। सन 1971 से मैं देख रहा हूं कि जो बात 1971 में हम कहते थे, आज भी वही बात कह रहे हैं। गाड़ी जहां थी वहीं है। हर साल कुछ पोटेंशियलिटी डवलप हो गई, कुछ इर्रीगेशन का एरिया बढ़ गया। लेकिन पोटेंशियलिटी डेवलपमेंट के साथ-साथ कितने एरिया में डिप्लीशन हुआ, इर्रीगेशन सिस्टम में उसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं।

मेरे मन में एक विचार आया कि अपने मित्र माननीय शंकरानन्द जी से निवेदन करूं और बताऊं कि गांव वालों की क्या हालत है। जिन लोगों के लिए हम सिंचाई की बात करते हैं, उन लोगों से हमने कभी पूछा है कि तुम्हारी क्या स्थिति है। मैंने अपने क्षेत्र में एक एक्सपेरीमेंट किया। मेरे यहां 11 प्रखंड हैं और उन 11 प्रखंडों में 11 सौ गांव हैं। उन 11 सौ गांव वालों से मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि सिंचाई के सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय है। मैंने एक क्वेश्चनेअर गांव वालों को भेजा। 11 सौ गांव वालों ने सिंचाई के बारे में मुझे लिखित रूप में उत्तर भेजा। मेरा प्रश्न था—"आपके गांव या इलाके में सिंचाई की क्या सुविधा है। लघु सिंचाई, ट्यूबवेल, निजी पंपिंग सैट या बड़ी सिंचाई योजना से आपको क्या लाभ मिल रहा है। अगर सिंचाई में कोई दिक्कत है तो उसका उल्लेख करें और निदान के लिए अपना सुझाव दें।" यह मेरा प्रश्न था सभी ग्रामवासियों से और ग्रामवासियों ने जो स्थिति बताई है और जो वे अनुभव करते हैं वह उन्होंने अपने जवाब में बताया है। 1100 गांवों से ये जवाब आए हैं, अगर मैं उन जवाबों को पढ़ूं तो सदन का पूरा समय समाप्त हो जाएगा इसलिए इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं ऐसा अनुभव करने लगा हूं कि उनको जो तकलीफ है, जो परेशानी है वह आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लिंकेज नहीं हो रहा है और आपके जो आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के जो आंकड़े हैं वे शोभा की वस्तु हो सकती है, प्लान की वस्तु हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन आंकड़ों में से करीब-करीब 40 प्रतिशत जो हम सिंचाई क्षमता की बात करते हैं वह 40 प्रतिशत सिंचाई एक्चुअली नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। मन्त्रालय में आप बैठते हैं, आर्डर करते हैं, सिंचाई सचिव, एडीशनल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, सेंट्रल वाटर कमीशन, कितनी एजेंसियां बनी

हुई हैं और सभी लोग छत के नीचे बैठकर फर्मान इश्यू कर देते हैं, नक्शा बना देते हैं, लेकिन गांव का किसान क्या कहता है—"हमारे गांव की जमीन मोरबे डैम से और क्यूल दाहिनी से सिंचित होती है। भुइका विलेज चैनल से हम लोगों को पटवन में बहुत गड़बड़ी और असुविधा होती है। इसका विस्तार होना चाहिए और इसकी मरम्मत बहुत आवश्यक है।" आपके यहां सेंट्रल वाटर कमीशन में लिखा हुआ है कि मोरबे डैम से 4000 एकड़ जमीन का पटवन हो रहा है, किसान कह रहा है कि उसका चैनल साफ नहीं है। जब अतिवृष्टि हुई तो चैनल को तोड़कर या जो टूटा हुआ चैनल है, उससे सारा पानी निकल गया। नतीजा यह हुआ कि खरीफ के सीजन में जो पटवन होना चाहिए था, जो सिंचाई होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मानसून के महीने में, जब सेशन न हो, जुलाई-अगस्त में एक बार आप अपने अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर दो-चार दिन देखें और लोगों से बात-चीत करें और सिंचाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाएं, तब आपको इस देश की असली स्थिति का पता चल जाएगा। कर्नाटक का पता चले या न चले, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरा पिछड़ा हुआ बिहार राज्य है, इसे अगर आप देख लेंगे तो पूरे हिन्दुस्तान की स्थिति का अन्दाजा आप लगा लेंगे और हिन्दुस्तान की समस्या का समाधान आप वहीं खोज लेंगे। यह मेरा नम्र निवेदन है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज कंप्यूटर का युग है, सेट-लाइट का युग है, स्पेस में जा रहे हैं, फोटो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमारे देश में 7 लाख के लगभग गांव हैं, क्या सिंचाई मन्त्रालय, वाटर रिसोर्सेस मन्त्रालय सिंचाई के सम्बन्ध में विलेज लेवल स्टेटस का एक मैप तैयार करेगा। इतना आप बता दीजिए, सिंचाई के संबंध में कि सात लाख या छः लाख जो विलेज हैं, उनका सिंचाई से संबंधित विलेज लेवल स्टेटस आप तैयार कर देंगे और उसको कंप्यूटराइज कर देंगे, अगर यह हो गया तो मैं समझूंगा कि आपके द्वारा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम हो गया। इस बात को आप जरूर अपने जवाब में कहिए कि डी०पी०जी०, मैं इस काम को कर दूंगा तो मैं बहुत अनुगृहीत होऊंगा। डाकूमेंट जो हमारे पास आए हैं, सारे डाकूमेंट्स में स्थिति यही है कि पोटेंशियलिटी हमने डेवलप की, लेकिन टेल एण्ड में क्या स्वरूप है, इसका अंदाज और केलकुलेशन आपके पास नहीं है, इसलिए हमारे फिगर्स रांग हो रहे हैं और जितना लाभ अपेक्षित है, जितने लाभ की उम्मीद है वह लाभ नहीं हो पा रहा है। मैं अपने ही राज्य की बात करना चाहता हूं, आप कहते हैं कि 113 मिलियन हैक्टेयर पोटेंशियलिटी इर्रीगेशन फेसिलिटीज की है, 50 मिलियन हैक्टेयर मेजर और मीडियम में और 55 मिलियन हैक्टेयर माइनर इर्रीगेशन सिस्टम में, 68 मिलियन हैक्टेयर आलरेडी एचोव कर चुके हैं, 45 मिलियन हैक्टेयर आपको एचीव करना है।

मैं देखता हूं कि इस 45 मिलियन हैक्टेयर के लिए माइनर इर्रीगेशन ट्यूबवैल, सरफेस वैल, स्माल डायमिटर ट्यूबवैल का प्रावधान है। लेकिन वाटर मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पम्पिंग सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम के बारे में आपका मन्त्रालय चुप है। छोटे-छोटे किसान यह चाहते हैं कि हमको एक एकड़ या दो एकड़ की जमीन का पटवन होना चाहिए, उसके लिए पम्प सैट चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के किसानों को अगर पांच-सात या दस हार्स पावर का पम्प सैट दो हजार या ढाई हजार में नहीं देंगे तो आप यह टारगेट पूरा

[श्री डी० पी० यादव]

नहीं कर सकते। आई० ए० आर० आई० में एक वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट सेन्टर है। उसने बड़ा अच्छा काम किया है और तरह-तरह के पम्प डिजाइन किए हैं। मैंने देखा है कि पम्प सैट की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दो हजार रुपया है जबकि आई० आर० डी० पी० स्कीम के तहत वह किसानों को 6600 में दिया जाता है। पम्प सैट का जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, उससे अधिक दूर पर किसान को नहीं मिलना चाहिए। होता क्या है कि दो हजार का पम्प सैट मैन्युफैक्चर हुआ तो उस पर ब्रांड नेम पड़ेगा उसके बाद बिचौलिया, होल-सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास जायेगा और फिर बी०डी०ओ०, ए०डी०एम० और डी०एम० के पास जाते-जाते वह 6600 में दिया जाता है। भोला-भाला किसान समझता है कि खुदा ने कुछ दिया है इसलिए पम्प एक बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए 4600 रुपया अधिक देकर लोभवश वह पम्प खरीद लेता है। उसको पता ही नहीं चलता कि सूद भी देना है। जब तीन-चार साल बाद सूद की मार उस पर आती है तो वह बाप रे बाप चिल्लाता है। इस प्रकार उसको लाभ के बदले हानि ही होती है। इन छोटी-छोटी बातों को दर-किनार करने की कोशिश मत कीजिए। किसान भोला-भाला है और वह सीधा-सादा है। लेकिन छोटी-छोटी बातों को हम दिल्ली में बैठकर नजर-अन्दाज करते हैं और बड़ी-बड़ी बातों के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इसको बन्द कीजिए। बरसात के समय सिंचाई की व्यवस्था देखने के लिए क्षेत्र में घूमने चलिए। असली हालत का पता चल जायेगा। एक क्षेत्र दीयरा है जहां पर वाटर री-चार्जेबल कैपेबिलिटी है लेकिन उस क्षेत्र में इर्रीगेशन नैगलेक्टेड है। वहां पर मैक्सीमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। नेशनल फ्लड कंट्रोल कमीशन ने जो आपको सिफारिश की है, उसको कम से कम लागू कर दीजिए। हमारे आन्ध्र प्रदेश के राव साहब ने स्प्रिन्कलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम की बात की है। यह एडवान्स सिस्टम है इसलिए 25 को बढ़ाकर पचास परसेंट तक सबसिडी दी जाए। छोटे और बड़े किसानों की बात मेरी राय में हटा दीजिए। देश को तो प्रोडक्शन चाहिए इसलिए छोटे और बड़े किसान का मत-भेद दूर कीजिए। प्रैक्टीकल होकर काम कीजिए थियोरिटिकल होकर नहीं। साइंस एण्ड टैक्नोलाजी हर पांच साल में दुगुनी-तिगुनी हो रही है। एडवांसमेंट आफ टैक्नोलाजी हो रहा है। लेकिन डैम कंस्ट्रक्शन, इर्रीगेशन स्कीम कम्पलीशन की जो टैक्नोलाजी है, वह हर पांच साल में पीछे जा रही है। आज से बीस साल पहले अगर चार साल में डैम बनना था तो वह डेढ़ साल में बनना चाहिए लेकिन वह अब पन्द्रह या बीस साल में बनता है। हम जानते हैं कि इसमें मिसचीवियस ह्यूमन स्किल है, सेल्फिश लोग बैठे हैं धूर्त लोग बैठे हैं, डीलर्स बैठे हुए है और उनको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। जल संसाधन मन्त्रालय के बड़े मन्त्री जी का यह भी एक काम है कि जिन मगरमच्छों ने जान-बूझ कर लोगों को पानी देने की व्यवस्था नहीं की है, उनको आप पकड़ने की कोशि कीजिए। राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि इन बड़ी मछलियों को जरा पकड़ने की कोशिश करें जो लोगों को तंग और तबाह किए रहती हैं।

एक ओर जहां हमारी टैक्नोलाजी एडवांस हो रही है, वहीं हमारी इर्रीगेशन स्कीम पीछे जा रही हैं। जब आप सेंट्रल सैक्टर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना सकते हैं तो उसी तरह सुपर इर्रीगेशन स्कीम्स के लिए भी कोई सेंट्रल स्कीम लाई जाए तो मैं समझता हूं कि कोई खराब या गुनाहगारी

नहीं होगी।

दूसरे हमारे यहां कई कंस्ट्रक्शन कम्पनियां और एजेंसियां हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन है, मिनरल्स एण्ड मैटल्स एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन है, इत्यादि अनेक एजेंसियां गवर्नमेंट के तहत काम करती हैं और उनके पास अच्छी एक्सपर्टीज उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि इनको राज्य में मत आने दो क्योंकि ये अनटचेबल्स हैं, और इनके आने से बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई योजनाएं चाहे आप कर्नाटक के लिए सैंक्शन करें या बिहार के लिए, उसके लि ए कोई कंसट्रक्शन एजेन्सी जरूर डिफाइन कर लें निर्धारित कर लें। उसके साथ-साथ स्टील, कोल, सीमेंट इत्यादि की सुविधा भी आप पहले से मुहैया कर लें।

आपने वैसे तो बड़े ताम-झाम के साथ कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी शुरू की थी और लगा कि यहां से आप पैसा भिजवा देंगे, कार्डो स्कीम चला देंगे तो शायद औटोमैटिकली स्कीम फ्लोरिश करने लगे, डेवलप करने लगे। मगर हमारे यहां तो वह किसान-मार एजेन्सी हो गई है। केवल लूट और खसोट की एजेन्सी बन कर रह गई है और उसको बन्द करने की दिशा में निश्चित रूप से आपको सक्रिय कदम उठाने होंगे।

अन्त में मैं गंगा फ्लड कमीशन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जिसका हैडक्वार्टर पटना में है। वैसे तो इसका नाम बहुत लम्बा-चौड़ा है और उसके बड़े-बड़े मैंप्स बने हुए हैं लेकिन वह क्या काम करता है, कभी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कभी बिहार में जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि उसकी एक्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं। अगर उसके पास कोई एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं हैं तो आप उसे सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिला दीजिए। वहां इंजीनियर्स बहुत कुछ कर चुके, उसके चीफ इंजीनियर पटना और लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली में बुलवाइये, क्योंकि उन्हें वहां बहुत तकलीफ हो रही है और उससे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। वैसे मैं प्रोलीफरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं करता लेकिन गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन कोई डिफैक्टिव इंस्टीट्यूशन है तो उसको कुछ एक्जीक्यूटिव पावर्स दीजिए अथवा सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिला दीजिए और वे वहां से अपनी दुकान बन्द करके आर० के० पुरम दिल्ली में आकर आराम से रहने लगें। उसके इंजीनियर्स यहां बैठकर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाएगे क्योंकि वे काफी अच्छे इंजीनियर्स हैं।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे मध्य प्रदेश में वर्षा हो या उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में बारिश हो, उसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज बिहार के निचले इलाके में होता है। वर्षा कहीं और उसकी क्षति कहीं और, हम जैसे लोगों के क्षेत्र में होती है। इसलिए जहां नेशनल कैलेमिटी होती है, फ्लड या एक्सैसिव वाटर की वजह से लोगों का नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए आप दिल्ली से कम्पैन्सेशन का प्रावधान तो करवा दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि यह केन्द्रीय विषय है या राज्यों का विषय है लेकिन यह प्रकृति का विषय है। और प्राकृतिक विपदाओं के सम्बन्ध में पहले जो कमीशन बना था, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट कमेटी बनी थी, उसने भी यही कहा था कि प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को फिर से मजबूत करने के लिए, क्षति को कम्पैन्सेट करने के लिए केन्द्रीय

[श्री डी० पी० यादव]

सरकार कुछ राहत दे। ताकि इस राहत के कारण कम से कम कटाव से तो बचा जा सके और कटाव से पीड़ित लोगों को, डैमेज से पीड़ित लोगों को, कुछ लाभ मिल सके। इन शब्दों के साथ मुझे आपके डायनामिज्म में पूरा विश्वास है भरोसा है और इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी इन छोटी बातों को स्वीकार करते हुए कार्यवाही करेंगे। इस मंत्रालय के बड़े मंत्री से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वह बरसात के दिनों में एक बार पटना और मुंगेर की तरफ अवश्य पधारें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं कि आपका मंत्रालय, आपके नेतृत्व में खूब फूले-फले और विकास करे। आपने समय दिया, इसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : सभापति जी, सात बजे तक हाउस है और मुझे केवल 18.55 बजे समय दिया गया है, मैं समझता हूं कि सात बजे के बाद भी मुझे समय दिया जाएगा।

सभापति जी, मैं जल संसाधन विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यों हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की सफलता सिंचाई से है। अगर हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दें, तो हमें कृषि में और कृषि के बाद फाइनेंस में काफी तरक्की मिल जाएगी, काफी मदद मिल जायेगी। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जो बड़ी अच्छी होते हुए भी नजरों के अन्दर नहीं रहती हैं।

मान्यवर, जब पिछड़े इलाकों का नाम आता है, तो उत्तर प्रदेश का नाम भी उनमें से एक होता है और जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों का नाम आता है, तो उनमें बुंदेलखण्ड भी एक होता है और जब बुंदेलखण्ड में पिछड़े क्षेत्र का नाम आता है, तो वह क्षेत्र बांदा है जहां से मैं चुनकर आया हूं। मान्यवर बांदा व कुछ क्षेत्रों के लिए युनाइटेड नेशन्स डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक योजना बनी थी जो 1979 में यू० एन० डी० पी० की गवर्निंग बॉडी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी थी। उस योजना को प्रदेशीय सरकार ने अपना सर्वेक्षण करके सेण्ट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था और वह एक दिसम्बर, 1981 से केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई है। श्रीमन्, इस योजना को छठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना था, किन्तु मान्यवर छठवीं तो निकल गई, इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल नहीं किया गया है। ऐसा करके इस पिछड़े क्षेत्र को दस साल पिछड़ा बनाने के लिए और पीछे फेंक दिया गया।

7.00 म० प०

मान्यवर, यह यू० एन० डी० पी० का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड बांदा, ललितपुर झांसी, जालौन और हमीरपुर पांच जिले ये तथा तीन जिले इलाहाबाद, बनारस और मिर्जापुर का एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र में सतपुड़ा रेंज, दक्षिणी पठार का हिस्सा है, इस तरह से आठ जिलों के लिए बनाया गया है और इसका सरसरी तौर पर सर्वेक्षण कर लिया गया है। इस क्षेत्र के नीचे भूमिगत पानी की बहुत बड़ी सम्पदा छिपी हुई है। इस प्रकार से अण्डर ग्राउण्ड वाटर चैनल्स के रूप में, ऑक्स बोलैक के रूप में, आर्टिजन-

बंध के रूप में इस पानी को एक्सप्लाइट करके, एक्सप्लोर करके ऊपर के क्षेत्र में लाकर के इससे सिंचाई के साधन बनाए जाएं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूं। हमारे यहां कुल मिलाकर एक-तिहाई से भी कम हिस्से में सिंचाई होती है, बाकी तीन-चौथाई हिस्सा सूखा है। आये दिन सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि आपदाओं से क्षेत्र ग्रसित रहता है। यहां के लोगों के पास और कोई दूसरा साधन न होकर सिर्फ खेती का साधन है, उसमें भी स्थिति यह है कि बड़े-बड़े स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स इसलिये पड़े रहते हैं कि उनकी तरफ आपकी कृपा-दृष्टि नहीं जाती।

मैंने इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष में लिखा भी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

7.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 अप्रैल, 1986/19 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, सीलमपुर, दिल्ली-110053